

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

१५३

॥ श्रीः ॥

कारक-दर्शनम्

(सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरणम्)

व्याख्याकार

डॉ० श्रीकलानाथ झा

(अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, : टी० एन्० वी० कलेज, भागलपुर)



चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

१९६६

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२६

मूल्य : ~~२०००००~~

© The Chowkhamba Vidyabliawan

Post Box No. 69

Chowk, Varanasi-1 (India)

1969

Phone 3076

प्रधान कार्यालय :

चौखम्बा संस्कृत मरीज आफिस

गोपाल मन्दिर लेन,

पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बॉक्स नं०, वाराणसी-१

THE
VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA
153

KĀRAKADARŚANA

(The Kāraka portion of the Siddhānta Kaumudī)

An Authoritative Study of Sanskrit Syntax

By

DR. KALĀNĀTHA JHĀ

Head, Deptt. of Sanskrit, T. N. B. College, Bhagalpur.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1969

First Edition.
1969
Price Rs. ~~4-00~~

Also can be had of
THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE.
Publishers and Oriental Book-Sellers
P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (India)
Phone : 3145

दिवंगत पं० रामनारायण शर्मा जी

की स्मृति में

जिन्होंने मुझे

संस्कृत-व्याकरण में प्रवेश कराया ।

अपनी वात

एम० ए० संस्कृत की परीक्षा पास करने के बाद प्राध्यापक होने पर व्याकरण पर कुछ लिखने की इच्छा जगी—केवल विद्यार्थियों के लाभ के लिये, इससे अधिक और कुछ नहीं। संस्कृत व्याकरण में मुनियों ने 'इससे अधिक' कुछ लिखने को अवसर ही कहाँ छोड़े हैं ?

डेढ़-दो साल नौकरी में प्रवेश पाते हुए कि प्रस्तुत कार्य में हाथ लगाया। थोड़े-थोड़े दिनों के लिये यत्नपूर्वक लगने पर दो वर्षों में, कार्य समाप्त हुआ। भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर, और कुछ अपनी विवेक-बुद्धि में भी जो बात संगत लगी उसका समावेश यत्र-तत्र करता गया। सोचा कुछ विद्वानों को दिखा दूँ। इसी क्रम में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, भागलपुर, के व्याकरण-प्राध्यापक पं० मदनमोहनभाजी को कुछ अंश पढ़कर सुनाया। उन्होंने मेरे दृष्टिकोण की सराहना की और उत्साह दिया जिसके लिये मैं सतत उनका आभारी रहूँगा। इस प्रकार आद्योपान्त पढ़कर मैंने नवीन सूत्रों को रक्खा। पुनर्लेखन की समस्या सामने आई जिसे मैं कई साल बाद हल कर पाया हूँ। प्रकाशक को भी जटिल प्रकाशन कार्य सम्पन्न करने के हेतु साधुवाद देता हूँ।

बातों को साफ-साफ लिखने के फेरे में पुस्तकाकार में कुछ वृद्धि हो गई है, पर मैं पाठक की समझ के मूल्य पर संक्षेप अच्छा नहीं समझता। अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये जकड़ी संस्कृतनिष्ठ भाषा से विचारों की मुक्ति दिलाना भी मेरा प्रयोजन रहा है। विश्वास है

पुस्तक न केवल पाठ्यके रूप में, अपितु साधारणज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी होगी।

प्रतिपाद्य विषय को अधिक स्पष्ट करने के हेतु पाठटिप्पणियों का आवश्यकतानुसार सन्निवेश करके तथा सूत्र वार्त्तिक प्रयोगों की अनुक्रमणी परिशिष्ट में देकर मैंने आधुनिकता लाने की चेष्टा की है। व्याख्या महाभाष्य, परिभाषेन्दुशेखर, लघुमञ्जूषा तथा तत्त्वबोधिनी और चालमनोरमा ऐसी सिद्ध, सुविख्यात टीकाओं पर आधारित है। व्याख्याक्रम में फक्किकाओं को नहीं छोड़ा है—प्रयोग की दृष्टि से उनका महत्त्व हो या न हो, विचार की दृष्टि से वे महत्त्वपूर्ण हैं ही। पुनः इस तरह की सरल भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास हुआ है कि उनकी विभीषिका प्रायः नष्ट हो गई हैं। किंतु अपने श्रम को तब तक मैं सफल नहीं समझूँगा जब तक इसे पढ़ कर असंस्कृतज्ञ संस्कृतानुरागा भी आनंद न लें। अंत में ही हुई पारिभाषिक शब्द और सदिग्ध प्रयोगों की सूची छात्रों के लिये बहुत उपादेय सिद्ध होगी ऐसा आशा है।

वाक्य रचना में सर्वाधिक महत्त्व रखने के कारण फारक दर्शन ही सबसे पहले पाठकों के सम्मुख रख रहा हूँ। अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध 'दर्शन' भी शनैः शनैः उपस्थापित करूँगा।

श्रीरामनवमी, १९६९ }
भागलपुर विश्वविद्यालय }

कलानाथ भा

भूमिका

पारिभाषिक एवं कर्त्ता कारक : प्रथमा विभक्ति

करोतीति कारकम् । किं करोति ? क्रियां करोति, निष्पादयति, क्रियोत्पत्तौ सहायते ।

जो क्रिया का करनेवाला हो, सम्पादन करनेवाला हो, क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं । कारक और क्रिया में पारस्परिक अकांक्षा होती है । इनमें से एक के रहने से दूसरे की चाह उत्पन्न होती है । दूसरे शब्दों में, क्रिया कारक के तथा कारक क्रिया के पूरक होते हैं । एक की स्थिति दूसरे के बिना संभव नहीं । उदाहरणस्वरूप, 'गच्छति' कहने से ही अर्थ पूर्ण नहीं होता । इसके बाद अकांक्षा पैदा होती है—कः गच्छति, कुत्र गच्छति, कुतः गच्छति, कथं गच्छति आदि । पश्चात् मालूम होता है—श्यामः गच्छति, गृहं गच्छति, नगराद् गच्छति, पठनाय गच्छति आदि । तब 'गच्छति' क्रिया की आकांक्षा पूरी होती है । इसी प्रकार खाली 'श्यामः' कहने से आगे क्रिया की आकांक्षा जगती है कि श्यामः किं करोति ? पश्चात् पदार्थानुकूल 'गच्छति' क्रिया जोड़ देते हैं और तब वाक्य पूर्ण होता है—श्यामः गच्छति । क्रियाकारकत्वसम्बन्ध ही वस्तुतः वाक्य है । इसी भाव को कुछ लोगों ने 'क्रियाजनकं कारकम्', 'क्रियान्वयि कारकम्', 'क्रियानिर्वर्त्तकं कारकम्' आदि कह कर दुहराया है । किन्तु गौर से देखने पर इनमें कुछ अन्तर मालूम पड़ता है । उदाहरणस्वरूप, क्रियां जनयतीति क्रियाजनकं कारकम् । तत्कथम् ? आकांक्षादिना । इस परिमापा में हम कारक को मान लेते हैं और उसके बाद क्रिया की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है । दूसरी ओर, क्रियाम् अन्वेतीति क्रियान्वयि कारकम् । अर्थात् क्रिया के पश्चात् जो आता है या क्रिया के अन्वय से ही जिसका अन्वय हो जाता है उसे कारक कहते हैं ।

इस परिभाषा में हम क्रिया की स्थिति पहले मान लेते हैं और तब कारक की स्थिति आवश्यक दौर पड़ती है। इसी प्रकार क्रिया निर्बन्धनीय क्रियानिवर्तक कारकम्। अर्थात् क्रिया का जो निर्बन्धन तथा निर्बन्धन करे या जिसके बिना क्रिया का रहना कोई अर्थ नहीं रहता हो, वही कारक कहलाता है।

स्पष्टतः क्रियाकारक के अविद्योक्त सम्बन्ध को हम अन्वय-व्यतिरेक (Joint Method of Agreement and Difference) के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अन्वय होता है—तत्सर्वे तत्सर्वम्—किन्ती एक पदार्थ के रहने पर किसी अन्य अपेक्षित पदार्थ का रहना; और व्यतिरेक होता है—तदभावे तदभाव —किन्ती एक पदार्थ के नहीं रहने पर दूसरे पदार्थ का भी नहीं रहना। वस्तुतः ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि किन्ती भी कारक के रहने पर अपेक्षित क्रिया उत्पन्न हो जाती है और किन्ती क्रिया के रहने पर प्रासंगिक कारक उत्पन्न हो जाता है। दूसरी तरफ, किन्ती भी कारक के नहीं रहने पर क्रिया निष्प्रयोजन हो जाती है तथा किन्ती भी क्रिया के सर्वथा अभाव में कोई भी कारक निराधार एवं असंभव हो जाता है। हम अन्वयव्यतिरेक के आधार पर क्रिया और कारक का महत्त्व एक-मा प्रतीत होता है यद्यपि शास्त्रशास्त्र की दृष्टि में क्रिया की सर्वत्र मुख्यता द्योतित होती है क्योंकि किसी भी कारक के मूल में क्रिया का ही अस्तित्व होता है और इस तरह किन्ती कारक का अस्तित्व भी क्रिया के अस्तित्व पर ही संगत होता है। इसके विपरीत न्याय की दृष्टि में देखने पर कारक की प्रधानता और क्रिया की गौणता सर्वत्र प्रतीत होगी। वस्तुतः यह प्रश्न कुछ हद तक इस भाषावैज्ञानिक प्रश्न से जुड़ता है कि सभी प्रातिपदिक धातुनिष्पन्न होने हैं या नहीं? इस पर निरन्तर यास्क गंभीर विचार करते हैं। इन प्रश्न यदि सभी प्रातिपदिक धातु निष्पन्न माने जायें तो क्रिया-कारक सम्बन्ध में अत्यन्त ही क्रिया का

१. द्रष्टव्यः निरुक्तः १।१२ : तत्र नामान्याख्यातज्ञानोक्ति साश्टायनो नेरुक्तसमपदम् । न सर्वांगीति गायत्री वैयाकरणानां वीरे । तद्यत्र स्वरसंस्कारो रुमर्षो प्रादेशिनेन गुणान्वितो स्वाश संनिजातानि दानि यथा गौरस्य. पुरुषो हस्तीति । अथ खेत् सर्वांग्याख्यातज्ञानि नामानि स्युर्बः वरचन तत्रमं कृतान् तस्यदं तस्यव तथा वशीरन्..... ।

महत्त्व बढ़ जायगा । अन्यथा इस दृष्टिकोण से विचार करने पर कि कारक के बिना क्रिया भी निराधार और विधवा हो जाती है, कारक का महत्त्व अधिक दीखता है ।

ऊपर की परिभाषाओं में 'क्रियाजनकं कारकम्' में कारक के द्वारा क्रिया की उत्पत्ति दिखलाई गई है जैसा कहा जा चुका है और इससे क्रिया के ऊपर कारक की मुख्यता दीख पड़ती है । 'क्रियान्वयि कारकम्' में क्रिया को उत्पत्ति के द्वारा कारक की उत्पत्ति दिखलाई गई है तथा इससे कारक के ऊपर क्रिया की प्रधानता स्पष्ट होती है । परन्तु, कारक या क्रिया, किसी की भी मुख्यता कहीं नहीं समझनी चाहिये । वस्तुतः बात ऐसी है कि दोनों परिभाषाओं में—एक जगह कारक की स्थिति मानकर उसके दृष्टिकोण से और दूसरी जगह क्रिया की स्थिति मानकर उसकी दृष्टि से दूसरे की स्थिति और उत्पत्ति पर विचार किया गया है और ऐसा किया गया है केवल दोनों का तादात्म्य और परस्पर निर्भरता बतलाने के लिये । तीसरी परिभाषा केवल पहली परिभाषा के भाव को ही स्पष्ट करती है ।

क्रिया की सिद्धि में सहायक होने वाले कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक कहलाते हैं^१ । कारक होने के लिए किसी पद का क्रिया के साथ साक्षात् और व्यवधानरहित सम्बन्ध (Direct and continuous relation) होना अनिवार्य है । 'राज्ञः पुरुषः गच्छति' इस वाक्य में 'गच्छति' इस क्रियापद का केवल 'पुरुषः' के साथ साक्षात् सम्बन्ध है, न कि 'राज्ञः' के साथ भी । 'राज्ञः' और 'गच्छति' में साक्षात् संबंध तब कहा जा सकता था जब 'राज्ञः गच्छति' का कोई अर्थ निकलता । फिर 'राज्ञः' और 'गच्छति' के बीच 'पुरुषः' पद का व्यवधान होने से सम्बन्ध परोक्ष तथा दूर हो गया है । अतः 'गच्छति' के साथ अन्वय अर्थवान् होने से 'पुरुषः' पद का तो कारकत्व होगा परन्तु 'राज्ञः' और 'पुरुषः' में जो स्वत्वामिभाव सम्बन्ध है वह 'गच्छति' क्रिया के साथ अनन्वित एवं व्यर्थ हो जाता है । अतः सम्बन्ध कारक नहीं ।

१. कर्त्ता कर्म च करणञ्च सम्प्रदानं तथैव च ।

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि पद ॥

किन्तु वैदिक प्रयोग में कुछ ऐसे स्थलों में जहाँ सम्बन्ध के साथ क्रिया का साक्षात् तथा स्वतंत्र प्रयोग हो यहाँ सम्बन्ध कारक माना जा सकता है। उदाहरणस्वरूप 'पात्रस्य जलं पिबति' के स्थान में 'पात्रस्य पिबति' ऐसा प्रयोग मिलता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ऐसी जगहों में भी सम्बन्धयुक्त पद तथा क्रिया का सम्बन्ध केवल शब्दतः साक्षात् रहता है, अर्थात् नहीं क्योंकि दोनों के बीच किसी पद की स्थिति अपश्य होती है जो गम्यमान (Understood) रहती है। पुनः यदि ऐसी स्थिति में सम्बन्ध को कारक माना जा सकता है तो जहाँ कर्म आदि कारकों की शेषविवक्षा या की सम्बन्धविवक्षा की जाती है वहाँ भी 'एधोदकस्योपस्कुर्वते, 'मातु स्मरति' आदि वाक्यों में सम्बन्ध को कारक माना जा सकता है। लेकिन हम वृत्ति की परिधि में रहने पर भी 'सतां गतम्' आदि में कभी भी सम्बन्ध को कारक नहीं माना जा सकता जैसा 'पृथी दोषे' सूत्र की ध्याएमा के अन्तर्गत स्पष्ट किया जायगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में न वास्तविक क्रियापद वर्तमान रहता है और न इसन्धिये कोई अन्य पद सम्बन्धयुक्त पद और क्रियापद के बीच गम्यमान दीप्त पड़ता है। इसकी निम्नि 'कर्तृकर्मणो वृत्ति' सूत्र से भी हो सकती है।

लेकिन गौर से देखा जाय तो कारकत्व की कमीटी साक्षात्सम्बन्ध से भी अधिक क्रियाजनकत्व प्रतीत होगी। कारक होने के लिये साक्षात्सम्बन्ध आवश्यक है किन्तु उसमें भी अधिक क्रियाजनकत्व आवश्यक है। वस्तुतः अधिकरण का भी क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता है लेकिन उसका क्रियाजनकत्व होता है, और इसीलिये यह कारक है। साक्षात् सम्बन्ध पड़ती सीढ़ी है और क्रियाजनकत्व आगे की सीढ़ी। सम्बन्ध में क्रिया के साथ साक्षात्सम्बन्ध ही नहीं रहता तो उसमें क्रियाजनकत्व भला कैसे हो सकता है? हमके विपरीत अधिकरण में साक्षात् सम्बन्ध नहीं रहने पर भी क्रियाजनकत्व रहने के हेतु कारकत्व माना जाता है। इसीलिये तो बिना क्रियापद का 'ग्रामम्' 'वृक्षान्' आदि कारकान्त प्रयुक्त पद चितना गराव मान्य पड़ता है उतना

१ पाणिनि : २।३।५०।

२. " : २।३।६५।

खराब 'वृक्षे' या 'स्थाल्याम्' नहीं दीखता । हाँ, जहाँ प्रश्नोत्तर में क्रियापद गम्यमान रख लिया जाय वहाँ 'ग्रामम्' आदि पद भी प्रयोग के रूप में खराब नहीं लगेंगे, इसलिए कि एक तरह से ऐसे स्थल में क्रियापद रहता ही है । दूसरी तरफ, जब प्रश्न में प्रयोग करके उत्तर में भी प्रयोग किया जाय तो पुनरुक्ति की तरह ही प्रतीत होगा^१ । और 'स्थाल्यां पचति' में 'स्थाल्याम्' का यद्यपि 'पचति' क्रिया के साथ आवश्यक साक्षात् सम्बन्ध नहीं दीखता है तथापि 'स्थाल्याम्' कहने से 'पचति' क्रिया की उत्पत्ति हो जाती है । यही अधिकरण का क्रियाजनकत्व है ।

प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । २।३।४६। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये (परिमाणमात्रे) संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् । ॐः, नीचैः, श्रीः, ज्ञानम् । 'अलिङ्गा नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे' इत्यस्योदाहरणम् । अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य । तटः, तटी, तटम् । परिमाणमात्रे—द्रोणो ब्रीहिः । द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरित्यर्थः । प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थोऽभेदेन संसर्गेण विशेषणम् । प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन ब्रीहौ विशेषणमिति विवेकः । वचनं संख्या । एकः, द्वौ, वहवः । इहोक्तार्थत्वाद् विभक्तेरप्राप्ती वचनम् ।

पहले प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है ? अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं, तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः नियतोपस्थितिकः । -ऐसा सार्थक शब्द जो न केवल धातु है, न केवल प्रत्यय है अर्थात् जो धातु और प्रत्यय दोनों से निष्पन्न है वही प्रातिपदिक कहलाता है । 'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या' इस सिद्धान्त के अनुसार चूँकि केवल प्रकृतिभूत शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसीलिये विभक्ति लगानी पड़ती है । शब्द को व्यवहारयोग्य बनाने के लिये प्रथमतः

जो विभक्ति लगायी जाती है वह प्रथमा कहलाती है । यह प्रातिपदिकार्यमात्र में होती है । प्रातिपदिकार्य के आधार पर ही प्रातिपदिक से पद बनाया जाता है । यह मूलतः पाँच प्रकार से संभव है । दूसरे शब्दों में पाँच तरह से अन्युत्पन्न प्रातिपदिक वचन व्युत्पन्न पद कहला सकते हैं । 'स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारक-त्मक-पञ्चकं प्रातिपदिकार्यः' । इसी को किसी ने कहा है—'प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिलिङ्गं संख्या कारकञ्चेति पञ्चप्रकारक-प्रातिपदिकार्यः' । स्व. अर्थः स्वार्थं विशेषणम् । स्वार्थं कहते हैं गुण को जो द्रव्य या व्यक्ति को विशेषित करता है । इसी को प्रवृत्तिनिमित्त भी कहते हैं क्योंकि यह तद्रूप्यक्ति के तद्रूप्यन्तिव्येन ज्ञान की प्रवृत्ति में निमित्त होता है । द्रव्यं व्यक्तिविशेषणम् । व्यक्ति या द्रव्य वह है जो गुणों के द्वारा विशेषित होता है । व्यक्ति और गुण में परस्पर निर्भरता का सम्बन्ध है क्योंकि व्यक्तिवाचकता (या वस्तुवाचकता ?) गुणवाचकता के बिना संभव नहीं और न गुणवाचकता ही व्यक्तिवाचकता के बिना । दोनों ही की उपस्थिति नियत (धर्मात् निश्चित) रहती है । 'राम' कहने से 'रमन्ते योगिनोऽस्मिन्—अर्थपाला को तत्तद्रूप्येण से परिच्छिन्न 'दाशरथि (राम)' है उसी का बोध होता है । ये विशेष गुण भी उसमें सतत और अवश्य पाये जायेंगे । पुनः उन गुणों से युक्त वही व्यक्ति होगा, दूसरा नहीं । इस प्रकार व्यक्तित्व की स्थिति भी धरावर स्थिर तथा अपरिवर्तनीय है । इसी कारण 'राम' व्यक्ति और उस व्यक्ति के 'दाशरथि'नादि गुण विशेष प्रातिपदिकार्य होंगे । प्रातिपदिकार्य होने से स्वार्थ और द्रव्य दोनों में ही प्रथमा विभक्ति होगी । इसी जटिल विषय को व्याकरण की मरल भाषा में कहेंगे—विशेष्य (व्यक्ति) के अनुसार ही विशेषण (स्वार्थ) होगा । इसलिये विशेष्य में यदि किसी शब्द के प्रातिपदिकार्य में प्रथमा विभक्ति होगी तो विशेषण में भी । परन्तु, विशेषण के लिङ्गवचन होंगे विभक्ति के माप-माप विशेष्य (मुख्य) के लिङ्गवचन के अनुकूल ही—क्योंकि विष्णुत्व अर्थ में 'विभक्ति' शब्द के अन्तर्गत किसी विशेष लिङ्गवचन में किसी विशेष अवस्था में बजाये गये रूप का अर्थ निश्चित है ।

तब स्वार्थ-द्रव्य के अतिरिक्त लिङ्गसंख्याकारक भी प्रातिपदिकार्य हैं क्या ? लिङ्ग के सम्बन्ध में विचार करने से पता चलता है कि शब्द तीन तरह के होने

हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई लिङ्ग ही नहीं होता है, ये अलिङ्गक हैं, अव्यय हैं जैसे, उच्चैः, नीचैः आदि। यन्नव्येति तदव्ययम्।^१ पुनः कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिङ्ग निश्चित होता है जैसे, 'कृष्णः'। किन्तु जब 'कृष्ण' शब्द का अर्थ संज्ञा (Proper name) में 'वासुदेव' होगा तभी यह नियत-लिङ्गक होगा अन्यथा जब इसका अर्थ 'काला' होगा तो यह विशेषण होने के कारण विशेष्य के अनुसार तीनों लिङ्गों में हो सकता है, उदाहरणस्वरूप, कृष्णः पटः, कृष्णा शाटी, कृष्णं वस्त्रम्। इन दो प्रकार के शब्दार्थ की उपस्थिति निश्चयात्मक है। परन्तु कुछ शब्द एक से अधिक लिङ्ग में पाये जाते हैं जैसे, तटः, तटी, तटम्। तीनों लिङ्गों में 'तट' शब्द व्याकरण के अनुसार ठीक है। इसी श्रेणी में उपर्युक्त विशेषणरूप 'कृष्ण' आदि शब्द भी आ सकते हैं। इस प्रकार अलिङ्गक और नियतलिङ्गक शब्दों के उनके अर्थों की नियत उपस्थिति के कारण प्रातिपदिकार्थ माने जाने पर भी अनियतलिङ्गक शब्दों के अर्थ की अनिश्चयात्मकता के हेतु 'लिङ्ग' को प्रातिपदिकार्थ मानने में कुछ दिक्कत है। प्रातिपदिकार्थ मान लेने पर भ्रमार्थ ही स्पष्टीकरणार्थ 'प्रातिपदिकार्थलिङ्ग—' इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ से पृथक् इसका निर्देश किया गया, जिससे अनियतलिङ्गक शब्दों के अर्थ की अनियतता के कारण लिङ्ग को प्रातिपदिकार्थ समझने में कोई धोखा न हो, अन्यथा 'तटः, तटी, तटम्' आदि शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति की उत्पत्ति नहीं होती या होने पर भी न्याय्य नहीं समझी जाती। अतः 'लिङ्ग' का प्रातिपदिकार्थ में ग्रहण किया जा सकता है।

परन्तु, संख्या और कारक तो प्रातिपदिकार्थ हो ही नहीं सकते। ये विभक्त्यर्थ हैं। एक, द्वि, बहु संख्या से विभक्त्यर्थ का बोध होता है। सूत्र में संख्या को वचन कहा गया है—उच्यते अनेन तद्वचनम्। किम् उच्यते? संख्येति। इसलिये एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन से क्रमशः एक, दो तथा बहुत संख्या का बोध होता है। अब 'राम' शब्द की प्रथमादि विभक्ति में अर्थ

१. पूरी कारिका :

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥

व्यक्तित्व या द्रव्यविषयत्व के रूप में निर्धारित होता है कि राम कितने हैं आदि। दादाशशिपरशुरामबलरामादयः। लेकिन प्रश्न यह है कि जब 'राम' शब्द के दो या तीन अर्थ हो सकते हैं तो उसकी व्यक्तिवाचकता (Denotation) में कोई निश्चयात्मकता कहाँ रही? यस्तुतः जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो चाहे उसके कितने भी अर्थ क्यों न हों, प्रसंगानुसूल उसका एक ही अर्थ होगा। 'कृष्ण' शब्द का 'वासुदेव' और 'काला' अर्थ भी तो प्रसंगानुसूल ही निर्धारित होता है। इसी तरह जब 'राम' शब्द त्रिवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होगा तो प्रसंगानुसूल उपयुक्त दो या तीन 'रामों' का बोध हो सकता है या, यदि कुछ लोगों का यह नाम हो तो उस नाम से दो या अनेक व्यक्ति का बोध हो सकता है। मेरे विचार में चूँकि एक नाम के अनेकों व्यक्तियों में भी गुणवाचकता में भेद होंगे ही, इसलिये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के केवल एकवचन में रूप होने चाहिये।

अब रही कारक की बात। इसकी प्रातिपदिकार्थ मान लेना तो मनर्षक होगा। यदि कर्मकरणादि अन्य कारकत्व के माध्यम प्रातिपदिकार्थ हो सकते हैं तो इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सर्वत्र 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' प्रथमा होंगी। यह असंगत है कि कर्मकारक में द्वितीया की जगह प्रथमा हो। साथ-साथ यह कुछ विपरीत प्रक्रिया ऐसी मालूम पड़ती है कि पहले कारकत्व हो और तब प्रातिपदिकार्थत्व। निश्चय ही कारकत्व के लिये प्रातिपदिकार्थत्व आवश्यक है, न कि प्रातिपदिकार्थत्व के लिये कारकत्व क्योंकि कारकत्व माध्य है और प्रातिपदिकार्थत्व उसका साधन। पहले प्रातिपदिकार्थत्व आता है और तब कारकत्व। पुनः ये कारक प्रातिपदिकार्थ की नियतोपरिपत्तिका पर भी सरा नहीं उतरते हैं क्योंकि कारक एक ही नहीं है। लेकिन जिज्ञ में भी तो अनिश्चयात्मकता रहती है? गौर से विचार किया जाय तो दोनों की अनिश्चयात्मकता में अन्तर स्पष्ट हो जायगा। कोई शब्द जब विहित किसी जिज्ञ में आ जाता है तब उस क्षण उसके अर्थ में पूरी नियतोपरिपत्तिका रहती है। फिर वह एक पूर्ण शब्द (Full fledged word) रहता है। इसके विपरीत, कारक तो कोई अदृग शब्द नहीं है—इसकी विभक्ति प्रत्यय तरह की वस्तु होती है, जो शब्द की पूर्णता में सहायक होती है।

यह भी कारक के प्रातिपदिकार्थ मानने के विरुद्ध तर्क है। वस्तुतः स्वार्थ और द्रव्य दो ही प्रकार से प्रातिपदिकार्थ संभव हैं। किसी तरह 'लिङ्ग' का भी समावेश कर लेने पर तीन प्रकार से प्रातिपदिकार्थ की संभावना की जा सकती है। सूक्ष्म विचार करने से तो प्रातिपदिकार्थ एक ही है—व्यक्ति। इसे ही द्रव्य या विशेष्य भी कहा जाता है। स्वार्थ या विशेषण तो इसी का आवश्यक अंग है। संख्या और लिङ्ग भी तो विशेषण ही होते हैं। वचन के द्वारा जिस प्रकार व्यक्ति की संख्या विशेषित होती है, उसी प्रकार लिङ्ग के द्वारा व्यक्ति का संस्थान या स्वरूप। कारक इस प्रकार कभी भी प्रातिपदिकार्थ नहीं हो सकता है।

मेरी समझ में उपर्युक्त विवेचन में यह नहीं समझ करके कि स्वार्थ, द्रव्य, लिंग आदि प्रकार से प्रातिपदिकार्थ होते हैं, यदि यह समझा जाय कि ये प्रातिपदिकार्थ होने की शक्तें हैं तो अच्छा होगा। किसी भी प्रातिपदिक के लिये प्रवृत्तिनिमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या आदि की निश्चयात्मकता आवश्यक है कि जिसके विषय में कहा जा रहा है वह कौन-सा द्रव्य है, किस लिंग का है, एक है या दो—आदि। जब यह निश्चित हो जाता है कि राम व्यक्ति है, पुल्लिग है, एक है (और प्रसंगानुकूल निर्धारित होता है कि 'दाशरथि' है) आदि तब 'राम' शब्द के उच्चारण के साथ ही उस व्यक्ति का चित्र मस्तिष्क में सद्यः उपस्थित हो जाता है। यही नियतोपस्थितिकता है, और प्रातिपदिकार्थत्व के लिये अनिवार्य शर्त है।

पुनः 'प्रातिपदिकार्थलिंग—' सूत्र में एक अंग और है—'परिमाणमात्रे प्रथमा'। यह पञ्चविध प्रातिपदिकार्थ के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। परन्तु, यह केवल प्रातिपदिकार्थ का श्रवान्तर भेद हो सकता है। परिमाणं प्रत्ययार्थः। 'द्रोणो व्रीहिः' उदाहरण में 'द्रोण' शब्द में जो सुप् प्रत्यय है वह 'व्रीहि' प्रकृति (अर्थात् मूलभूत शब्द) से उपचार (अर्थात् लक्षणा) के द्वारा अभेदान्वय रखता है। अभेदसम्बन्ध में 'गौर्वाहीकः' की तरह ही जिस प्रकार 'व्रीहि' शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी उसी प्रकार 'द्रोण' शब्द में भी। दोनों में जो प्रथमा हुई उसका समावेश हम प्रातिपदिकार्थ में कर सकते हैं क्योंकि 'सिंहो माणवकः' की तरह 'द्रोणो व्रीहिः' में प्रथम पद द्वितीय का विशेषण है।

जिन प्रकार 'माणवक' का अर्थ 'सिंह' के अर्थ में विशेषित तथा परिच्छिन्न है उसी प्रकार 'ग्रीहि' का अर्थ 'द्रोण' के अर्थ में । परन्तु जहाँ प्रथम उदाहरण में 'सिंह' के गुण के 'माणवक' में आरोपित हो जाने के कारण अमेदसम्बन्ध है वहाँ द्वितीय में 'द्रोण' में 'ग्रीहि' की परिच्छिन्नता ही अमेदसम्बन्ध की बतलाने में समर्थ है । इस तरह सूत्र में प्रथमा विभक्ति होने का हेतु स्पष्ट करने के लिये लिंग का पृथक् निर्देश किया गया और परिमाण को प्रातिपदिकार्थ से भेद करने का तात्पर्य 'परिमाण' के अर्थ 'परिच्छेद्यपरिच्छेदकभाव' को स्पष्ट करना दीख पड़ता है । लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन प्रकार 'सिंहो माणवकः' में 'सिंह' शब्द 'माणवक' का विशेषण होते हुए भी साधारण विशेषण से भिन्न है उसी प्रकार यहाँ 'द्रोण' भी 'ग्रीहि' का । इस दृष्टि से यद्यपि 'द्रोण' और 'ग्रीहि' दोनों शब्दों के अलग-अलग प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा विभक्ति हो सकती है, फिर भी एक साथ इस अर्थ में रहने पर 'ग्रीहि' पद में उक्त हेतु से युक्त होने पर भी शायद 'द्रोण' शब्द में प्रथमा नहीं होती । फिर भी, गौर से देखने पर यह कहा नहीं जा सकता कि सूत्र में 'परिमाण' का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक था ।

सूत्र को 'सारवत्' होते हुए भी 'असम्बन्ध' होना चाहिये । हो सकता था, खाली 'प्रातिपदिकार्थ' मात्रे प्रथमा' लिखने से पश्चान् लोग 'प्रातिपदिकार्थ' में स्वार्थ और द्रव्य ही समझते । परन्तु, लिंगपरिमाणरचन में भी प्रथमा विभक्ति होती है । 'द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्यद्भवते' । अत्र प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन के अन्त में जो 'मात्र' शब्द है उसका मयके साथ योग है । सधों में अलग-अलग प्रथमा विभक्ति होगी । किन्तु ईश्वरचन्द्र पिप्पासागर आदि पिछले कितने वैयाकरणों ने 'लिंगपरिमाणरचन' का समा-पेक्ष 'प्रातिपदिकार्थ' में ही करके 'प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा' लिखा । मरली-करण की दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन वाच्य की दृष्टि से भी यह व्यापक

१. सूत्र की परिभाषा :

अन्वयात्परमसम्बन्धं सारवत् विद्वतो मुक्त्वा ।
सम्बन्धं संयुक्तिगार्थं यत्तन्मूर्धनि करदते ॥

और पूर्ण मालूम पड़ता है। ऊपर के विवेचन से जैसा निष्कर्ष स्वाभाविक है, लिंग, परिमाण और वचन (संख्या) में भी, कहीं द्रव्य (व्यक्ति या वस्तु) और कहीं स्वार्थ (विशेषण) के रूप में—विशेष्य में साक्षात् और विशेषण में विशेष्य-द्वारक होने से परोक्ष नियतोपस्थितिकता रहती है। लिंग में नियतलिंगक और अलिंगक शब्द प्रत्यक्ष रूप से नियतोपस्थितिक होते हैं और बाकी अनियत-लिंगक विशेषण, परिमाणवाची तथा संख्यावाची शब्द परोक्ष रूप से। इनमें परिमाणवाची की स्थिति विशेष्यविशेषण-उभय-प्रकारक होती है जैसा 'द्रोणो ब्राहिः' से स्पष्ट है : विशेष्य इसीलिये चूँकि पृथक् साधारणतया प्रयुक्त होने से वह विशेष्य है और विशेषण इसलिये कि उपचार से वह 'ब्राहि' का विशेषित करता है। इसके विपरीत, संख्यावाची की स्थिति स्पष्टतः केवल विशेषण-प्रकारक होती है।

सम्बोधने च ।२।३।४७। इह प्रथमा स्यात् । हे राम !

सम्बोधनम्—अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम्। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करके कुछ कहने को सम्बोधन कहते हैं। यहाँ 'सम्बोधन' पद से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, कारण जिस व्यक्ति का सम्बोधन होता है, वह सम्बोधन उसका पदार्थत्वेन होता है। जब राम का सम्बोधन करते हैं 'हे राम' तो 'राम' व्यक्ति को उसी रूप में सम्बोधित करते हैं जिस रूप में वह जाना जाता है। इसीसे उसका आतिपदिकत्व सिद्ध होता है और उसमें 'प्रातिपदिकार्थलिंग—' सूत्र से ही प्रथमा होती है। परन्तु 'हे राजन्, सार्वभौमो भव' में 'राजन्' की तरह 'सार्वभौम' पद भी सम्बोधन नहीं होगा, कारण 'राजा' तो अभी 'सार्वभौम' नहीं हुआ है—केवल उसके 'सार्वभौम' होने की कामना की जाती है। अस्तुतः 'सार्वभौम' का 'राजन्' के साथ पदार्थत्वेन बोध नहीं होता है।

॥ श्रीः ॥

कारक-दर्शनम्

(सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरणम्)

कारके ।१।४।२३। इत्यधिकृत्य ।

कर्ता, कर्म, करण आदि कोई भी कारक इसी अधिकार में पड़ता है ।
ऐसे सूत्रों को अधिकार-सूत्र कहते हैं जिनसे किसी विषय विशेष के विवेचन
की परिधि निरूपित होता है :

कर्तुरीप्सिततमं कर्म ।१।४।४६। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्ट-
तमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् । कर्तुः किम् ? मापेष्वाश्वं वध्नाति ।
कर्मण ईप्सिता मापाः न तु कर्तुः । तमन्ग्रहणं किम् ? पयसा
ओदनं भुङ्क्ते । कर्मेत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणमाधारनिवृत्त्यर्थम् ।
अन्यथा 'गेहं प्रविशती'त्येवमेव स्यात् ।

क्रिया के द्वारा कर्ता का जो ईप्सिततम हो उसे कर्मकारक कहते हैं ।
'पथिकः पन्थानं पृच्छति' वाक्य में कर्तृपद 'पथिक' का इष्टतम 'पथिन्' है
और वह ज्ञात होता है 'पृच्छति' क्रिया के द्वारा । पथिक के पृछने का उद्देश्य
है मार्ग । इसलिये 'पथिन्' शब्द में द्वितीया हुई । इसी प्रकार 'पथिकः
पुत्रं पृच्छति' वाक्य भी ठीक है । 'अकथितञ्च' सूत्र से √प्रच्छ के
द्विकर्मक होने के कारण 'पथिकः पुत्रं पन्थानं पृच्छति' होगा । परन्तु,

‘पथिक ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति’ में ‘ब्राह्मण’ शब्द कर्म नहीं हुआ क्योंकि वह क्रियान्वयी नहीं है, क्रिया के साथ उभरा साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार ‘मापेन्द्र्यं यज्जाति’ में ‘माप’ पद कर्मभूत ‘अश्व’ का ईप्सित है, न कि कर्ता का। दूसरी ओर कर्ता का ईप्सिततम ‘अश्व’ है। अतः ‘अश्व’ पद में कर्मणि द्वितीया हुई। केवल ‘कर्तुः ईप्सितम्’ कहने से काम नहीं चलता क्या? नहीं। इसीलिये तो अतिशायनि अर्थ (Superlative sense) में तमप् प्रत्यय लगाया गया है। ‘कर्ता का ईप्सिततम’ ही होना चाहिये क्योंकि यदि कर्ता का ईप्सित भी कारक कर्मसंज्ञक होता तो ‘पयसा ओदनं भुङ्क्ते’ में ‘पयस्’ शब्द में तृतीया नहीं होती, द्वितीया होती। किन्तु, चूँकि वह ईप्सितमात्र है, इसलिये मावस्तम-कारक करण होने के कारण उसमें तृतीया हुई—‘ओदन’ बनाने का क्रिया में उसके सहायक सदकारक द्रव्य होने के हेतु। मात बनाने समय भात बनाने की इच्छा रखनेवाले तो पानी पीकर नहीं रह जायेंगे। जहाँ ‘पयस्’ ईप्सिततम होगा वहाँ कर्म में अवश्य द्वितीया होगी, जैसे ‘पयं पिबति’ आदि में।

इस सूत्र के पहले ‘अधिनीट्स्यामां कर्म’ सूत्र में ही कर्म की अनुवृत्ति कर लेते तो यहाँ फिर क्यों कर्म का प्रहण करते हैं? इसीलिये कि इस सूत्र में कहीं आधार ही कर्म न हो जाय क्योंकि इस सूत्र में आधार के कर्म होने का प्रसंग है। ऐसी अवस्था में ‘गेहं प्रविशति’ मिद्द समझा जायगा जिसकी जगह होना चाहिये ‘गेहं प्रविशति’ आधार के अर्थ में।

अनभिहिते ।२।३।१। इत्यधिकृत्य ।

कर्म कारक के लिये यह अधिकार सूत्र है। जहाँ भी कर्मसंज्ञा में द्वितीया होगी वहाँ कर्म के ‘अनभिहित’ या ‘अनुक्त’ रहने पर ही। ‘अनभिहित’ या ‘अनुक्त’ रहने का मतलब है अप्रधान रहना।

कर्मणि द्वितीया ।२।३।२। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् ।

कर्म के अनुक्त रहने पर द्वितीया विभक्ति होगी है। कर्म अप्रधान होगा

है कर्तृवाच्य में । 'हरिं भजति' वाक्य में (कोई भी गम्यमान) कर्ता प्रधान है जो 'भजन' करता है और 'हरि' अप्रधान है । कर्म है और इसीलिये उसमें द्वितीया होती है ।

अभिहिते तु कर्मणि 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' इति प्रथमैव ॥

अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्-कृत्-तद्धित-समासैः । तिङ्—हरिः
सेव्यते । कृत्—लक्ष्म्या सेवितः । तद्धित—शतेन क्रीतः
शत्यः । समास—प्राप्त आनन्दो यं (येन वा स) प्राप्तानन्दः ।
क्वचिन्निरुपातेनाभिधानं यथा—विषवृक्षोऽपि संवद्ध्यं स्वयं
छेत्तुमसाम्प्रतम् । 'साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यते इत्यर्थः' ।

लेकिन कर्म यदि 'उक्त' या 'अभिहित' हो जाय तो मुख्यता होने पर उसमें 'प्रातिपदिकार्थलिंग—' सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही होगी । सामान्यतः कर्म जो कर्तृवाच्य में अनुक्त रहता है, कर्मवाच्य में उक्त हो जाता है । इस अनुक्त से उक्त होने का कर्म की प्रक्रिया को अभिधान कहते हैं । यह चार प्रकार से होता है अर्थात् चार तरह से अनुक्त कर्म उक्त बनाया जा सकता है : (१) तिङ् अर्थान् क्रिया के द्वारा; (२) कृत् प्रत्यय लगाकर; (३) तद्धित प्रत्यय लगाकर और (४) समास के द्वारा । कर्तृवाच्य में 'हरिं सेवते' में 'हरिं' अनुक्त है । वही कर्मवाच्य में 'हरिः सेव्यते' हो जाने पर उक्त हो जाता है । यह होता है 'सेवते' क्रिया में कर्मवाच्य के उपयुक्त भेद लाने से । पुनः पूर्ववाच्य होगा—'लक्ष्मीः सेवितवती हरिम्' जिसमें क्रिया में कर्मवाच्य के अनुरूप 'क्तवतु' प्रत्यय के बदले 'क्त' प्रत्यय लगाने पर लक्ष्म्या सेवितः (हरिः) हो जाता है । वृत्तिस्थ उदाहरण में 'लक्ष्म्या सेवितः' में 'सेवित' पद 'हरि' का विशेषण है जो गम्यमान है और जो पहले वाक्य में अनुक्त था—अब उक्त हो गया है । यहाँ 'कृत्' के अन्तर्गत 'क्त' प्रत्यय से अभिधान हुआ । इसी प्रकार 'शतेन क्रीतः=शत्यः' में व्युत्पत्तिभाग में 'शतम्' जो अनुक्त (अप्रधान) है, निष्पत्तिभाग में उक्त (प्रधान) बना दिया गया है तद्धित 'यत्' प्रत्यय के द्वारा । क्रयादि अर्थ में ही 'शत' से

'यत्' लगता है और 'शत' प्रधानाभूत होकर 'शत्य' बन जाता है। अथ यह अथ, हस्ती आदि का विनोपण हो सकता है, जैसे, शत्य अथ, शत्यो हस्ती, आदि। परन्तु वस्तुतः विचार करने पर स्पष्ट भासित होता है कि यहाँ भावाच्य के भेद में ही कर्म प्रधानाभूत होता है। 'शत प्रीतवद् अथम्' कर्तृवाच्य में है जहाँ 'शतम्' पद कर्ता में है और उसका अर्थ श्यमाधन में 'शैष्यकशतम्' है। यही उभयवाच्य में हो जाता है—'शतम् प्रीत (अथ)। यहाँ तक तो वस्तुतः कृत् प्रत्यय 'न' के द्वारा अभिधान कहा जा सकता है किन्तु यह प्रक्रिया यहाँ तक सीमित नहीं रहती आगे भी बढ़ती है। 'प्रीत' का अर्थ 'शत' में ही समावृत्त हो जाता है और 'शत' में यत् (तद्धित) प्रत्यय लगाने से 'शत्य' हाता है जो अथ 'अथ' के लिये प्रयुक्त होता है। अथ अन्तिम स्थिति में शत्य का अर्थ होता है—'शतेन प्रीत (अथ)। मन्त्र के द्वारा भा अभिधान यत्नाया गया है किन्तु सही समावृत्त के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता—अथ पदाथ प्रधान बहुव्रीहि के द्वारा और ऐसा दूसरे समावृत्त के द्वारा भा अभिधान हो सकता है जो वस्तुतः बहुव्रीहि तो नहीं है किन्तु उनमें अन्यपदापच का कुछ कुछ आभाव रहता है जैसे समाहार द्विगु और समाहार द्वन्द्वसमावृत्त। समाहार होने पर समावृत्त होनेवाले पदार्थ का कुछ विशेष अर्थ छाटा जाता है। तत्पुरुष में 'मायो जातरय (यस्य)² और अन्यदीनाय में 'अन्मत्तगाम्³ आदि प्रयोग भी यहाँ निर्देशयोग्य हैं।

उपर के उदाहरण में बहुव्रीहि समावृत्त में 'यम्' जो कर्म रहने के कारण अयुक्त है, उक्त हो जाता है समावृत्तसम्बन्ध होने पर 'प्राप्तानन्द' में। यद्युक्त 'प्राप्त आनन्द य (स)' के स्थान पर 'प्राप्त आनन्द येन (स)' विग्रह करने पर वाच्यभेद के हा कारण अभिधान हुआ क्योंकि 'प्राप्त आनन्द येन' में 'स आनन्द प्राप्तया' का वाच्यभेद 'येन (येन) आनन्द प्राप्त' बोधगम्य है। पुनः यहाँ निराग (अच्यय) क द्वारा भी अभिधान होता है। उपर्युक्त उदाहरण में 'अथि' अच्यय के प्रयोग में 'विपृष्ट' अभिहित

१. मन्त्र शतस्य उपनिषत्सु ५।१।२१।

२. पाणिनि ३।२।५। वाच्य परिमाणित।

३. पाणिनि १।२।२१ वाच्य पदार्थे च मन्त्रान्।

हुआ है, अन्यथा होना चाहिये था 'विपवृक्षम्'। यहां 'साम्प्रतम्' का अर्थ है 'युज्यते'। यहां भी स्पष्टीकरण पर सूक्ष्म विचार करने से मान होता है कि

तथा युक्तश्चानोप्सितम् । १।४।५०। ईप्सिततमवत् क्रियया
युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् । ग्रामं गच्छंस्तृणं
स्पृशति, ओदनं भुञ्जानो विपं भुङ्क्ते ।

कर्मवाच्य में ही वस्तुतः अभिधान हुआ है। अतः तिङ्, कृन्, तद्धित, समास और क्वचित् निपात से अभिधान होता है—इसकी जगह यदि हम कहें कि कर्मवाच्य के कर्म वा अभिधान कर्मवाच्य में होता है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी और सभी पहलुओं का समावेश भी हो जायगा। लेकिन 'कामादमुं नारद इत्यत्रोधिषः' में 'नारद' पद का अभिधान कैसे हुआ? सचमुच यह वाक्य कर्मवाच्य की तरह कर्मा भी उचित नहीं हो सकता। ऐसे स्थलों में अतिरिक्त रूप से 'इति' या ऐव अन्य अवधारणार्थक अव्ययों के द्वारा कर्मपद का अभिधान कहा जा सकता है।

कर्मकार ४ के लिये आवश्यक है कि उसका योग क्रिया के साथ हो और वह कर्ता का ईप्सिततम हो। परन्तु यदि केवल उसका क्रिया से योग हो और वह कर्ता का ईप्सिततम नहीं हो, ईप्सित भी नहीं हो वल्कि अनीप्सित हो तब भी उसमें कर्मसंज्ञा हो जायगी। उल्लिखित प्रथम उदाहरण में 'ग्राम' शब्द में कर्म में जो द्वितीया हुई वह ईप्सिततम होने के कारण, इसके विपरीत अनीप्सित होते हुए भी 'तृण' शब्द में कर्मणि द्वितीया हुई। यह इसलिये कि मुख्य क्रिया 'स्पृशति' के साथ इसका भी वैसा ही योग है जैसे 'ग्राम' का जो ईप्सिततम है।

चूँकि इस सूत्र के पहलू 'कर्तुरोप्सिततमं कर्म' सूत्र है इसलिये 'तथा' का अर्थ 'ईप्सिततमवत्' रखना संगत है।

वस्तुतः ऐसे स्थलों में पदों के ईप्सित, ईप्सिततम या अनीप्सित होने से कुछ बनता विगड़ता नहीं है, प्रत्युत मुख्य क्रिया (Finite verb) के द्वारा ईप्सिततम पद के साथ ईप्सित या अनीप्सित पद का एकाधिकरण में

योग ही महत्त्व का है। अतः मुख्य क्रिया के साथ ईप्सिततम ईप्सित या अनीप्सित पद का एकाधिकरणत्व का सम्बन्ध ही आवश्यक है। यदि ऐसी स्थिति रहे तो ईप्सिततम पद के कर्मत्व के साथ दूसरे पद की भी कर्म सजा होगी। इससे भी आगे सूक्ष्म विचार करने पर देखा जायगा कि 'ग्राम' और 'तृण' में एकाधिकरणत्व रहते हुए भी 'गमन' और 'स्पर्शन' क्रियाओं में भेद है। 'गमन' में 'स्पर्शन' समाविष्ट है लेकिन 'स्पर्शन' में 'गमन' नहीं। परन्तु 'गमन' क्रिया का ईप्सिततम 'ग्राम' और 'स्पर्शन' क्रिया का 'तृण' दीप्त पड़ता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में कोई आवश्यक नहीं है कि 'औदन' और 'त्रिप' दोनों साथ-साथ और एक ही समय में (Simultaneously) खाये जायें। यह व्याख्या शब्द की दृष्टि में (व्याकरण में) लगत होती है। अर्थ की दृष्टि में (न्याय में) तो सूत्रगत अनीप्सितत्व रहता ही है।

पुनः 'दृष्ट' और 'वाञ्छनाय' में अन्तर है। 'दृष्ट' तो वाञ्छनीय होता ही है, अवाञ्छनीय भी कभी परिस्थितिप्रशात् 'दृष्ट' हो जाता है। यदि कोई उद्यम कर जानबूझकर त्रिप खाता है तो त्रिप अवाञ्छनीय होने हुए भी दृष्ट या ईप्सित कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में त्रिप को अनीप्सित कहना गड़बड़ होगा, तभी तो 'त्रिप भुङ्क्ते' ऐसे प्रयोग संभव होते हैं।

अकथितश्च १।४।५१। अपानादिविशेषैरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् ।

अपादान, व्यग्रदान, अधिकरण आदि कारकों से जो अकथित (अर्थात् नहीं कहा गया) हो यह भी कर्मसंज्ञक होता है। दूसरे शब्दों में, अपादान आदि कोई प्राप्त कारक नहीं कहा जाय तो उसके स्थान में कर्मकारक हो सकता है। लेकिन सभी प्रायुओं में ऐसा नहीं होता।

दुहाचूपचूडरुधिप्रच्छिन्नशामुजिमथसुषाम् । कर्म-
युक् स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृत्प्रहाम् ॥ दुहादीनां
द्वादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यद् युज्यते
तदेवाकथितं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः । गां दोग्धि

पयः । वलिं याचते वसुधाम् । अविनीतं विनयं याचते ।
तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान् शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्वि
गाम् । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति कलानि ।
माणवकं धर्मं व्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम् ।
सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति । देवदत्तं शतं मुष्णाति । ग्राममजां
नयति हरति कर्पति ब्रहति वा ।

केवल दुह्, याच्, पच्, दण्ड्, रध्, प्रच्छ्, चि, व्रू, शास्, जि,
मन्थ्, मुप् तथा नी, ह, कृप् तथा वह् धातुओं के योग में अकथित कर्म
संभव है । इनके योग में यदि प्रसंग के अनुसार अपादानादि कारक प्राप्त हों
परन्तु उनके स्थान पर हम कर्मकारक का प्रयोग करें तो वही अकथित कर्म
होगा । 'गोः दोग्धि पयः, में 'गोः' जो अपादान में पंचमी है उसके स्थान
में हम कर्म में द्वितीया रख सकते हैं और जिस प्रकार 'गोः दोग्धि पयः' शुद्ध
होगा उसी प्रकार 'गां दोग्धि पयः' भी । प्रत्येक उदाहरण का प्रयोगान्तर यों
होगा - (पृष्ठ ८ पर देखें) ।

(गौण अर्थ में) कम होने के पूर्व ऊपर कई जगह अर्थ की विवक्षा के
अनुसार भिन्न-भिन्न कारक हुए हैं । जब ऐसा अर्थ रहेगा कि 'तण्डुल' 'ओदन'
के बनने में साधकतम होता है तो 'तण्डुलैः ओदनं पचति' और जब अर्थ होगा
कि 'तण्डुल' से उचालने पर 'ओदन' बनता है तो 'तण्डुलेभ्यः ओदनं पचति'
होगा । इसी तरह जब 'माणवक' से रास्ता पूछा जायगा तो 'माणवक' में
करणे वृत्तीया, अन्यथा अपादान में पञ्चमी हो सकती है । जब, दूसरी तरफ,
'माणवक' स्वयं रास्ता नहीं पूछ सकता हो और उसके बदले उसी के लिये
रास्ता पूछा जाय तो 'माणवक' पद में सम्प्रदान कारक भी हो सकता है । पुनः
प्रथम उदाहरण में जैसे 'गां पयः दोग्धि' होगा । अपादान में स्थित 'गोः पयः
दोग्धि' के स्थान में जैसे ही 'गोः' में पठ्ठी समझने पर भी उसके स्थान में हो
सकता है । यद्यपि सम्बन्ध कारक नहीं है तो भी इसे हम समाविष्ट कर ले
सकते हैं क्योंकि 'अपादानादि विशेषैः—इस कथन में तो कारकत्व का

श्री-शैलिंग पद्यः	(अप्यादान से कर्म)	श्री	(शौण कर्म)	शैलिंग पद्यः (सुख्य कर्म)
यच्छेः वाषो वसुधाम्	" "	वच्छि	" "	याचते वसुधाम्
अधिकोमान् " विनयम्	" "	अधिकोमत	" "	" विनयम्
तण्डुलैः पचति क्षीरान्	" "	तण्डुलान्	" "	पचति ओदनम्
अभवा, तण्डुलैः " "	(करण से कर्म)	"	"	"
गोमूत्रैः दण्डयति सतम्	(अप्यादान से कर्म)	गोमूत्रं	"	दण्डयति सतम्
" " " "	(सम्प्रदान से कर्म)	"	"	"
मूत्रे अस्त्रपदि गाम्	(अधिकरण से कर्म)	मूत्रम्	"	अस्त्रपदि गाम्
मानस्य दृच्छति पन्थानम्	(सम्प्रदान से कर्म)	मानसम्	"	दृच्छति पन्थानम्
मानस्यम् " "	(अप्यादान से कर्म)	"	"	"
पृथार अग्निसोति पत्नानि	" "	पृथाम्	"	अग्निसोति पत्नानि
मानस्यस्य मूत्रे शारि वा धंसम्	(सम्प्रदान से कर्म)	मानस्यम्	"	मूत्रे शारि वा धंसम्
देवद्वारं जयति गाम्	(अप्यादान से कर्म)	देवद्वारं	"	जयति गाम्
क्षीरसिन्धोः सन्धति सुधाम्	(" ")	क्षीरसिन्धि	"	सन्धति सुधाम्
देवद्वारं गुण्यानि गाम्	(" ")	देवद्वारं	"	गुण्यानि सतम्
सामानं नयति अजाम्	(सम्प्रदान से कर्म)	सामं	"	नयति अजाम्
" सामानं हरति "	(अप्यादान से कर्म)	"	"	हरति "
" करति "	(" ")	"	"	करति "
" पहसि "	(" ")	"	"	पहसि "

प्रतिबन्ध स्पष्ट नहीं है। इस शर्त में जिस प्रकार 'करण' के समकक्ष 'हेतु' का समावेश हो सकता है वैसे ही सम्बन्ध का समावेश भी समीचीन है।

अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा । वलिं भिक्षते वसुधाम् । माण-
वकं धर्मं भापते अभिधत्ते वक्तीत्यादि । कारकं क्रिम् ?
माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति ।

दुह् आदि दारह और नी आदि चार धातुओं के ही योग रहने पर अकथित संज्ञा नहीं होगी, वल्कि इन धातुओं के अर्थवाले दूररे धातुओं के योग में भी। वस्तुतः अकथित संज्ञा इन धातुओं के अर्थ पर निर्भर है। अतः जिस प्रकार 'बलेः याचते वसुधाम्' का 'वलिं याचते वसुधाम्' होगा उसी प्रकार 'वलेः भिक्षते वसुधाम्' का भी क्योंकि √याच् और √भिक्ष् दोनों ही एकार्थक (Synonymous) हैं। इसी प्रकार √वृ, √भाप्, √वच्, √अभि = धा आदि सभी समानार्थक हैं।

लेकिन ऊपर बताया गये 'सम्बन्ध' का समावेश तभी हो सकता है जब पढ़ी विभक्ति के साथ-साथ किसी कारक में भी दूसरी विभक्ति होने की संभावना रहे। 'गोः पयः दोग्धि' में 'गोः' में पढ़ी कही जा सकती है और आपादान में पंचमी भी। इसलिये यदि यहां वस्तुतः पढ़ी के स्थान में भी कर्म करें तो उसका महत्त्व नहीं रह जाता है क्योंकि सम्बन्ध की पढ़ी विभक्ति के स्थान में स्वतंत्र रूप से अकथित होने पर कर्मसंज्ञा नहीं हो सकती है। अतः किसी न किसी कारक के नहीं कहे जाने पर ही गौणरूप से कर्म संभव है। 'माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति' में 'माणवक' पद में जो पढ़ी है सम्बन्ध में, उसके स्थान में कर्म नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा करने पर अर्थ में सन्देह उपस्थित हो जाता है। 'माणवकं पितरं पन्थानं पृच्छति' में 'माणवक' पद में जो पढ़ी है सम्बन्ध में उसके स्थान में कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थ में सन्देह उपस्थित हो जाता है। 'माणवकं पितरं पन्थानं पृच्छति' यदि हो तो 'माणवक' और 'पिता' में सम्बन्ध का मूल अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन प्रयोग ऐसा हो सकता है और उसका अर्थ होगा— 'माणवक से, (और) पिता से रास्ता पूछता है।

यहां जितने धातु गिनाये गये हैं जिनके योग में अकथित कर्म होता है, वे सभी द्विकर्मक हैं। अतः समझना होगा कि अकर्मक धातु से तो अकथित-कर्म नहीं ही संभव है, सभी सकर्मक से भी नहीं—उनमें भी द्विकर्मक धातुओं के साथ ही। दुह्, आदि याह और उनके अर्थवाले दूसरे धातु तथा नी आदि चार और उनके समानार्थक अन्य धातु। किन्तु जब अकथित संज्ञा अर्थ के अनुसार होती है तो अलग अलग $\sqrt{\text{नी}}$, $\sqrt{\text{ह}}$, $\sqrt{\text{कृन्}}$ और $\sqrt{\text{वह}}$ गिाने की क्या आवश्यकता थी? प्रायः इनके कुछ भिन्न-भिन्न अर्थ में प्रयोग पर भी अकथित संज्ञा हो सकती है। फिर, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उपसर्ग के साथ रहने से इन धातुओं के योग में क्या होगा? किसी कारक के अकथित होने पर कर्म होगा या नहीं? वस्तुतः इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः समझना होगा कि उपसर्गयुक्त रहने पर भी पूर्ववत् अकथित संज्ञा होगी। ऊपर बताये गये उदाहरण में भासित कर दिया गया है कि $\sqrt{\text{दह}}$ आदि द्विकर्मक के योग में जो दो कर्म होंगे उनमें एक मुख्य होगा और दूसरा गौण। जो कर्म अकथितकर्म के पूर्व में ही स्थित हो और जो उस अवस्था में सतत कर्म ही रहे उसे मुख्य कर्म और अकथितकर्म (अर्थात् अपादानादि कारक) के स्थान में भाये हुए कर्म को गौणकर्म कहते हैं क्योंकि एक तो इनकी स्थिति शाश्वत नहीं रहती है और दूसरी बात, इसके बदले हम इष्ट अन्य कारक का भी समुचित प्रयोग कर सकते हैं।

अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भागो गन्तव्योऽध्वा च
कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् । कुरुन् स्वपिति । मासमास्ते । गोदोह-
मास्ते । क्रोशमास्ते ।

द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग से संसृतमाया के प्रयोग का विस्तार मान्यम पड़ता है। इतना ही नहीं। कुछ परिगणित द्विकर्मक धातुओं से अपादान आदि कारकों के स्थान में कर्म भी हो सकता है। यह प्रयोग का प्राचुर्य अकर्मक धातु के साथ कर्मण्य की संभावना से और भी अधिक दोग पड़ता है। किसी भी अकर्मक धातु (Intransitive verb) के योग में देशवाची, कालवाची, भाववाची (अर्थात् क्रियावाची) तथा गन्तव्यमार्गवाची शब्द

कर्मसंज्ञक होंगे। किसी प्राचीन वैशाकरण ने 'देश' से खाली 'स्थान' का ग्रहण किया और उदाहरण दिया 'नदीमास्ते'। परन्तु यह असंगत है। 'देश' के अन्तर्गत ग्रामसमूह, कुरु आदि देश ही समझे जायेंगे, कोई प्रदेश या ग्राम भी नहीं। इसी आधार पर माप्यकार ने 'ग्रामं स्वपिति' का अशुद्ध वर्तलाया है^१। सामान्यतः √स्वप् के अकर्मक होने के कारण 'कुरुषु स्वपिति' ही प्रयोग होता किन्तु, इस वार्तिक के अनुसार हम इसकी जगह 'कुरुन् स्वपिति' प्रयोग कर सकते हैं। कालवाचक शब्दों में 'मास' आदि विशेष निर्धारित कालवाची शब्दों का ही समावेश होगा। इसका मतलब यही है कि 'गोदोहमास्ते' ऐसे प्रयोग में भाववाची शब्दों के कर्मसंज्ञकत्व में 'गोदोहकाल' का बोध होने पर भी इसको कालवाची का उदाहरण नहीं समझा जाय। गोदोहः गोदोहनम्। भावे घञ्। भावो धात्वर्थः। अतः 'गोदोहमास्ते' का अर्थ है—'जब तक गाय दूही जाती है तब तक बैठता है'। गाय का दूहना ही यहाँ भाव (क्रिया) है जो √दुह् में भावार्थक घञ् प्रत्यय से व्यक्त है। किन्तु 'मासमास्ते' का अर्थ है—'मास भर बैठता है'। इसी प्रकार गन्तव्य मार्गवाची से यहाँ मतलब है वह शब्द जो मार्ग का परिच्छेदक (नियतपरिमाणक) हो जाने वाला मार्ग या गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने वाला मार्ग इसका अर्थ नहीं है। अतः इससे मार्ग के निश्चितपरिमाण 'क्रोश' आदि शब्द ही समझे जायेंगे। 'क्रोशमास्ते' का अर्थ है 'कोस भर (चलते-चलते) बैठता है'।

इस वार्तिक का भाव एक प्राचीन कारिका^२ में भी मिलता है लेकिन इसमें पूर्ण स्पष्टता नहीं है। विशेषतः गन्तव्यत्वेन यह मार्गवाची शब्द 'क्रोश' आदि हो यह नहीं सूचित होता है। अन्यत्र कई स्थल की तरह यहाँ भी किसी तरह अर्थ का प्रक्षेप कर सकते हैं। किन्तु इससे एक नवीन दृष्टिकोण मिलता है। वह यह कि अकर्मक धातुओं के योग में जहाँ कर्म होगा वहाँ एक क्रिया अन्तर्भूत (गम्यमान) समझी जायगी। 'कुरुन् स्वपिति' से 'कुरुन् आगत्य

१. महाभाष्यम् : १।४।३ : तेन ग्रामसमूहः कुर्वादिरेव देशो गृह्यते, न तु प्रदेशमात्रं, तेन ग्रामं स्वपितीति न भवति ।

२. कालभावाध्वदेशानामन्तर्भूतक्रियान्तरैः ।

सर्वैरकर्मकैर्योगे कर्मत्वमुपजायते ॥

स्वपिति' समझा जायगा। यदि अकर्मक धातु के साथ कर्मसंज्ञा का विधान करने में नियम में आपातत, कोई क्षति दोस पड़े तो हमें हम कर्मरूप की कथञ्चिद् व्याख्या का प्रकार मान सकते हैं।

वस्तुतः यह वार्तिक महाभाष्य में उल्लिखित नहीं है। किन्तु, अकर्मक धातु द्विकर्मक धैर्ये होते हैं यह शंका उठने पर एक कारिका के रूप में वहाँ यद्यपि उपलब्ध है जो वार्तिक के भाव को ही अनूदिन कृता है और पूर्वगत कारिका से मिलता-जुलता है। 'कुरुन् स्वपिति' का अर्थ है—'स्वाप्नादिस्त्रिया कुर्वादीन् व्याप्नोति'। जब कर्ता क्रिया के द्वारा व्याप्त कर ले जो जिसे वह व्याप्त करता है वह 'आप्नुम् दृष्टतमः' = दृष्टित्तम होता है और तब 'कत्तुर्हाप्सित्तमं कर्म' से उसमें कर्म संज्ञा होती है। त्रिषानुनास धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। जय $\sqrt{\text{रप्}}$ का अर्थ केवल खोना होगा और वहाँ व्याप्ति का शब्द अर्थ नहीं लिया जायगा तो सर्वत्र अधिकरण ही होगा जैसे कुरुषु स्वपिति, माने आस्ते आदि। ये अर्थ 'अकथितश्च' और 'काण्वानोरस्य-न्यत्वयोगे' सूत्रों के स्वश्रीकरण के प्रसंग में भाष्य में आये हैं। इसी प्रसंग में 'समासमा विजायते' का स्वश्रीकरण माप्यकार ने किया है—'समायां समायां विजायते' 'समा', 'हिमा' आदि का अर्थ है 'वर्ष'। प्रथम प्रयोग में 'विज-ननादि क्रियया समां व्याप्नोति' ऐसा अर्थ रहने पर 'समा' शब्द में कर्मणि द्वितीया हुई; व्याप्ति का अनास समसं जाने पर अधिकरण में सप्तमा हुई। अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि 'कुरुषु' में जो अधिकरण है उसको अकथित करके (अर्थात् नहीं कहकर) उसके स्वान्त में कर्म-संज्ञा हुई। तब 'कुरुन् स्वपिति' हुआ। 'अकथितश्च' सूत्र के प्रसंग में जैसा यतशय्या गया है केवल परिगणित हुए आदि द्विकर्मक के योग में ही अपादानादि कारक के अकथित करने से वर्णसंज्ञा होगी है, अकर्मक के योग में कर्ता नहीं लेकिन उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार यहाँ हम अकर्मक के साथ ही अकथित कर्मसंज्ञा को संभव बना लेंगे है।

काण्वयो और अपनयो शब्दों में तो अपनत्वयोग में केवल द्वितीया

१. काण्वयोऽप्यस्यैव कर्मसंज्ञा स्वकर्मणाम् ।

होगी, किन्तु इनसे इस वार्तिक के अनुसार अकर्मक धातु के योग में अत्यन्त संयोग के निरपेक्ष रहते पहले कर्मसंज्ञा होगी, तब द्वितीया होगी। इसी प्रकार कालाध्वनोः—सूत्र में अकर्मक धातु का प्रयोग हो या सकर्मक का कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति के लिए अत्यन्त संयोग आवश्यक है।

'गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मककारणामणि कर्त्ता स गौ ।१।४।५२। गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणां चाऽगौ यः कर्त्ता स गौ कर्म स्यात् ।

शत्रूनगमयत्स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत् ।

आशयच्छामृतं देवान् वेदमध्यापयद् विधिम् ।

आसयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः ॥

गतीत्यादि किम् ? पाचयत्योदनं देवदत्तेन । अण्यन्तानां

किम् ? गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः ।

गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक (भोजनार्थक), शब्द-कर्मक तथा सकर्मक धातुओं के शिच् प्रेरणार्थक प्रत्यय के लगने के पूर्व के कर्ता शिच् उगने के पश्चात् कर्म हो जाते हैं। इनमें शब्दकर्मक का अर्थ है ऐसे धातु जिनके उच्चारण प्रतिरूपी शब्द कर्मकारक में स्थित हों। कर्म का अर्थ कहीं-कहीं क्रिया भी होता है, अतः इस दृष्टि से 'शब्दकर्मक' का अर्थ होगा ऐसे धातु जिनमें शब्द की क्रिया हो। प्रत्येक का उदाहरण वृत्ति में उद्धृत श्लोक में ही है, जैसे—

शिच् के पूर्व

प्रेरक

शिच् के पश्चात्

त्रवः अगच्छन् स्वर्गम्—

हरिः—

शत्रून् अगमयत् स्वर्गम्

दार्थं स्वे अविदुः—

„ —

वेदार्थं स्वान् अवेदयत्

आशनन् चामृतं देवाः—

„ —

आशयत् चामृतं देवान्

१. इस सूत्र के अर्थ को निम्न कारिका भी व्यक्त करती है :-

गमनाहारबोधार्थं शब्दार्थाकर्मधातुषु ।

अणिजन्तेषु यः कर्त्ता स्याण्णिजन्तेषु कर्म तत् ॥

वेदम् अध्वैत विधि --
आसन्न सलिले पृथ्वी--

," --
," --

वेदमध्याप्रयद् विधिम्
आसन्न सलिले पृथ्वीम्

इस सूत्र के अनुसार ऐसे धातुओं के लिये द्विकर्मकर का विधान किया जाता है जो धम्तुतः द्विकर्मक नहीं हैं, परन्तु, जो किसी विशेष अवस्था में (अर्थात् प्रेरणार्थक हो जाने पर) द्विकर्मक हो जाते हैं। यद्यपि केवल चार पंच प्रकार के ऐसे धातु गिनाये गये हैं, तथापि इनमें बहुत से धातुओं का समावेश हो जाता है क्योंकि ये हा धातु स्वयंभार में अधिकृत आते हैं। इनमें सकर्मक में गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, मशणार्थक और शब्दकर्मक रखे गये हैं, अतिरिक्त दूधरे-दूधरे अर्थ वाले धातु उड़ट दिये गये हैं। अकर्मक धातु मय के सब बिना किसी वाङ्-छाट के ले लिये गये हैं। इनके भाग में निच् के पूर्व जो कर्म रहता है वह पश्चात् भी कर्म रहता है। अपनी मूलत उपस्थिति के कारण वह मुख्य या प्रधान कर्म कहलायगा। परन्तु निच् के पूर्व जो कर्त्ता रहता है (जिसे प्रयोज्यकर्त्ता कहते हैं) वह निच् के उपरान्त कर्म हो जाता है। अपनी अनियमित उपस्थिति के कारण वह गौण (अप्रधान) कर्म कहलायगा। यह स्मर्याय है कि निच् धातु में लगाया जाता है। पूर्व वाक्य में जो क्रियापद रहेंगा उसी के धातु में यह प्रत्यय लगाया जायगा और इस प्रत्यय के लगने ही पूर्वकर्त्ता कर्म हो जायगा। अपने पूर्वस्थ लिंग-वचन में। पूर्ववाक्य के कर्म की स्थिति वगैरे ही रहेंगी किन्तु क्रिया का पुरुष-वचन हीमा नवान कर्त्ता (प्रेरक या प्रयोज्य) के पुरुष-वचन के अनुसार।

उपर के उदाहरण में $\sqrt{\text{गन्}}$ गत्यर्थक, $\sqrt{\text{बिद्}}$ बुद्ध्यर्थक, $\sqrt{\text{भक्ष्}}$ प्रत्ययसत्कार्यक, $\sqrt{\text{अधि}} + \text{इट्}$ शब्दकर्मक और $\sqrt{\text{भ्राण्}}$ अकर्मक हैं। लेकिन केवल इन्हीं अर्ध वाङ् धातुओं के साथ ऐसा कर्मत्व संभव है। इसी लिये 'पाठ्यपोद्दे देवदत्तेन' में 'देवदत्त' पद का निच् के पूर्व का कर्त्ता लाने पर भी निच् का परेगमित धातुओं में समावेश नहीं होने से कर्मत्व नहीं हुआ; उसकी प्राप्ति अनुष्ठ कर्त्ता में वर्तमान हुई। दूसरी भावश्यक बात यह है कि पूर्ववस्था में धातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय नहीं लगा रहे। यदि पूर्व वाक्य में निच् लगा हुआ है तो पाठ्यपद में निच् रहने पर भी प्रयोज्यकर्त्ता में कर्मत्व नहीं होगा। 'गमयति देवदत्तो यशदत्तम्' वाक्य प्रेरणा नरु है निम्नमें गमन

क्रिया का प्रेरक है 'देवदत्त' । यदि वाक्य में फिर 'देवदत्त' का भी प्रेरक विष्णुमित्र रखें तो पूर्ववाक्य के कर्ता 'देवदत्त' में कर्मत्व नहीं होगा ।

नीवहोर्न । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन ।

किन्तु गत्यर्थक रहते हुए भी $\sqrt{\text{नी}}$ और $\sqrt{\text{वह}}$ के णिच् के पूर्व का कर्ता णिच् के पश्चात् कर्म नहीं होगा । 'भृत्यः भारं वहति' या 'भृत्यः भारं नयति' से प्रेरणार्थक करने पर '(स्वामी) भृत्येन भारं वाहयति' या '(स्वामी) भृत्येन भारं नाययति' होगा । ऐसे स्थल में सर्वत्र कर्मत्व नहीं होने से अनुक्ते कर्त्तरि तृतीया होती है ।

नियन्तृकर्तृकस्य वहेरनिषेधः । वाहयति रथं वाहान् सूतः ।

लेकिन जिस $\sqrt{\text{वह}}$ का कर्ता ($\sqrt{\text{णिच्}}$ लगने के बाद का कर्ता) नियन्ता हो उस $\sqrt{\text{वह}}$ के पूर्वकर्ता के कर्मत्व का निषेध नहीं होगा; अतः मूल सूत्र के अनुसार ही पूर्व कर्ता णिजन्तावस्था में कर्म हो जायगा । 'वाहाः रथं वहन्ति' से प्रेरणार्थक प्रत्यय लगाने पर 'सूतः वाहान् रथं वाहयति' होगा अन्यथा अपवाद नियम के अनुसार 'सूतः वाहैः रथं वाहयति' होता । यह अपवाद का भी अपवाद है । यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि चूँकि $\sqrt{\text{वह}}$ द्विकर्मक है इसलिये णिजन्तावस्था में 'सूतः ग्रामं रथं वाहान् वाहयति' ऐसी स्थिति में तीन कर्म हो जायेंगे ।

इस वातिक में नियन्ता का अर्थ कोई भी 'पशुप्रेरक' है केवल सारथि नहीं । इसी आधार पर माप्य का 'वाहयति बलीवदान् यवान्' यह उदाहरण साध्यसिद्ध है क्योंकि इसका पूर्ववाक्य होगा—'वहन्ति बलीवदाः यवान्' और प्रयोजक होगा 'शकटवाहकः' । यहाँ 'रुडियोगमपहरति' का न्याय स्वीकार के योग्य नहीं माना जाता क्योंकि 'नियन्ता' का रूढार्थ तो 'सारथि' ही है ।

आदिखाद्योर्न । आदयति खादयति वा अन्नं वटुना ।

यह प्रत्ययानार्थक का अपवाद है । $\sqrt{\text{अद्}}$ और $\sqrt{\text{खाद्}}$ के णिच् के पूर्व का कर्ता णिजन्तावस्था में कर्म नहीं होगा । 'वटुः अन्नं खादति' या 'वटुः अन्नम् अत्ति' से क्रमशः 'वटुना अन्नं खादयति तथा' 'वटुना अन्नम् आदयति' होगा । अन्यथा णिच् के बाद दोनों उदाहरणों में 'वटुना' की जगह 'वटुम्' होता ।

भक्षेरहिंसार्थस्य न । भक्षयत्यन्नं वदुना । अहिंसार्थस्य
किम् ? भक्षयति वलीवदीन् शस्यम् ।

√भक्ष् भी हिंसार्थक होने पर पूर्ववत् भषवाद होगा । इस का भी प्रयोज्यकर्ता भेषणा से कर्म नहीं होता । 'वदु अन्नं भक्षयति' से 'वदुना अन्नं भक्षयति' । परन्तु, √भक्ष् का अर्थ जब हिंसाभक्त होता है—या लेना, भट कर देना, बरवाद कर देना आदि—तब प्रयोज्यकर्ता कर्मग्र को अंगीकार करना है । 'वलीवदीन् शस्य भक्षयन्ति' से वलीवदीन् शस्यं भक्षयन्ति चाहीक' ।

√भक्ष् के सुरादिगन्धीय रहने के कारण यहाँ आपातत वैसा कोट अन्तर नहीं होता पड़ता जैसा अर्थगत अन्तर है । पूर्व उदाहरण में √भक्ष् हिंसा का अर्थ नहीं रहता है । 'लङ्का अन्नं गता है' ऐसा कहने से अन्न की हिंसा नहीं होता, लेकिन शब्दवाले उदाहरण में 'शैल पमल खा जाते हैं' ऐसा कहने से पमल की हिंसा (नुकसान) व्यक्त होती है ।

जल्पतिप्रभृतोनामुपसंख्यानम् । जल्पयति भाषयति वा
धर्मं पुत्रं देवदत्तः ।

'बोलना' अर्थवाले √जल्प् आदि का भी ग्रहण प्रयोज्यकर्ता के कर्मग्र के प्रयोग में शब्दक्रमक धातुओं के साथ साथ कर लिया जाय । शब्दक्रमग्र भी शब्दप्रियाय में अन्तर है । इस वार्तिक में ज्ञापित होता है कि मूलसूत्र में 'शब्दक्रम' में 'कर्म' का अर्थ 'विद्या' नहीं बल्कि 'कर्मकारक' है । यदि इस सूत्र के प्रयोग में शब्दक्रमग्र का अर्थ शब्दप्रियाय रहता तो अलग यह वार्तिक नहीं बनाया जाता । यहाँ उदाहरण में 'पुत्रं धर्मं जल्पति' और 'पुत्रं धर्मं भाषति' में क्रमशः 'देवदत्तः (प्रेरक) पुत्रं धर्मं जल्पयति' और 'देवदत्त (प्रेरक) पुत्रं धर्मं भाषयति' होगा । मूल सूत्र में 'वेदनस्याप्यद् विधिम्' में जैसा शब्द शस्य (या शब्द सप्रद) 'वेद' है वैसा प्रस्तुत उदाहरण में 'धर्म' नहीं है । यह न शब्दप्रियाय है और न शब्दमय । 'शब्द' के 'नाद' और 'पद' दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं । यहाँ धर्म 'कर्म' है परन्तु 'शब्द' 'कर्म' नहीं । अतः शिष् के पूर्व के कर्ता का जो कर्मग्र हुआ वह पूर्णतः √जल्प्, √भाष् आदि के शौंग के कारण ही प्रस्तुत वार्तिक के वक्त पर ।

दृशेच्च । दर्शयति हरिं भक्तान् । सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति-जिघ्रतिप्रभृतीनां न । स्मारयति ग्रापयति देवदत्तेन ।

शूल सूत्र में केवल बुद्धचर्यक धातुओं का समावेश किया गया है । √'दृश्' बुद्धचर्यक नहीं है परन्तु 'देखना' क्रिया से एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है । √'दृश्' का भी समावेश इस वार्तिक के अनुसार कर लिया जाय, जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्' से यहाँ 'उपसंख्यानम्' की अनुवृत्ति हुई । इसके अनुसार √'दृश्' के णिच् के पूर्व का कर्त्ता णिजन्तावस्था के बाद कर्म हो जाता है । 'भक्ताः हरिं पश्यन्ति' से होगा '(भक्तिः) भक्तान् हरिं दर्शयति' । यदि सामान्य प्रकार के 'ज्ञान' अर्थवाले धातुओं के अतिरिक्त विशेष प्रकार के ज्ञान' अर्थवाले धातुओं का भी समावेश हो गया रहता तो यह वार्तिक अलग करना आवश्यक नहीं होता । इससे ज्ञापित होता है कि ज्ञान सामान्यार्थक धातुओं का ही वहाँ ग्रहण हुआ है; ज्ञानविशेषार्थक में केवल यहाँ √'दृश्' को लेंगे । अतः ऐसे दूसरे धातु के पूर्ववाक्य का कर्त्ता पश्चात् प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होगा जिनका अर्थ विशेष-विशेष प्रकार का 'ज्ञान' कराना है । 'स्मरण' करके भी जाना जाता है और सूँघकर भी किसी गुण-धर्म का ज्ञान होता है परन्तु √'स्मृ' और √'घ्रा' के पूर्वकर्त्ता कर्म नहीं होंगे । 'देवदत्तः स्मरति' और 'देवदत्तः जिघ्रति' से क्रमशः '(यज्ञदत्तः) देवदत्तेन स्मारयति' और '(यज्ञदत्तः) देवदत्तेन ग्रापयति' होगा ।

शब्दायतेर्न । शब्दाययति देवदत्तेन । धात्वर्थसङ्गृहीत-कर्मत्वेनाकर्मकत्वात् प्राप्तिः । येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति तेऽत्राकर्मकाः, न त्वविवक्षितकर्माणोऽपि । तेन मास-मासयति देवदत्तमित्यादौ कर्मत्वं भवत्येव, 'देवदत्तेन पाचयती' त्यादौ तु न ।

'शब्द' से क्यङ् (नाम धातु) प्रत्यय करने पर 'शब्दायते' निष्पन्न होता है । इसका अर्थ है—'शब्दं करोति' । अतः शब्दाय् के अर्थ में ही कर्म

संगृहीत हो जाने से इसके आपाततः अकर्मक होने के कारण प्रयोज्यकर्त्ता के कर्मत्व की संभावना थी, इस यार्तिक के द्वारा उसका निषेध हुआ। इसलिये 'देवदत्तः शब्दायते' से '(यज्ञदत्तः) देवदत्तेन शब्दाययति' होगा। 'शब्दायते' के अर्थ 'शब्दं करोति' में जो कर्मभूत पद है 'शब्दम्' उसके अतिरिक्त बाहर से इसका कोई कर्म संभव नहीं है। इसके विपरीत, मकर्मक धातु के योग में धातु के अर्थ से बाहर भी कर्म संभव होता है।

अकर्मक धातु के योग में भी तो देशवाची, कालवाची, भाववाची और, गन्तव्य अव्यवाची शब्द कर्म होते हैं। अतः इस प्रसंग में देशवाची, कालवाची, भाववाची एवं गन्तव्य मार्गवाची में प्राप्ति होने के अतिरिक्त यदि अन्यत्र किन्हीं अकर्मक धातुओं के योग में भी कर्मत्व की प्राप्ति नहीं हो तो वे अकर्मक धातु ही धस्तुतः अकर्मक कहे जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इनमें वे धातु भी आ गये जिनके कर्म तो होते हैं किन्तु उनकी केवल विवक्षा नहीं की गयी होती है। ऐसी अवस्था में संभव कर्म को भी हम अपनी इच्छा से गम्यमान रण देते हैं। अतः 'मामम् आमयति देवदत्तम्' में प्रयोज्यकर्त्ता कर्म होता है। इसकी पूर्ववाक्य होगा—'मामम् आस्ते देवदत्त'। यहाँ अकर्मक √आस का कर्म है भी तो केवल कालवाची 'माम' शब्द और रणके अतिरिक्त इसका कोई कर्म संभव नहीं होता है। लेकिन 'देवदत्तः पचति' में 'ओदन' आदि कर्म ही सकता है जो गम्यमान रण गया है, इसी लिये पच् का यहाँ अकर्मक नहीं माना जा सकता; तथा कर्म की स्पष्ट विवक्षा नहीं होने पर भी णिच् के उपरान्त इस वाक्य का कर्त्ता कर्म नहीं होगा। इस अवस्था में '(यज्ञदत्तः) देवदत्तेन पाचयति' होगा। कर्म की विवक्षा होने पर भी '(यज्ञदत्तः) देवदत्तेन ओदनं पाचयति' ही होगा।

हृक्पोरन्यतरस्याम् । १।४।५३। हृक्पोरयो यः कर्त्ता न णी वा कर्म स्यात् । हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कर्त्तम् ।

√ह और √ष्ट के णिच् के पड़ने के कर्त्ता णिच् के बाद विकल्प से कर्म होंगे : 'भृत्यः कर्त्तुं करोति' और 'भृत्यः कर्त्तुं हरति' में क्रमशः होंगे ('स्यामी')

१. धात्वर्थबहिर्भूतकर्मत्वमेव सकर्मकत्वम्—महानान्यम् : १।४।३।

भृत्यं कटं कारयति' और '(स्वामी)' भृत्येन कटं कारयति तथा '(स्वामी) भृत्यं कटं हारयति' और '(स्वामी) भृत्येन कटं हारयति ।' मालिक नौकर से कट बनवाता है, ऐसे वाक्य में यदि नौकर का कट बनने की क्रिया में ईप्सित-तमत्व समझा जायगा तब कर्मत्व रहेगा अन्यथा यदि वह 'द्वारा' मात्र समझा जायगा तो 'भृत्य' का करणत्व होगा और उसमें नृतीया होगी । पूर्ववत् अनुक्त कर्तृत्व में भी नृतीया कही जा सकती है । फलतः णिजन्त $\sqrt{ह}$ और कृ $\sqrt{विकल्प}$ से द्विकर्मक होंगे ।

$\sqrt{ह}$ और $\sqrt{कृ}$ का समावेश मूल सूत्र 'गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ'—में नहीं था, अतः प्रयोज्य कर्तृपद कर्म नहीं होगा । पर चूँकि व्यवहार में विभाषा से कर्मत्व होता है इस लिये अलग सूत्र बनाना पड़ा । उपसर्गयुक्त $\sqrt{ह}$ और $\sqrt{कृ}$ के अर्थ बढ़ा जाने पर भी विभाषा लगेगी । इसी लिये तो 'अभ्यवहारयति सैन्धवान्' या 'अभ्यवहारयति सैन्धवैः' और 'विकारयति सैन्धवान्' या 'विकारयति सैन्धवैः' प्रयोग सिद्ध होते हैं । इनके पूर्व वाच्य क्रमशः होंगे— 'अभ्यवहरन्ति सैन्धवाः' और 'विकुर्वन्ति सैन्धवाः' । अभि और अव पूर्वक $\sqrt{ह}$ का अर्थ 'प्रत्यवसान' होने के कारण उपर्युक्त मूल सूत्र से जो कर्मत्व नित्य प्राप्त था उसका विकल्प विधान हुआ । पुनः विपूर्वक $\sqrt{कृ}$ के अकर्मक होने के कारण उसी सूत्र से सर्वथा कर्मत्व प्राप्त होने पर इस सूत्र से विभाषा हुई ।

अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम् । अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा ।

अभिपूर्वक $\sqrt{वद्}$ और $\sqrt{दृश्}$ के प्रयोज्यकर्त्ता इन धातुओं की णिजन्ता-वस्था में आत्मनेपदीय होने पर ही विकल्प से कर्म होंगे । 'अभिवदति देवं भक्तः' से 'अभिवादयते देवं भक्तेन' और 'अभिवदयते देवं भक्तम्' तथा 'पश्यति देवं भक्तः' से 'दर्शयते देवं भक्तेन' और 'दर्शयते देवं भक्तम्' होंगे । पूर्व सूत्र की व्याख्या के अनुकूल ही ईप्सिततमत्व की विवक्षा होने पर कर्म में द्वितीया, अन्यथा करणत्व की विवक्षा करने पर नृतीया हो सकती है ।

अभिपूर्वक $\sqrt{वद्}$ के कर्मत्व का विधान नहीं हुआ है यद्यपि विभाषा से ही 'दृशेत्' से $\sqrt{दृश्}$ के प्रयोज्यकर्त्ता का कर्मत्व नित्य प्राप्त था, आत्मने-पद में उसका विकल्प हुआ । इससे समझना होगा कि 'दृशेत्' में केवल

गिजन्त परस्मैपदीय $\sqrt{दृ}$ का ही ग्रहण होगा। इसलिये परस्मैपद में अमि-
पूर्वक $\sqrt{घट्}$ और $\sqrt{दृश्}$ से क्रमशः 'अमिवाद्यनि देवं भक्तं' और 'दर्शयति
देव भक्तम्' ये एक-एक रूप ही होंगे।

अधिशीङ्स्थासां कर्म । १।४।४६। अधिपूर्वाणामेपामाधारः
कर्म स्यात् । अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः ।

अधिपूर्वक $\sqrt{शी}$, $\sqrt{स्था}$ और $\sqrt{भाम्}$ के आधार कर्मसङ्ग होते हैं जैसे 'हरि
वैकुण्ठम् अधिशेते' 'हरि वैकुण्ठम् अधितिष्ठति' और 'हरि.वैकुण्ठम् अध्यास्ते' ।
बिना हम अधि उपसर्ग के हरिः वैकुण्ठे शेते', 'हरिः वैकुण्ठे तिष्ठति' तथा 'हरि
वैकुण्ठे आस्ते' होंगे। 'आधारोऽधिकरणम्'^१ सूत्र में जो 'आधार' अधिकरण
यत्नलाया गया है उसी के अपवाद स्वरूप यह कर्मसंज्ञा होती है। इसी सूत्र
में यहाँ 'आधार.' की अनुवृत्ति माँ होती है जो 'उपान्यत्थाद्यसः'^२ सूत्र तक
चलती है। उक्त सूत्र तक 'कर्म' की अनुवृत्ति होगी 'अधिशीङ्-सूत्र से ही।
पूर्ण अन्वय करने पर 'अधिशीङ्स्थाणाम् आधार. कर्म', 'अमिनिविशथ
आधार. कर्म' आदि सूत्रों की स्थिति होगी। ऐसे स्थलों में अधि आदि उपसर्ग
मन्वयी विभक्ति के अर्थ के शोकक होंगे। इन सूत्रों से जो कर्म होगा उसे
'आधार कर्म' कहा जा सकता है।

अमिनिविशथ । १।४।४७। अमिनीत्येतत्सद्भातपूर्वस्य निश-
तेराधारः कर्म स्यात् । अमिनिविशते सन्मार्गम् । 'परिक्रयणे
सम्प्रदानमन्यतरस्याम्' इति सूत्रादिह मण्डूक्युत्पादन्यतरस्या-
द्ग्रहणमनुवर्त्य व्यस्यितविभाषाश्रयणात् कचिन्न । पापेऽमि-
निवेशः ।

अमिनिपूर्वक $\sqrt{विश}$ का आधार कर्म होगा जैसे 'सन्मार्गम् अमिनि

१. पाणिनि : १।४।४५।

२. ,, : १।४।४८।

विशते' । परन्तु कभी-कभी 'पापेऽभिनिवेशः' ऐसे प्रयोग मिलते हैं । ये प्रयोग अष्टाव्यायी के सूत्रों के 'परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्'^१, 'आधारोऽधिकरणम्', 'अधिशोऽस्थासां कर्म' अंर 'अभिनिविशश्च' क्रम में से 'परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्' से मण्डूकप्लुति से (अर्थात् बीच ही में और-और सूत्रों को छोड़कर मंडूक की तरह छलांग मारकर) यहाँ 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति करने पर सिद्ध होते हैं । ऐसी स्थिति में कर्मत्व की विभाषा व्यवस्थित हो जाती है कि कर्मत्व तो होगा ही, अधिकरणत्व की विवक्षा भी हो सकती है । विभाषा होने पर 'आधारोऽधिकरणम्' से 'अधिकरणम्' का ग्रहण होगा । अभिनिपूर्वक √ विश् के योग में अधिकरण का प्रयोग भाष्य में भी मिलता है—'एस्वर्थेष्वभिनविष्टानाम् ... । सूत्र की व्याख्या में 'अभिनीत्येतत्-सङ्घातपूर्वस्य' जो कहा गया है उसका यह भी अर्थ है कि 'अभि तथा 'नि' उपसर्ग वरावर इसी क्रम में रहें, अन्यथा आधार अधिकरणसंज्ञक ही होगा । इनमें से केवल एक रहने से तो कर्मत्व की प्राप्ति नहीं ही होगी । 'निविशते यदि शूकशिखा पदे'^२ में निपूर्वक √ विश् का आधारभूत 'पद' अधिकरण हुआ और उसमें सप्तमी हुई ।

सचमुच बात यह है कि 'शब्दों का परस्पर सम्बन्ध जहाँ जैसा रहता है वहाँ उस प्रकार का कर्म, करण, अधिकरण या अन्य कारक होता है । किस शब्द के योग में किस परिस्थिति में किस शब्द से कौन कारक होगा' इसके निर्धारण में शब्दों के स्वभाव का निरूपण भी आवश्यक है कि संज्ञा का संज्ञा के साथ सम्बन्ध है या क्रिया के साथ या कुछ अन्य पद के साथ । कारकत्व के निर्धारण में इस प्रकार स्पष्टता, तर्क-संगति और प्रयोग की शिष्टता आदि विषयों पर ध्यान रखना चाहिये । 'सन्मार्गम् अभिनिविशते' कितना शिष्ट और शोभन लगता है और वैसा ही अशिष्ट तथा अशोभन लगता 'पापम् अभिनिवेशः' यदि ऐसा प्रयोग व्याकरण से वाधित नहीं होता । फिर यह भी जानने की बात है कि प्रथम उदाहरण में संज्ञा—क्रिया का सम्बन्ध है किन्तु द्वितीय उदाहरण में संज्ञा-संज्ञा का । विभाषा की स्थिति में भी हम इच्छा-

१. पाणिनि : १।४।४४।

२. नैपथीयचरितम् : ४।११।

नुसार और मूँदकर सब कुछ नहीं कर सकते । इस प्रकार कर्मत्व और अधि-करणत्व की प्राप्ति के प्रसंग में संज्ञा-क्रिया और संज्ञा-भज्ञा का परस्पर सम्बन्ध अवश्य निरूपणीय है । लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है । क्या कर्मत्व और अधिकरणत्व की विभाया व्यवहारानुक्त अलग-अलग प्रयोगों के लिये है ? ऐसा अर्थ तो कहीं भी नहीं लिया जाता है । किन्तु यदि ऐसा मान लिया जाय तो 'सन्मार्गम् अभिनिवेशते' के साथ-साथ 'सन्मार्गं अभिनिवेशते' और 'पारेऽभिनिवेश' के साथ-साथ 'पापम् अभिनिवेश' प्रयोग भी ठीक होंगे । यह अनर्थक होगा । इस दृष्टि से भा कारकत्व के निधारण के लिये पदों के परस्पर सम्बन्ध पर और देना उपयुक्त होगा ।

उपान्वधपाङ्गमः ।१।४।४८। उपादिपूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात् । उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुण्ठं हरिः ।

उप, अनु अधि तथा आव में से कोई उपसर्ग यदि $\sqrt{\text{वम्}}$ के पूर्व लगा हो तो $\sqrt{\text{वम्}}$ का आधार कर्म होता है । 'वैकुण्ठे हरि वसति' के स्थान में 'वैकुण्ठे हरि उपवसति' 'वैकुण्ठ हरि अनुवसति' 'वैकुण्ठ हरि अधिवसति' तथा 'वैकुण्ठं हरि आवसति' प्रयोग होंगे ।

सूत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि निदिष्ट उपसर्गों में से एक से अधिक के साथ $\sqrt{\text{वम्}}$ के युक्त रहने पर भी आधार कर्मसंज्ञक होगा या नहीं । आपाततः मालूम पड़ता है कि इस अवस्था में भी आधार कर्म ही होगा । 'हरि वैकुण्ठम् उपाधिवसति' या 'हरि वैकुण्ठम् उपावसति' प्रयोग भी हो सकते हैं ।

अमुक्त्यर्थस्य न । वने उपवसति ।

उपसर्गक $\sqrt{\text{वम्}}$ निम्नका अर्थ 'अमुक्ति' या 'उपवास करना' है उसका आधार कर्म नहीं होगा । अधिकरण का अपवाद कर्म नहीं होने में पुनः अधि-करण की ही प्राप्ति होगी । जैसा स्थिति में 'वनम् उपवसति' का अर्थ जहाँ 'वन में रहता है' होगा वहाँ 'वन उपवसति' का अर्थ होगा 'वन में उपवास करता है' । पान्च 'श्रुतिस्मृत्युपोषित' के अर्थ होता है 'साध्यबोधोपनाकार के

अनुसार' यहाँ उपपूर्वक $\sqrt{\text{वस्}}$ का अर्थ 'रहना' है। फिर 'उपवास करना' अर्थ लाक्षणिक है। मूलतः वाक्य का अर्थ होगा 'हरिदिन में रहता है' और इसका तात्पर्यार्थ होगा—'चूँकि हरिदिन पवित्र है इसलिये ऐसे पवित्र दिन में उपवास करता है'। 'हरिदिन में 'स्थिति' और 'भोजन-निवृत्ति' में नित्य सम्बन्ध मान लिया जाय तो किसी तरह प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु हमारे विचार से 'हरिदिनम्' में 'कालाध्वनो—'सूत्र से द्वितीया समर्थे तो वढ़ियाँ! तब इसका तात्पर्यार्थ होगा—'हरिदिन ऐसे पवित्र दिन में दिनभर कुछ नहीं खाया'। ऐसी दशा में उपपूर्वक $\sqrt{\text{वस्}}$ का अर्थ भी प्रसंगानुसार 'उपवास करना' रह जायगा। उसका 'स्थिति' अर्थ करके फिर उसे 'भोजन निवृत्ति' के अर्थ में तोड़ना-भरोड़ना नहीं होगा।

उभसर्वतसोः कार्य्या धिगुपय्यादिषु त्रिषु ।

द्वितीयाऽम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥

उभयतः कृष्णं गोषाः । सर्वतः कृष्णम् । धिक् कृष्णा-
भक्तम् । उपय्युपरि लोकं हरिः । अर्धयधि लोकम् । अधोऽधो-
लोकम् ।

कारिका में 'तस्' का अन्वय 'उभ' और 'सर्व' दोनों के साथ है। इसके अनुसार 'उभ' तथा 'सर्व' से तसिल् (तस्) प्रत्यय होने पर निष्पन्न शब्दों के योग में द्वितीया होगी। कुछ लोगों के अनुसार चूँकि 'उभ' से तसिल् नहीं होता इसलिये उससे 'उभय' समझना चाहिये और एतदनुसार 'उभय' से तसिल् से निष्पन्न 'उभयतः' शब्द के योग में ही द्वितीया होगी। अन्य के अनुसार 'उभ' से 'उभय' का भी ग्रहण होगा। (इसमत से 'उभ' तथा 'उभय' दोनों से तसिल् करने पर निष्पन्न शब्दों के योग में द्वितीया होगी। मेरी समझ में 'उभ' के साथ तसिल् प्रायः प्राप्त नहीं, और उपयुक्त भी नहीं क्योंकि तसिल् सख्यावर्ची शब्द के साथ बहुधा पूरण प्रत्ययान्त (Ordinal) ने ही लगता है जैसे द्वितीयतः, तृतीयतः आदि—न कि द्वितः, त्रितः^२। 'उभ',

१. वसेस्त्र स्थितिरर्थः, भोजननिवृत्तिस्त्वाधिकी ति न दोषः ।

२. 'एक' के साथ 'एकतः' भी 'प्रथमतः' के साथ-साथ मिलता है ।

और 'उभय' में भी यही अन्तर है। इसके अतिरिक्त यदि 'उभ' के साथ लम्बे संभव रहता तो कम-से-कम 'उभयतः' के साथ अवश्य ही मट्टोजिदी-क्षित 'उभतः' का भी उदाहरण प्रस्तुत करते। अस्तु, 'उभय' में ही लम्बे वस्तुतः इष्ट रहने पर 'उभयतः कृष्ण गोपाः' ऐसा कहा। यहाँ 'कृष्ण' शब्द में द्वितीया 'उभयतः' के योग में तथा 'सर्वतः कृष्ण गोपाः' में 'सर्वतः' के योग में। फिर कारिका के अनुसार 'विष्' के योग में भी द्वितीया होगी यथा 'विष् कृष्णामक्तम्' में 'कृष्णस्य अमक्त = 'कृष्णामक्त' शब्द में। 'उपरि' आदि के योग में भी द्वितीया होगी लेकिन तभी यदि ये आश्रित हों। 'उपरि' आदि में भी तीन ही की गणना की गई और ये तीन शब्द अवश्य ही 'उपर्यध्यध्वः सामीप्ये' मूल में आये 'उपरि' 'अधि' और 'अध' हैं। आश्रित का अर्थ है द्वित्व (Reduplication)। 'उपरि', 'अधि' और 'अध' यदि द्वारा प्रयुक्त हों (जैसे उपर्युपरि, अध्यधि, अधोऽधः) तो उनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी जैसे 'उपर्युपरि लोकां हरिः', 'अध्यधि लोकां हरिः' तथा 'अधोऽधो लोकां हरि' में 'लोक' शब्द में द्वितीया हुई तीनों द्विरक्त शब्दों के योग में। लेकिन 'उपर्युपरि बुद्धिनां घन्तादजपुद्बन्ध' में 'बुद्धिनाम्' में द्वितीया का जगह पछा क्यों हुई? वस्तुतः यह स्थिति हो है किन्तु असाधारण प्रयोग के हिमायती पैसाकरणों ने यह दिग्दर्शक इसे ठीक बतलाया कि हमारा 'उपरि' शब्द 'बुद्धिनाम्' के साथ ममत्त है और तब हम अवस्था में 'उपरि बुद्धिनाम्' अर्थ देता है—'उदात्तबुद्धिनाम्'। हम तरह 'उपरि' के योग में आश्रितत्व के अभाव में 'उपरि बुद्धिनाम्' में पछा पुक्ति-युक्त है।

इनके अतिरिक्त शब्दों के योग में भी द्वितीया होती है जैसे—

अमितःपरितःसमयानिकृपाहाप्रतियोगेऽपि । अमितः
कृष्णम् । परितः कृष्णम् । ग्रामं ममया । निकृपा लक्ष्मम् ।
हा कृष्णामक्तम् । तस्य शोच्यत इत्यर्थः । पुत्रुचितं न प्रतिमाति
किञ्चित् ।

‘अमितः’, ‘परितः’, ‘समया’, ‘निकषा’, ‘हा’ तथा ‘प्रति’ अव्ययों के योग में भी द्वितीया होती है। ‘अमितः’ का अर्थ ‘उभयतः’ और ‘परितः’ का ‘सर्वतः’ अर्थ है। ‘समया’ तथा ‘निकषा’ का अर्थ ‘समीप’ है। ‘हा’ विषाद प्रकट करने अर्थ में ‘धिक्’ का पर्याय है। ‘प्रति’ भी अव्यय है लेकिन उससे पूर्व यह उपसर्ग है और इसके नाते कर्मप्रवचनीय भी हो सकता है। यहाँ उदाहरण में इसको दोनों में से कोई भी माना जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि किस विशेषता के लिये उसका यहाँ समावेश किया गया है। क्या दूसरे ऐसे उपसर्ग या कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया नहीं होंती? केवल उपसर्ग समझने पर ‘किञ्चित् बुभुक्षितं न प्रतिभाति’ या कर्मप्रवचनीय मानने पर ‘बुभुक्षितं प्रति किञ्चित् न भाति’ ऐसा अन्वयार्थ सिद्ध होगा। यद्यपि इस के ‘भाति’ क्रिया पद से युक्त रखने के कारण वृत्तिकार का झुकाव कर्मप्रवचनीय मानने की तरफ नहीं मालूम पड़ता तथापि अधिक संगत वही होगा।

अन्तराऽन्तरेण युक्ते ।२।३।४। आभ्यां योगे द्वितीया स्यात् ।
अन्तरा त्वां मां हरिः । अन्तरेण हरिं न सुखम् ।

‘अन्तरा’ और ‘अन्तरेण’ अव्ययों के योग में भी द्वितीया होती है। ‘त्वाम्’ और ‘माम्’ दोनों ही में उपर्युक्त उदाहरण में ‘अन्तरा’ से सम्बन्ध के कारण द्वितीया है और दूसरे उदाहरण में ‘हरिः’ शब्द द्वितीयान्त है ‘अन्तरेण’ के योग में। लेकिन ‘द्वयोश्चैवान्तरा कश्चित्’ यह कैसे हुआ? वस्तुतः जहाँ दो पदार्थों की अवधि निश्चित हो वहीं द्वितीया होती है क्योंकि ‘मध्ये’ अर्थवाला ‘अन्तरा’ शब्द सापेक्ष है, वह दो या दो से अधिक का मात्र द्योतित करता है, किन्तु प्रस्तुत भाष्य-प्रयोग में अवधि निर्णीत नहीं रहने पर सम्बन्ध सामान्य में पड़ी हुई है। यह प्रयोग नियम स्थापित करने के साथ-साथ सिद्धान्त भी बताता है। फिर ‘अन्तरेण’ का अर्थ ‘मध्ये’ भी होता है। ऐसी दशा में भी यह तृतीया-प्रतिरूपक अव्यय समझा जायगा और इसके योग में ‘अन्तरा’ के पर्यार्यवाची रहने के कारण भी द्वितीया होगी यथा ‘मृणालसूत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलचामरयोर्द्वयं सः’ में। लेकिन ‘किमनयोः अन्तरेण गतेन’ में ‘अन्तरेण’ शब्द

विशेषवाची है, तृतीया-प्रतिरूपक अव्यय नहीं है—तृतीयान्त है, अतः इसके योग में द्वितीया नहीं हुई। किन्तु यह शब्द 'विषये' या 'अधिकृत्य' अर्थ रहने पर अव्यय ही रहता है, इसीलिये 'तमन्तरंण नाहं किमपि जाने' आदि प्रयोग में भी द्वितीया ही होती है। निष्कर्ष यह कि अव्ययमूल 'अन्तरंण' शब्द के योग में द्वितीया, अन्यत्र शब्दशास्त्र के अनुसार अन्य विभक्ति होती है। फिर भी 'अन्तरा त्या मां कृष्णस्य भृतिं.' में 'कृष्ण' शब्द में द्वितीया नहीं हुई क्योंकि 'अन्तरा' का प्रयोग रहने पर भी 'कृष्ण' शब्द से उसके अव्यय का अभाव है।

कर्मप्रवचनीयाः । १।४।८३। इत्यधिकृत्य ।

'प्राप्तिश्वराग्निपाना' से 'रीरर' शब्द में पूर्व के समा निपात कर्म-प्रवचन य होगा। निपात तो कोई भी अव्यय है लेकिन यहाँ यह फेरल उपसर्ग को बतलाता है। यह इसीसे स्थापित होता है चूँकि उपसर्ग को छोड़कर कोई भी अन्य प्रकार के अव्यय कर्मप्रवचनीय होते नहीं दिखलाये गये हैं 'कर्म (क्रिया) प्रोक्तवन्त. ये (उपसर्ग) ते कर्मप्रवचनीया.', याहुलक से कर्ता के अर्थ में भूतार्थ में अनीय शायद यहाँ हुआ। 'कर्म' का अर्थ 'क्रिया' लिया गया है। ताजबोधिनीकार के इस भाष्य के अनुसार 'जो उपसर्ग क्रिया को उक्त करते हैं (अर्थात् प्रधानता देते हैं) वे कर्मप्रवचनीय कहलाते हैं'। यहाँ 'उक्त करना' का अर्थ पूर्वोक्तचित्त 'अभिधान' ही लेना ठीक है किन्तु क्रिया की प्रधानता तो रहती ही है, उसे क्या प्रधानता दी जायगी? वस्तुतः भावित होता है कि उपसर्ग की स्थिति में जो अर्थ थे उनमें अधिक या प्रबल अर्थ घोषित करने की शक्ति देना ही यहाँ प्रधानता देना होगा। मेरी समझ में 'कर्म प्रोक्तवन्त ये (उपसर्ग) कर्मप्रवचनीया.' ही अर्थ लेना सुगम और उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में 'कर्म' का 'क्रिया' अर्थ लिये बिना भी काम चला जाता है। यह पूर्वोक्त 'अभिधान' के अर्थ के अनुकूल भी है। इसके अनुसार 'जिनके द्वारा कर्म उक्त होता है (अर्थात् अभिधान से प्रधान बना दिया जाता है) वे ही (उपसर्ग) कर्मप्रवचनीय होते'। इस प्रकार पूर्वोक्त अनुविध या निपात-मुद्येन पराविध अभिधान के प्रकार के अतिरिक्त कर्मप्रवचनीय के द्वारा भी

अभिधान का अन्य प्रकार संभव होगा। फिर तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार भूतार्थ में 'अनीय' प्रत्यय रखने से सूचित होगा कि वे (कर्मप्रवचनीय) सम्प्रति क्रिया का द्योतन नहीं करते हैं।^१ वस्तुतः वह न तो क्रिया का द्योतक होता है और न्व सम्बन्ध का वाचक ही, दूसरो कोई क्रिया को भी आक्षेप से लक्षित नहीं करता, केवल सम्बन्ध का भेदक होता है। 'जपमनु प्रावर्षत्' आदि उदाहरणों में द्वितीया के द्वारा ज्ञात लक्ष्य-लक्षणभाव 'अनु' कर्मप्रवचनीय के द्वारा विशेष सम्बन्ध में स्थापित होता है।

अनुलक्षणे १।४।८४। लक्षणे द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात् ।
गत्युपसर्गसंज्ञापवादः ।

लक्ष्यतेऽनेन तल्लक्षणं चिह्नम् । लक्षण द्योतित होने पर (अर्थात् जिसके द्वारा कुछ सूचित हो उसके रहने पर) 'अनु' उपसर्ग कर्मप्रवचनीय होगा। कर्मप्रवचनीय संज्ञा, गतिसंज्ञा और उपसर्गसंज्ञा के अपवात्स्वरूप होगी। 'गति' और 'उपसर्ग'^२ दोनों ही क्रिया के योग में होते हैं और कर्मप्रवचनीय क्रियायोग से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखता हुआ एक विशिष्ट निर्दिष्ट अर्थ में कर्म को अभिहित करता है। जो अप्रधान को प्राधान्य देता है वह दूसरे पद से यदि अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र नहीं तो कम-से-कम बराबर निश्चित रूप से रहेगा। 'उपसर्ग' और 'गति' केवल क्रिया के अर्थ में वैलक्षण्य लाते हैं; कर्मप्रवचनीय सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ में विशेषता लाता है एक अर्थविशेष का बोध करा कर्म को उक्त करके।

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।२।३।८। एतेन योगे
द्वितीया स्यात् । जपमनु प्रावर्षत् । हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षण-
मित्यर्थः । पराऽपि हेतौ (इति) तृतीयाऽनेन वाध्यते, 'लक्षणे-
त्थंभूते' त्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात् ।

१. हरि :—क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः ।

नापि क्रियापदापेक्षी सम्बन्धस्य तु भेदकः ॥

२. पाणिनिः १।४।५६।उपसर्गाः क्रियायोगे ।

कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। चूँकि यह 'कर्म' को ही उक्त करता है, इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं क्योंकि उस हालत में 'कर्म' की स्थिति 'कर्मप्रवचनीय' से पूर्व होगी और चूँकि 'कर्म' में द्वितीया होती है इसलिये द्वितीया विभक्ति की स्थिति भी कर्मप्रवचनीय के पूर्व होगी। लेकिन व्यवहार में साधारणतया हम कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया पाते हैं (यद्यपि कभी-कभी पंचमी और सप्तमी भी होती है विशेष-विशेष अवस्था में), इसलिये लौकिक साधारणीकरण (Popular generalisation) के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं।

ऊपर दिए उदाहरण में 'जप' शब्द में द्वितीया है 'अनु' कर्मप्रवचनाय के योग में। दूसरे शब्दों में, 'जप' में 'कर्म' में द्वितीया है जिससे 'अनु' अभिहित कर रहा है। 'जप' में अनभिहित रहने के कारण द्वितीया है और यही शक्यता है कि 'जप' अग्रधान है। लेकिन 'अनु' जो यहाँ लक्षण के अर्थ में प्रयुक्त है, उसको प्रधान बना रहा है। साथ-साथ 'अनु' से 'पश्चात्' का अर्थ भी उपसर्ग-वृत्तिय में ध्यनित होता है क्योंकि पहले यह उपसर्ग है और उस कर्मप्रवचनीय। जब उपसर्ग के विशेष अर्थ के अतिरिक्त कर्मप्रवचनीय का अर्थ ध्यनित होगा तो 'जप के बाद वृष्टि हुई' और 'वृष्टि एहित हुई जप से' ये दोनों अर्थ प्रस्तुत उदाहरण में परिलभित होंगे जिसमें पहला अर्थ उपसर्ग-जन्य होगा और दूसरा कर्मप्रवचनीयजन्य। कर्मप्रवचनीय का अर्थ उपसर्ग के अर्थ में इतनी प्रथमता ला देता है कि 'जप' को हेतुजन्य प्रधानता हो जाती है—वृष्टि जप के ठीक बाद इतनी जल्दी हुई कि मानो जप के ही कारण हुई। अब 'जप' और 'वृष्टि' में कारणकार्य का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। पुनः, हेतु का मान रहने पर भी 'हेतु' शब्द से 'जप' में तृतीया नहीं होगी क्योंकि कर्मप्रवचनीयप्रयुक्त द्वितीया हेतुप्रयुक्त तृतीया को बाधित करती है। यह इत्यर्थ में होता है चूँकि यहाँ केवल हेतु का ही मान नहीं, लक्षण का भी मान है और 'अनु' कर्मप्रवचनीय के द्वारा एक विशेष स्थिति बना दी जाती है। इसके विपरीत, 'हेतु' शब्द में केवल हेतु का भाव अवशिष्ट है। निर 'लक्षणोपसर्गप्रदान' शब्द के द्वारा तो लक्षण के अर्थ में 'अनु' कर्म-

प्रवचनीय होता ही है, तब क्यों 'अनुर्लक्षणे' सूत्र बनाना पड़ा ? अन्तर यह है कि 'लक्षणोत्थंभूत' सूत्र में केवल लक्षण घोतित रहता है लेकिन 'अनुर्लक्षणे' सूत्र में हेतुभूत लक्षणभाव रहना चाहिये । यद्यपि सूत्र से यह स्पष्ट नहीं है तथापि उदाहरण से ध्वनित होता है । इसलिये हेतुगर्भ लक्ष्य-लक्षणभाव को व्यक्त करने में 'लक्षणोत्थंभूत—' सूत्र पर्याप्त नहीं था ।

तृतीयार्थे ।१।४।८५। अस्मिन् द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात् ।
नदीमन्त्रवसिता सेना । नद्या सह संबद्धेत्यर्थः । पिञ्
बन्धने । क्तः ।

इस सूत्र में 'अनुर्लक्षणे' से 'अनु' की अनुवृत्ति करते हैं और तब अर्थ होता है कि तृतीया विभक्ति के अर्थ में 'अनु' कर्मप्रवचनीय होगा । 'सहयुक्तेऽ-प्रधाने'^१ सूत्र से फलित भाहचर्यरूप ही तृतीया के अर्थ का यहाँ ग्रहण होगा । उक्त उदाहरण में सहाय्य तृतीया के अर्थ में ही 'नदी' शब्द से 'अनु' के योग में द्वितीया हुई है । ऐसा वृत्ति से स्फुट है—'अनु' की जगह 'सह' और 'नदी' शब्द में द्वितीया की जगह तृतीया । 'नदीम् अनु अवसिता सेना' की जगह 'नद्या सह सम्बद्धा सेना' ऐसा पाते हैं । 'अवसित' में अवपूर्वक पिञ् बन्धनार्थक धातु से क्त प्रत्यय है । लेकिन 'रामेण शरेणानुहतो वाली' में अनु के योग में 'शर' शब्द में द्वितीया क्यों नहीं हुई ? वस्तुतः यहाँ 'उपपदविभक्तेः कारक-विभक्तिर्वलीयसी' परिभाषा से करण संज्ञा के द्वारा कर्मप्रवचनीय संज्ञा बाधित हो गई । यहाँ 'अनु' क्रियायोग^२ में केवल उपसर्ग है किन्तु यदि 'अनु' कर्म प्रवचनीय नहीं है तो उसके योग में द्वितीया होने का प्रश्न ही क्यों उठता है ? वस्तुतः 'तृतीयार्थे' की जगह 'सहाय्ये' सूत्र उपयुक्त होता क्योंकि यदि 'तृतीया' के अर्थ में अनु कर्मप्रवचनीय होता है और कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है तो फलित हुआ कि तृतीया के अर्थ में द्वितीया होती है और यह कथन तार्किक दृष्टि से दोषपूर्ण है^३ । फिर 'सहाय्ये' सूत्र बनाने से तृतीया

१. पाणिनिः २।३।१६।

२. द्रष्टव्यः पृष्ठः ४७ : पाद टिप्पणी ।

३. वृत्त-तर्क—दोष (Fallacy of Arguing in a circle) ।

जो कई अर्थों में आ सकती है, केवल 'महार्थ' का ही बोध करायेगी जैसा अपेक्षित है। इस तरह अतिविस्तृत परिभाषा (Fallay of two wide definition) के दोष से भी हम बच जायेंगे। प्रस्तुत देखा जाय तो 'मह' के अर्थ में ही 'अनु' का कर्मप्रवचनीय होना जैचता है क्योंकि प्रस्तुत उदाहरण में 'मह' की जगह ही 'अनु' का अन्वय है। 'मह' की जगह 'अनु' के कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होने ही 'नदी' शब्द में तृतीया की जगह द्वितीया हो जायगी।

हीने ।१।४।८६। हीने द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात् । अनु हरिं सुराः । हरेर्हीना इत्यर्थः ।

'अनु' की अनुवृत्ति करने पर अर्थ होता है कि 'हीन' अर्थ घोतित होने पर 'अनु' कर्मप्रवचनीय होगा। 'हीन' शब्द सापेक्ष है। वह 'उत्कृष्ट' और 'अपकृष्ट' दोनों की स्थिति बतलाता है लेकिन 'हीन' अर्थ में 'अनु' कर्मप्रवचनाय के योग में किनमें द्वितीया होगी—उत्कृष्ट में या अपकृष्ट में? 'उत्कृष्ट' में ही ऐसा होगा तार्किक तथा व्यावहारिक नियम के कारण। कोई पदार्थ जब हीन बतलाया जाता है तो किसी उत्कृष्ट पदार्थ में ही। किन्तु जब किसी पदार्थ की उत्कृष्टता बतलाई जायगी किसी अपेक्षाकृत अपकृष्ट पदार्थ में—तो ऐसी स्थिति में 'उत्कृष्ट' अर्थ की प्रधानता रहेगी, वस्तुतः 'हीन' अर्थ घोतित होने पर की अपेक्षा 'हीन' पदार्थ के रहने पर—ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में 'हीन' पदार्थ की सत्ता के साथ-साथ 'उत्कृष्ट' पदार्थ में मूलतः पक्षमा होगा और 'अनु' के कर्मप्रवचनीय होने के नाते तुरत उसमें द्वितीया हो जायगी। ऐसा करने पर 'हीन का अर्थ' भी प्वनित हो जायगा। प्रस्तुत उदाहरण में 'सुरा' की अपेक्षा 'हरि' की उत्कृष्टता विवक्षित है, अतः 'हरि' शब्द में द्वितीया हुई।

उपोऽधिके च ।१।४।८७। अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्य-
च्ययं प्राप्संज्ञं स्यात् । अधिके सप्तमी वक्ष्यते । हीने—उप हरिं
सुराः ।

उपर्युक्त सूत्र में 'हीने' की अनुवृत्ति करने पर अर्थ होता है—'अधिक'

तथा 'हीन' अर्थ में 'उप' कर्मप्रवचनीय होगा 'अधिक' का अर्थ 'अतिशय' तथा 'हीन' का अर्थ पूर्वक्रमानुसार 'अपकृष्ट' है। 'अधिक' के अर्थ में 'उप' जब कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होता है तो 'यस्मादधिकं यस्य चेद्वरवचनं तत्र सप्तमी' से उसके योग में अपवादस्वरूप सप्तमी होती है। उस सूत्र में 'उप पराद्धं हरेर्गुणाः' उदाहरण में 'उप' की अनुवृत्ति इसी सूत्र से होती है। अतः केवल अवशिष्ट 'हीन' के अर्थ में 'उप' के कर्मप्रवचनीय होने से उसके योग में 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' से द्वितीया होगी। पूर्ववत् 'उप हरिं सुराः' में भी व्यवहार से 'उत्कृष्ट' पदार्थ में ही द्वितीया हुई पंचमी के स्थान में। प्रसंगानुसार 'हीन' का अर्थ जिस प्रकार अपकृष्ट होता है उसी प्रकार 'अधिक' का अर्थ उत्कृष्ट होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा 'अधिकार्थ' में 'उप' कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञापित होता है। वहाँ सामान्य अर्थ में 'अधिक' का 'आधिक्यवान्' ही अर्थ है। यदि 'अधिक' का अर्थ उत्कृष्ट होता तो अपेक्षित सापेक्षता के अनुसार उदाहरण में 'हीन' अर्थवाची शब्द से ही पंचमी के स्थान में द्वितीया के अपवादस्वरूप सप्तमी होती। पूर्ववत् 'हीन तथा अधिक के अर्थ में' की जगह 'हीनअर्थवाची तथा अधिक अर्थवाची' शब्दों के रहने पर 'उप कर्मप्रवचनीय होगा' ऐसा ही कहना उपयुक्त होगा।

लक्षणोत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु पतिपर्यन्तवः । १।४।

६०। एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्युः । लक्षणो-
वृत्तं प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत् । इत्थम्भूताख्याने—
भक्तो विष्णुं प्रति परि अनु वा । भागे—लक्ष्मीः हरिं प्रति
परि अनु वा । हरेर्भाग इत्यर्थः । वीप्सायाम्—वृत्तं वृक्षं प्रति
परि अनु वा सिञ्चति । अत्रोपसर्गत्वाभावान्न पत्वम्, एषु
किम् ? परिपिञ्चति ।

लक्षण, इत्थम्भूताख्यान, भाग तथा वीप्सा के अर्थ में प्रति, परि तथा अनु कर्मप्रवचनीय होंगे और इनके योग में द्वितीया होगी। लेकिन लक्षण के

अर्थ में 'अनु' की कर्मप्रवचनीयता जब एकवार 'अनुलक्षणो' सूत्र में बतला दी गई तो फिर इस सूत्र में उसका समावेश क्यों किया गया ? वस्तुतः जैसा 'अनुलक्षणो' सूत्र की व्याख्या के अवसर पर संक्षिप्त विवेचन कर दिया गया है—वहाँ लक्ष्यलक्षणभाव के साथ-साथ हेतुकार्यभाव भी संनिहित है लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं। इस सूत्र में केवल लक्ष्यलक्षणभाव है, अतः विवेचन पृथक् रूप से करना अनिवाच्य था अन्यथा स्पष्टीकरण संभव नहीं था। उदाहरण में प्रति, परि, या अनु के योग में अग्न-अग्न कर्मप्रवचनीयसंज्ञा में 'वृक्ष' शब्द में द्वितीया हुई है। लक्ष्यलक्षणभाव ही सर्वथ द्वितीया विभक्ति का अर्थ है जो 'प्रति' आदि के द्वारा घोषित होता है। वृक्ष पर विष्णु का प्रकाश उत्पन्न होता है और तुरन्त विग्न हो जाता है। इसताह वृक्ष पर के इस उत्पन्न-विनष्ट प्रकाश से विष्णु का अनुमान होता है और जिस लक्षण पर यह अनुमान स्थापित होता है वह 'वृक्ष' का उत्पन्न-विनष्ट प्रकाश ही है जो अग्नेदोषचार से 'वृक्ष' ही समझा जायगा।

पिर, इत्यमृतः कंचित् प्रकार प्राप्तः = इत्यमृतः, तस्य आख्यानम् इत्यमृत-आख्यानम् ॥ 'पेमा इत्रा' इस तरह जहाँ कहा जाता है वहाँ भी प्रति, परि तथा अनु कर्मप्रवचनीय होते हैं और उनके योग में द्वितीया होती है। प्रस्तुत उदाहरण में 'भक्त होना' ही प्रकार-कथन है, पेमा शोध होने पर विष्णु शब्द में द्वितीया हुई। यहाँ भक्त विष्णुभक्तिरूप विशेष प्रकार को प्राप्त होता है। इसके विपरीत, जो विष्णुभक्ति को प्राप्त होता है वह पशुत्व के कारण स्वतंत्र होगा और उस शब्द में प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा होगी। पुनः 'इत्यमृत' (मन्त्रः) आख्यायने येन' पेमा कारणार्थक स्युट् शब्द से स्युत्पत्ति करने पर जिसके द्वारा विष्णुभक्तिरूप प्रकार की प्राप्ति हो उसमें (अर्थात् 'विष्णु' शब्द में) तत् तत् कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होगी। इत्यमृताख्यान वस्तुतः विषयता मध्यम्य का ही आख्यान है। उक्त उदाहरण का अर्थ है—'भक्ति विष्णुविषयकमन्त्रिमात्र है या, मरुट भाषा में—'विष्णु का मन्त्र है'। मध्यम्य यहाँ द्वितीया विभक्ति का अर्थ यही विषयता-मध्यम्य है जो 'प्रति' आदि कर्मप्रवचनीय के द्वारा घोषित होता है। इसी प्रकार 'माग' के अर्थ में उक्त उपसर्गों के कर्मप्रवचनीय होने पर उनके योग में द्वितीया होगी। यहाँ

द्वितीया विभक्ति का अर्थ 'लक्ष्मी' और 'हरि' के बीच का स्वस्वामिभाव का सम्बन्ध है जो उक्त कर्मप्रवचनीयों के द्वारा द्योतित होता है। व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा। प्रत्येकत्व या सम्पूर्णत्व द्योतित होने पर भी तत् तद् उपसर्ग कर्म-प्रवचनीय होंगे। उदाहरण में वृक्षसेचन की व्याप्ति या सम्पूर्णता बतलाई गई है। वृक्षों को एक-एक करके सींचता है (अर्थात् कोई भी वृक्ष सेचनकर्म से छूटता नहीं है)। लेकिन वीप्सा का अर्थ यदि द्योतित हो जाता है कर्मप्रवचनीय के द्वारा ही तो 'वृक्षं वृजं' ऐसी द्विरुक्ति क्यों की गई? 'तत्त्वबोधिनी'-कार के अनुसार यद्यपि द्विवचन से ही काम चल जाता, फिर भी ऐसी बात नहीं कि प्रति आदि कर्मप्रवचनीय उस भाव को एकदम द्योतित नहीं करते। वस्तुतः यह टेढ़ी दलील है। कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि द्विरुक्ति के द्वारा द्योतित वीप्सा का अर्थ कर्मप्रवचनीय के द्वारा और प्रबल बना दिया जाता है। इससे भी अच्छा होगा यदि 'वीप्सा के अर्थ में'—ऐसा नहीं कहकर 'वीप्सा (अर्थात् वीप्साबोधक पद) में प्रति आदि कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है' ऐसा कहें। वीप्सा का बोध कराने के लिये 'नित्यवीप्सयोः'^२ से द्विरुक्ति का प्रयोग आवश्यक है। ऐसा करने पर द्विरुक्त वीप्साबोधक पद में ही द्वितीया विभक्ति होगी। और एक पद में द्वितीया होगी तो दूसरे में भी द्वितीया होगी सेचन क्रिया के प्रति समानाधिकरणत्व के कारण।

चूँकि गतिसंज्ञा तथा उपसर्गसंज्ञा के अपवादस्वरूप कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होती है इसलिये उपसर्गत्व के अभाव के कारण 'उपसर्गात्सुनोति'^३ सूत्र से 'सिञ्चति' में 'स' के स्थान में 'प' नहीं हुआ। सचमुच, कर्मप्रवचनीय की अवस्था में 'प्रति' तथा 'परि' क्रियायोग में नहीं रहते हैं, अतः पत्व के प्रसंग में नियमानुसार वे क्रियापद को प्रभावित नहीं कर सकते हैं समानपदत्व के अभाव के कारण। लेकिन इसके विपरीत, उनके केवल उपसर्ग होने पर उपर्युक्त

१. तथा च प्रकृत्यर्थगतकार्त्स्न्यमेव व्याप्तिः, सा यद्यपि द्विवचनद्योत्या तथापि प्रतिपर्यनुयोगे तद्यद्योत्यत्वमपि । तथा च कृत्स्नं वृक्षं सिञ्चतीत्यर्थः ।

२. पाणिनि : ८।१।४।

३. पाणिनि : ८।३।६५।

३ का० द०

सूत्र में पत्र अनिवार्य होगा, हालाँकि ऐसी अवस्था में भी 'अनु' के साथ 'सिञ्चति' में पत्र नहीं होगा क्योंकि उसमें पत्र का निमित्त कुछ नहीं है। लक्षण आदि अर्थ नहीं रहने पर प्रति, परि तथा अनुकर्मप्रवचनीय नहीं होंगे। अतएव प्रत्युदाहरण में कर्मप्रवचनीयसंज्ञा के अभाव में उपसर्गसंज्ञा की प्रवृत्ति के कारण 'परिपिञ्चति' में पत्र दीप्त पड़ता है। उपसर्ग पद में पत्र निमित्त रहने पर और क्रिया योग के कारण भवान्पदार्थ होने पर क्रियापद में पत्र का होना कर्मप्रवचनीयसंज्ञा के अभाव तथा उपसर्गसंज्ञा के मात्र की स्पष्ट यत्नाता है।

अभिरमागे ।१।४।६१। भागवर्जे लक्षणादापरिरुक्तसंज्ञः
स्यात् । हरिमभिवर्चते । भक्तो हरिमभि । देवं देवमभिमिञ्चति
अभागे किम् ? यदत्र ममामिष्यात्तद् दीयताम् ।

उपयुक्त 'लक्षण', 'इत्यम्भूताप्यान', 'भाग' तथा 'वीप्या' अर्थों में से 'भाग' अर्थ को छोड़कर 'लक्षण' आदि अर्थों में 'अभि' कर्मप्रवचनीय होगा। चूँकि पूर्वसूत्रगत ममी अर्थों में यह कर्मप्रवचनीयसंज्ञक नहीं होता है, इसीलिये इसका समावेश 'प्रति', 'परि' तथा 'अनु' के साथ असम्भव था। अतः अन्य सूत्र यनाया पदा। 'लक्षण', 'इत्यम्भूताप्यान' तथा 'वीप्या'— इन तीन अर्थों में अभि के कर्मप्रवचनीय होने के उदाहरण क्रमशः दिये गये हैं। ये अर्थ तद्-तद् स्थल पर पूर्ववत् धीनित होते हैं। किन्तु 'भाग' अर्थ रहने पर 'अभि' कर्मप्रवचनीय नहीं होगा—ऐसा क्यों कहा? प्रत्युदाहरण में 'अभि' है 'भाग' के अर्थ में। 'यदत्र ममामिष्यात्तद् दीयताम्' का अर्थ है— 'यदत्र मम भाग स्यात्तद् दीयताम्'। यस्तुतः यहाँ कर्मप्रवचनीयसंज्ञा के अभाव में 'अभि' के मात्र उपसर्ग रहने के कारण उसके योग में 'उपसर्गप्रादु-र्भ्यामस्तिव्यंकारः' सूत्र में पत्र हो गया है। उपयुक्त उदाहरणों में जहाँ भी पत्र की संभावना थी, पत्र नहीं हुआ है। यह बात इसका प्रमाण है कि ऐसे स्थलों में सर्वत्र 'अभि' कर्मप्रवचनीय है। चूँकि पत्र नियमानुक्त दृश्य

‘सकार’ के स्थान में ही होता है, इसलिये बहुत कम जगहों में कर्मप्रवचनीयत्व की प्राप्ति का वाह्य चिह्न मिलेगा। बहुधा क्रियायोगाभाव तथा तत्तद् उक्त अर्थों के भाव ही कर्मप्रवचनीय संज्ञा की स्थिति बतला सकते हैं।

अधिपरी अनर्थकौ ।१।४।६३। उक्तसंज्ञौ स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज्ञा त्राधात् “गतिर्गता” विति निघातो न ।

‘जो (उपसर्ग आदि) दूसरे अर्थ को नहीं कहते वे धातु के द्वारा उक्त क्रियार्थ को ही कहते हैं।’ इस सिद्धान्त के अनुसार धातु के अर्थ के अतिरिक्त दूसरे अर्थ को द्योतित नहीं करना ही अनर्थकत्व है। प्रस्तुत प्रसंग में अधि और परि यदि धातु के अर्थ को छोड़ कोई विशेष अर्थ द्योतित नहीं करें^२ तो वे कर्मप्रवचनीय होंगे। अर्थात् जहाँ अधि या परि के योग में क्रियापद में कोई विशेष अर्थ नहीं आ जाय वहाँ ये कर्मप्रवचनीय होंगे अन्यथा जहाँ ये क्रियायोग में धातु के अपने अर्थ के अतिरिक्त कुछ भी विशेष अर्थ को द्योतित करें वहाँ केवल उपसर्गमात्र समझे जायेंगे। उपर्युक्त उदाहरणों में अधि तथा परि ‘आगच्छति’ क्रियापद में ‘आगमन’ के अतिरिक्त कोई भी विशेष अर्थ नहीं द्योतित करते, अतः ये यहाँ कर्मप्रवचनीय हैं। ‘अध्यागच्छति’ और ‘पर्यागच्छति’ में अधि तथा परि का क्रियायोग नहीं समझना चाहिये। सन्धि की अपेक्षा रहने पर मात्र सन्धि कर दी गई है। इस तरह उपसर्गसंज्ञा यदि बाधित हुई कर्मप्रवचनीयसंज्ञा से तो गतिसंज्ञा भी बाधित होगी क्योंकि दोनों ही कर्मप्रवचनीयसंज्ञा के प्रति अपवाद हैं। गतिसंज्ञा के बाधित होने के कारण गतिर्गता’ से ‘पर्यागच्छति’ और ‘अध्यागच्छति’ में परि तथा आगच्छति और अधि तथा आगच्छति में सन्धि होने पर सन्धिस्थल में अनुदात्तस्वर नहीं हुआ जो गतिसंज्ञा होने पर होता।

१. भाष्यकारः ।१।४।६। अनर्थान्तरवाचिनौ धातुनोक्तक्रियामेवाहुतुः ।

२. उपसर्गोण वाह्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥--के अनुसार ।

सुः पूजायाम् । १।४।६४। पूजायां सुरुक्तसंज्ञः स्यात् । सु
सिक्तम् । सु स्तुतम् । अनुपसर्गत्वान्न पः । पूजायां किम् ?
सुपिक्तं किं तत्रात्र ? चेपोऽयम् ।

पूजा (प्रशान्ता) अर्थं द्योतित होने पर 'सु' कर्मप्रवचनीय होगा । —
प्रवचनीयत्व के अनुकूल ही क्रियायोग का अभाव है । क्रियायोग रहने पर 'सु'
उपसर्ग होता । फिर 'सिक्तम्' तथा 'स्तुतम्' में मकार के स्थान में पव भी
नहीं है । उपसर्ग होने पर 'उपसर्गान्मुनोति—' सूत्र से पत्र होता । लेकिन
प्रशान्ता द्योतित होने पर ही कर्मप्रवचनीय होगा 'ऐसा क्यों कहा ? यन्तुतः
प्रयुदाहरण में तिन्दा द्योतित होती है । इसलिये 'सु' यहाँ उपसर्ग है, क्रिया-
योग में है और इसके कारण यहाँ पत्र हो गया है 'सुपिक्तम्' में उपसर्गसंज्ञा
करने पर 'सु स्तुतम्' के स्थान में 'सुस्तुतम्' हो जायगा । इस सूत्र में तथा
पूर्वगत सूत्र में निर्दिष्ट कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया हो' इसके लिये कोई
अवधानस्थान (Scope) नहीं है । ऐसी हालत में पूर्व कथनानुसार क्रिया-
योगमात्र तथा पद्यामात्र आदि द्वार सङ्केतों में ही कर्मप्रवचनीयत्व जाना
जाता है ।

अतिरतिक्रमणे च । १।४।६५। अतिक्रमणे पूजायां चाऽतिः
कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात् । अति देवान् कृष्णः ।

चकार के बल पर उपरवाटे सूत्र से यहाँ 'पूजायाम्' की अनुपृति होती
है । अत्र. सूत्रानुसार 'अतिक्रमण' तथा 'पूजा' दोनों अर्थों में 'अति' कर्मप्रवच-
नीय होगा । 'अतिक्रमण' का अर्थ 'बढ़ जाना' (Surpassing) तथा
'पूजा' का अर्थ पूर्ववत् 'प्रशान्ता' है । 'अति देवान् कृष्णः' का अर्थ है—'कृष्ण
(अन्य) देवताओं में बढ़े हुए हैं । फिर 'कृष्ण देवताओं में अधिक पूज्य
हैं' ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है । उदाहरण में पूजा का अर्थ यन्तुत
अतिक्रमण के अर्थ में ही बनित है । दूसरे अर्थ का सम्बन्ध उक्त एक ही उदा-
हरण में मात्रात् नहीं मालूम होता है । अतः कुछ संयाकरों ने इसके बदले
'अतिधुतम्' और 'अति सिक्तम्' उदाहरण दिये हैं । अतिक्रमण के अर्थ में इनके

ग्रंथ होंगे—‘अधिक स्तुति की है’ या ‘अधिक सींचा है’ और पूजा’ के अर्थ में—‘बढ़ियाँ तरह से स्तुति की है’ या ‘बढ़ियाँ तरह से सींचा है’ ।

‘स्वती पूजायाम्’ सूत्र से ‘पूजा’ अर्थ में ‘सु’ और ‘अति’ ‘कुगति प्रादयः’^१ सूत्र के अन्तर्गत समस्त नहीं होंगे । इसके विपरीत, ‘अतिक्रमण’ अर्थ में ‘अति’ का (क्योंकि इस अर्थ में ‘सु’ नहीं होता है) समास रोकने के लिये कोई सूत्र तो नहीं है लेकिन अनभिधान (अर्थात् शक्तिग्रह के अभाव) के कारण ही यह समास नहीं होता है ।

अपिः पदार्थसम्भावनाऽन्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु ।१।४।६६।
एषु द्योत्येष्वपिरुक्तसंज्ञः स्यात् । सर्पिपोऽपि स्यात् । अनुपसर्ग-
त्त्रान्न पः । सम्भावनायां लिङ् । तस्या एव विषयभूते भवने
कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योत्यन्नपिशब्दः ‘स्यादि’त्यनेन
सम्बध्यते । ‘सर्पिप’ इति पृष्ठी त्वपिशब्दवलेन गम्यमानस्य
विन्दोरवयवावयविभावसम्बन्धे । इयमेव ह्यपिशब्दस्य पदार्थ-
द्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवर्त्तते, सर्पिपो विन्दुना योगो
न त्वपिनेत्युक्तत्वात् । अपि स्तुयाद् विष्णुम् । सम्भावनं
शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्त्तुमत्युक्तिः । अपि स्तुहि । अन्ववसर्गः
कामचारानुज्ञा । धिग्देवदत्तम् अपि स्तुयाद् वृषलम् । गर्हा ।
अपि सिञ्च । अपि स्तुहि । समुच्चये ।

‘पदार्थ’, ‘सम्भावन’, ‘अन्ववसर्ग’, ‘गर्हा’ तथा ‘समुच्चय’ अर्थों में ‘अपि’ कर्मप्रवचनीय होता है । पदार्थ का यहाँ अर्थ है—अप्रयुज्यमानस्य पदान्तर-
त्यार्थः—अर्थात् प्रयुक्त पद से अतिरिक्त गम्यमान किसी पद का अर्थ । इस
लिये प्रयुक्त पदों से अतिरिक्त किसी पद का अर्थ यदि ‘अपि’ के द्वारा द्योतित
होता है तो वह ऐसी स्थिति में कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होगा । जहाँ कमी के

कारण गाने वाले को लेशमात्र धी मिलता है वहीं की उक्ति है—'सर्पिषोऽपि स्यात्' । यहाँ उपसर्गात्वं के अभाव के कारण ही 'स्यात्' में पत्य नहीं हुआ है, अन्यथा 'उपसर्गप्रादुर्भ्याम्—' सूत्र से ही जाता । संभावना में 'उपसर्गवादा-शंकयोश्च' से सिद्ध लकार में 'स्यात्' है । यह संभावना उत्कट से इतर कोटि की आशंका ही है । धी के होने की संभावना के कारण कर्त्ता (जो यहाँ 'यिन्दु' है और गम्यमान है) की कर्मा क चलते जो साधारणत धी की कर्मा ध्वनित होती है उसको ध्वनित करता हुआ 'अपि' शब्द 'स्यात्' पद से गम्यन्वित होता है 'सर्पिषोऽपि स्यात्' का अर्थ है—'सर्पिषः यिन्दुरपि स्यात्' । यस्तुत यहाँ 'यिन्दु' पद गम्यमान है और 'अपि' इसी गम्यमान 'यिन्दु' पद के अर्थ की ध्वनित करने के कारण कर्मप्रवचनीय हुआ । 'सर्पिष' में यही विभक्ति हुई है 'अपि' शब्द के चल से ध्वनित 'यिन्दु' के साथ 'सर्पिम्' का अंगांगिभाव सम्यन्ध होने के कारण । यही 'अपि' शब्द की गम्यमान पदार्थ की ध्वनित करने की शक्ति है । 'सर्पिम्' में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी 'अपि' कर्म प्रवचनीय के योग में, क्योंकि 'सर्पिम्' का तो गम्यमान 'यिन्दु' के साथ योग है न कि 'अपि' के साथ । इसी प्रकार 'संभावन' के अर्थ में भी 'अपि' कर्म प्रवचनीय होगा । अन्युत्कट शक्ति को बतलाने के लिये जो अनिशयोक्ति की जाती है वही संभावना है । सरल भाषा में, असंभव विषय की संभावना यदि अनिशयोक्ति के द्वारा की जाय तो वही संभावना 'संभावन' कहलायगी । निरिच्छ उदाहरण में यार्गी तथा मन दोनों के अविषय विष्णु की स्तुति की संभावना की जाती है । यहाँ 'अपि' शब्द संभावन का धोतक है । इसके विपरीत, पहले उदाहरण में यह संभावना के विषय में (धी के यिन्दु की) कर्मा का धोतक है । अतः दोनों में महान भेद है । यहाँ भी कर्मप्रवचनीय सजा के द्वारा उपसर्गसंज्ञा के बाधित होने के कारण 'उपसर्गानुनाति - ' में पत्य नहीं हुआ । पत्य होने पर 'अपिन्दुस्यात्' ऐसा होता । फिर, 'अश्वधर्म' कहते हैं 'कामचारानुजा' की । यह यस्तुत कर्म के प्रति श्रेयश्चारात्मक भावित ही है । इस अर्थ में भी 'अपि' कर्मप्रवचनीय होगा । इस प्रकार वृत्तिव्य उदाहरण का अर्थ होगा—'स्तुति करो या न करो' अर्थात् अपनी

इच्छानुसार स्तुति करो। इस तरह कामचारानुज्ञा वस्तुतः विकल्पात्मक अनुज्ञा है।

निन्दा द्योतित होने पर भी 'अपि' 'अपि स्तुत्याद् वृषलम्' में कर्मप्रवचनीय हुआ है। यह निन्दा का अर्थ उदाहरण के पूर्वभाग 'धिग्देवदत्तम्' से स्पष्ट सूचित होता है। पुनः 'समुच्चय' दो पदार्थों की अलग-अलग उक्ति को कहते हैं। यह एक ही वाक्य के अन्तर्गत साथ-साथ सम्पन्न होता है। दिये हुए उदाहरण में 'सिद्धन्' तथा 'स्तुति' क्रिया का समुच्चय किया गया है। पूर्ववत् इन स्थानों में भी 'अपि' के कर्मप्रवचनीयत्व के अभाव में 'उपसर्गात्सु-नोति—' सं पत्व करने पर क्रमशः 'अपिष्टुहि' 'अपिष्टुत्याद् वृषलम्' और 'अपिषिद्ध, अपिष्टुहि' हो जायेंगे। फिर इस सूत्र के अन्तर्गत दिये उदाहरणों में भी शक्ति के अभाव के कारण कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति के लिये कोई अवकाशस्थान नहीं है। ऐसे-ऐसे स्थल में कर्मप्रवचनीयत्व का मुख्य सूचक पत्वामाव ही होता है। वस्तुतः व्यवहार में 'समुच्चय' उक्त होता है 'च' के द्वारा देखा जाय तो 'अपि' यहाँ 'च' के स्थान में ही है जो दो पदार्थवाक्य को सम्बन्धित करता है 'अपि सिद्ध, अपि स्तुहि' के स्थान में कह सकते हैं—'सिद्ध स्तुहि च'।

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। इह द्वितीया स्यात् ।
मासं कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । क्रोशं कुटिला
नदी । क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम् ?
मासस्य द्विरधीते । क्रोशस्यैकदेशे पर्वतः ।

कालवाची तथा अध्ववाची शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी अत्यन्त संयोग में। अन्तः विरामस्तमत्क्रान्तः अत्यन्तः अत्यन्तश्चासौ संयोगः अत्यन्तसंयोगः । अत्यन्तसंयोग वस्तुतः निरन्तर सन्निकर्ष (Continuous relation or gapless proximity) है, विरामहीन संयोग है। यह विरामहीन संयोग द्रव्य 'गुण' तथा 'क्रिया' के द्वारा हो सकता है। अर्थात् यदि 'द्रव्य', 'गुण' या 'क्रिया' का सातत्यभाव (Continuity) 'काल' या 'मार्ग' के परिमाण में व्यक्त हो तो जिस कालवाची या मार्गवाची शब्द के द्वारा कुछ 'काल'

तत्र या (शक्ति के अनुसार मार्गवाची के विषय में) कुछ न्यान तक एगानार
 क्रिया 'गुण' या 'क्रिया' या 'द्रव्य' का भाव सूचित हो उस कालवाची या
 मार्गवाची शब्द में द्वितीया होगी । 'मामं कल्याणी' गुणमुखेन अत्यन्तसंयोग
 का उदाहरण है । यहाँ 'मामं' कालविशेष का परिमाण है । कल्याणवत्त्व-गुण
 की व्याप्ति मामभर अविच्छिन्न रूप में रहती है । इसी प्रकार 'मासमर्घाते'
 मामरूपक कालविशेष के परिमाण में क्रियामुखेन अत्यन्तसंयोग का उदाहरण है ।
 इसका तात्पर्य होगा कि अध्ययन क्रिया तीसरे दिन निरन्तर चलती है । लेकिन
 जिस प्रकार कल्याणवत्त्व का भाव मामभर हो सकता है उस प्रकार अध्ययन
 क्रिया का भरमास सतत जारी रहना असंभव है । इसलिये मामभर
 उचित काल में ही अध्ययन क्रिया के सातत्य का भाव विवक्षित है । फिर
 'मामं गुडधानाः' मासरूपक कालविशेष के परिमाण में द्रव्यमुखेन अत्यन्त
 संयोग का उदाहरण है । गुडधानरूप द्रव्य का भाव सतत रूप से मामभर
 रहता है यही तात्पर्य है । इसी प्रकार प्रोशरूपक अध्ययनाची के परिमाण में
 प्रमदाः कोस भर नदी के सरंधा कुटिलत्व की उक्ति के द्वारा गुणमुखेन,
 कोस भर तक चलने के प्रसंग में अध्ययन क्रिया के सातत्य की उक्ति के द्वारा
 क्रियामुखेन तथा कोस भर तक सतत गिरिरूप द्रव्य की स्थिति की उक्ति के द्वारा
 द्रव्यमुखेन उदाहरण दिये गये हैं । 'काल' तथा 'मार्ग' के परिमाण में अत्यन्त
 संयोग के अभाव में 'कालवाची तथा मार्गवाची शब्द से द्वितीया का अभाव
 दिखलाया गया है ।

करणकारकः तृतीया विभक्ति

स्वतन्त्रः कर्त्ता ।१।४।५४। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्त्ता स्यात् ।

चूँकि क्रियाकारक का साक्षात् सम्बन्ध कारकत्व के लिये आवश्यक है इसलिये क्रिया की उत्पत्ति में जिस कारक का जितना प्राधान्य रहता है उस दृष्टि से वह कारक उतना ही स्वतंत्र बतलाया जाता है । अतः क्रिया की उत्पत्ति में जो स्वतंत्र (अर्थात् प्रधान)—अर्थतः अन्य कारक की अपेक्षा स्वतंत्र हो उसे ही कर्त्ता कहेंगे । वस्तुतः क्रिया से स्वतंत्र या निरपेक्ष कोई कारक न होता है और न हो सकता है ।^१ अतएव भाष्य में स्वातन्त्र्य का अर्थ प्राधान्य लिया गया है । यह अर्थ युक्तियुक्त है । क्रियाजनन में कर्त्ता कारक प्रधान इसीलिये कहा जाता है चूँकि इसी के अनुसार किसी क्रिया की उत्पत्ति होती है । वस्तुतः सूत्रार्थ में अक्षरशः 'कर्त्ता' को 'स्वतंत्र' इसीलिये कह सकते हैं क्योंकि यह क्रिया की उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा नहीं करता । विवक्षा तथा शक्ति के अनुसार कर्त्ता जो क्रिया लेंगा उसमें कोई कारक देखल नहीं देगा वलिक्र उसी की पुष्टि करेगा, उसी की सहायता करेगा । यदि 'राम' को कर्त्ता मान लिया जाय तो प्रसंगानुसार वह कोई 'व्यापार' या 'क्रिया' की उत्पत्ति करने में समर्थ हो सकता है । यदि 'गमन' अभीष्ट है तो कालपुरुष वचनानुरूप तुरत 'रामः गच्छति' आदि वाक्यार्थ प्रस्तुत हो जायेंगे । अब क्रिया की उत्पत्ति होते ही ईप्सिततमादि अन्य अर्थों के रहने पर कर्मादिकारकों की उत्पत्ति होती जायगी । लेकिन यदि 'स्थाली पत्रति' ऐसा प्रयोग करें तो क्या 'स्थाली' पद कर्त्ता के रूप में रहने पर भी क्रियाजनन में स्वतंत्र माना जायगा ? हाँ । इसीलिये तो क्रिया की सिद्धि में 'स्वतंत्र रूप से विवक्षित' ऐसा अर्थ लिया गया जिससे वस्तुतः

१. स्वतन्त्रोऽसौ ब्राह्मण इत्युच्यते । स्वप्रधान इति गम्यते । तद्यः प्रावान्ये वर्तते तन्प्रशब्दस्तस्येदं ग्रहणम्--१।४।३।

केवल स्वतंत्र या प्रधान ही कारक 'कर्ता' नहा हो, अपितु स्वतंत्र या प्रधान का तरह प्रियक्षित भी कारक 'कर्ता' हो सकता है। वस्तुतः शक्ति के अनुमात्र 'स्थाना' पद में करणे कर्ताया होना चाहिये थी क्योंकि पाठकिया म यह साधकतम होता है। फिर भी, यदि अर्थ एसा लिया जाय कि 'स्थाना' में पाठक 'कर्ता' का महायता क बिना इम सुविधा म 'पाठ' हो रहा है, मानो 'स्थाना' 'पाठकिया' में स्वतंत्र है--तो 'स्थाना' पद 'कर्ता' क रूप में क्रिया का मित्रि में स्वतंत्ररूप म प्रियक्षित होता है। विप्रक्षावशात् कारकादि भवन्ति। यन्मु इच्छा प्रियक्षा। वस्तुतः कारक 'बना की बोलने की इच्छा' पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इम मिदान्त का स्पष्टीकरण जहाँ तहाँ होना चलेगा। पुन 'किमी धातु के अर्थ क्रियाविशेषमात्र का आश्रय होना 'कर्ता' का 'स्वातन्त्र्य' कहलाता है। किसी फलविशेष को लक्ष्य करके तद्दिशा में जो क्रियाविशेष प्रवर्तित की जाती है वही प्रसगागत धातुविशेष का अर्थ होगा। 'राम गच्छति' वाक्य में √गम् का अर्थ है 'जाना' और उससे पाद-सथ लना दिरूप क्रिया प्रानित होवे है। ऐसी अवस्था में 'राम' पद पूर्यत पादमचालनादि विविध गमन क्रिया का 'आश्रय' है। प्रस्तुत स्थल पर मान लिया जाय कि टिप्पिन फल है 'राम की प्राप्ति' और बिना गमनक्रिया के उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अत यहाँ सर्वथा इष्ट फल के अनुकूल प्रयुक्त क्रिया ही धातु का अर्थ होगा। 'किमी क्रिया धातु के द्वारा उक्त ही वही कारक 'कर्ता' कहलाता है।^१

मिदान्ततः कर्ता प्रसगागत किमी भी क्रिया का आश्रय होता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया रहती है कर्ता में। इम प्रकार यदि कोई कर्ता प्रसगागत प्राप्ति क्रियामात्र का आश्रय होता है और अन्य किमी क्रियामात्र के आश्रयत्व से मुक्त रहता है तो यह स्वतंत्र कहलाता है अत स्वातन्त्र्य का अर्थ बहुत कुछ यहाँ निम्ने धार्यक है। फिर, विभिन्न प्रकार कर्मत्व के प्रकरण में अकर्मक की परिभाषा दी गी।

१. स्वातन्त्र्य धार्यकः जापाराप्रमथम् । कर्तानुत्सो व्यापार. धौन्वयं —
वाक्यनोरमकार ।

२. हरि — धातुनोक्तत्रिये तिर्यं कारक कर्तृत्वप्रति ।

३. इच्छन् पृष्ठ रुचरा २५ ।

है कि अकर्मक वह है जिसका कर्म संभव नहीं है लेकिन 'अकर्मकधातुभिर्योगे-'
वातिक में प्राप्त कर्मत्व के स्थलों को छोड़कर, उसी प्रकार यहाँ भी व्याख्या
की जा सकती है कि क्रियाभाव के आश्रयत्व से मुक्ति ही 'स्वार्तन्व्य' होता है
लेकिन प्रसंगप्राप्त क्रियाभाव के आश्रयत्व को छोड़कर ।

इस सूत्र का प्रयोजन यहाँ इसलिये होता है चूँकि कारण कारक के प्रारंभ
के पश्चात् 'कर्त्करणयोस्तृतीया' सूत्र में सर्वप्रथम प्रक्रमानुसार 'कर्त्ता' शब्द
का उपादान होता है । प्रथमा विभक्ति के प्रसंग में प्रायः इसकी जरूरत नहीं
थी । प्रथमा विभक्ति तो प्रातिपदिकार्थमात्र में होती है, इसलिये 'कर्त्ताप्रथमा'
ऐसा कहना दोषपूर्ण होता क्योंकि यद्यपि सभी कर्त्ता प्रातिपदिकार्थ होंगे
तथापि सभी प्रातिपदिकार्थ का 'कर्त्ता' होना जरूरी नहीं है । वस्तुतः व्याकरण-
सम्बन्धी जटिलता से छूट पाने के लिये जो कोई सुविधा के लिये 'कर्त्तरि
प्रथमा' ऐसा कहते हैं वे बृहत् अर्थ में ही 'कर्त्ता' शब्द का उपादान करते हैं ।
ऐसी अवस्था में 'कर्त्ता' में सभी प्रातिपदिकार्थ का समावेश करा दिया
जाता है ।

साधकतमं करणम् ।१।४।४२। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं
करणसंज्ञं स्यात् । तमत्रग्रहणं किम् ? गङ्गायां घोषः ।

क्रिया की सिद्धि में जो कारक प्रकृष्ट रूप से उपकारक हो वही 'करण'
कहलाता है । अर्थतः करण कारक क्रिया के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति में
उपकारक होता है । कारकत्व वस्तुविशेष में विशेषणविशेष्य भाव से नियत
नहीं रहता है, प्रत्युत वह वैवक्षिक होता है, विवक्षा पर आधारित होता है ।^१
जिस प्रकार 'गौः' सभी व्यक्ति के प्रति 'गौः' ही है, किसी के प्रति 'गौः'
से भिन्न वस्तु नहीं है उसी प्रकार विशेषण सबों के प्रति विशेषण ही होता
है—ऐसी बात नहीं कही जा सकती । इसका कारण यह है कि जो धातु विशेष-
पेजन्य क्रिया का आश्रय रहता वह 'कर्त्ता', जो क्रियाजन्य फल का आश्रय
होता है वह 'कर्म' और जो कर्त्ता-कर्म के सम्बन्ध से धातुजन्य क्रिया या
क्रियाजन्य फल का आश्रय होता है वह 'अधिकरण' कहलाता है और इसी प्रकार

१. वाच्यपदीय : न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगोः गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः ।

दूसरे कारक की स्थिति भी होती है। लेकिन कर्मी-कर्मी करण या अन्य भी कर्मि कारक के निर्धारण के विषय में मन्देह का अवकाशस्थान हो सकता है जब एक सामान्य (general) क्रिया के साथ अनेकों उपक्रियाएँ (subsidiary-verbs) संभव हो सकती हैं। उदाहरणस्वरूप एक $\sqrt{\text{पच्}}$ की मौलिक (fundamental) 'पचन क्रिया' के साथ 'भाग पर वर्तन को चढ़ाना' 'वर्तन में चावट आदि देना' तथा 'जलना' और 'उबलना' आदि क्रियाएँ अभियोज्यरूपमें सम्बन्धित हैं। इस प्रकार 'पचन क्रिया' की मुख्यता होने पर उसका आश्रय 'देवदत्त' कर्ता, 'उबलन क्रिया' की मुख्यता होने पर आश्रय 'इन्धन' कर्ता तथा 'तडुलादि धारण' की मुख्यता ममझने पर उसका आश्रय 'पात्र' कर्ता ममझा जायगा। अतः एक अवस्था में जो कर्ता रहेगा वह दूसरी अवस्था में करण या कोई दूसरा भी कारक हो सकता है। 'पचन क्रिया' की मुख्यता होने पर 'इन्धन' करण हो जायगा जो अन्यथा 'उबलन क्रिया' की मुख्यता होने पर कर्ता होता।

किन्तु ठीक से देखने पर करणत्व के निर्धारण का यह मन्देह निरवकाश पाया जायगा। वस्तुतः किसी धातु से विभक्ति कर्मि क्रिया में जब कोई कारक स्वार्थभ्य (अर्थात् प्राधान्य) से विभक्ति होता है तब उस धातु से विभक्ति उस क्रियाविशेष में वही 'कर्ता' होगा। फिर कर्मि कर्तृजन्य क्रिया के द्वारा जब द्विव्यक्तत्व की दृष्टि से कोई कारक प्रियक्षित होता है तब वह उस क्रिया में कर्म होगा। इस तरह कोई अवस्था नहीं रह जाती तथा सभी कारक सम्यक् परिभाषित और स्वरूपेण निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति को कर्तात्व कर्मत्व आदि अनेक भिन्न कारकजन्य उपाधियों से युक्त करना युक्त है, क्या? आभासमानमानता पेरिम मृज्ज्यामानमानमागमना' ऐसा प्रयोग किस प्रकार संगत है? वस्तुतः यहाँ कोई दोष नहीं है। अहंकार आदि उपाधिभेद से 'आत्मा' की भी भिन्नता मानकर 'आभासमानमानता इति' को भी भाष्यकार ने सम्बन्धित किया है। पुनः 'अपने से (स्वयं) आत्मा को जानते हो' आदि अर्थ ममझाकर तथा एक 'आत्मा' को जीवत्मा दूसरे को परमात्मा मानकर भी उपयुक्त वाक्यों को निरूपित किया जा सकता है।

परन्तु 'साधक कारम्' ऐसा ही कहा जाता तो क्या सति थी? 'कारक' के

अधिकार' से तो यहाँ 'कारक' शब्द आ ही जाता फिर 'साधक' और 'कारक' के पर्याय रहने के कारण तथा दोनों के प्रयोग साथ-साथ होने के कारण 'प्रकृष्ट' अर्थ का लाभ भी हो जाता । वस्तुतः कारक प्रकरण में इस सूत्र को छोड़ कर अन्यत्र कहीं भी 'गौणमुख्य'-न्याय प्रवृत्त नहीं होता है । इसी को ज्ञापित करने के लिये यहाँ 'तमप्' का ग्रहण किया गया है । यदि ऐसा ज्ञापित नहीं करते हैं तो 'गंगायां घोषः' में 'गंगा' पद में जो अधिकरणसंज्ञा अपेक्षित है वह नहीं होती । 'तिलेषु तैलम्' और 'दधिनि सर्पिः' में जैसे 'तिल' और 'दधि' वैसे यहाँ भी 'गंगा' मुख्य आधार है और मुख्य आधार का अर्थ रहने पर ही सर्वत्र अधिकरण हुआ है । जब लक्षणा के द्वारा 'गंगा' का मतलब 'गंगातीर' होता है और 'गंगा-तीर'का आधारत्व सामीप्य के कारण 'गंगा प्रवाह' में उपचरित होता है (क्योंकि वस्तुतः 'घोष' है गंगातीर पर और इसलिये गंगातीर ही है आधार घोष का) तो 'गंगा' पद में जो सप्तमीविभक्ति होती है अधिकरण में वह लाक्षणिकी है, लेकिन जब 'गंगा' पद लक्षणा से 'तीर' में अर्थ में उपचरित होगा तो लाक्षणिक होगा 'गंगा' पद ही नकि 'तीर' । वस्तुतः 'तमप्' का प्रयोग किया गया है 'कारक' और 'साधक' के साथ-साथ प्रयुक्त होने से ध्वनित भी 'साधक' के अर्थ को प्रबल और स्पष्ट बनाने के लिये जिससे यहाँ अधिकरण कारक का भी बोध न हो जाय क्योंकि 'अधिकरण' भी 'साधक' होता है कर्तृजन्य क्रिया की सिद्धि या उत्पत्ति में ।

कर्तृकरणयोस्तृतीया । २।३।१८। अनभिहिते कर्त्तरि करणे च तृतीया स्यात् । रामेण वाणेन इतो वाली ।

चूँकि करणकारक के स्वरूप का निरूपण कर दिया गया है इसलिये उसमें कौनसी विभक्ति होगी 'यही कहना बाकी है । पुनः 'स्वतंत्रः कर्त्ता' से 'कर्त्ता' का स्वरूप निर्धारण भी कर लेने पर प्रस्तुत प्रसंग में 'कौन-सी विभक्ति होगी' यही कहने की आवश्यकता है । यह इसीलिये चूँकि पूर्व निरूपण के अनुसार 'कर्त्ता' प्रातिपदिकार्थ के अन्तर्गत आ जाता है और प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा कह दी गई है । इस सूत्र के अनुसार 'कर्त्ता' और 'करण' में तृतीया होगी । 'कर्त्ता' के साथ 'अनभिहिते' अधिकार सूत्र का योग समझना चाहिये शक्ति के

कारण, क्योंकि 'अभिहित' कर्ता में तो कमा तृतीया विभक्ति का प्रश्न भी नहीं उठ सकता। इसलिये 'करण' में तो तृतीया होगी ही, अनभिहित कर्ता में मा तृतीया होगी। कर्मकारान्तर्गत अभिधान की परिभाषा के अनुसार 'अभिहित' का अर्थ वस्तुतः 'अप्रधान' है। फिर इस प्रश्न के उत्तर में कि 'कर्ता' अप्रधान क्या होता है हम पाते हैं कि ऐसा कर्मवाच्य में होता है जब कि कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाक्य में सर्वथा उसकी प्रधानता रहती है। पता चलता यह सिद्ध हुआ कि कर्मवाक्य में 'कर्ता' में (अर्थात् कर्मवाच्य के कर्ता में) तृतीया विभक्ति होगी 'प्रथमा' के स्थान पर। अतः जहाँ करण की तृतीया विभक्ति नियत है, 'कर्ता' की तृतीया उसके केवल 'अनुक्त' रहने पर ही समझ है। निरिष्ट उदाहरण में 'रामेण' में अनुक्ते कर्तारि तृतीया है और 'वागेन' में वरखे तृतीया। प्रस्तुत वाक्य कर्मवाच्य में है और तमा कर्ता का अनुक्त रहना समझ हो सका है। इसके पूर्ववाक्य 'राम वागेन हतवान् वालिनम्' में 'राम' कर्तृ पद है लेकिन 'वाण' यहाँ भी करण है 'वालि' का हनन क्रिया में साधकत्वमान का कारण। लेकिन क्या वाण की कर्तृत्वेन विधवा नहीं की जा सकती? हाँ, विवक्षा तो ही सकती है किन्तु तब 'राम' पद का प्रयोग नहीं किया जायगा और इसमें तृतीयात्वे की वह निम्नता नहीं होगी जो करण रहने पर था। ऐसी अवस्था में 'वागेन हतो वाली' का पूर्ववाक्य होगा—'वाग्य हतवान् वालिनम्'। लेकिन कारणत्वेन जब हमकी विवक्षा होगी तो 'त्रियते अनेनेति काणम्' की निम्नता के अनुसार क्रिया की सिद्धि में साधकत्वमान होने के कारण हममें सतत तृतीया होगी। प्रस्तुत कारणत्वेन विवक्षित करण कारक का महत्त्व उस मंत्री की तरह है जो धरावर मंत्री रहता है चाहे राजा प्रजा ही जाय या प्रजा राजा।

फिर यहाँ 'इत्थितम' और 'साधकत्वम' में भी अन्तर जाना जा सकता है। यह केवल कर्तृवाच्य में समझ है जब दोनों का साथ-साथ प्रयोग होता है तब कि कर्मवाच्य में 'कर्म' जो इत्थितम होता है उक्त होने पर प्रथमागत हो जाता है। 'राम वागेन वालिन हतवान्' में 'वालि' का मारने की क्रिया में 'वाग' मन्त्रों 'अधिक मदायक होता है किन्तु 'वालि' तो हम मारने की क्रिया का इत्थितम है। यहाँ क्रिया है मारना, तमाका कर्ता है राम और राम का अर्थात् है वालि जिसे वह मारना चाहते हैं। अतः करण का महत्त्व यहाँ

क्रिया और कर्म से साक्षात् हो पाता है वहाँ कर्म का सम्बन्ध साक्षात् रहता है केवल क्रिया और कर्त्ता से। फिर यह भी द्रष्टव्य है कि प्रेरणार्थक क्रिया की दृशा में अनुक्त कर्त्ता और कारण पूर्ववत् रहते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन होता है।^१ यदि मान लें कि 'धर्म' ने 'राम' को प्रेरित किया 'वालि' को मारने को तो 'धर्म' प्रयोजक कर्त्ता होगा और 'राम' प्रयोज्यकर्त्ता। प्रयोज्यकर्त्ता कुछ अवस्थाओं में कर्मवा को प्राप्त करता है लेकिन वे शर्तें यहाँ नहीं हैं। अतः इसमें तृतीया ही होगी कर्मत्वप्रयुक्त द्वितीया के अभाव में। इस अर्थ में अनुक्त कर्त्ता की स्थिति से अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्व की स्थिति में जहाँ केवल अनुक्त कर्त्ता रहने पर 'राम' पद में तृतीया होती है वहाँ प्रयोज्यकर्त्ता के सत्त अनुक्त रहने के कारण ही तृतीया होती है। वस्तुतः अनुक्तकर्त्ता प्रयोज्यकर्त्ता नहीं भी हो सकता है लेकिन प्रयोज्यकर्त्ता अनुक्तकर्त्ता होगा ही। पुनः 'धर्मः रामेण वाणेन घातितवान् वालिनम्' में अनुक्तकर्त्ता की स्थिति से अन्य अन्तर यह हुआ कि प्रयोज्यकर्त्ता की इस स्थिति में कर्त्तृवाच्य ही सर्वथा अपेक्षित होगा। प्रेरणार्थक प्रत्यय लगाने के कारण क्रियापद में तो अन्तर होगा ही।

लेकिन यदि इस अवस्था में भी वाक्य को कर्मवाच्य में ही रखना चाहें तो 'धर्मेण रामेण वाणेन घातितो वाली' में जहाँ अन्य परिवर्तन आपाततः होंगे ही, प्रयोजककर्त्तृपद 'धर्म' में भी अनुक्ते कर्त्तरि तृतीया हो जायगी। ऐसी दृशा में तृतीयान्त 'राम' पद जहाँ प्रयोज्य अनुक्त है, 'धर्म' पद केवल अनुक्त है। साथ-साथ साधकतम 'वाण' पद की अभिन्नतया करणत्वेन तृतीया की प्राप्ति आकर्षक है। इस प्रकार सम्पूर्ण वाक्य को चाहे जितना तोड़ें-मरोड़ें, कारण में सदा तृतीया होगी। किन्तु यदि कारणकारक की विवक्षा नहीं करें और 'वाण' को भी कर्त्तृपद ही समझें तो 'वाणः हतवान् वालिनम्' से 'राम' को 'प्रयोजक' रखने पर 'रामः वाणेन वालिनं घातितवान्' ऐसा हो जायगा। और यदि इसे भी कर्मवाच्य में रखना चाहें तो स्वल्पपरिवर्तन से 'रामेण वाणेन घातितो वाली' ऐसा होगा जहाँ तृतीयान्त 'राम' पद केवल अनुक्त कर्त्ता समझा जायगा किन्तु 'वाण' प्रयोज्यअनुक्त कर्त्ता। वस्तुतः इस सूत्र में सम्पूर्णतः

१. 'गतिबुद्धिप्रत्ययसानार्यशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्त्ता सणौ'—सूत्र से।

‘अनभिहिते’ अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति के उपरान्त समन्वय करना चाहिये क्योंकि करणकारक में भी तो अनुक्त अवस्था में ही तृतीया विभक्ति होती है। इस प्रकार ‘शतैन व्रीत’ में ‘शतन’ में अनुक्ते कर्त्तरि तृतीया के अनिश्चित करण तृतीया भी मानी जा सकती है जिसके अभिधान स्वरूप ‘शत्य’ होता है। और ‘दानीय’ (विप्र) में तो स्पष्ट सम्प्रदानकारक का अभिधान हुआ है। अतः सिद्धान्त रूप में ‘अनभिहिते’ का अधिकार कारक में सर्वत्र समझना चाहिये।

प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् । प्रकृत्या चारुः । प्रायेण यात्रिकः । गोत्रेण गार्ग्यः । समेनेति । विपमेणैति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रोशाति । सुखेन दुःखेन वा याति ।

प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति का उपसंख्यान हो। अर्थात् इन शब्दों से भी तृतीया होगी। प्रकृत्यादि गण आकृतिगण हैं। व्यवहारानुसृत आकृत्या (आकृति से) प्रस्तुत प्रयोग के समकक्ष जितने भी शब्द होंगे वे सभी इस गण में समावेशित समझ जायेंगे। इस प्रकार कर्मों भी आकृतिगण में ‘कौन-कौन से और जितने शब्द होंगे’ इसका निर्धारण लौकिक व्यवहार ही करता है। यह निर्धारण कर्मों भी निश्चयात्मक नहीं हो सकता। उपर्युक्त उदाहरणों में सर्वत्र ‘प्रकृति’ आदि शब्दों में तृतीया हुई है। ‘प्रकृत्या चारु’ में ‘प्रकृति’ शब्द में कर्त्तृत्व तथा करण्य के अभाव में पछी प्राप्त थी। ‘समेनेति’ और ‘विपमेणैति’ में तृतीया की जगह क्रियाविशेषण की विवक्षा करने पर द्वितीया भी हो सकती है। फिर, ‘द्विद्रोणै’ शब्द में ‘धान्यक्रय’ के माधकत्व होने के कारण करण तृतीया भी कही जा सकती है—इसका ‘द्वयो द्रोणयो समाहार.’ ऐसा समाहारद्विगु में विप्रश्न हुआ और पाशुदिगर्णीय होने के कारण स्त्रीत्व का अभाव हुआ। और ‘सुखेन याति’, ‘दुःखेन याति’ की जगह क्रिया विशेषण की विवक्षा करने से ‘सुख याति’, ‘दुःखं याति’ हो सकता है जिसका अर्थ होगा—‘सुख यथा स्यात् तथा याति’, ‘दुःखं यथा स्यात् तथा याति’। प्रस्तुत इन शब्दों में तृतीया होती है व्यवहार के बल पर ही। पाणिनि की श्रुति को व्याख्यान ने यार्थिक के द्वारा पूरा किया है।

दिवः कर्म च ।१।४।४३। दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं
स्यात् चात् करणसंज्ञम् । अक्षरज्ञान् वा दीव्यति ।

√दिव् का साधकतम विकल्प से कर्मसंज्ञक भी होता है । दूसरे शब्दों में, √दिव् का ईप्सिततम विकल्प से करणसंज्ञक होता है । जब करण की दृष्टि से देखा जायगा तो उसके स्थान में कर्मसंज्ञा होगी और जब कर्म की दृष्टि से विचार किया जायगा तो कर्मसंज्ञा के विकल्पस्वरूप करणसंज्ञा होगी । यहाँ √दिव् का अर्थ केवल 'जूआ खेलना' है । यद्यपि वाद के सूत्र 'परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्' से अपकर्ष' से यथेष्ट विकल्प के अर्थ का समावेश करने के लिये 'अन्यतरस्याम्' का ग्रहण किया जा सकता है तथापि प्रस्तुत सूत्र में 'चकार' का ग्रहण समुच्चय के लिये संमंजस सकते हैं । √दिव् के योग में जो कर्मसंज्ञा और करणसंज्ञा दोनों होती हैं वह केवल व्यवहार के बल पर ही । जब 'अक्ष' को 'ईप्सिततम' की तरह देखा जायगा तो उसमें कर्मसंज्ञा होगी और जब वह 'साधकतम' समझा जायगा तो वह करणसंज्ञक होगा । अर्थतः 'कौड़ी से खेलता है' ऐसा अर्थ लेने पर 'अक्षैः दीव्यति' और 'कौड़ी (को) खेलता है' ऐसा समझने पर 'अक्षान् दीव्यति' होगा ।

१०४४०

अपवर्गे तृतीया ।२।३।६। अपवर्गः फलप्राप्तिः, तस्यां
द्योत्यायां कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात् । अह्वा
क्रोशेन वाऽनुवाकोऽधीतः । अपवर्गे किम् ? मासमधीतो नायातः ।

सामान्यतः 'अपवर्ग' का अर्थ होता है 'समाप्ति', लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में पारिभाषिक अर्थ होगा 'फल की प्राप्ति' । कोई 'क्रिया' होती है किसी 'फल' के लिये' और यदि उस फल की प्राप्ति हो जाय तो कालवाची या अध्ववाची शब्द में तृतीया होती है अत्यन्त संयोग रहने पर । यदि कोई क्रिया निरन्तर जारी है और फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह क्रिया समाप्त नहीं समझी जायगी और चूँकि क्रिया की समाप्ति समझी जाती है फलप्राप्ति पर ही,

१. अष्टाध्यायी के क्रम में ऊपर के सूत्र से नीचे किसी अंश का लेना 'अनुवृत्ति' और नीचे के सूत्र से ऊपर लेना 'अपकर्ष' कहलाता है ।

इसलिये केवल 'समाप्ति' का 'फलप्राप्ति' अर्थ लिया जायगा^१। इस सूत्र में ऊपरवाले सूत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' से सम्पूर्ण पदों की अनुवृत्ति होती है और तब वाञ्छित अर्थ निकलता है—'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे, धरवगे तृतीया' अथ दोनों सूत्रों में अन्तर होगा कि पूर्वसूत्र स जहाँ केवल क्रिया के सातत्यमात्र के घोषित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया होती है वहाँ यदि निरन्तर क्रिया स अभिलषित फल की प्राप्ति भा हा जाय तो इस सूत्र के अनुसार द्वितीया के स्थान में तृतीया विभक्ति होगी। 'अद्भ्य अनुवाक्योऽधीत' का अर्थ होगा—दिनभर सतत 'अनुवाक' के अध्ययन क क्रिया जारी रखने के बाद उसके, समझ लेने के फल की प्राप्ति हो गई। कि 'प्रौरोचन अनुवाक्योऽधीत' का अर्थ है—'कोस भर घण्टे-घण्टे अनुवाक क अध्ययन कर लिया और उसे समझ भी लिया।'

वस्तुतः फलप्राप्ति का अर्थ गम्यमान ही रहता है। यदि वह सूचित नहीं रहे या शक्ति के अनुसार अभीष्ट भी न रहे तो तृतीया न होकर द्वितीया होगी—लेकिन इस अवस्था में भी निरन्तर सन्निकर्ष रहना चाहिये। यदि यह भी नहीं रहे तो शक्ति के अनुसार द्वितीया के अतिरिक्त भी कोई अन्य विभक्ति हो सकती है। प्रत्युदाहरण में दिगम्लया गया है कि मामभर पढ़ने की क्रिया जारी रखने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हुई—'मामभर पढ़ा लेकिन समझा नहीं'। ऐसी अवस्था में 'मास' शब्द में द्वितीया मात्र हुई है। सूत्र में केवल कालवाची और भाववाची शब्द का ही ग्रहण हमलिये हुआ है कि केवल इन शब्दों में ही उपयुक्त अधानुसार द्वितीया या तृतीया विभक्ति होती है क्योंकि 'काल' या 'स्थान' के परिमाण में ही (Only in the dimension of time or space) किसी क्रिया की निरन्तरता मापी जा सकती है। कि 'स्थान' भी निरन्तर प्रचलित क्रिया स सम्बद्ध होना चाहिये। हम लिये वस्तुतः सद्देश्य 'मार्ग' में है।

सदयुक्तेऽप्रधाने । २।३।१६। सदाथेन युक्तेऽप्रधाने तृतीया

१ धरवर्ग का 'मोक्ष' भी अर्थ है क्योंकि वह ऐहिक तरस्या का फल है।

स्यात् । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकं-सार्धं-समं-योगेऽपि
विनाऽपि तद्योगं तृतीया । वृद्धो यूनेत्यादिनिर्देशात् ।

चूँकि केवल 'सह' के योग में ही नहीं, बल्कि 'मह' के अर्थवाले किसी भी शब्द के योग में तृतीया होती है, इमलिये मट्टोजिदीक्षित ने स्पष्ट किया 'सहार्थेन युक्ते' ऐसा कहकर । पुनः अव्ययभूत 'सह' के पर्याय कोई अव्यय शब्द ही यहाँ अभीष्ट हैं । अतः ऐसे शब्द 'साकं, सार्धं और समस्' के योग में भी तृतीया होगी । 'सत्रा' भी सहार्थ है । इसका उल्लेख दीक्षित ने नहीं किया है । यह तृतीया होती है केवल 'अप्रधान' में । जैसा स्पष्ट है ये शब्द सापेक्ष हैं और एक या एक तरह के पदार्थों को दूसरे या दूसरी तरह के पदार्थों से मिलाते हैं । इन दो पदार्थों में एक प्रधान होगा और दूसरा अप्रधान होगा । पदार्थों का प्रधानत्व या अप्रधानत्व शब्दशक्ति से निर्धारित होता है । एतदनुसार जो 'अप्रधान' रहेगा उसी में तृतीया होगी । इसके विपरीत, 'प्रधान' बराबर 'उक्त' रहेगा और उसमें प्रथमा को छोड़ दूसरी कोई भी विभक्ति नहीं हो सकती । निर्दिष्ट उदाहरण में 'पिता' प्रधान है और उसमें प्रथमा है । लेकिन 'पुत्र' अप्रधान है, अतः उसमें तृतीया है 'सह' शब्द के योग में । यहाँ यद्यपि अर्थशक्ति से 'पुत्र' ही प्रधान और 'पिता' ही अप्रधान मालूम पड़ता है किन्तु शब्दशक्ति से 'पुत्र' अप्रधान है और 'पिता' प्रधान । शब्दशास्त्र में अर्थशक्ति के ऊपर शब्दशक्ति का प्राबल्य समझा जायगा ।

फिर सूत्र के अर्थानुसार 'सह' या उसके पर्यायवाची का शब्दतः प्रयोग आवश्यक नहीं है । यदि केवल 'सह' का अर्थ द्योतित हो तो भी 'अप्रधान' में तृतीया हो जायगी । इसलिये 'पुत्रेण आगतः पिता' प्रयोग उसी प्रकार युक्तियुक्त होगा जिस प्रकार 'पुत्रेण सह आगतः पिता' । पाणिनि के सूत्र 'वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः' से ऐसा ज्ञापित होता है । यदि 'सह' या उसके पर्याय का प्रयोग अनिवार्य रहता तो वे 'वृद्धो यूना सह'—ऐसा लिखते ।

येनाङ्गविकारः ।२।३।२०। येनाऽङ्गेन विकृतेनाऽङ्गिनो
विकारो लक्ष्यते ततस्त्वृतीया स्यात् । अक्षणा काणः । अक्षि-

सम्बन्धिकाणत्तिशिष्ट इत्यर्थः । अङ्गविकारः किम् ? अक्षि
काणमस्य ।

जिम अंग के विवृत होने से अंगी (अर्थात् अंगवाले प्राणी) का विकार
वृत्त हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया होती है । अंगगिमाव में एक अंग
होता है और दूसरा अंगी होता है जिसका वह अंग होता है । अंग के विवृत
होने से अवश्य ही अंगी का विकार समझा जायगा क्योंकि 'अंग' का सम्बन्ध
समवायरूप से 'अंगी' के साथ होता है । यहाँ वस्तुतः 'अङ्गानि अस्य समित्'-
इसी अर्थ में 'अशं आद्यच्' से अच् प्रत्यय से नपुंसक 'अंग' शब्द से
पुलिङ्ग शब्द की निष्पत्ति हुई है जिसका अर्थ 'शरीर', या विस्तृत अर्थ में
'प्राणी' होता है । ऐसा हमलिये चूँकि 'येन' वस्तुतः 'अंगेन' के लिये आया
है (जो सम्बन्धित है) और 'जिम अंग के विवृत होने से अंग का विकार
समझा जायगा'—ऐसा अर्थ लेना तो केवल पुनरुक्ति दोष होगा । यहाँ
उदाहरण में 'सम्बन्ध' ही 'अक्षि' शब्द की तृतीया विभक्ति का अर्थ है । यह
सम्बन्ध अंग और अंगी के बीच घोषित होता है और वह अधिक स्पष्ट होता
है 'काणम्' गुण के आधार पर । यद्यपि एक अक्षि में हीन ही 'काण' (अर्थात्
'काना') कहलाता है तथापि 'द्वौ विप्रौ' की तरह 'अक्ष्या काण.' न्याय्य है ।

लेकिन 'हीनता' ही केवल विकार नहीं है । प्रकृतिस्य अन्वया से 'अधिक'
में कोई अंग 'विवृत' कहला सकता है । हमीलिये यामन ने कहा है—
'हानिवदाधिक्यमप्यङ्गविकारः' । मनुष्य को साधारणतः दो ही हाथ होते हैं
पर यदि किसी को चार हाथ हों तो 'चार हाथ का हाना' भी विकार कहा जायगा ।
हमी आधार पर 'स वाल आसीद् ययुषा ययुषुः' आदि प्रयोग सिद्ध हो
हैं जहाँ 'ययुप्' आदि में हमी सूत्र से तृतीया होती है । वस्तुतः हम सूत्र के
परिधि में अंग और अंगी दोनों ही का साथ-साथ होना आवश्यक है । ऐसा
यदि रहेगा तभी अंगवाची शब्द में तृतीया होगी अन्यथा नहीं (जैसा प्रयु

१. पाणिनि : ५।२।१२७।

२. वाचस्पत्य-सूत्रवृत्ति : प्रायोगिक अधिकरण ।

३. सिन्धुशास्त्रम् : १।१६।

दाहरण से स्पष्ट है) । 'अच्चा काणः' में 'अक्षि' अंगवाची शब्द हुआ और 'काण' शब्द काणत्व-विशिष्ट व्यक्ति 'अंगी' के लिये आया है । लेकिन 'अक्षि काणमस्य' में 'काण' शब्द 'अक्षि' को ही विशेषित करता है और इसीलिये अंगी के अभाव में अंगवाची शब्द में तृतीयात्व का अभाव हुआ । यहाँ प्रतिपादनार्थ 'अंगी का भाव हो'—केवल ऐसा कहने से काम नहीं चलता है क्योंकि प्रत्युदाहरण में 'अस्य' से भी अंगी का भाव स्पष्ट होता है । वस्तुतः जो विकार रहे वह अवश्य ही अंगी के लिये आये । सूत्र में प्रस्तुत उदाहरण में 'काणत्व'रूप विकार 'अंगी' पर आरोपित है । ऐसी स्थिति में जिस 'अंग' के विकार के कारण 'अंगी' का विकार द्योतित होता है उस अंगवाची शब्द में तृतीया हुई । इसके विपरीत, प्रत्युदाहरण में 'काणत्व'रूप विकार 'अंगी' पर आरोपित नहीं होकर 'अंग' पर ही आरोपित है । यह स्थिति व्यक्त होती है दोनों के एकविभक्तिकत्व से विशेष्य-विशेषणभाव के कारण ।

इत्थम्भूतलक्षणो १२।३।२१। कश्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणो तृतीया स्यात् । जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसत्व-विशिष्ट इत्यर्थः ।

'इत्थम्भूतः' अर्थात् 'ऐसा हुआ'—ऐसा जिसके द्वारा लक्षित हो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया होगी । 'लक्ष्यते अनेन तल्लक्षणम्' । अतः लक्षण का अर्थ यहाँ 'चिह्न' है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ लक्ष्यलक्षण-भाव या ज्ञाप्यज्ञापकभाव रहे वहाँ जो 'लक्षण' या 'ज्ञापक' रहे जिससे किसी 'लक्ष्य' या 'ज्ञाप्य' भाव की सिद्धि होती है तो उसमें तृतीया होती है । उदाहरण में 'तापसत्व' प्रकार (अर्थात् 'तापस' होना) लक्षित होता है 'जटाओं' से । 'जटा' चिह्नवाची शब्द है, अतः उसमें तृतीया हुई । इस प्रकार 'जटाभिस्तापसः' का अर्थ हुआ 'जटाओं के द्वारा जानने योग्य जो है तपस्वी' । दूसरे क्रम में 'तपस्वी तपस्वी है' ऐसा 'जटाओं' से ही जाना जाता है । लेकिन यदि 'तापसत्व' ज्ञान के लिये 'जटा' को साधकतम समझें तो करण-संज्ञा करने पर तृतीया की सिद्धि नहीं हो सकती ? वस्तुतः करणत्व की विवक्षा करने पर तृतीया हो सकती है लेकिन यह कुछ टेढ़ा रास्ता है । फिर भी, यदि

करणात्वं की विवक्षा नहीं की जाय तो लक्ष्यलक्षणभाव के सिवा किसी भी हालत में प्रस्तुत प्रसंग में तृतीया की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर ऐसा बात नहीं कि करणतृतीया इत्थम्भूत तृतीया की पूरिका हो सकती है या, इत्थम्भूत तृतीया का काम करणतृतीया से ही चल सकता है। ये दोनों दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं— इत्थम्भूत तृतीया जहाँ करीब-करीब क्रियायोग के बिना ही होती है, करणतृतीया सतत क्रियायोग में होगी क्रियान्वयित्व के कारण करण के कारकात्वं के हेतु।

संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ।२।३।२२। संपूर्वस्य जानातेः
कर्मणि तृतीया वा स्यात् । पित्रा पितरं वा सजानाते ।

सम्पूर्वक √जा के कर्म में विभक्ति में तृतीया होगी है। जब तृतीया नहीं होगी तो द्वितीया होगी क्योंकि साधारणतः कर्म में द्वितीया विभक्ति होती ही है। इस कारण यह कि जहाँ केवल 'कर्म' कहा जाता है वहाँ अथवा 'अनुक्त कर्म' ही समझा जाता है और अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। यागिकृतया 'अन्यतरस्याम्' का 'अन्यतरस्यां विभक्ति' के लिये, ऐकिक कालक्रम में 'विभक्ति' लिखने की आवश्यकता नहीं रहने पर तथा उसको सम्बन्धमान ही समझने पर केवल 'अन्यतरस्याम्' लिखा जाने लगा। यह भय विभाषा के अर्थ में अभ्ययपर मृद हो गया है। सूत्र में तृतीया विभक्ति का जो विक्षेप हुआ है वह द्वितीया के अभावद रूप में ही। इसलिये 'पितरं सजानाते' तो होगा ही, 'पित्रा सजानाते' भी होगा। वस्तुतः सूत्र के अर्था-नुसार द्वितीयान्त के अभावदस्वरूप तृतीयान्त का कर्म में प्रयोग विविध वा सगता है।

हेतौ ।२।३।२३। हेतुर्थे तृतीया स्यात् । द्रव्यादिसाधारणं
निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम् । करगन्त्वं तु क्रियामात्रविषयं
व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येन दृष्टो हरिः ।

हेतुवाचां शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। 'हेतु' यहाँ तात्त्विक अर्थ में ही लिया जायगा न कि 'तत्प्रयोजको हेतुश्च' सूत्र में सूचित साक्षात् अर्थ (Technical Sense) में। दूसरे शब्दों में, घट का साधनभूत कारण

पर्याय 'हेतु' ही विवक्षित है। वस्तुतः 'हेतु' शब्द में तृतीया नहीं होगी, बल्कि वह हेतु के अर्थ में प्रयुक्त शब्द में होगी। हेतु से प्रयोजक हेतु यहाँ इसलिये नहीं समझा जायगा क्योंकि वैसा यदि अभीष्ट रहता तो अलग करके तृतीया की सिद्धि के लिये यह सूत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सिद्धि 'अनुक्त कर्ता' की तृतीया से ही हो जाती। फिर, लौकिक अर्थ में भी हेतुजन्य तृतीया की सिद्धि करणजन्य तृतीया से नहीं होगी। इसलिये पृथक् सूत्र की आवश्यकता पड़ी। इस प्रसंग में हेतु और करण में अन्तर स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। 'द्रव्यादि' में 'आदि' से द्रव्य के अतिरिक्त 'गुण' और 'क्रिया' विवक्षित हैं। जाति का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि 'समूह' में 'हेतु' का अर्थ कोई विशेष तात्पर्य नहीं रखता। अर्थात्: 'हेतु' एक तो 'द्रव्य', 'गुण' एवं 'क्रिया' के साथ पाया जाता है (अर्थात् द्रव्य, गुण या क्रिया के प्रति जो 'जनक' हो वह 'हेतु' कहलाता है) और दूसरी ओर, जिसमें कोई व्यापार (अर्थात् क्रियाविशेष) या तो साधनभूत रहे या रहे ही नहीं, उसे भी 'हेतु' कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में, हेतु 'द्रव्य' या 'क्रिया' का जनक होता है और उसके साथ 'द्रव्यादि' का जनकजन्य भाव सम्बन्ध रहता है। फिर जहाँ तक व्यापार अर्थात् क्रिया का प्रश्न है, वह (हेतु) सव्यापार और निर्व्यापार दोनों हो सकता है। इसके विपरीत, करण केवल 'क्रिया' का विषय हो सकता है। अतः करणत्व के लिये 'क्रियाजनकत्व' आवश्यक है (क्योंकि जब तक उसमें क्रियाजनकत्व नहीं रहेगा तब तक वह कारक नहीं हो सकता)। इसलिये यह भी एक विषय है जो 'करणत्व' से द्रव्यजनकत्व और गुणजनकत्व को क्रम-से-क्रम बहिष्कृत कर देता है और प्रमाणित करता है कि करण तृतीया से ही हेतु तृतीया का काम नहीं चल सकता है। उसी प्रकार 'करण' सव्यापार होगा, इसकी कोई निश्चित क्रिया होगी। अतः अन्तर यह भी हुआ जहाँ 'हेतु' सव्यापार और निर्व्यापार दोनों हो सकता है, करण केवल सव्यापार ही होगा 'दण्डेन घटः' का विशद अर्थ है—'दण्ड के कारण घट'। यहाँ कोई सञ्चालनादि व्यापार विवक्षित हो न हो, साक्षात् क्रियान्वयित्व के अभाव के कारण करण-संज्ञा नहीं होगी। वस्तुतः यदि कोई क्रिया विवक्षित या कल्पित भी रहेगी तो उसका 'दण्ड' के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं होगा जिससे उसमें (अर्थात् 'दण्ड

में) करणत्व की भावना भी तब तक की जाय। यह द्रव्यविषयक हेतु का उदाहरण है। यहाँ 'द्रव्य' जो है 'घट' उसके प्रति 'दण्ड' हेतु है। यहाँ यद्यपि 'दण्ड' में व्यापार है, फिर भी क्रियाजनकत्व का अभाव है। किन्तु यदि 'दण्डन घटं सञ्चालयति कुम्भकार' एता उदाहरण लें तो 'दण्ड' करण होगा क्योंकि उसमें तब क्रियाजनकता आ जाती है और क्रिया के साथ साक्षान् सम्बन्ध भी है।

फिर, क्रियाविषयक हेतु के उदाहरण में—'पुण्येन दृष्टो हरि' में 'हरि दर्शन'रूप क्रिया का हेतु है 'पुण्य', अतः उसमें तृतीया हुई। यहाँ 'हरि दर्शन' के कारण 'क्रियान्वयित्व' समझ भी है तो व्यापारवत्त्व के अभाव में करणत्व नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि करणत्व के लिए व्यापारवत्त्व भी क्रियान्वयित्व दोनों ही आवश्यक हैं। परन्तु जब 'पुण्य' शब्द से यज्ञादि का विषयित्व होगा तो उसमें 'व्यापारवत्त्व' रहगा और इसलिये करणसंज्ञा ही आयगी। गुणविषयक हेतु का उदाहरण दाक्षित ने अपनी वृत्ति में नह दिया है, तत्रयोधिनीकार ने दिया है—'पुण्येन गौरवर्णः' और बालमनोरमाका ने—'पुण्येन ब्रह्मवर्चमम्' उदाहरण दिया है तिनमें क्रमशः 'गौरवर्णः' और 'ब्रह्मवर्चमम्' का हेतु 'पुण्य' है। इस प्रसंग में यदि 'जटाभिस्तापम्' में तापसत्त्वगुण का हेतु 'जटा' की समझें, तो नहीं—क्योंकि यहाँ शाप्यतापक भाव विषयित्व है और 'इयम्भूतलक्षणे' सूत्र से तृतीया प्राप्त हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में हेतु—तृतीया के लिये कोई अवकाशस्थान नहीं रह जाता है पुनः कोई-कोई शक्य करने है कि चूँकि 'हेतु' द्रव्यादिमाधारण होता है इसलिये 'वागेन हतः' आदि प्रयोग में 'हेतु' सूत्र से ही काम चल जाता 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' सूत्र में 'करण' का ग्रहण नहीं भी क्रिया जा सकता था वस्तुतः 'करणाधिकरणयोश्च' सूत्र के लिये करणसंज्ञा आवश्यक है और उक्त सिद्ध नहीं हुआ जा सकता है। फिर अन्य लोग शक्य उतारें हैं कि क्रिया का साधकत्व तो व्यापारवत्त्वेन विषयित्व हो यह यदि 'हेतु' नहीं तो करण ह हो। परन्तु द्रव्य के साधकत्व 'दण्डादि' का तो व्यापारवत्त्व रहने पर न हेतुत्व रहता ही है। इस प्रकार 'वागेन हतः' आदि में इनन क्रिया है

‘वाणादि’ जब ‘निमित्त’ के रूप में विवक्षित होगा तब ‘हेतु’ सूत्र से ही तृतीया समझी जायगी। लेकिन ‘वाणादि’ के व्यापार से साध्य ‘प्राणवियोग’ यदि विवक्षित हो तो व्यापारवत्त्व के कारण हेतुत्व की विवक्षा के अभाव में ‘करण’ प्रयुक्त तृतीया ही होगी।

फलमपीह हेतुः । अध्ययनेन वसति । गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका । अलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम् । शतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः । शतेन परिच्छिद्येत्यर्थः ।

इतना ही नहीं इस प्रसंग में लौकिक अर्थ में जो ‘फल’ कहलाता है वह भी ‘हेतु’ हो सकता है। उदाहरणस्वरूप साधारणतया ‘गुरुकुल’ में रहने के प्रति ‘अध्ययन’ हेतु प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत, वहाँ रहने से ही अध्ययन होता है। फिर भी, वह ‘रहने’ के प्रति हेतु भी हो सकता है—किस हेतु से गुरुकुल में रहता है ?—तो अध्ययन के हेतु से ! लेकिन जब फलरूप अध्ययन में इस तरह के हेतुत्व की विवक्षा नहीं करके ‘अध्ययन’ के लिये ही ‘रहना’ विवक्षित होता है तो तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। इस प्रकार वस्तुतः ‘तादर्थ्य चतुर्थी’ के साथ यह ‘हेतुतृतीया’ विकल्पित होती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का कथन है कि ‘अध्ययनेन वसति’ उदाहरण में ‘दण्डहेतुक घट’ की तरह ‘अध्ययनहेतुक निवास’ अर्थ समझने पर भी विशेषता यह होती है कि जहाँ अध्ययन का फल के साथ अभेदसंसर्ग रहने पर भी ‘उपकारकत्व’ के साथ केवल ‘निरूपकता’ समझी जाती है (और ऐसी हालत में उसका अर्थ होगा—‘फल से अभिन्न अध्ययन से निरूपित उपकारकत्व के आश्रयरूप निवसन का अनुकूल व्यापार) वहाँ ‘दण्डेन घटः’ का अर्थ होगा—‘दण्डनिष्ठ उपकारकत्व से निरूपित उपकार्यत्व का आश्रय घट’। वस्तुतः उपकार्य ही साध्य है और वही फल भी है।

लेकिन ‘अलं श्रमेण’ में किसी भी ‘कार्य’ या ‘क्रिया’ का नामोनिशान नहीं है और ऐसे स्थल पर करणत्व और हेतुत्व दोनों ही संभव नहीं दीखते हैं। फिर ‘श्रम’ शब्द में तृतीया कैसे हुई ? वस्तुतः यदि कोई क्रिया गम्यमान भी

रहें तो भी वह कारकविभक्ति की प्रयोजिका होती है। अर्थात्, यदि किसी क्रियाविशेष के रहने पर कोई कारकविशेष सम्भव होता है और उसमें तत्प्रयुक्त नियमित विभक्ति होती है तो उस क्रियाविशेष के गम्यमान रहने पर भी वही कारक होगा और तत्प्रयुक्त नियमित विभक्ति होगी जो उसके स्पष्टतया उक्त रहने पर होती थी। जैसा उपसुक्त उदाहरण के विशदोक्ति से स्पष्ट है, वहाँ 'साधन' क्रिया लिपी हुई है और 'भूषण पर्याप्त शक्ति-प्राप्त' आदि अर्थों में 'भूषण' का अर्थ वहाँ 'धारण' (अर्थात् 'निषेध') है। फिर उदाहरण में गम्यमान 'साधन' क्रिया के चल पर हा 'श्रम' शब्द से करणप्रयुक्त कृताया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऊपर भूमि की जोतने की क्रिया के प्रति यह उक्ति है। लेकिन 'श्रम' का साध्यता 'धान्यादि' है। फिर वह 'श्रम' का चल भी है। अतः किसी क्रिया का अभाव होने पर भी 'श्रम' से करणव्यय क्यों हुआ? वस्तुतः गम्यमान 'साधन' क्रिया में जो प्रकृतिभूत धातु (Radical root) है उमा का चल 'उत्पादन' है। इसलिये 'श्रम' का करणव्यय हुआ उमा 'साधन' क्रिया के प्रति, और उमम करण कृताया हुई। इसमें 'श्रम' और साधन क्रिया में जो अभेद बताया गया है वह निराधार है क्योंकि 'श्रम' शब्द से धान्यादि की उत्पत्ति के अनुद्वय करणदि-व्यापार विवक्षित होता है लेकिन 'साधन' क्रिया से कथल धान्यादि की उत्पत्ति विवक्षित होती है। पुनः दूसरे उदाहरण में 'शतान् शतान्' में शीघ्रता (Frequency) के कारण द्विवक्ति है। 'शतान् शतान् शतान् पाययति पय' का अर्थ है—'एक एक माँ की संख्या में (परिच्छिन्न करण) बच्चों को दूध पिलाता है'। यहाँ भी 'शत' शब्द के साथ ही 'परिच्छिन्न क्रिया गम्यमान है। 'शत' की संख्या का परिच्छिन्न' की क्रिया के प्रति करणव्यय है, अतएव 'शत' शब्द में करणव्यय के कारण कृताया हुई है। वस्तुतः इन उदाहरणों से गम्यमान की क्रिया कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है। इसका तात्पर्यार्थ यह है कि श्रुतमात्र क्रिया (अर्थात् वह क्रिया जो शब्दतः प्रयुक्त है) कथित विभक्ति की प्रयोजिका सतत ही होगी।

अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया । दास्या
संयच्छते कामुकः । धर्मे तु—भार्यायै संयच्छति ।

अशिष्टता के व्यवहार में $\sqrt{\text{दाण्}}$ के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है । वस्तुतः चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होने का मतलब यहाँ यह है कि जहाँ साधारणतः चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिये थी वहाँ वृत्तिस्थ शक्तों के रहने पर तृतीया ही होगी । एतदनुसार निर्दिष्ट उदाहरण में दानार्थक $\sqrt{\text{दाण्}}$ के योग में जहाँ 'दासी' शब्द में सम्प्रदान में चतुर्थी होनी चाहिये वहाँ इस वार्तिक के अनुसार प्रयोग की विचित्रता से तृतीया हुई है । अर्थ है— 'कामुक दासी को देता है' । 'कामुक' शब्द से अर्थ ध्वनित होता है कि 'कामुक सम्भोगादि इच्छा से दासी को टेका करने में कुछ द्रव्यादि देता है' । दासी के साथ 'रति' आदि का व्यापार अशिष्ट है । अतः ऐसा घोषित होने पर ही तृतीया की प्राप्ति हुई है यहाँ 'दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे'^१ सूत्र से चतुर्थ्यर्थ तृतीया का प्रयोग होने पर आत्मनेपदत्व हुआ तथा 'पात्राध्मा—'^२ सूत्र से $\sqrt{\text{दाण्}}$ का यच्छ् आदेश हुआ । अन्यथा प्रत्युदाहरण में चतुर्थ्यर्थ तृतीया के अभाव के कारण परस्मैपद हुआ है । अपनी भार्या को सम्भोगार्थ भी आकर्षणार्थ द्रव्यादिदान अशिष्ट नहीं है, अतः यथावत् 'भार्या' शब्द में चतुर्थी हुई है ।

—: ० :—

सम्प्रदानकारक : चतुर्थी विभक्ति

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् । १ । ४ । ३२ । दानस्य
कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् ।

कर्म के द्वारा कर्ता जिमको चाहता है वही सम्प्रदान कहलाता है। कर्म का मतलब यहाँ स्पष्टतः 'दानक्रिया' के कर्म से है क्योंकि 'सम्प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम्'—इस निर्वचन के अनुसार सम्प्रदान संज्ञा मुख्यतः केषल/दा के योग में होती है। विस्तार की दृष्टि में देखने पर अनेक तत् तत् परिस्थितियों में भी होती है। फिर, सूत्र में 'अभिप्रैति' छट् प्रथमपुरषैवचनान्त क्रिया स्पष्टतः 'कर्ता' के लिये है जो दानक्रिया के कर्ता के रूप में अभीष्ट है। अतः अर्थात् दान क्रिया के कर्म के द्वारा 'कर्ता' जिमको भोक्तृत्व के रूप में चाहता है वही सम्प्रदान होता है। विशेष, यहाँ दान क्रिया से जो अभीष्ट है वही दान क्रिया का भोक्ता होता है। अतः जिमको 'दान' दिया जाता है वही उस 'दानक्रिया' के विषय का भोक्ता होगा। इसलिये 'दानक्रिया' के निमित्तभूत के लिये भोक्तृत्व की कल्पना भी अगन्तर विषय है क्योंकि यही स्थिर करता है कि 'फिर वापस नहीं लेने के लिये अपना वैयक्तिक अधिकार (अर्थात् स्वत्व का अधिकार) इत्यान्तरित करके जिमको दिया जाय उसका अधिकार जो दिया जाय उसपर उत्पन्न करना' ही 'दान' है। यही कारण है कि 'रजकाय यस्त्रं ददाति' न होकर 'रजकस्य यस्त्रं ददाति' होना चाहिये क्योंकि 'कर्ता' अपना 'सम्प्रदायक स्वत्व' रजक को इत्यान्तरित नहीं करता है और न यस्त्र लेने मात्र से रजक का उभय पर 'उत्पन्न' उत्पन्न हो जाता है। अतः √दा का प्रयोग ऐसी स्थितियों में भाग (अर्थात् टाक्षणिक या गौण) होता है।^३ यह शृणिकार का मत है।

१. दानं पापुनर्ग्रहणाय स्वस्वरश्निकृतिपूर्वकं परस्वरशोरादानम् । अतएव रजकस्य यस्त्रं ददातीत्यादी न मन्तव्यं । तत्र हि ददाति यस्त्रितः ।

साध्यकार के अनुसार उपर्युक्त 'दान' को परिभाषा के विषय में दुराग्रह नहीं करना चाहिये कि बिना 'स्वत्व' हस्तान्तरित किये 'दान' हो ही नहीं सकता है क्योंकि 'खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति' आदि प्रयोग तो होते ही हैं। अतः 'रजकस्य वस्त्रं ददाति' में भी 'रजक' शब्द में पृथी शेषत्व विवक्षा से समझनी चाहिये। पुनः शेषत्व का दूसरा दृष्टिकोण भी है जो इसी शेषत्वविवक्षा से सम्बद्ध है। इसका निराकरण शेषित्व को समझे बिना नहीं हो सकता है। कर्मसंज्ञक 'गो' आदि विषय ही तो 'शेष' हैं जिसकी 'कर्म' में 'शेषे पृथी' की विवक्षा होती है। और जिसके लिये उस गवादि द्रव्य को भोक्तृत्वरूप में 'कर्त्ता' चाहता है वह 'शेषिन्' होगा। अतः 'शेषित्व' भोक्तृत्व ही है और 'शेषत्व' भोज्यत्व। 'गो' के प्रति 'विप्राय गां ददाति' उदाहरण में 'विप्र' शब्द का शेषित्व है, इसलिये 'विप्र' सम्प्रदानसंज्ञक हुआ। किन्तु 'अजां नयति ग्रामम्' में 'अजा' के प्रति 'ग्राम' के शेषित्व का अभाव है, अतः यहाँ सम्प्रदानसंज्ञा की शंका नहीं उठाई जा सकती है। फिर 'सम्प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम्—परिभाषा के अनुसार जिसको कुछ दिया जाय वही 'विप्रादि' सम्प्रदानसंज्ञक होता है। किन्तु शब्दशास्त्र की दृष्टि से 'देय द्रव्य का उद्देश्य' सम्प्रदान होता है। वस्तुतः दोनों में कोई वैषयिक अन्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में 'पयो नयति देवदत्तस्य' में देवदत्त के 'पयो' नयन का उद्देश्य होने पर भी सम्प्रदानत्व नहीं होगा क्योंकि 'पयस्' के दानकर्म का अभाव है।

चतुर्थी सम्प्रदाने ।२।३।१३। सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात् ।

विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव । दानीयो विप्रः ।

सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। 'विप्राय गां ददाति' में 'विप्र' गौरूप 'देय' द्रव्य का उद्देश्य है। अतः सम्प्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी हुई है। फिर दानक्रिया के कर्म 'गो' से कर्त्ता 'विप्र' के भोक्तृत्व की इच्छा करता है। अर्थात्: 'गो' देकर 'कर्त्ता' चाहता है कि 'विप्र'विशेष उसका उपभोक्ता हो, उसका उपयोग करे। इसलिये भी उसका सम्प्रदानत्व है। लेकिन सम्प्रदान-संज्ञा भी 'अनभिहिते' सूत्र के अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) में ही है। इसका मतलब यह कि अनभिहित (अर्थात् अप्रधान) रहने पर ही 'सम्प्रदान'-

चतुर्थी होगी क्योंकि अभिहित रहने पर तो सर्वथा प्रथमा ही होती है। दूसरे शब्दों में केवल प्रातिपदिकार्थ अभिहित या उक्त होता है। 'उक्त' सम्प्रदान के वृत्तिस्थ उदाहरण में कृत् प्रत्यय द्वारा अभिधान हुआ है। 'ददानि विप्राय' ऐसा अनभिहितावस्था में हो सकता है। लेकिन जब हम $\sqrt{\text{दा}}$ में कृत् के अन्तर्गत अनीयर् प्रत्यय लगा देते हैं तो 'दानीय' शब्द के निष्पन्न होते ही 'विप्र' भी साथ-साथ प्रथमान्त हो जाता है—'दानीय. विप्र.'। यह द्वयलियं होता है चूँकि 'दानीय' का अर्थ ही हो जाता है—'दान देने योग्य', 'जिसको दान दिया जाय'—अर्थात् व्याकरण की भाषा में—'दान का उद्देश्य'। अतः यदि सम्प्रदान का अर्थ अनीयर् प्रत्यय से ही आ जाता है तो फिर 'विप्र' शब्द में सम्प्रदानजन्य चतुर्थी रचना निरर्थक ही नहीं, अनर्थक भी है। लेकिन साथ-साथ यह बतला देना अनावश्यक नहीं होगा कि सभी कृदन्त और तद्धित प्रत्यय हर परिस्थिति में अभिधान नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ 'विप्र' शब्द उक्त होता है इसकी व्याख्या हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। वस्तुतः 'विप्र' शब्द का सम्प्रदानत्व (जिसके कारण उसमें चतुर्थी होती है) अनीयर्-प्रत्ययान्त 'दानीय' शब्द के द्वारा उक्त हो जाता है और इस हासत में जबकि चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदानत्व हट जाने से हट जाती है तो 'विप्र' शब्द पुनः प्रातिपदिक हो जाता है और उसमें प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा ही जाती है।

क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम् । पत्ये शेते ।

'क्रिया' के द्वारा भी यदि 'कर्ता क्रिया का मोक्षतुल्य रूप से चाहे तो मिले चाहे वह 'सम्प्रदान' होगा और उसमें चतुर्थी होगी। पूर्वम्यल में 'कर्म' के द्वारा कर्ता क्रिया को चाहे—ऐसा कहा गया था। इसका तात्पर्य यह है कि उस परिस्थिति में 'कर्ता' और 'क्रिया' का ईप्सिततम घटी (अर्थात् कर्म ही) था और इसलिये 'कर्मदातृ' ही सम्प्रदानत्व का विरक्षा हो सकती थी। इसके विपरीत, यहाँ क्रिया के द्वारा सम्प्रदानत्व का विवक्ष्य बतलाई गई है। यह इसलिये कि चूँकि मूल पदले केवल सकर्मक धातुओं की परिधि में बँधा था किन्तु इस धातु के अनुसार अकर्मक धातु का प्रयोग रहने पर भी सम्प्रदानत्व संभव है और यह धातुगत क्रिया के द्वारा ही। इस तरह इस धातु के साथ-साथ निरुद्ध होगी है। कोई कोई शंका करते हैं कि 'क्रियार्थोपदर्शय च

कर्मणि स्थानिनः'¹ सूत्र से ही 'पतिम् अनुकूलयितुं शोते' ऐसा अर्थ लेने पर 'पति' शब्द में चतुर्थी सिद्ध हो जाती है । भाष्यकार के मत में, वस्तुतः 'कर्मणा यमभिप्रैति--' सूत्र से ही यह चतुर्थी सिद्ध होती है क्योंकि संदर्शन प्रार्थन तथा अध्यवसाय के द्वारा आप्यमानत्व के कारण क्रिया भी तो कृत्रिमरूप में कर्म ही है ।² इस हालत में 'ददाति' के कर्म की तरह 'शोते' क्रिया के कर्म के अभाव के हेतु 'क्रियया यमभिप्रैति--' ऐसा नहीं कहना चाहिये था क्योंकि इस प्रकार तो 'कटं करोति', 'ओदनं पाचति' आदि में भी सम्प्रदानत्व की संभावना हो सकती थी और विकल्प से 'कटाय करोति' आदि प्रयोग हो सकते थे । इसके उत्तर में पूर्वोक्त सिद्धान्त के बल पर ही हम कह सकते हैं कि ऐसी-ऐसी अवस्था में तो कर्म की स्थिति स्पष्ट है लेकिन यह वार्तिक बना है अकर्मक धातु के प्रयोग की स्थिति के लिये जहाँ क्रिया ही प्रधान रहती है ।

फिर यह भी शंका की जा सकती है कि 'दान' के 'तदर्थ' (अर्थात् विप्रार्थ—'विप्र' के लिये) होने के कारण 'तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या' से ही काम चल जाता ! लेकिन नहीं ! वस्तुतः 'दान' क्रिया के लिये ही 'सम्प्रदान' (देय द्रव्य का उद्देश्य) होता है न कि दान क्रिया उसके लिये है क्योंकि कारकविशेष ही क्रियाविशेष के लिये होता है । अतः फलित होता है कि क्रिया का उद्देश्य भी सम्प्रदान होता है न कि केवल कर्म का । फलतः इस विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया का उद्देश्य भी सम्प्रदान-संज्ञक होता है । इसके विपरीत, इस स्थिति में सकर्मक क्रिया निरवकाश हो जाती है क्योंकि सकर्मक की अवस्था में सम्प्रदान कर्मद्वारक ही होगा ।

यजेः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा । पशुना रुद्रं यजेत । पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः ।

१. पाणिनिः- २।३।१४।

२. महाभाष्यम्: १।४।३ क्रियाऽपि कृत्रिमं कर्म । न सिद्धयति । कर्तुरीप्सित-तमकर्मैत्युच्यते । कथं च नाम क्रियया क्रियेप्सिततमा स्यात् ? क्रियाऽपि क्रियये-प्सिततमा भवति । कया क्रियया ? सन्दर्शनक्रियया प्रार्थयतिक्रिययाऽव्यवस्यतिक्रियया च ।

कात्यायन^१ के अनुसार यह वार्तिक वैदिक व्याकरण से प्रभावित है। अर्थतः इसका उपयोग वैदिक प्रयोग के अन्तर्गत होना चाहिये। एतदनुसार साधारणतया जहाँ कर्मकारक होना चाहिये उसकी जगह करणकारक होगा और सम्प्रदान की जगह कर्मसंज्ञा हो जायगी। उदाहरण में 'पशुं रक्षाय यजते' की जगह 'पशुना रक्षं यजते' दीया पड़ता है जहाँ 'पशु' शब्द का कर्म द्वितीया के बदले करणजन्य तृतीया और 'रक्ष' की सम्प्रदानचतुर्थी के स्थान में कर्म द्वितीया हो गई। कहीं-कहीं 'यजे कर्मण —' ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया हुआ है कि केवल $\sqrt{\text{यज}}$ के साथ ही उपयुक्त परिवर्तन लागू होगा। इस वार्तिक का प्रसंग इसलिये आया है चूँकि $\sqrt{\text{यज}}$ दानार्थक है जैसा उदाहरण में स्पष्ट है। फिर यह वार्तिक तर्मा लागू होगा जब एक ही वाक्य में 'कर्म' और 'सम्प्रदान' दोनों हों।

रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । १।४।३३। रुच्यर्थानां घातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः सम्प्रदानं स्यात् । हरये रोचते भक्तिः । अन्यकर्तृकोऽभिलाषः रुचिः । हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री । प्रीयमाणः किम् ? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि ।

रुच्यर्थक घातुओं का प्रीयमाण (अर्थात् जिसको 'प्रिय' लगे वह) सम्प्रदानसंज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी होती है। 'रुच्यर्थक' से $\sqrt{\text{रुच्}}$ के अर्थवाले सभी घातुओं का ग्रहण इस सूत्र के अन्तर्गत हो जाता है, उक्त उदाहरण में 'भक्ति' हरि की भक्त्या लगती है, इसलिये 'हरि' प्रीयमाण हुआ और उसमें सम्प्रदाने चतुर्थी हुई। दूसरे के लिये जो अभिलाषा हो उसे ही 'रुचि' कहते हैं। अर्थात् जिसको 'रुचि' लगे वह कर्त्ता नहीं हो सकता है $\sqrt{\text{रुच्}}$ का। प्रस्तुत उदाहरण में इसी प्रकार 'हरि' में जो 'रुचि' या प्रीति है उसका कर्त्ता (Subject) 'भक्ति' है। यद्यपि 'भक्ति' ही हरि में प्रीति उत्पन्न करती है भक्त के प्रति। प्रस्तुत उदाहरण में 'प्रीयमाण' है देवदत्त, न कि 'पथ', इसलिये 'देवदत्त' शब्द में ही सम्प्रदान में चतुर्थी हुई। $\sqrt{\text{रुच्}}$ दोस्तान

भिप्रीति' से 'प्रीयमाण' के द्वारा यहाँ 'अभिप्रीति' अर्थ ही निर्धारित होता है। इसके विपरीत 'वीप्ति' अर्थ में $\sqrt{\text{रुच्}}$ के योग में समानसंज्ञा के लिये कोई अवकाशस्थान नहीं है, ऐसी स्थिति में 'प्रीयमाणत्व' शर्त (Condition) रहती है जैसे 'दिवाकरः रोचते दिवि'।

श्लाघ्हुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । १।४।३४। एषां प्रयोगे
बोधयितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात् । गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते
हुते तिष्ठते शपते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम् । देवदत्ताय श्लाघते
पथि ।

$\sqrt{\text{श्लाव्}}$, $\sqrt{\text{हुड्}}$, $\sqrt{\text{स्था}}$ तथा $\sqrt{\text{शप्}}$ के प्रयोग में ज्ञीप्स्यमान (अर्थात् जिसको तत्-तत् क्रिया के द्वारा ज्ञापित करने की इच्छा की जाय वह) सम्प्रदानसंज्ञक होता है। $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ से प्रेरणार्थक (णिच्) प्रत्यय के उपरान्त कर्मवाच्य में सन्नन्त (इच्छार्थक) प्रत्यय से शानच् करने पर 'ज्ञीप्स्यमान' शब्द निष्पन्न होता है। इसमें श्लाघन, हवन आदि क्रियाओं से अपना आशय जताने की इच्छा रहना आवश्यक है। $\sqrt{\text{स्था}}$ से 'प्रकाशनस्येयाख्ययोश्च' सूत्र से विशेष अर्थ में आत्मनेपद हुआ है। इसका मतलब यह कि परस्मैपदीय $\sqrt{\text{स्था}}$ के प्रयोग में 'ज्ञीप्स्यमान' सम्प्रदान नहीं होगा। शायद इस अर्थ में परस्मैपद में इस धातु का प्रयोग भी नहीं हो सकता है और न कोई 'ज्ञीप्स्यमान' ही संभव हो सकता है। वाकी जो कोई धातु परस्मैपदीय हो सकते हैं, उनके उस प्रकार के प्रयोग में भी सम्प्रदानत्व नहीं होगा क्योंकि यदि ऐसा उद्देश्य रहता कि परस्मैपदीय और आत्मनेपदीय सभी रूपों के प्रयोग में 'ज्ञीप्स्यमान' का सम्प्रदानत्व होगा तो जिन धातुओं के परस्मैपदीय रूप संभव होते हैं, उनके वे रूप भी उदाहरण में दिखला दिये जाते। उदाहरण में 'कृष्ण' ज्ञीप्स्यमान हैं क्योंकि गोपी श्लाघन आदि निर्दिष्ट क्रियाओं के द्वारा उसे ही अपना प्रेमरूपक आशय जताना चाहती है : काममावना के कारण कृष्ण की प्रशंसा करती है, सपत्नी आदि को उससे

उत्पादक प्रेम का आशय उसके प्रति व्यक्त करती है, कृष्ण के लिये निर्मा निर्दिष्ट स्थान में जानी है और वादा पूरा नहीं होने के कारण कृष्ण को कोमती है। यस्तुतः कोसलर भी प्रेम ही जवाती है, अतः सर्वत्र 'पृग' ही सम्प्रदान हुआ और उसमें चतुर्थी हुई। लेकिन रास्ते में यदि कोई 'देवदत्त' की प्रशंसा करे तो प्रशंसा 'देवदत्त' की होगी न कि रास्ते की। 'पवित्र' को केवल अधिकरण होगा और उसमें मत्तर्मा होगी। इमालिये प्रत्युदाहरण में 'देवदत्त' में ही सम्प्रदानग्र के कारण चतुर्थी दियेलाइँ गई है। फिर प्रत्युदाहरण से यह भी ज्ञापित होता है कि 'ज्ञाप्यमान' कौंटे भी निर्भीर पदार्थ नहीं हो सकता है और वह अवश्य ही विवेकशील प्राणी, प्रायः मनुष्य ही होगा। पुनः पूरुन यह भा स्पष्ट है कि केवल निर्दिष्ट धातुओं के योग में ही 'ज्ञाप्यमान' सम्प्रदान हागा न कि इनके पर्याय धातुओं के प्रयोग में भी क्योंकि यदि ऐसी बात रहती तो वृत्ति में उदाहरणों के द्वारा ऐसा ज्ञापित किया गया रहता।

धारैरुत्तमणः । १।४।३५। धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्ण उत्त-
संज्ञः स्यात् । मत्ताय धारयति मोक्षं हरिः । उत्तमर्णः किम् ?
देवदत्ताय शत धारयति ग्रामे ।

✓ धारि का उत्तमर्ण सम्प्रदान-मशक होता है और उसमें चतुर्थी होती है। यस्तुन धातु-पाठ में तो ✓ धृ भवस्थाने से प्रेरणार्थक (गिच्) प्रत्यय करने पर ✓ धार् होता है लेकिन उसका अर्थ 'धारना, कर्ज धारना' के अर्थ में रङ्ग हो गया है। अतः जहाँ कहीं भी इस धातु का प्रयोग रहेगा वहाँ अवश्य ही दो पदार्थ होंगे—एक तो वह जो 'धारना' है और दूसरा वह जिसको 'धारना' है। स्थाकरण की भाषा में जो धारता है उसको 'अधमर्ण' कहते हैं और जिसको धारता है वह 'उत्तमर्ण' कहलाता है। अधर्म अर्ण धार = अधमर्ण = 'अधमर्ण' इसलिये चूँकि उस अर्ण लेना पड़ता है और उत्तम कर्ण धर्म = उत्तमर्ण = 'उत्तमर्ण' इसलिये चूँकि उसको दिये हुए अर्ण धर्म के साथ मूद आदि के रूप में और भी अधिक धर्म की प्राप्ति होती है। अतः इस ✓ धार के प्रयोग में जिसको अर्ण धारै वही सम्प्रदान होता है।

उपयुक्त उदाहरण में 'भक्त' उत्तमर्ण है क्योंकि उसकी 'भक्ति' देने के कारण ही 'हरि' उसे 'मोक्ष' धारते हैं। अतः उसमें चतुर्थी हुई। इस उदाहरण से ज्ञापित होता है कि केवल √धार् का प्रयोग ही उत्तमर्ण में सम्प्रदानत्व छाने के लिये काफी है क्योंकि जहाँ भा इसका प्रयोग रहेगा वहाँ किसी-न-किसी रूप में 'अधमर्ण' और 'उत्तमर्ण' का सम्भावना अवश्य रहेगी। अतः केवल भौतिक द्रव्यादिक ऋण का भाव ही आवश्यक नहीं है जैसा उदाहरण से स्पष्ट है किन्तु गाँव में 'देवदत्त' को ऋण धारता है—इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि गाँव को ही ऋण धारता है। 'ग्राम' पद प्रत्युदाहरण में अधिकरण है। उत्तमर्ण तो केवल 'देवदत्त' होगा। फिर यदि सूत्र में 'उत्तमर्ण' का ग्रहण नहीं करते तो उसमें (अर्थात् उत्तमर्ण में) हेतुसंज्ञा की तरह अधिकरणसंज्ञा के भी अपवादस्वरूप सम्प्रदानसंज्ञा होती। अर्थतः ऐसी अवस्था में 'ग्राम' पद में अधिकरणसंज्ञा नहीं होती। और चूँकि कथित पद में अधिकरणसंज्ञा आवश्यक है, इसलिये 'उत्तमर्ण' का ग्रहण भी आवश्यक है। फिर सूत्र में 'उत्तमर्ण' में यदि सम्प्रदान का विधान नहीं किया जाता तो √धार् के मालिकतया प्रेरणार्थक होने के कारण तथा किसी भी सूत्र के द्वारा कर्मसंज्ञा के विधान के अभाव में पूर्ववाक्य के कर्ता में तृतीया की संभावना हो सकती थी हालांकि इसके समाधान में कहा जा सकता है कि 'उत्तमर्ण' का भाव रहने पर सतत √धार् के रूढ़ होने से प्रेरणात्मक अर्थ नहीं होगा और इसलिये प्रयोज्यकर्तृत्व के अभाव में ऐसी कोई संभावना नहीं होती—अधिक-से-अधिक ऐसी दशा में सम्यग्धे पृष्टी हो सकती थी। वस्तुतः यहाँ गौर से देखा जाय तो पता चलेगा कि √धार् में 'भविष्यत् दान' का अर्थ निहित है और इसी कारण 'उत्तमर्ण' में जो देवद्रव्यादि का उद्देश्य है, सम्प्रदान में चतुर्थी होती है।

स्पृहेरीप्सितः । १।४।३६। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात् । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सितः किम् ? पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा । प्रकृष्विचक्षायां तु परत्वात्कर्म संज्ञा पुष्पाणि स्पृहयति ।

√रृह के प्रयोग में जो इंपित रहें (अर्थात् जिमकी रृहा की जाय) यह सम्प्रदान होता है और उसमें घनुर्यां होती है । √रृह् चुरादिगर्णाय है, अदन्त भी है नहीं तो लघु उपान्त्य वर्य (Penultimate letter) रहने से गुण होने पर 'स्पृहयति' होता । उदाहरण में √रृह का प्रयोग रहने पर 'पुष्प' पद इंपित है, अतः उसमें सम्प्रदाने घनुर्यां हुं । लेकिन यद्यपि फूल वन में ही है तो भी चाहने तो है फूल ही न कि वन, इसलिये 'वन' शब्द में प्रत्युदाहरण में केवल 'घञिकरण' अर्थ रहने पर सप्तमी हुं । यहाँ इंपित और इंपिततम का भेद समझना आवश्यक है यदि केवल इंपित अर्थ रहेगा तभी सम्प्रदान संज्ञा होगी अन्यथा इंपिततम अर्थ रहने पर 'कतुरीपिततमं कर्म' के अनुसार ही होगी । अतः केवल रृहा घोषित होने पर जिमकी रृहा हो उसमें सम्प्रदाने घनुर्यां, अन्यथा उक्त रृहा रहने पर कर्मणि द्वितीया हो जायगी । 'पुष्पाणि रृहयति' उदाहरण उक्त अमिताया स्पष्ट करता है । हरदत्त के अनुसार 'कुमार्य इव कान्तस्य प्रत्यन्ति रृहयन्ति च' आदि प्रयोग में शेषत्रिविधा से 'कान्त' आदि शब्द में षष्ठी भी युक्त होगा । अर्थात् जहाँ इंपितत्व की भी विवक्षा नहीं हो, त्रिविधतामात्र की त्रिविधा हो तो शेषत्रिविधा से 'पुष्पेभ्य रृहयति' या 'पुष्पाणि रृहयति' की जगह 'पुष्पाणां रृहयति' ही होगा । लेकिन कर्मसंज्ञा तथा शेष-षष्ठी दोनों ही के अपवादस्वरूप यही सम्प्रदान संज्ञा पाठ्यपरीक्षाय में तथा हेलाराज के अनुसार यत्लाई गई है । और यह ठीक ही है क्योंकि 'क्रियया यमभिप्रैति—' के अनुसार सम्प्रदानत्व की निदि हो जाने पर तो इम सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती और इम सूत्र के अनुसार तब 'पुष्पाणि रृहयति' और 'पुष्पाणां रृहयति' प्रयोग गत्य होते ।

क्रुधद्रुहेर्ष्याश्च्युयार्थानां यं प्रति कोपः । १।४।३७। क्रुधा-
द्यार्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसंज्ञः स्यात् । हरये
क्रुष्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, शस्यति वा । यं प्रति कोपः किम् !
भार्यामीर्ष्यति, मैनामन्योऽद्राचीदिति । क्रोधोऽमर्षः । द्रोहोऽ-
पकारः । ईर्ष्या अक्षमा । अक्षया गुणेषु दोषाविष्करणम् । द्रुहा-

दयोऽपि क्रोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । अतो विशेषणं सामान्येन
'यं प्रति क्रोप' इति ।

√क्रुध् √द्रुह, ईर्ष्य, तथा √असूय के पर्याय धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोप किया जाय' (अर्थात् जो क्रमशः क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या असूया का उद्देश्य हो) वह सम्प्रदान होगा । उदाहरणस्वरूप 'हरि' के प्रति क्रोध है तो 'हरये क्रुध्यति', द्रोह है तो 'हरये द्रुह्यति', ईर्ष्या है तो 'हरये ईर्ष्यति' और यदि असूया का भाव है तो 'हरये असूयति' होगा । यहाँ क्रोधादि उद्देश्य में ईर्ष्यितत्व की प्राप्ति के कारण कर्मत्व की प्राप्ति थी । उसको गकने के लिये तथा सम्प्रदानत्वं के विधान के लिये सूत्र बनाना पड़ा अन्यथा व्यवहार के विरुद्ध कर्मसंज्ञा ही जाती । निर्दिष्ट धातुओं में √असूय कण्ठ्वा-दिगणीय है तथा यक् प्रत्यय से निष्पन्न नामधातु है । फिर क्रोध का अर्थ 'अमर्ष' है जो एक विशेष प्रकार की मानसिक, वैषयिक असहिष्णुता के कारण उत्पन्न होता है-। द्रोह वस्तुतः अपकार की भावना है । ईर्ष्या को दीक्षित ने अक्षमा कहा है जिसे तत्त्वबोधिनीकार 'परसम्पत्त्यसहनम्' कहते हैं । अतः क्रोध यहाँ किसी भी विषय का अमर्ष हो सकता है, बहुधा ईर्ष्या सम्पत्तिविषयक अक्षमा ही होती है । और, गुणों में भी छिद्रान्वेषण करने को, दोष निकालने को असूया कहा जाता है । ये सभी क्रोप से ही उत्पन्न होते हैं, अतः इनका समावेश क्रोप के अर्थ के अन्तर्गत ही हो जाता है । इसलिये अलग-अलग स्वरूपण करने की अपेक्षा सूत्र में सामान्यरूप से कह दिया गया—'यं प्रति क्रोपः' । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वस्तुतः जब क्रोधादि क्रोप से उत्पन्न क्रोपों तभी उनके प्रयोग में 'उद्देश्य' सम्प्रदान होगा । इसके विपरीत, जहाँ केवल क्रोपों में से किसी धातु का प्रयोग हो लेकिन वस्तुतः क्रोप का अभाव हो तो सम्प्रदान संज्ञा नहीं होगी । यह बात प्रत्युदाहरण से स्पष्ट होती है । 'भार्यामी-र्यति' का अर्थ है—भार्या से स्वविषयक नहीं, केवल परविषयक अक्षमा है; अर्थात् दूसरे के द्वारा भार्या के देखने ही में ईर्ष्या का भाव है, अन्यथा नहीं । इससे सूचित होता है कि जिसके प्रति क्रोप (अर्थात् क्रोधादि) का भाव हो उसके प्रति वैयक्तिक उसके स्वविषयक दोषों के कारण ही 'क्रोप' हो । यहाँ प्रत्युदाहरण में चूँकि भार्या के प्रति वास्तविक स्वविषयक क्रोप नहीं है, इसलिये

'भायां' शब्द में, कोप के उद्देश्य में सम्प्रदानसंज्ञा नहीं हुई। मूलतः 'कर्त्तृ-
 विस्तृततमं कर्म' के अनुसार ईप्सिततमत्व के कारण कर्मसंज्ञा हुई। लेकिन यदि
 क्रोधादि का मान 'कोप' मात्र से ही हो जाता है तो क्रुधदुहेष्यां-आदि धातुओं
 का पृथक् समावेस क्या आवश्यक था? क्योंकि ऐसी अवस्था में 'चित्तदोषा-
 र्थानां यं प्रति कोपः' कहने से ही काम चल जाता। निश्चय ही क्रोधादि
 चित्तविकार ही हैं लेकिन ऐसा करने पर सम्प्रदानत्व के लिये द्वेषादि का सं-
 ग्रहण हो जाता जो इष्ट नहीं है। 'योऽश्मान् द्वेषि य च यथं द्विष्य' आदि प्रयोग
 में द्वेषादि के उद्देश्य में सम्प्रदानत्व नहीं, ईप्सिततमत्व के हेतु केवल कर्म
 होता है। तत्परबोधिनोक्तार न यत्प्रत्या है कि यहाँ द्वेष, का 'अभिनन्दन नहीं
 करना' ही अर्थ है, कोई गर्मीर दाग्रुभायजन्य 'द्वेष' नहीं। और यदि यह
 मान लिया जाय कि इत्याण्य सम्प्रदानत्व नहीं हुआ तो हमसे ध्यनित हो
 है कि जब गर्मीर 'द्वेष' आदि का अर्थ / द्विषु प्रभृति देगे तो उनका समावेस
 पर्यायापेक्ष्य के कारण मूल में निर्दिष्ट धातुओं के अन्तर्गत हो सकता है।
 और यदि ऐसा संभव है तो यह कहना कि द्वेषादि भाव को यहिष्टत
 के लिये ही 'क्रुधदुहेष्यामूयार्थानाम्' के बदले 'चित्तदोषार्थानाम्' को नहीं रख
 यि-कुल धामक होगा।

निर, यदि 'कोपप्रभव' / क्रुध् आदि के प्रयोग में ही सम्प्रदानत्व होगा
 'कर्त्तृचि क्रुप्यति' प्रयोग कैमे होगा क्योंकि 'कोप' का स्वयं 'कोपप्रभव' न
 हो सकता है? माप्यकार ने भी कहा है—'नक्षत्रपितः क्रुप्यति'—'निर
 कोप नहीं होगा है यह क्रोध नहीं कर सकता है।' तत्परबोधिनोक्तार
 व्याख्या की है कि यहाँ / क्रुध् का अर्थ 'दाह करना' ही है और यदि ये
 है तो मूल के अनुसार सम्प्रदानत्व ही होगा। वस्तुतः एते-एते स्वतः
 मान्य पदगा है, टीकाकार लोगों ने कैसी गणितियां की है। / क्रुध् भा
 र्थिक 'कोप' से ही उत्पन्न है इत्याण्य 'य प्रति क्रोध, दोह ...' आदि न
 करके एवम् ही मूल में कह दिया गया—'यं प्रति कोपः'। लेकिन हम
 मतलब यह नहीं कि केवल कोपप्रभव क्रुध् आदि धातुओं के प्रयोग में

१. नहि कोप कोपप्रभव । अत्र व्याचक्षुः । नुविरत्र द्रोहार्थ इति ।

सम्प्रदानत्व होगा। चूँकि वे 'कोपप्रभव' हैं 'कारण जो वात लागू होगी अंगी (Genus) के साथ, वह कोई जरूरी नहीं है कि लागू हो अंग (Spelics) के साथ भी। इसके विपरीत, जो वात सत्य होगी अंग के विषय में, वह अवश्य ही सत्य होगी अंगी के विषय में भी। लेकिन यदि ऐसी शंका करें कि 'कोप' के अन्तर्गत तो क्रोधादि-निर्दिष्ट भावों के अतिरिक्त और भी मात्र आ सकते हैं तो √कुप् के प्रयोग में हर जगह सम्प्रदानत्व कैसे हो सकता है क्योंकि जहाँ केवल क्रोधादि निर्दिष्ट अर्थ व्यक्त हों वहीं न सम्प्रदानत्व होगा?—तब भी ठीक है क्योंकि कुः जगह तो आखिर सम्प्रदानत्व होगा और हो सकता है कि 'कस्मैचित् कुप्यति' में क्रोधादि निर्दिष्ट ही अर्थ 'कोप' का हो! लेकिन √क्रुध् और √द्रुह् अकर्मक हैं और इनके उद्देश्य में 'क्रियया यमभिप्रैति—' वार्तिक के द्वारा ही सम्प्रदानत्व की प्राप्ति हो सकती थी—तब फिर सूत्र में इनके समावेश की क्या आवश्यकता थी? शायद स्पष्टीकरण के लिये ऐसा किया गया। इस तरह √क्रुध् और √द्रुह् के उद्देश्य में अकर्मकत्व के कारण प्राप्त पृथी के स्थान में और सकर्मक √इर्ष्य् तथा √असूय् के उद्देश्य में प्राप्त द्वितीया की जगह चतुर्थी हुई।

क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म ।१।४।३८। सोपसर्गयोरनयोर्य
प्रति कोपस्तत् कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् । क्रूरमभिक्रुध्यति,
अभिद्रुह्यति वा ।

परन्तु √क्रुध् और √द्रुह् यदि उपसर्गयुक्त रहें तो 'जिसके प्रति कोप हो' वह कर्मसंज्ञक होता है। चूँकि उपसर्ग का परिगणन नहीं किया गया है इसलिये कोई भी उपसर्ग के साथ कर्मसंज्ञा हो सकती है। इस सूत्र के अनुसार व्यवहार के अनुकूल सम्प्रदानत्व का निषेध हुआ। फिर, इन दो धातुओं के अकर्मक होने के कारण इनके योग में कर्मत्व का जो अभाव होता, इसलिये भी उसका विधान करना पड़ा। उदाहरण में 'क्रूर' शब्द में कर्मत्व हुआ 'अभिक्रुध्यति' वा 'अभिद्रुह्यति' के योग में।

राधीच्योर्यस्य विप्रश्नः ।१।४।३९। एतयोः कारकं

सम्प्रदानं स्याद् यदीयो विविधः प्रश्नः क्रियते । कृष्णाय राध्यति, ईक्षते वा । पृष्टो गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयतीत्यर्थः ।

√राध् संसिद्धौ और √ईक्ष् दर्शन के योग में जिनके विषय में विविध प्रश्न किये जाय वह सम्प्रदानसंज्ञक होता है । यहाँ इन दोनों धातुओं का अर्थ है—'शुभाशुभपर्यालोचन' और ये 'शुभाशुभ' रूप कर्म को धातु के अर्थ में संगृहीत करने के कारण अकर्मक हैं । ऐसी स्थिति में धातुअर्थ में ही सहा-पदार्थ 'शुभाशुभ' के गम्यमान रहने के कारण स्थानी होने पर भी इनके योग में पृष्टी की संभावना थी, इसके अपवादस्वरूप चतुर्थी हुई सम्प्रदान में । प्रस्तुत उदाहरण में कृष्ण के भविष्यविषयक विविध प्रश्न किये जाते हैं और गर्ग ज्योतिषी कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उनके शुभाशुभ का पर्यालोचन करते हैं, अतः 'कृष्ण' शब्द में सम्प्रदाने चतुर्थी हुई ।

प्रत्याह्व्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ।१।४।४०। आभ्यां परस्य श्रुणोतेयोगे पूर्वस्य प्रवर्तनरूपव्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात् । विधाय गां प्रतिश्रुणोति, आश्रुणोति वा । विप्रेण 'मह्यं देहि' इति प्रवर्तितः प्रतिजानीते इत्यर्थः ।

प्रतिपूर्वक तथा भापूर्वक √श्रु के पूर्ववाक्य का कर्ता सम्प्रदान होता है तथा उसमें चतुर्थी होती है । यहाँ प्रति और आह् उपसर्ग में युक्त √श्रु प्रेरणात्मक रूप में प्रयुक्त है, अतः प्रेरणा के पूर्व के वाक्य में जो 'कर्ता' रहता है वह सम्प्रदान होता है उत्तरवाक्य में प्रेरणा का अर्थ पूर्ण होने पर । अतः प्रस्तुत म-दमं में पूर्ववाक्य होगा—'विप्र. गा माचरो' और तब उत्तर-वाक्य होगा—'विधाय गां प्रतिश्रुणोति' या 'विधाय गाम् आश्रुणोति' । उत्तरवाक्य विषय 'विप्र' शब्द पूर्ववाक्य में कर्ता है जो पाँठे सम्प्रदान हुआ है । प्रति या भा उपसर्ग में युक्त √श्रु का अर्थ है 'प्रतिज्ञा करना' इत्योष्णि उदाहरणस्य वाक्यों का पूर्वक पूर्ववाक्य अनुमान-स्वरूप ही होगा । इसी को

अनुक्त कर्ता में स्थित तृतीयान्त 'विप्र' शब्द के द्वारा वृत्ति में 'विप्र' शब्द का कर्तृत्व सूचित किया गया है ।

अनुप्रतिगृणश्च ।१।४।४१। आभ्यां गृणातेः कारकं पूर्व-
व्यापारस्य कर्तृभूतमुक्तसंज्ञं स्यात् । होत्रेऽनुगृणाति, प्रति-
गृणाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्वर्युः प्रोत्साहयतीत्यर्थः ।

इस सूत्र में ऊपर के सूत्र से 'पूर्वस्य कर्ता' की अनुवृत्ति होती है और तब अर्थ होता है—अनुपूर्वक तथा प्रतिपूर्वक $\sqrt{ग}$ के पूर्ववाक्य का कर्ता सम्प्रदानसंज्ञक होगा और उसमें चतुर्थी होगी । $\sqrt{ग}$ शब्दे है । प्रस्तुत उदाहरण में 'होता' में सम्प्रदान में चतुर्थी हुई क्योंकि वही पूर्ववाक्य का 'कर्ता' है जैसा वृत्ति के स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है । यज्ञ में 'होता' पहले कुछ कहता है और फिर अध्वर्यु उसके बाद कुछ विनियोगादि कहकर उसके वाक्य को हट बनाता है या 'होता' को प्रोत्साहित करता है अपने कर्म में । अतएव यदि 'होता प्रथमं शंसति' होगा तो उत्तरवाक्य 'अध्वर्युः होत्रेऽनुगृणाति' या 'अध्वर्युः होत्रे प्रतिगृणाति' होगा । अनु या प्रति उपसर्ग से युक्त $\sqrt{ग}$ का अर्थ एक ही है ।

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् ।१।४।४४। नियतकालं
भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं, तस्मिन् साधकतमं कारकं सम्प्रदान-
संज्ञं वा स्यात् । शतेन शताय वा परिक्रीतः ।

कुछ निश्चित कालावधि के लिये मजदूरी देकर अपने स्वामित्व में कर लेना 'परिक्रयण' कहलाता है और यदि ऐसा अर्थ रहे तो जिस द्रव्यादि के द्वारा कोई कर्मकरादि किसी निश्चित काल के लिये मजदूरी देकर खरीद लिया जाय उस द्रव्यादि रूप 'परिक्रयण' में विकल्प से सम्प्रदान में चतुर्थी होगी, अन्यथा 'साधकतम' अर्थ रहने पर करणसंज्ञा में तृतीया होगी । प्रस्तुत उदाहरण में 'शत' द्रव्यादि का बोधक है, और चूँकि सौ रुपये आदि से 'भृत्य' का किसी निश्चितकाल तक के लिये खरीद लेना कहा गया है, अतः परिक्रयणवाची 'शत' शब्द में चतुर्थी हुई । ऐसी स्थिति में जब ऐसा अर्थ होगा कि 'सौ रुपये आदि

के द्वारा स्तरीय लिया गया' तो 'शत' के 'साधक' होने के कारण उसमें तृतीया होगी और इस पक्ष में होगा—'शतेन परिशीत' भूत्वः, अन्यथा 'शतानि परिशीत' भूत्वः। परिश्रयण का भाव उदाहरण में 'परिश्रीत' शब्द के प्रयोग से प्रोक्ति है। 'परिश्रीयतेऽनेनेति व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि 'परिश्रयण' का अर्थ यहाँ करणपरक है, परिश्रयणमाधन द्रव्यादि से मत्तलय रयता है।

तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्ये । मुक्तये हरि भजति ।

तस्मै इदं तदर्थम् । तस्य भाव तादर्थ्यम् । 'इमके लिये' ऐसा अर्थ जहाँ प्रियत हो वहाँ चतुर्थी प्रियत होती है। ऐसे स्थल में वस्तुतः उपकार उपकारभाव सम्बन्ध प्रियतित हाता है क्योंकि 'यूपाय दाह' आदि स्थल में जहाँ प्रकृति विवृतिभाव है, इस सूत्र के अनुसार चतुर्थी नहीं होती है। उसके लिये अत्र ही सूत्र है। पुनः उपकार्यत्वजन्यत्वादि बहुविध हो सकता है उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत मन्दमं में 'मुक्ति' मानजन्य है। किन्तु 'दधि' में 'दधि' मात्तगप्राप्य है। अतः यहाँ उपकार्यत्व का अर्थ प्राप्यत्व है। वृत्तिगत उदाहरण में 'मुक्ति' शब्द में चतुर्थी हुई क्योंकि 'मुक्तये हरि भजति' का अर्थ है—'मुक्त्यर्थे हरि भजति'। पुनः इस धार्मिक की आवश्यकता इसलिये पड़ी चूँकि जहाँ 'यूपाय दाह' आदि स्थल में तादर्थ्य के अनिश्चित प्रकृतिविवृतिभाव भी है, यहाँ प्रस्तुत स्थल में केवल तादर्थ्य है। वस्तुतः पर्याप्तिक स्पष्टीकरणार्थ है।

कल्पि सम्पद्यमाने च । भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते, जायते । इत्यादि ।

यहाँ 'सम्पत्ति' का साधारण धार्मिक अर्थ 'अभूतप्राप्तुमांश' है। इसका 'अभूतप्राप्त' से भेदा अन्तर है। यद्यपि √कल्प के शाग में जो नहीं था उसके जो जाने पर जो संपद्यमान रहे (अर्थात् जो संभव हो) उसमें चतुर्थी होती है। 'मनिर्ज्ञानाय कल्पते' में 'मनि' से 'ज्ञान' होता है जो (ज्ञान) पदक नहीं था, अभूतप्राप्त और अभूतप्राप्तुमांश से तदर्थे यदा अन्तर यह है कि अभूतप्राप्त में जो नहीं रहता है वदा होता है अर्थात् अभूतप्राप्तुमांश में जो नहीं है कि जो नहीं है यदा प्राप्तुमांश हो। अभूत पदार्थ के अनिश्चित में

कोई पदार्थ प्रादुर्भूत हो सकता है। फिर दूसरा अन्तर यह है कि इस वार्तिक के अन्तर्गत वस्तुतः अभूतपदार्थ का प्रादुर्भाव नहीं, अपितु अदृश्यमान पदार्थ का क्रमशः दृश्यमानत्व समझा जाता है। यही भाव 'कर्मणि शानच्' सूत्र से अभिहित है। इससे एक प्रक्रिया सूचित होती है कि वस्तुतः प्रारब्ध का ही सतत संयोगभाव रहता है, न कि^१ अभूत का प्रादुर्भाव। पुनः यद्यपि वार्तिक से स्पष्ट नहीं होता है, फिर भी उदाहरण से स्पष्ट है कि केवल $\sqrt{\text{कल्प}}$ के योग में ही नहीं बल्कि तदर्थक अन्य धातुओं के योग रहने पर भी 'मंपद्यमान' पदार्थ में चतुर्थी होती है। वस्तुतः ऐसे-ऐसे स्थल में भी प्रकृति-विकृतिभाव निहित रहता है। जब 'भक्ति' से 'ज्ञान' होना कहा जाता है तो 'भक्ति' प्रकृति-और 'ज्ञान' विकृति हुए। अतः ऐसी स्थिति में जब प्रकृतिविकृति में भेद-विवक्षा समझी जाती है तो विकृतिवाचक शब्द में ही चतुर्थी होती है, लेकिन अभेद-विवक्षा में प्रकृतिवाचक और विकृतिवाचक दोनों शब्दों में ही प्रथमा होती है जैसे 'भक्तिज्ञानाय कल्पते' में। परन्तु 'जनिकर्तुः प्रकृतिः'^२ सूत्र से जब 'भक्ति' शब्द में अपादान में पंचमी होती है तो ऐसी स्थिति में भी 'ज्ञान' शब्द में प्रथमा ही होती है।

उत्पातेन ज्ञापिते च । वाताय कपिला विद्युत् ।

प्राणियों के शुभाशुभ-सूचक आकस्मिक भूतविकार को 'उत्पात' कहते हैं। इसलिये उत्पात का मतलब 'प्राकृतिक उत्पात' (Natural disturbance) है। ऐसे प्राकृतिक उत्पात से जो कुछ ज्ञापित हो उसमें चतुर्थी होती है। उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत सन्दर्भ में 'कपिला विद्युत्' प्राकृतिक उत्पात है जिससे ज्ञापित होता है 'वात'; अतः 'वात' शब्द में चतुर्थी हुई।

हितयोगे च । ब्राह्मणाय हितम् ।

यह वार्तिक वस्तुतः समासप्रकरणगत सूत्र 'चतुर्थी तदर्थार्थवलिहितसुखर-चित्तैः'^३ से ही चतुर्थी समास विधान के अनुमानस्वरूप सिद्ध होता है।

१. मिलाइये 'अभूततद्भावे कृम्वस्तियोगे ५।४।५०

२. पाणिनि : १।४।३०।

३. पाणिनि : २।१।३६।

‘हित’ शब्द के साथ चतुर्थ्यन्त का समास बतलाया गया है, अतः अत्रय ही सिद्ध है कि ‘हित’ शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एवं प्रमेग ‘तदर्थ’ और ‘अर्थ’ शब्दगत नित्यसमास को छोड़कर सूत्रगत अन्योन्य सुत्वादि शब्दों के योग में भी चतुर्थी सिद्ध है।

क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । २।३।१४। क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात् । फलेभ्यो याति । फलान्याहर्तुं यातोत्पर्यः । नमस्कृतो नृमिहाय । नृसिंहमनुकूलयितुमित्यर्थः । एवं ‘स्वयंभुवे नमस्कृत्य’ इत्यादावपि ।

क्रिया अर्थ (प्रयोजन) यस्या सा क्रियार्था (क्रिया) । कोई क्रिया यदि किसी दूसरी क्रिया के उद्वेग हो तो उसे क्रियार्था (क्रिया) कहते हैं। पुनः, क्रियाया क्रिया उपपदं यस्य स, तस्य क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि (स्थानिन) । अर्थात् ऐसी क्रियाया क्रिया यदि किसी स्थानी के उपपद (अधान् समीप) में हो तो ऐसे स्थानी के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। ‘उपपद’ शब्द का अर्थ यहाँ साधारण ‘पदस्य समीपम्’ या ‘उपोच्चारित पदम्’ है, न कि ‘तत्रोपपद सप्तमीस्थम्’ सूत्र के अन्तर्गत प्राप्त विशेष अर्थ। स्थानमस्यास्तीति स्थानी । यस्तुतः व्याकरणशास्त्र की परिभाषा में ‘स्थानी’ का अर्थ कोई सम्बन्धमान पदार्थ है जो स्वयं तो स्वरूप में कथित नहीं रहता है, किन्तु उसका स्थानमात्र रहता है (अर्थात् केवल उसकी स्थिति बोधनीय रहती है) । फिर, ‘स्थानी’ का अर्थ यहाँ तुमुयन्त स्थानी है क्योंकि ‘तुमुन्-पुनः क्रियाया क्रियार्थायां’ सूत्र में तुमुन् और पुनः ही क्रियार्था क्रिया के लिये प्राप्त प्रत्यय हैं और चूँकि तुमुन्प्रत्ययान्त ही ऐसी स्थिति में स्थानी (अप्रयुज्यमान) हो सकता है (पुनः का ऐसा होना व्यवहारतया असम्भव है) । अतः कथित हुआ कि यदि कोई क्रिया या दूसरी किसी क्रिया के लिये

१. पाणिनि : २।३।१४।

२. .. ३।३।१०।

हो (अर्थात् किसी दूसरी प्रधान (Finite) क्रिया के अप्रधान सहायक (Auxiliary) के क्रिया रूप में हो), किसी स्थानी (अप्रयुज्यमान) तुमुन्युक्त पद का उपपद हो (अर्थात् स्थानी या अप्रयुज्यमान उसी तुमुन्नन्त पद में निहित हो) तो ऐसी अप्रधान क्रिया के साक्षात् (Direct) कर्म में चतुर्थी होगी ; दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्रधान क्रियापद (Finite Verb) के साथ आये तुमुन्नन्त सहायक क्रिया पद (Auxiliary Verb) का लोप हो जाय तो लोप होने के पहले जिस पद में उस तुमुन्नन्त सहायक क्रियापद के योग में कर्म में द्वितीया विभक्ति थी उसी पद में लोप होने पर चतुर्थी विभक्ति हो जायगी पूर्व प्रधान क्रियापद के केवल रहने पर ।

उदाहरणस्वरूप दिखलाया गया है—‘फलेभ्यो याति’ का अर्थ है ‘फलानि आहर्तुं याति’ । यहाँ स्पष्ट है कि तुमुन्नन्त सहायक क्रियापद ‘आहर्तुंम्’ के योग में जहाँ ‘फलानि’ कर्मस्थित द्वितीयान्त है तहाँ उस सहायक क्रियापद ‘आहर्तुंम्’ के लोप कर देने पर केवल प्रधान क्रिया ‘याति’ के साथ ‘फलेभ्यः’ चतुर्थ्यन्त रह जाता है । ऐसी स्थिति में मूल उदाहरण में ‘फलेभ्यो याति’ में तुमुन्नन्त क्रियापद ‘आहर्तुंम्’ ही स्थानी है क्योंकि वही यहाँ अप्रयुज्यमान है, और स्पष्टीकरण की दृष्टि से जिसके कर्मभूत ‘फल’ शब्द में चतुर्थी हो गई है । अब ऐसा इसलिये होता है चूँकि तुमुन् प्रत्यय ‘के लिये’ के अर्थ में होता है और उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति भी होती है साधारणतया ‘के लिये’ के अर्थ में ही । लेकिन अन्तर यह है कि तुमुन् के साथ किसी अन्य क्रिया का योग रहता है और यह स्वाभाविक है क्योंकि बिना किसी क्रियायोग के किसी प्रत्यय का प्रयोग संभव ही नहीं है, अतः केवल चतुर्थ्यन्त पद के प्रयोग से इसलिये काम चल जाता है चूँकि इसी में अप्रयुज्यमान क्रियापद अव्याहृत रहता है । उदाहरणस्वरूप, ‘फलेभ्यो याति’ का अर्थ है ‘फल के लिये जाता है’ और ‘फलानि आहर्तुं याति’ का अर्थ है ‘फल लाने के लिये जाता है’ । अब ‘के लिये’ का प्रयोग दोनों अवस्थाओं में एक-सा रहने पर भी पूर्व स्पष्टीकरण के क्रम में कह देना आवश्यक है कि उपयुक्त ‘आहरण क्रिया’ का प्रयोग तुमुन्नन्त के रूप में इसलिये

भी हुआ है जिससे तादर्थ्य चतुर्थी का मान 'फलेभ्यो याति' में न हो, कारण यहाँ 'गमन' क्रिया 'फल के लिये' नहीं है, यद्यपि 'फलकर्मक आहरण क्रिया' के लिये है। इसी प्रकार 'स्वयम्भुवे नमस्कृत्य' आदि में 'नमस्करण' क्रिया 'स्वयम्भू' के लिये नहीं यन्कि 'स्वयम्भूकर्मक अनुकूलन' क्रिया के लिये ही है।

अथ उपर्युक्त व्याख्यानानुसार 'उपपद' शब्द का अर्थ 'निहित' या 'समीप' न लेकर यद्यपि असाधारण अर्थ 'तदाश्रित' लें तो अच्छा लगता है क्योंकि वस्तुतः जो क्रियार्थी क्रिया है वही अप्रयुज्यमान तुमुन्नन्त स्थानी है और वही अप्रयुज्यमान तुमुन्नन्त स्थानी का तथाश्रित 'उपपद' (अर्थात् समीप पद) भी कहा गया है। साधारणतया, वस्तुतः जो वही है, वह समीपस्थ कैसे हो सकता है ? एसी अवस्था में हम सूत्र की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं कि यह क्रियाया क्रिया जो प्रधान क्रिया के उपपद में (अर्थात् समीप) है और जो अप्रयुज्यमान तुमुन्नन्त स्थानी है—उसके कर्म में चतुर्थी होती है।

फिर सूत्र में क्रियार्थी क्रिया और तुमुन्नन्त स्थानी की यात वस्तुतः वृत्तिगत उदाहरण के स्पष्टीकरण का अर्थवा की बात है जय तुमुन्नन्त स्थानी—स्वस्त क्रियार्थी क्रिया विद्यमान रहती है, अन्यथा जय उसके कर्म में चतुर्थी हो जाती है तब तो उसका अभ्यादार हो जाता है। इसलिये यह भी कहना ठीक नहीं है कि ऊपर वर्णित स्थानी के कर्म में चतुर्थी होती है क्योंकि ऐसी तुमुन्नन्त क्रियार्थी क्रिया तो वस्तुतः उदाहरणावस्था में स्थानी कहा जा सकती है उस पूर्व क्रियार्थी क्रिया के कर्म में चतुर्थी हो गई रहती है और कर्म का नामान्वितान भी नहीं रहता है। किन्तु ऐसे कथन का परिहार हम इस तरह कर सकते हैं—वस्तुतः यदि वृत्ति की अवस्था में क्रियार्थी क्रिया स्थानी रहती है तो उदाहरणावस्था में क्रियार्थी क्रिया स्वयं भी तो नहीं रहता है जिसके कर्म में चतुर्थी कहा गई है। अतः यहाँ कहना गैर होना कि वृत्ति की अवस्था की तुमुन्नन्त क्रियार्थी क्रिया जो उदाहरणावस्था में स्थानी हो जाती है उसके कर्म में तुमुन्नन्त के अर्थ में चतुर्थी विनक्ति हो जाती है। इस प्रकार तुमुन्नन्त क्रियार्थी क्रिया का स्थानी होना और उसके वृत्ति की अवस्था के कर्म में चतुर्थी विनक्ति होना दोनों साथ साथ चलता है। और क्रियार्थी क्रियात्मक तुमुन्नन्त स्थानी के कर्म में चतुर्थी होती है यह भी कहा जा सकता है क्योंकि वस्तुतः इसका मतलब

यह है कि क्रियार्था क्रिया का जब प्रयोग हो और वह अन्यथा स्थानी (अर्थात् अप्रयुज्यमान) हो तब ऐसी अवस्था में जो उसका कर्म रहेगा उस शब्द में तुमुन्नन्त क्रियार्था क्रिया का अप्रयोग होने पर कर्म की द्वितीया की जगह चतुर्थी होगी ।

तुमर्थाच्च भाववचनात् ।२।३।१५। 'भाववचनाश्चेति' सूत्रेण यो विहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्यात् । यागाय याति, यष्टुं याती-त्यर्थः ।

किसी क्रियार्था क्रिया के उपपद में रहने पर (अर्थात् प्रधान क्रिया के प्रसीपस्थ भाववाची-प्रत्ययान्त शब्द में ही सहायक अप्रधान क्रिया के निहित होने पर) 'भाववचनाश्च' सूत्र के अन्तर्गत विहित भाववाची प्रत्यय से व्युत्पन्न शब्द से ही चतुर्थी विभक्ति लगती है जब वह चतुर्थी विभक्ति तुमुन्नन्त कथित अप्रधान सहायक क्रिया के स्थान में लगती हो । ऐसी स्थिति में विहित चतुर्थी वेभक्ति तुमुन् के अर्थ में हुई कही जायगी । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में भाववाची घञ् प्रत्यय से व्युत्पन्न 'याग' शब्द में चतुर्थी होती है तत्स्थानिक अप्रधान सहायक क्रिया तुमुन्नन्त 'यष्टुम्' के वदके । प्रधान क्रिया 'याति' है । सूत्र में 'चकार' पूर्व सूत्र से क्रियार्थोपपदत्व के समुच्चयार्थ है । फिर भी पथास्थिति सूत्र की वनावट में एक दोष मालूम पड़ता है और वह यह कि वस्तुतः जिस भाववाचा प्रत्यय से व्युत्पन्न शब्द में चतुर्थी होती है वह शब्द ही सचमुच तुमर्थक नहीं होता बल्कि जब चतुर्थी लग जाती है तब वह तुमुन् के अर्थ का पूरक होने से तुमर्थक बन जाता है । फिर, सूत्रस्थ 'भाववचनात्' का वृत्तिस्थ 'भाववचनाश्च' के साथ केवल अन्वयाभास दीख पड़ता है जो आमक है क्योंकि 'भाववचनात्' में जहाँ 'भाव' का अर्थ क्रिया—अतएव भाववचन का अर्थ क्रियावाची है—वहाँ 'भाववचनाश्च' में भाव का अर्थ स्पष्टतः संज्ञा—अतएव भाववचन का अर्थ संज्ञा-विधायक प्रत्यय है ।

क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' और इस सूत्र में बहुत साम्य दीख पड़ता है, किन्तु अन्तर में सबसे बड़ा धन्तर यह है कि जहाँ पूर्वसूत्र में चतुर्थी

विभक्ति का विधान केवल 'नाम' शब्दों से होता है जिनमें तुमुसन्त सहायक अप्रधान क्रिया अव्याहृत होती है यहाँ उत्तर सूत्र में यह विधान ऐसे शब्दों से होता है जो 'आख्यातञ्' (अर्थात् धातुनिष्पन्न) होते हैं और भाववाची प्रत्यय से व्युत्पन्न रहते हैं जिनके बैकद्विक पक्ष में ही तुमुन्नन्त सहायक क्रिया अकेली चतुर्थी के भाव की प्रतीति होती है। उदाहरणस्वरूप 'फलेभ्योयाति' में अलग करके क्रिमी प्रसंगोपयुक्त तुमुसन्त आहरणक्रिया की स्थिति गम्यमान समझी जाये है लेकिन 'यागाय याति' में निय $\sqrt{यञ्}$ म भाववाची प्रत्यय लगाकर 'याग' शब्द से चतुर्थी लगाई गई है उसी $\sqrt{यञ्}$ में तुमुन् लगाकर बैकद्विक सहायक क्रिया का पक्ष स्थापित होता है। इस त्रिशदोक्ति के प्रसंग में 'निरन्त्य गागरे' के इस मत का अवलम्बन आवश्यक है कि कुछ शब्द धातुज हैं और कुछ नहीं, क्योंकि 'फलेभ्यो याति' में यदि 'फले' शब्द अधातुज 'नाम' नहीं रहता तो वृषक् करके तुमुसन्त आहरण क्रिया की कल्पना नहीं करनी पड़ती तथा दोनों सूत्रों में अन्तर मात्रा बहुत कम और कृत्रिम होता जिससे भ्रम करके सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिस शब्द में चतुर्थी लगेगी उसके धातुज और अधातुज होने का यह नियम भी उतना कड़ा नहीं है चितना यह कि उत्तमसूत्र में चतुर्थी विभक्ति लेनेवाले सभी धातुज शब्द भाववाची प्रत्यय से ही निष्पन्न होंगे जहाँ पूर्वसूत्र के लिये यह आवश्यक नहीं।

वस्तुतः एक दृष्टि से देखने पर 'फले' शब्द भी धातुज कहा जा सकता है लेकिन जिस प्रकार उत्तमसूत्र में 'यागाय याति' का वृत्तिस्थ अर्थ 'यष्टुं याति' होता है उस प्रकार पूर्वसूत्र में 'फलेभ्यो याति' का अर्थ 'फलितुं याति' होना अर्थमय है। फिर, वृत्तिस्थ दूसरे उदाहरण 'नृनिहाय नमस्तुमं' आदि देखने से पता चलता है कि उस सूत्र में चतुर्थी विभक्ति लेनेवाले शब्द यदि कभी धातुज बननायें जा सकते हैं तो वदुधा अधातुज महा शब्द ही रहते हैं। किन्तु जैसे पूर्वसूत्र में 'फलेभ्यो याति' का अर्थ क्रिया जाता है 'फलानि आहनुं याति' वैसे ही उत्तमसूत्र में भी 'यागाय याति' का अर्थ 'यागं कर्तुं याति' हो सकता है।

नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वषट्योगाच्च । २।३।१६। एभि-
 योंगे चतुर्थी स्यात् । हरये नमः । उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति-
 र्वर्लीयसी । नमस्करोति देवान् । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये
 स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । अलमिति पर्याप्तार्थग्रहणम् । तेन
 दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्त इत्यादि । प्रभवादियोगे
 षष्ठ्यपि साधुः । 'तस्मै प्रभवति-', 'स एषां ग्रामणी'रिति निर्दे-
 शात् । तेन 'प्रभुर्भूषुर्भुवनत्रयस्येति सिद्धम् । वषट्तिन्द्राय ।
 चकारः पुनर्विधानार्थः, तेनाशीर्विद्यायां परामपि 'चतुर्थी चाशि-
 पी'ति षष्ठीं वाधित्वा चतुर्थ्यैव भवति' । स्वस्ति गोभ्यो भूयात् ।

इस सूत्र में निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती
 है । यह विभक्ति उपपद-विभक्ति है और यह कारक-विभक्ति से भिन्न है ।
 पदस्थ समीपम् उपपदं, तस्मिन् या विभक्तिः, उपपदविभक्तिः । कारकत्वे सति
 या विभक्तिः, कारकविभक्तिः । किसी पद के समीपस्थ जो अन्य पद हो उसे
 उपपद कहेंगे और उपपद में जो विभक्ति होगी उसे उपपदविभक्ति । एतावता
 यह स्पष्ट है कि एक पद से सम्बन्ध स्थापित होने पर जो दूसरे पद में विभक्ति
 होती है उसे ही उपपदविभक्ति कहते हैं । दूसरे शब्दों में, हम कह सकते
 हैं—पदान्तरयोग-निमित्तिका विभक्तिः उपपदविभक्तिः । अर्थात् जिस
 विभक्ति की उत्पत्ति का निमित्त (कारण) कोई दूसरा पद हो उसे उपपद-
 विभक्ति कहेंगे । इसके विपरीत, केवल दो पदों में नहीं, बल्कि चाक्यस्थ क्रिया
 के साथ भी सम्बन्ध स्थापित होने पर जो विभक्ति होती हो उसे कारक-विभक्ति
 कहेंगे । अतः क्रियाकारक के सम्बन्ध-निमित्त को कारक-विभक्ति और केवल
 पदसम्बन्धनिमित्त को उपपदविभक्ति कहते हैं । अब यह स्पष्ट है कि क्रियाकारक
 के सम्बन्ध के अन्तरङ्ग होने के कारण कारक-विभक्ति की प्रधानता होनी
 चाहिये उपपद-विभक्ति की अपेक्षा । लेकिन क्या एक अलग क्रियाविहीन
 पद में क्रियान्वयित्व की संभावना हो सकती है ? और यदि एक ही पद में

एक ही अवस्था में ऐसा संभव हो सकता है। सभी उन्नत-विभक्ति के स्थान में कारक विभक्ति की आवश्यकता का प्रश्न उठ सकता है। उदाहरण देने से पता चलता है कि ऐसा ही होता है। 'हरये नम' में त्रिपान्वयिन् नहीं है, या कारक्य नहीं है। 'नम' एक पद है जिसके साथ चतुर्थी विभक्ति के द्वारा 'हरि' शब्द का सम्बन्ध स्पष्ट होता है, लेकिन यदि दूसरी उदाहरण में 'नम' के साथ क्रिया पद का योग हो जाता है और इस तरह त्रिपान्वयिन् की प्राप्ति होने पर कारक्य की प्राप्ति हो जाता है तो 'नमस्कारकता' का क्रिया के द्वारा 'हरि' इन्विजित हो जाता है। अतः ऐसी दशा में इस सूत्र का सूत्र सूत्र 'वस्तुं रोपिततम कर्म' याधित कर देता है और तब कर्मण्य की प्राप्ति होने पर ही जाता है—'हरिं नमस्कारोति'। इस प्रकार वृत्तिस्य 'नमस्कारोति देवार्त्' तथा 'मुनियय नमस्त्वय' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं।

वस्तुतः कर्मादि प्रत्येक कारक के अन्तर्गत दो अवस्थाएँ पाई जाती हैं— एक ऐसी अवस्था जहाँ कर्म आदि कारक में कारक्येन द्वितीया आदि विभक्ति होती है और दूसरी ऐसी अवस्था जिसमें क्रियान्वयिन् के अभाव के कारण कारक्य के बिना मा केवल पदान्तरयोग के लिये द्वितीया आदि विभक्ति होती है। इनमें स्पष्टतः पहली अवस्था कारक विभक्ति का है और दूसरी उपपद विभक्ति की। फिर, 'स्वस्ति', 'स्वाहा', 'स्वधा' आदि अव्यय हैं जिनके योग में कर्मण्य 'प्रणाम्य', 'भक्तये', 'विभूष्य' आदि पदों में चतुर्थी विभक्ति दिखलाई गई है। वस्तुतः इस सूत्र में सभी अव्ययपद ही गृहीत हैं। इस प्रकार 'भक्त्य' भी अव्यय है लेकिन केवल 'पर्याप्ति' के अर्थ में ही इस शब्द का यहाँ ग्रहण होगा (वैसे तो इसके अनेक अर्थ होते हैं) जैसे 'दैव्येभ्य हरि भक्त्य' में। लेकिन जैसा वृत्ति के सृष्टीकरण 'दैव्येभ्यो हरि प्रमु समये' से सूचित होता है, न केवल 'भक्त्य' शब्द के योग में, अपितु इसके पर्यायवाची अन्य शब्दों के योग में भी चतुर्थी होती है। यह 'तस्मै प्रमक्ति—' सूत्र में उचित होता है। इस प्रकार 'स एषां प्रामगो'

१. दृश्य पृष्ठ संख्या ७८
२. पानिनि . ५।१।१०१।
३. पानिनि : ५।२।३८।

सूत्र से ज्ञापित होता है कि इनके योग में पृष्ठी भी हो सकती है। इसी से मात्र के प्रयोग 'प्रभुर्भुवर्भुवनत्रयस्य यः^१' आदि में 'प्रभु' शब्द के योग में पृष्णन्त 'भुवनत्रयस्य' सिद्ध होता है।

फिर इस सूत्र के विषय में एक कथ्य विषय यह है कि यहाँ चकार पुनर्विधानार्थ है जिससे 'चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः^२' सूत्र के अनुसार 'आशिप्' अर्थ रहने पर भी 'स्वस्ति' शब्द के योग में चतुर्थी के विकल्प में प्राप्त पृष्ठी को बाधित करके पुनः प्राप्त चतुर्थी विभक्ति ही होगी। इसी लिये 'स्वस्ति गवां भूयात्' नहीं होकर के सर्वथा 'स्वरित गोभ्यो भूयात्' ही होगा।

मन्यकर्मण्यनादरे विभावाऽप्राणिषु ।२।३।१७। प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात्तिरस्कारे । न त्वां तृण मन्ये तृणाय वा । श्यना निर्देशात्तानादिक्रयोगे न । न त्वां तृणं मन्ये । अप्राणिष्वित्यपनीय—'नौका कान्नशुकशृगालवर्जेष्विति वाच्यम्' । तेन 'न त्वां नावमन्नं वा मन्ये' इत्यत्राऽप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न । 'न त्वां शुने श्वानं वा मन्ये' इत्यत्र प्राणित्वेऽपि भवत्येव ।

√मन् ज्ञाने दिवादिगणीय है और √मन् अवबोधने तनादिगणीय । देवादिगण में श्यन् (अर्थात् 'य') विकरण होता है जो √मन् के वाद लगने से 'मन्यते' रूप देता है और तनादिगण में 'उ' विकरण होता है जो उक्त धातु के वाद लगने से 'मनुते' रूप बनाता है । इस सूत्र की परिधि में दिवादिगणीय √मन् ही अपेक्षित है जो सूत्रस्थ 'मन्यकर्मणि' के 'मन्य' भाग से द्योतित है । अतः सूत्र का अर्थ यह हुआ कि अनादर का मात्र बाधित होने पर अप्राणिवाची दिवादिगणीय √मन् के कर्म में विभावा से

१. शिशुपाल वधः १।४६।

२. पाणिनि : २।३।७३।

चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार सूत्र में तीन प्रतिबन्ध हैं—(१) दिवादिगण्यीय $\sqrt{\text{मन्}}$ का कर्म होना; (२) अनादर का अर्थ सूचित होना और (३) $\sqrt{\text{मन्}}$ के कर्म का अप्राणिवाचक होना। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान में रखने लायक यह है कि जब कभी चतुर्थी होगी तो वैकल्पिक होगी क्योंकि मुख्यतया कर्म में द्वितीया ही होगी। उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में दिवादिगण्यीय $\sqrt{\text{मन्}}$ के अप्राणिवाची कर्म 'तृण' में तिरस्कार अर्थ योषित होने पर त्रिमासा में चतुर्थी हुई है। लेकिन प्रायुदाहरण में दिग्गलाया गया है कि $\sqrt{\text{मन्}}$ के रहने पर केवल दिवादिगण्यीय नहीं होने पर इसके कर्म के अप्राणिवाचक रहने पर भी चतुर्थी नहीं हुई है।

अथ, पाणिनि के बाद कात्यायन हुए। उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अप्राणिवाचक रहने पर भी चतुर्थी नहीं होती, और बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जिनके प्राणिवाचक रहने पर भी चतुर्थी विकल्प से हो गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सूत्र के सुधारस्वरूप वार्तिक लिखा जिसमें उन शब्दों को परिगणित किया जिनमें कभी भी चतुर्थी नहीं होती। ये शब्द हैं—नौ, काक, अश्व, शुक और शृगाल। इनमें हम देखते हैं कि 'नौ' अप्राणिवाचक शब्द है जिसमें सूत्रानुसार चतुर्थी हो जाती। किन्तु, इस परिधि के बाहर यदि हम 'अन्' शब्द को लें तो देखेंगे कि प्राणिवाची होने पर भी हममें वर्तमान परिस्थिति में चतुर्थी हो जायगी जो अन्यथा सूत्रानुसार नहीं होती। इसमें पता चलता है कि कात्यायन की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी। प्रस्तुत पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि में जो मुनि जितने पाँधे होते हैं उनका उतनी अधिक प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीलिए कहा जाया है—'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्'। किन्तु फिर भी, इस वार्तिक में कुछ दुर्बलता रह जाती है और यह यह कि पता चलना मुश्किल हो जाता है कि वार्तिक में परिगणित शब्दों में ही केवल प्राप्त चतुर्थी का निषेध होगा या उनके पर्याय (Synonyms) में भी। वस्तुतः आपातन से ऐसा मानना पड़ता है कि यह पत्र में केवल इन्हीं परिगणित शब्दों का है।

गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यां चेषायामनध्वनि । २।३।१२।
अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मण्येते स्तश्चेष्टायाम् । ग्रामं ग्रामाय

चा गच्छति । चेष्टायां क्रिम् ? मनसा हरिं व्रजति । अनध्वनीति क्रिम् ? पन्थानं गच्छति । गन्त्राऽधिष्ठितेऽध्वन्येवायं निषेधः । यदा तूत्पथात् पन्था एवा क्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव । उत्पथेन पथे गच्छति ।

जब शारीरिक चेष्टा (Physical effort) अर्थ रहे और मार्गवाची शब्द का प्रयोग न हो तो गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया एवं चतुर्थी विभक्तियाँ होती हैं । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में 'ग्राम' शब्द 'गच्छति' क्रिया का कर्म है । उसमें विकल्प से द्वितीया के साथ चतुर्थी विभक्ति भी दिखलाई गई है । यहाँ 'गमन' से शारीरिक चेष्टा व्यक्त है और अलग करके किसी रूप में मार्गवाची शब्द का प्रयोग नहीं है । अन्यथा 'मनसा हरिं व्रजति' में 'हरि' शब्द में बैकल्पिक चतुर्थी नहीं होगी क्योंकि यहाँ 'गमन' (व्रजन) से केवल मानसिक चेष्टा (Mental effort) व्यक्त है । इसी प्रकार 'पन्थानं गच्छति' में 'पथिन्' शब्द से √गम् का कर्म होने पर भी मार्गवाची होने के कारण चतुर्थी ही होगी । लेकिन यदि कोई शब्द केवल किसी गत्यर्थक धातु का कर्म रहे और इसके अलावे कोई भी सूत्रस्थ शर्त को पूरा नहीं करता रहे तो ऐसी स्थिति में उसमें कर्मत्वेन केवल द्वितीया ही होगी । इस दृष्टि से सूत्र में 'द्वितीयाचतुर्थी' में 'द्वितीया' का प्रयोग करोव-करोव पुनरुक्ति ला देता है क्योंकि साधारणतया कर्म में द्वितीया विभक्ति होती ही है । किन्तु वृत्ति को देने से ऐसा मालूम पड़ता है जिस प्रकार सूत्र में 'शारीरिक चेष्टा' की शर्त पर परिस्थिति में लागू होती है उस प्रकार 'मार्गवाची शब्द के न रहने' की शर्त लागू नहीं होती । वस्तुतः यह शर्त लागू होती है केवल जानेवाले के द्वारा पश्रित मार्ग के विषय में ही । अतः जब गलत या भूले रास्ते से सही रास्ते पर या उपपथ (By-way) से प्रधान पथ (Main-way) पर आने में 'शारीरिक चेष्टा' व्यक्त हो तो चतुर्थी—और प्रायः केवल चतुर्थी विभक्ति होगी जैसा 'उत्पथेन पथे गच्छति' प्रयोग में दिखलाया गया है ।

इस प्रकार साधारणतया इस सूत्र में भी तीन शर्तें हैं—(१) गत्यर्थक धातु का ही कर्म होना; (२) शारीरिक चेष्टा व्यक्त होना, न केवल मानसिक

चेष्टा; और (३) साधारण अर्थ में मार्गवाची शब्द का प्रयोग न होना । लेकिन सूत्र में 'द्वितीयाद्यनुर्थ्या' में द्वितीया का ग्रहण नहीं भी किया जा सकता था जैसा ऊपर कहा गया है क्योंकि एक तो साधारणतः कर्म में द्वितीया होती ही है, फिर जब कभी कर्म में दूसरी भी विभक्ति किसी विशेष अवस्था में होती है तो वह अपवादस्वरूप ही होती है । अतः यदि ऐसा स्पष्टीकरणार्थ ही करना था तो 'विभाषा' का आश्रय लेकर या 'अनुवृत्ति' या 'अपकर्ष' सरीखे पारिभाषिक शब्दों का आश्रय लेकर 'विभाषा' का बोध करा कर ऐसा किया जा सकता था । किन्तु यस्तुत देखा जाय तो 'द्वितीया' का ग्रहण इस लिये किया गया कि जहाँ दूसरी विभक्ति का अपवाद कर दिया जाय वहाँ भी कर्म में मूल द्वितीया हो । इसी में 'ग्राम गन्ता' में 'न लोकाव्ययनिष्ठासत्त्वर्थात्' सूत्र में मृजन्त के योग में षष्ठी के अपवादस्वरूप द्वितीया ही की प्राप्ति होती है । फिर जब मार्गवाची शब्द के स्पष्टतः प्रयोग के सूत्रस्थ प्रतिषेध पर हम ध्यान देंगे, तो पाते हैं कि यस्तुत 'पन्थान गच्छति' का अर्थ है—'पन्था प्राप्त' । किन्तु जब अप्राप्त में प्राप्त की विवक्षा की जाती है तो चतुर्थी विभक्ति अवश्य होगी जैसा पूर्व दिखलाया गया है । इसलिये^२ तत्त्वयोधिनीकार के मत में सूत्र में 'अनघ्ननि' के स्थान में 'अमप्राप्तं' देना अधिक उपयुक्त होता । इसमें 'स्त्रियं गच्छति' का अर्थ सर्वथा 'स्त्री प्राप्ता' होगा और ऐसी स्थिति में कर्मा भी चतुर्थी नहीं होगी । इसी प्रकार 'भजां नयति ग्रामम्' में तत्त्वयोधिनीकार के अनुसार $\sqrt{\text{नी}}$ के अगत्यर्थक होने के कारण कर्मा भी 'ग्राम' शब्द में चतुर्थी नहीं होती क्योंकि उनके अनुसार $\sqrt{\text{नी}}$ का 'गति' अर्थ प्रतीयमान है न कि वास्तविक उमका यह अर्थ है । किन्तु मैं समझता हूँ कि शौकतया या सुगम-तया—किर्मा भी तरह $\sqrt{\text{नी}}$ का 'गति' अर्थ होता है और तदनुसार 'ग्राम' शब्द में विकल्प से चतुर्थी होने से 'भजां नयति ग्रामाय' प्रयोग किसी भी हालत में अनुपयुक्त तथा अस्मगल नहीं मालूम पड़ता है । ऐसा 'अकथितम्'

१. पाणिनि : २।३।६९।

२. इह अनघ्ननीत्यनौय 'अमप्राप्तं इति पूर्वते । तेन' स्त्रियं गच्छती न्यत्र स्त्री प्राप्तंवेति न चतुर्थी ।

सूत्र के प्रसंग में प्रतिपादित इस बात से भी पता चलता है कि $\sqrt{\text{नी}}$ के द्विकर्मक होने के कारण ही सगप्रदानादि कारक के अकथित होने पर कर्मसंज्ञा में द्वितीया विभक्ति होती है। साथ-साथ एक और प्रश्न यहाँ विचारणीय है और वह यह कि सूत्रानुसार वैकल्पिक चतुर्थी विभक्ति लेने के लिये केवल 'अध्व' शब्द का प्रयोग नहीं रहना चाहिये या उसके पर्यायवाची किसी अन्य शब्द का भी। वस्तुतः कर्मत्व संभव होता है अर्थ की दृष्टि से ही, अतः समझना चाहिये कि अध्ववाची सभी शब्दों के प्रयोग का निषेध तात्पर्य है।

अपादानकारक : पञ्चमी विभक्ति

ध्रुवमपायेऽपादानम् ।१।४।२४। अपायो विश्लेषस्तस्मिन्
साध्येध्रुवमवधिभूतं कारकमपादान स्यात् ।

अपादीयते अस्मात् षट्पादानम् । जिससे कुछ हटे या हटा लिया जाय वही अपादान कहलाता है और अग्रिम सूत्र के अनुसार ऐसे अपादानमूल विषय में ही पंचमी विभक्ति होती है । अतः यात यह है कि जहाँ अपादान का भाव रहता है वहाँ दो विषय की कवयना भावश्यक रूप से करनी पड़ती है— एक वह जिससे कुछ अलग होता है और दूसरा वह जो अलग होता है । अतः ऐसी स्थिति में 'अपाय' (अर्थात् पारस्परिक विश्लेष) का भाव रहना ही है क्योंकि एक विषय से दूसरे विषय का अलग होना ही विश्लेष है । इन्द्रिये सूत्रानुसार धृमा विश्लेष रहने पर जो विषय 'ध्रुव' (अर्थात् स्थिर) रहे जिससे कोई दूसरा पदार्थ अलग होता हो यो वही 'अपादान' कहलाता है । वस्तुतः साधारण भाषा में 'ध्रुव' का अर्थ केवल 'निश्चित' होता है जिसमें स्थाकरण की परिभाषा में 'अवधिभूत स्थिर विषय' अर्थ हुआ । वस्तुतः विचार करने पर विश्लेष की अवस्था में 'ध्रुव' विषय की परिकल्पना काकी वैज्ञानिक मालूम पड़ती है क्योंकि जहाँ कहीं भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग होगा तो उन दोनों में से अवश्य ही एक स्थिर होगा । ऐसी स्थिति में स्थिर होने का मतलब ही मध्या है अपेक्षाकृत स्थिर होना । अतः यह स्थिरता कभी वास्तविक हो सकती है और कभी सापेक्ष । स्वर्ग्य और नीरव पापुमंडल में जब धृष्य मे पत्ता गिरता है तो 'ध्रुव' वास्तविक रूप से स्थिर कहा जायगा, लेकिन यदि हवा बहने पर पत्ता गिरता है तो ऐसी अवस्था में धृष्य की स्थिरता सापेक्ष (Relative) कही जायगी ।

अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८। ग्रामादायाति । चावतोऽ-
द्वान् पतति । कारकं किम् ? ध्रुवश्च पर्यं पतति ।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैसी भी स्थिति हो वास्तविक स्थिरता की या सापेक्ष स्थिरता की—स्थिर पदार्थ ही 'अपादान' कहलाता है और उसमें पंचमी होती है। किन्तु 'ग्रामाद्भायाति' के उदाहरण से प्रतीत होता है कि इस सूत्र के अन्तर्गत अपादान में किसी भी प्रकार के विश्लेष का भाव समन्वित है—मले ही वह ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, स्थावर-विषयक हो या जङ्गमविषयक हो, ऐक्यपदिक (Simultaneous) हो या शनैःभूषमान हो। दूसरा उदाहरण सापेक्ष स्थिरता-विषयक है। जब सवार दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ता है तो यद्यपि गिरते वक्त सवार और घोड़ा दोनों ही चलायमान रहते हैं, फिर भी सवार की अपेक्षा घोड़ा स्थिर कहा जायगा। और यदि घोड़ा भी गिर जाय तो घोड़े का हौदा आदि अपेक्षया स्थिर कहा जायगा।^१ लेकिन 'पर्वतात् पततोऽश्वात् पतति' उदाहरण में दो-दो अवधिभूत विषय रहने से दो-दो अपादान होंगे—'अश्व' की अपेक्षा 'पर्वत' और अश्वारोही की अपेक्षा 'अश्व'। इसके विपरीत, 'उद्धृतौदना स्थात्री' में समासार्थ में 'स्थाली' अवधिभूत 'ध्रुव' विषय समझी जायगी जैसा 'उद्धृतान्योदनानि यस्याः सा' विग्रह में उसके अपादानत्व से सूचित होता है। फिर, 'ग्रामादागच्छति शकटेन' में 'ग्राम' शब्द में जहाँ अवधिभूत विषय रहने पर अपादानसंज्ञा होगी वहाँ 'शकट' शब्द में साधकतम भाव रहने के कारण करणसंज्ञा होती है। किन्तु प्रश्न उठता है कि जहाँ विश्लेष स्पष्ट नहीं रहता है वहाँ कैसे अपादानकारक हो सकता है? वस्तुतः जहाँ उपपदविभक्ति के रूप में पंचमी होती है वहाँ भी प्रायः हर जगह कम-से-कम बुद्धिगत विश्लेष का भाव अवश्य रहता है। इस प्रकार 'धर्मात् प्रमाद्यति' और 'चोराद् विभेति' में क्रमशः 'प्रमाद्' और 'मय' से मानसिक विश्लेष द्योतित होने के कारण बुद्धिकल्पित अपादानत्व होता है। वस्तुतः भाष्यकार ने कारकप्रकरण में गौणमुख्यन्याय की आवश्यकता बतलाई है जिससे बुद्धिकृत अपादानत्व की कल्पना भी अनावश्यक है। इस प्रकार उन्होंने 'मीत्रार्थानां भयहंतुः' आदि सूत्रों का प्रत्याख्यान कर दिया है।

१. हरि : पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात् पतत्यसी ।
तस्याऽयश्वस्य पतने कुड्यादि ध्रुवमिष्यते ॥

जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम् । पापाज्जुगुप्सते ।
विरमति । धर्मात् प्रभाशेति ।

पूर्वोक्त बुद्धिकल्पित विरलेप का समावेश करने के लिये काव्यायन ने यह
वार्तिक बनाया । इसके आधार पर पाणिनिवृत्त अन्यान्य सूत्र भी सिद्ध हो जाते
हैं । इसके अनुसार जुगुप्सार्थक, विरामार्थक तथा प्रमादार्थक धातुओं के योग
में भी अपादानमज्ञा का उपसंख्यान कर लिया जाय । इस तरह सर्वत्र
उदाहरण में 'पाप' और 'धर्म' शब्दों में अपादान में पंचमी दिखलाई गई है ।
एक विषय यहाँ पर यथा देना आवश्यक है कि विरलेप जैसा भी हो—बुद्धि-
कल्पित या धास्तयिक—वह बराबर संयोगपूर्वक होता है ।^१ अतः जब भी कहा
जाता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में अलग होती है तभी तात्पर्य
होता है कि पहले वह उससे मिली हुई थी ।

मीत्रार्थानां भयहेतुः । १।४।२५। भयार्थानां त्राणार्थानां
च प्रयोगे भयहेतुरपादान स्यात् । चोराद् विभेति । चोरात्
त्रायते । भयहेतुः किम् ? अरण्ये विभेति त्रायते वा ।

✓मी और ✓त्र के पर्यायवाची धातुओं के प्रयोग में जो भय का हेतु
हो वह अपादानमज्ञक होता है । यहाँ 'भय-हेतु' ऐसा शब्द है जो दोनों
धातुओं तथा उनके पर्याय के ग्राह्य समानरूप से लागू होता है इसका कारण
यह है कि त्राणार्थक धातु के मूल में भी भय का ही भाव रहता है । क्योंकि
जिसमें भय होता है उसमें रक्षा भी की जाती है । उदाहरण में दोनों जगह
'चोर' ही भयहेतु है । अतः अपादानमज्ञा में उसमें पंचमी हुई है । लेकिन भया-
र्थक धातु के प्रयोग में कर्मा भी कर्मण्य की संभावना नहीं होगी उनके अकर्मक
होने के कारण । इसके विपरीत, सकर्मक त्राणार्थक के प्रयोग में कर्मण्य भी

१. मिलाइये : महानाप्यम् १।४।३।

इह तावदपमाम्जुगुप्सतेऽधर्माद् बीभत्सते इति । य एष मनुष्यः प्रेषा-
पूर्वकारी भवति स पश्यति दुःखोऽधर्मो नानेन कृत्यमस्तीति । स
बुद्ध्या उप्राप्य निरमंते । तत्र ध्रुवमपायेऽनादानमित्येव सिद्धम् ।

प्रसंगवशा हो सकता है। उदाहरणस्वरूप 'चोराद् चालकं त्रायते' में जहाँ ईप्सिततम रहने के कारण 'चालक' कर्म है वहाँ अपादानसंज्ञा में 'चोर' शब्द में पंचमी है। फिर 'चोराद् विभेति' में 'चोर' शब्द में 'हेतौ पंचमी' भी कही जा सकती है, किन्तु 'चोरात् त्रायते' में यह लागू नहीं होता। परन्तु 'कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोपस्य संयुगे', प्रयोग कैसे हुआ? वस्तुतः^२ तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार 'कस्य जातरोपस्य' का अन्वय 'संयुगे' के साथ है अन्यथा 'विभ्यति' के योग में यहाँ अपादाने पंचमी होती। फिर उनके अनुसार परवर्ती अधिकरण-संज्ञा से वाधित हो जाने के कारण 'संयुग' शब्द में भी अपादानत्व नहीं हो सकता। मेरी समझ में यहाँ वासानी से शेषत्व विवक्षा से पष्ठी सिद्ध हो जाती है। पुनः इसी प्रकार प्रत्युदाहरण में 'अरण्ये विभेति' में 'अरण्य' शब्द में अपादानसंज्ञा को वाधित करके ही अधिकरणसंज्ञा प्रवर्तित हुई है। फिर 'अरण्य' यहाँ भयहेतु की तरह कल्पित भी नहीं है। वस्तुतः जब 'अरण्य' शब्द से 'आरण्यक जन्तु' का उपचार (लक्षण) समझा जायगा तभी अभेदयसर्ग से 'भयहेतु' की तरह कल्पित होने के कारण 'अरण्य' शब्द में पंचमी होगी। इसके विपरीत, 'अरण्य' और 'सिंह' के बीच सम्बन्धविवक्षा होने पर 'अरण्यस्य सिंहाद् विभेति' प्रयोग भी सिद्ध हो सकता है।

पराजेरसोढः । १। ४। २६। पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽर्थोऽपादानं
स्यात् । अध्ययनात् पराजयते । ग्लायतीत्यर्थः । असोढः किम् ?
शत्रून् पराजयते । अभिभवतीत्यर्थः ।

परापूर्वक √जि के प्रयोग में जो असोढ विषय हो उसमें अपादान में पंचमी होती है। परा उपसर्गयुक्त √जि सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी। दोनों के अर्थ भी दो होते हैं—सकर्मक का 'पराजित (या परामृत)

१. वल्मीकिरामायणम् : १। ४ ।

२. 'कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोपस्य संयुगे' इति रामायणे तु 'कस्ये',
त्यस्य संयुगेनान्वयान्नास्ति भयहेतुत्वमिति पष्ठीप्रयोगः सङ्गच्छते । न
चैवं संयुगस्यापादानत्वापत्तिरिति वाच्यम् । परया अधिकरणसंज्ञया
अपादानसंज्ञावाधात् ॥

करना' और अकर्मक का 'पराजित (या परामृत) होना' । इनमें अकर्मक परापूर्वक $\sqrt{\text{जि}}$ ही इस सूत्र की परिधि में आता है । फिर तो प्रत्ययान्त रहने पर भी 'अमोड' का मूठकालिक अर्थ नहीं, अपितु 'असह्य' अर्थ है । इसीमे तो 'अध्ययनात् पराजयेत्यने' आदि प्रयोग भी सिद्ध होते हैं । उदाहरण में 'अध्ययन' ही असह्य विषय है । अतः 'अध्ययनात् पराजयते' का अर्थ है—'अध्ययन से पराजित होता है' (अर्थात् अध्ययन से भागता है) । धस्तुतः यहाँ भी अध्ययन से अनवधानता या पलायन के कारण बुद्धिकक्षित विश्लेष सूचित होता है । प्रयुदाहरण में अकर्मक 'परा' पूर्वक $\sqrt{\text{जि}}$ के विरहित उपसुक्त सकर्मक का प्रयोग दिखलाया गया है । ऐसी स्थिति में 'असह्य' अर्थ का अभाव रहने के कारण अपादानत्व का भी अभाव हुआ । यहाँ कोई अन्य विषय कर्ता को असह्य नहीं होता, बल्कि कर्ता ही किसी अन्य विषय को असह्य होता है । इसलिये सकर्मकत्व में इम्पिततम 'शत्रु' शब्द में कर्मणि दिश्याया हुई है । दूसरी ओर, जब 'शत्रु' ही असह्य हो तो सूत्र के अनुसार 'शत्रुभ्यः पराजयते' भी होगा ।

वारणार्थानामोप्सितः । १।४।२७। प्रवृत्तिविधातो वारणम् ।
 वारणार्थानां घातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थोऽपादानं स्यात् । यवेभ्यो
 गां वारयति । ईप्सितः किम् । यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे ।

वारणार्थक घातुओं के प्रयोग में जो इम्पित रहे वह अपादान होता है और उसमें पंचमां होना है । उदाहरणस्वरूप 'यवेभ्यो गां वारयति' में वारण क्रिया का इष्ट है 'यव' क्योंकि उसे ही घेड़ या गाय के ग्या जाने से बचाना है । कुछ अन्य स्थल की तरह यहाँ भी 'इम्पित' और 'इम्पिततम' का अर्थ समझना चाहिए । यदि ऐसा प्रश्न किया जाय कि यहाँ इम्पित के बदले इम्पिततम ही क्यों न कहा गया तो उत्तर में कहा जा सकता है कि इम्पिततम में तो 'कृतुं ईप्सिततम कर्म' के अनुसार कर्मत्व की ही प्राप्ति होती है । वस्तुतः 'गां' इम्पिततम है क्योंकि यदि उसे हटा लेता है तो स्वतः 'यव' की रक्षा हो जाती है । इसलिये यद्यपि 'यव' इम्पित है (क्योंकि रक्षा करनी है उसी की), फिर भी 'गां' ही इम्पिततम है (क्योंकि वारण क्रिया का लक्ष्य वही है) । ऐसी

अवस्था में यदि 'यव' अपना रहे और 'गो' दूसरे की तो चूँकि कर्ता 'यव' को वचाना चाहेगा सीधे उससे निकटता के कारण, इसलिये 'यव' ही ईप्सिततम होगा और 'गो' ईप्सित-गोः यवं वारयति' । लेकिन ऐसी स्थिति में 'वारण' का वृत्तिगत अर्थ 'प्रवृत्तिविघात' नहीं होगा क्योंकि प्रवृत्ति 'यव' के प्रति 'गो' की ही हो सकती है न कि 'गो' के प्रति 'यव' की उसकी निर्जावता के कारण ! इस दृष्टि से यहाँ 'वारण' का अर्थ 'प्रवृत्तिविघात' नहीं लेकर केवल 'हटाना' लेना पड़ेगा । इसीलिष्ट कहा जाता है—विवक्षावशात् कारकाणि भवन्ति—कारक का होना बहुत कुछ वक्ता (Speaker) की इच्छा पर निर्भर करता है, जिस दृष्टि से वह शब्दों का व्यवहार करे, यह उसकी स्वतंत्रता है । उपर्युक्त स्थल में अन्य दृष्टि से 'यव' हो अपना या 'गो' यव के ईप्सितत्व में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा चूँकि जैसा प्रारम्भ में ही कहा गया है 'गो' के 'वारण' से स्वतः उसकी रक्षा ही जाती है । यदि 'यव' ही दूसरे का है और 'गो' अपनी तो मी 'यव' के खा लेने से जिसका 'यव' है वह 'गो' को पकड़कर बाँध रखेगा, दण्डित करेगा—आदि कारणों से 'यव' ही ईप्सित होने के कारण अपादान होगा ।

लेकिन 'अग्नेर्माणवकं वारयति' में यद्यपि 'माणवक' का ईप्सिततम होना ठीक जँचता है, पर 'अग्नि' कैसे ईप्सित हुई जिससे उसमें अपादानसंज्ञा हुई ? वस्तुतः उपर्युक्त व्याख्यानानुसार 'अग्नि' उस प्रकार ईप्सित नहीं कही जा सकती जिस प्रकार 'यव' है । फिर भी शब्दशक्ति पर ध्यान देने से उसका अपादानत्व सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ 'वारण' का भाव रहेगा वहाँ अवश्य ही एक पदार्थ अनिष्टकारक रहेगा जिससे दूसरे पदार्थ को वचाना अभीष्ट होगा । फिर दोनों में जो बुद्धिकल्पित अवधिभूत विषय होगा वही अपादान होगा । इस प्रकार दोनों उदाहरणों में क्रमशः 'गो' और 'अग्नि' अनिष्टकारी पदार्थ हैं जिनसे 'यव' और 'माणवक' की रक्षा की जाती है । किन्तु एक जगह जहाँ अनिष्टकारी विषय 'गो' है और उसकी अपेक्षा 'यव' अवधिभूत विषय होता है वहाँ दूसरी जगह अनिष्टकारी 'अग्नि' ही अवधिभूत होने के कारण अपादान होता है । दूसरी ओर, प्रत्युदाहरण में दिखलाया गया है कि 'गो' का वारण किया जाता है क्षेत्रस्थ 'यव' से, न कि क्षेत्र से क्योंकि

यह (क्षेत्र) अपने में ईप्सित नहीं है । इसके विपरीत, जब 'क्षेत्र, और 'यव' के बीच अमंश्माव समझा जायगा या 'क्षेत्र' में ही 'यव' का भार निहित समझा जायगा तब 'क्षेत्र' शब्द में अपादाने पंचमी होगी और 'क्षेत्रात् गं वारयति' हो सकता है ।

अन्तर्यां येनाऽदर्शनमिच्छति ।१।४।२८। व्ययधाने मति यत्कुरुर्त्तुं स्यात् मनो दर्शनस्याऽभावमिच्छति तदपादानं स्यात् । मातुर्निलीयते कृष्णः । अन्तर्यां किम् ? चोरान्न दिदृक्षते । इच्छतिग्रहणं किम् ? अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा-स्यात् ।

अन्तर्यां (अर्थात् व्ययधान) रहने पर जिससे अदान (अर्थात् छिपना) चाहे वह अपादान होता है और उसमें पंचमी होती है । सूत्र में 'तद-त्रोधिनीकार ने 'येन' को अनुक्त तृतीया से युक्त बतलाया है जिसकी व्याख्या अमंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । 'माता कृष्णं मृगयते' ऐसा पूर्ववाक्य कथित करने पर ही अनुक्त कर्ता की शब्दशास्त्रिक व्याख्या कर 'मातुः निलीयते कृष्णः' को हम उपयुक्तता निद्र कर सकते हैं । वस्तुतः सूत्र में 'येन' के स्थान में 'यन्मातुः' का अन्वय करके समुचित और साधारण अपादान के अर्थ का प्रतिपादन किया जा सकता है । उदाहरण में 'निलीयते' का प्रयोग कर व्ययधान का बोध कराया गया है । जब कृष्ण भरती माँ में छिपते हैं तो हिमो 'भित्ति' आदि को भाङ्ग में छिपते हैं । इसके विपरीत, प्रत्युदाहरण में कोई व्ययधान सम्भव नहीं है । फिर, चूँकि चोर न देख ले, इसलिए चोर का नहीं देगना चाहता है, अतः 'चोर' शब्द में ईप्सितत्ववत् अतोत्पित्त में कर्मत्व में द्वितीया ही हुई है । अदर्शन की इच्छा रहने पर भी 'अन्तर्यां' के अभाव में अपादान नहीं हुआ । फिर, 'अदर्शनमिच्छति' ऐसा स्वल्पे कहा जिससे अदर्शन की इच्छा रहने पर 'दानं' हो जाने पर भी इष्ट अर्थ में अपादानमंशा

१. येनेति कर्त्तरि तृतीया । न च कर्त्तृषोषे पञ्चमसङ्गः, 'उभयप्राप्ती कर्मण्येवंति नियमान् ।

हो। 'कृष्ण' माता से छिपते हैं लेकिन यदि माता 'कभी-कभी' उसे देख भी सके तो भी उसमें अपादानत्व होता है। इस तरह 'कृष्ण' को माता से 'अदर्शनेच्छा' है अवश्य, किन्तु उसे माता का 'दर्शन' अनिष्ट नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्युदाहरण में इसलिए भी 'चोर' शब्द में अपादानत्व नहीं हुआ चूँकि वह अनिष्ट है। लेकिन वस्तुतः यदि कोई डरपोक रहे और अनिष्टत्व रहते हुए भी 'चोर' से छिपे तो 'चोरभयः निलीयते' हो सकता है। अतः 'अनिष्टत्व' अपादानत्व का वाधक होगा, ऐसा शब्दशक्ति के आधार पर नहीं कहा जा सकता।

आख्यातोपयोगे ।१।४।२६। नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे
वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात् । उपाध्यायादधीते । उपयोगे किम् ?
नटस्य गार्थां शृणोति ।

गुरुमुख से नियमपूर्वक विद्या-ग्रहण करना 'उपयोग' कहलाता है। जहाँ 'उपयोग' हो वहाँ जिससे विद्या स्वीकार की जाय उससे अपादान में पंचमी होती है। सूत्र में आख्याता का अर्थ है व्याख्याता या उपाध्याय। उदाहरण में शिष्य उपाध्याय से सविध विद्या ग्रहण करता है इसलिये 'उपाध्याय' शब्द में अपादानसंज्ञा हुई है। वस्तुतः माप्य में 'उपाध्यायान्निर्गतं वेदं गृह्णाति' ऐसा उपर्युक्त उदाहरण का स्पष्टीकरण करके पतञ्जलि ने इस सूत्र का भी बुद्धि-कृत अपादानत्व के आधार पर प्रत्याख्यान कर दिया है। प्रत्युदाहरण में दिखलाया गया है कि 'उपयोग' के अभाव में अपादान संज्ञा नहीं हुई; ऐसी स्थिति में सम्बन्धमात्र की विवक्षा रहने पर षष्ठी हुई। इस सूत्र के अनुसार 'नियमपूर्वक विद्यास्वीकार' के अभाव में कभी भी अपादान नहीं हो सकता, किन्तु मापा का यह बन्धन ठीक नहीं। वस्तुतः शब्दशक्ति के अनुसार 'नटस्य गार्थां शृणोति' की ही तरह केवल विवक्षावशात् 'नटाद् गार्थां शृणोति' भी हो सकता है। फिर, उदाहरण और प्रत्युदाहरण में क्रमशः 'अधीते' और 'शृणोति' क्रियाओं का प्रयोग भी बहुत अन्तर ला देता है। लेकिन 'उपाध्यायाद् वेदमधीते' यदि उदाहरण मान लिया जाय तो इसी प्रकार 'उपाध्यायस्य वेदमधीते' भी सम्बन्धविवक्षा में क्यों नहीं हो सकता है? किन्तु यदि ऐसा मानें कि

उपाध्याय का वेद उस प्रकार नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार नट की गाथा—
तो समझना चाहिये कि 'गाथा' भी तो किसी अन्य मनुष्य की उसी प्रकार की
हो सकती है जिस प्रकार 'नट' की।

जनिकर्तुः प्रकृतिः । १।४।३०। जायमानस्य हेतुरपादानं
स्यात् । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ।

जनन जनिरूपति । 'जनि' का अर्थ है उत्पत्ति और सूत्र में उत्पत्तिकर्ता
का अर्थ लिया गया है । 'उत्पत्ति का आश्रयभूत' । 'प्रकृति' का साधारण अर्थ
'हेतु' लिया गया है । इस प्रकार उत्पत्ति के आश्रयभूत विषय का जो 'हेतु'
रहे उसमें अपादान में पचमी होती है । अर्थात् यदि कोई पदार्थ उत्पन्न हो तो
उसकी उत्पत्ति का जो 'हेतु' हो (अर्थात् जहाँ से वह उत्पन्न हुआ हो) उर्मा
में पचमी होती है । उदाहरण में 'प्रजा' उत्पन्न होती है और उसकी उत्पत्ति
का हेतु है ब्रह्मा क्योंकि उर्मा से 'प्रजा' उत्पन्न होती है । 'ब्रह्मा' शब्द में
इसी से अपादाने पचमी हुई है । वस्तुतः हलन्त धातु को कर्मा-कर्मि सूत्र में
इकरान्त निर्दिष्ट किया जाता है । इस प्रकार मेरी समझ में यदि 'जनि' से
√जन् मात्र का बोध समझा जाय तो अर्थ सरल हो जाता है—√जन् के कर्ता
(Subject) का हेतु अपादान होता है । इस प्रकार 'ब्रह्मा' शब्द में
प्रपूर्वक √जन् के कर्ता 'प्रजा' के प्रकृतिभूत होने के कारण अपादान सहा में
स्पष्ट पचमी कही जा सकती है । यहाँ प्रपूर्वक √जन् के प्रयोग से
स्पष्ट है कि निर्दिष्ट धातु के साथ किसी भी उपसर्ग का योग सूत्र की प्रवृत्ति
में बाधक नहीं है । इसी ही नहीं, पर्याय धातुओं के प्रयोग में भी नियम
लगा होगा । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 'तत्त्वबोधिनोकार के अनुसार
'जनिकर्ता' का अर्थ 'उत्पत्ति का आश्रयभूत' लेने से ही √जन् को छोड़कर
कोई भी पर्य-यवाची धातु प्रयोग की परिधि में आ सकता है । इस प्रकार
उन्होंने 'अद्वादद्वात् संभवति' प्रयोग इसी सूत्र के अन्तर्गत सिद्ध किया है ।
किन्तु मेरी समझ में इस प्रयोग को अधिक यदियाँ तरह से अनुवर्तिसूत्र
'सुष प्रमय.' में सिद्ध किया जा सकता है ।

१. एव धोवन्दाश्रयस्य सो हेतुस्तदपादानमित्यर्थाद्वात्वतस्त्रयोग्यवना-
दानाय भवत्येव । 'अद्वादद्वात्संभवति—' इति यथा ।

फिर, भाष्यकार और कैयट के अनुसार सूत्रस्थ 'प्रकृति' शब्द का अर्थ 'उपादान कारण' है।^१ इसके स्पष्टीकरणार्थ उन्होंने उदाहरण दिये हैं— 'गोमयाद् वृश्चिका जायन्ते', 'गोलोमाऽविलोमभ्यो दूर्वा जायन्ते'—और इनमें उन्होंने बुद्धिकल्पित विश्लेष सिद्ध करके मूल सूत्र से ही अपादानत्व सिद्ध किया है। किन्तु, दीक्षित के मत में सूत्रस्थ 'प्रकृति' का अर्थ 'हेतु' मात्र है, उदाहरण उन्होंने दिया है—'पुत्रात् प्रमोदो जायते'। यह मत अधिक ग्राह्य और व्यापक है। इस तरह इस मत के ग्रहण से सूत्र की आवश्यकता भी सिद्ध होती है। वृत्तिकार ने सूत्र में अंशट से वचने के लिये उभयसाधारण उदाहरण दिया है—'ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते'—जहाँ ब्रह्मा 'हेतु' भी है और मायोपहितचैतन्यत्व के कारण सर्वकार्योपादान की हैसियत से 'उपादान कारण' भी है।

भुवः प्रभवः । १।४।३१। भवनं भूः । भूकर्तुः प्रभवस्तथा ।
हिमवतो गंगा प्रभवति । 'तत्र प्रकाशते' इत्यर्थः ।

जिस प्रकार पूर्व सूत्र में 'जनि' की व्याख्या धातु रूप में नहीं करके संज्ञा रूप में की गई है उसी प्रकार इस सूत्र में भी वृत्तिकार को 'भवनं भूः' व्याख्या से स्पष्ट है कि उनका आशय 'भू' का संज्ञा रूप में ग्रहण करना है। तदनुसार 'भू' का आश्रयभूत 'प्रभव' अपादानसंज्ञक होता है। प्रभवति प्रथमं प्रकाशतेऽस्मिन्निति प्रभवः। 'प्रभव' कहते हैं उस 'स्थानादि' विषय को जहाँ पहले पहल कुछ दीख पड़े। अतः जहाँ कुछ होना हो वहाँ जिस स्थान से कुछ होता दीख पड़े उसमें अपादान संज्ञा होती है। उदाहरणस्वरूप 'हिमवान्' पर 'गंगा' के सर्वप्रथम दीखने से 'हिमवान्' शब्द में अपादाने पंचमा हुई है। वस्तुतः 'प्रभव' का भी अर्थ उत्पत्ति ही है लेकिन इस सूत्र की आवश्यकता सिद्ध करने के लिये प्रायः इसका विशेष अर्थ कहा गया है। इसके अनुसार

• महाभाष्यम्: १।४।३ अयमपि योगोऽवक्तुं शक्यः । कथम् ? गोमयाद् वृश्चिका जायन्ते । गोलोमाऽविलोमभ्यो दूर्वा जायन्ते इति । अपक्रामन्ति शास्तेभ्यः ।

जहाँ पूर्व सूत्र में 'मूल उत्पत्तिस्थान' में ही अपादान सज्ञा होती है तहाँ इस सूत्र में केवल 'प्रकाशन स्थान' में । इस प्रकार पूर्व-सूत्रस्य उदाहरण में प्रज्ञा ही प्रजा की उत्पत्ति के आदि है किन्तु प्रस्तुत सूत्र में 'हिमवान्' गंगा की उत्पत्ति का आदि नहीं । वस्तुतः गंगा मानमरोवर से निकलती है । वह हिमालय पर केवल उत्पन्न होती दीख पड़ती है । इस प्रकार आपातत कहीं उत्पन्न होने और कहीं से उत्पन्न होत दाग्य पड़ने में अन्तर है । मेरी समझ में पूर्वसूत्र की तरह यहाँ भी 'भू' को सज्ञा मानने की अपेक्षा धातु मानना अधिक सुविधानुक प्रतीत होता है । एसी स्थिति में $\sqrt{\text{भू}}$ के कर्ता (Subject) का 'प्रभव' अपादान होगा । इस प्रसंग में यह यत्ना देना आवश्यक है कि पूर्व सूत्र के 'जनिकर्तुः' स यहाँ 'कर्तुः' की अनुवृत्ति होता है और उसका अन्वय 'भुव' के साथ करने पर 'भुव कर्तुः प्रभवः' सूत्र का अर्थ प्रतिपादित होता है । वस्तुतः भाष्यकार ने 'प्रभवति' का 'अपवामति' अर्थ देकर इस सूत्र को भी प्रत्याख्यात कर दिया है । पुन उत्पन्न होने और उत्पन्न होते दीखने में इस दृष्टि से कम अन्तर प्रतीत होता है कि जो किसी स्थान में उत्पन्न होता—मा दीख पड़ सकता है वह वहाँ वस्तुतः उत्पन्न भी हो सकता है । इस हात्त में दोनों सूत्रों में केवल दो अलग-अलग जन् और धातुओं (?) के प्रयोग प्रयुक्त अन्तर हो सकता है । फिर जिन प्रकार पूर्व सूत्र में केवल $\sqrt{\text{जन्}}$ के प्रयोग में ही सीमाबन्धन नहीं है उसी प्रकार इस सूत्र में भी उपमर्गयुक्त या उपमर्गविहीन—किसी भी अवस्था में— $\sqrt{\text{भू}}$ का प्रयोग अपेक्षित है ।

न्यत्रलोपे कर्मण्यधिकरणे च । प्रासादात् प्रेषते । आसनात् प्रेषते । 'प्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रेषते' इत्यर्थः । स्वशुराज्जिह्वेति । स्वशुरं नीचयेत्यर्थः ।

इयर् प्रत्यय लग कर जहाँ लोप हो गया है वहाँ इयवन्त के साथ ३ लोप के पूर्व कर्म या अधिकरण हो उभयमं पश्चमी निमित्त ही जाती है । इय के लोप होने का मतलब इयवन्त का लोप होना है । इयवन्त के योग

कर्मत्वविवक्षा और अधिकरणत्वविवक्षा होने पर क्रमशः विशेष-विशेष धातु के योग में विशेष-विशेष प्रसंग में द्वितीया और सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं। फिर यदि ल्यवन्त का लोप हो जाता है तो उसके योग में जिस शब्द में द्वितीया या सप्तमी लगी रहती है, उसमें पंचमी हो जाती है। उदाहरण में 'प्रासादात् प्रेक्षते' में ल्यवन्त 'आस्त्व' शब्द के लोप होने पर 'प्रासाद' शब्द में जिसमें ल्यवन्त के लोप के पहले कर्म में द्वितीया थी, पंचमी हो जाती है—'प्रासादात् प्रेक्षते'—और उसी प्रकार 'आसने उपविश्य प्रेक्षते' की जगह 'आसनात् प्रेक्षते' हो गया है जहाँ ल्यवन्त के लोप होने पर अधिकरण की सप्तमी की जगह 'आसने' शब्द में पंचमी हो गई है। इसी तरह 'अशुभात् वेहेति' भी ल्यवन्त के लोप होने पर कर्मप्रयुक्त द्वितीयान्तत्व की जगह अन्वयन्तत्व का उदाहरण है। वस्तुतः ऐसी-ऐसी स्थिति में ल्यवन्त लोप का भाव होने पर भी लुद्धिकृत विशेष का भाव स्पष्ट है। ल्यवन्त-लोप में जो यह पंचमी होती है उसको ल्यवर्थ-पंचमी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी पूर्वोक्त उदाहरण में पञ्चम्यन्त शब्द में ल्यप् की स्थिति प्रतिभासित हो जाती है।

**गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम् ।
स्मात्त्वं ? नद्याः ।**

यहाँ बता देना आवश्यक है कि गम्यमान भी क्रिया किसी भी प्रासंगिक रक विभक्ति का निमित्तभूत होती है। अतः यदि कोई क्रिया स्पष्टतः उक्त में हो तो उसके रहने से जो विभक्ति उस प्रसंग में उसके योग में होती थी वह होगी ही। वस्तुतः ऐसी गम्यमान क्रिया 'स्थानी' के रूप में भी है जिसका स्थान रहता है—केवल स्पष्टतः प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार गानुसार कोई भी गम्यमान क्रिया किसी भी विभक्ति की प्रयोजिका होती है। उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में 'कस्मात् त्वम्' के साथ 'आगतोऽसि' या गम्यमान है और 'नद्याः' के साथ 'आगतोऽस्मि' क्रिया। इसी प्रकार 'दान' के प्रसंग में यदि कोई पृच्छता है—'कस्मै ?'—तो अर्थ होता है—'मे दीयते ?' और इसके उत्तर में 'विप्राय !' में भी 'दीयते' क्रिया गम्यमान होती है।

ऐसे ऐसे स्थल में वस्तुतः ऐसा कहना ठीक नहीं है कि गम्यमान क्रिया के प्रसंगानुसार ही कोई कारक विभक्ति होती है, यद्वि एक समझना चाहिये ऐसा कि किसी कारक विभक्ति से ही प्रसंगानुसार कोई विशेष गम्यमान क्रिया च्यनित होती है। उदाहरणस्वरूप 'आगतोऽसि' के गम्यमान रहने पर ही 'कस्मात् एवम्' के अन्तर्गत 'कस्मात्' शब्द में अपादान से पचमी हुई' ऐसा कहना सुत्रिक है। इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि 'कस्मात्' के रहने पर 'आगतोऽसि' क्रिया गम्यमान प्रगत होता है। स्पष्टत इम परिभाषा का प्रयोजन यही बतलाना है कि किसा साक्षात् क्रियायोग के रहने पर ही कोई कारकविभक्ति नहीं होती है यद्वि वह क्रियायोग यदि गम्यमान भी रहे त भी साक्षात् योग से जो विभक्ति पाया वह गम्यमान रहने पर भी होगी।

यथाध्वकालनिर्माणं तत्र पचमी । तद्युक्ताद्धनः
प्रथमासप्तम्यां । कालात्सप्तमी च वक्तव्या । वनाद् ग्रामो योजने
योजनं वा । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे ।

पुन जहाँ से 'अध्व' और 'काल' का परिमाण लिया जाय उससे पचम होती है और उसके योग में आये अध्ववाची शब्द में प्रथमा और सप्तमी तथा कालवाची शब्द में केवल सप्तमी होती है। उदाहरण में 'वन' से 'ग्राम' का के 'अध्व' का परिमाण लेने में 'वन' शब्द में पचमी और 'अध्व' के परिमाण वाची 'योजन' शब्द में विरुद्ध से प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ हुई हैं अत 'वनाद् ग्राम योजन' भी इस सद्धता है और 'वनाद् ग्राम, योजनम्' भी इसी प्रकार 'कार्तिकी से' 'आग्रहायणी' तक के काल का परिमाण लेने : कार्तिकी शब्द में पचमी तथा काल के परिमाणवाची 'मास' शब्द में सप्तम हुई है। मनुज साधारणतया कौत्तिक व्यवहार में अपभ्रंश में भी कहा जा है—'वन से गाँव एक योजन पर है' या 'वन से गाँव एक योजन है पर त्रिम प्रकार व्यवहार में 'कार्तिक से आग्रहन एक मास पर है'—नि होता है उस प्रकार 'कार्तिक से आग्रहन एक मास है—इस वाक्य के अनुर ससृष्ट में 'कार्तिक्या, आग्रहायणी मासे' सिद्ध नहीं होगा।

यहाँ 'यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी' के प्रसंगवश ही 'तद्युक्ताध्वनः प्रथमासप्तभ्यौ' और 'कालात् सप्तमी च वक्तव्या' कह दिये गये हैं। वस्तुतः 'यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी' के अन्तर्गत दो वाक्यांश हैं—'यतश्चाध्वनिर्माणं तत्र पंचमी' और 'यतश्च कालनिर्माणं तत्र पंचमी'। इनमें 'अध्वनिर्माणं', 'कालनिर्माणं' और 'जहाँ से अध्वकाल-निर्माण हो'—ये वाच्य हैं। इसलिये तत्-तद्वाची शब्द से ही तत्-तद् विभक्ति जगाने का तात्पर्य है। फिर 'जहाँ से अध्वनिर्माण' होगा, तद्वाची शब्द अक्षय ही स्थानवाची होगा और 'जहाँ से कालनिर्माण होगा' तद्वाची कालवाची होगा। अतएव उदाहरणों में क्रमशः स्थानवाची 'वन' शब्द से और कालवाची 'कार्तिकी' शब्द से ही पंचमी हुई है।

अन्यारादितरर्त्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ।२।३।२६।
 एतैर्योगे पंचमी स्यात् । अन्य इत्यर्थग्रहणम् । इतरग्रहणं
 प्रपञ्चार्थम् । अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात् । आराद् वनात् ।
 ऋते कृष्णात् । पूर्वो ग्रामात् । दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शब्दः ।
 तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति । चैत्रात्पूर्वः
 फाल्गुनः । अव्ययवाचियोगे तु न, 'तस्य परस्मान्नेडित' मिति
 नैदेशात् । पूर्व कायस्य ।

अन्य, आरात्, इतर, ऋते, दिक् शब्द, अञ्चूत्तरपद तथा आच् और गहि प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में पंचमी होती है। सूत्र में 'अन्य' शब्द के साथ 'इतर' शब्द का ग्रहण इस बात के स्पष्टीकरणार्थ हुआ कि न केवल 'अन्य' शब्द के योग में, बल्कि इसके पर्याय अन्य शब्दों के योग में भी पंचमी होती है। वस्तुतः 'अवर' अर्थवाले 'इतर' शब्द के योग में पंचमी की सिद्धि 'पंचमी विभक्ते' सूत्र से ही हो जाती है। इसीलिये उदाहरण में 'अन्य' के पर्यायवाची 'भिन्न' शब्द के योग में भी पंचमी दिखलाई गई है। इसके अलावे, 'आरात्' और 'ऋते' अव्यय पदों के योग में भी यह विभक्ति

होती है। इनमें 'आरात्' का अर्थ प्रमगानुसार 'मर्माप' और 'दूर' दोनों होना है तथा 'शने' विनार्थक है। किन्तु, तब फलति पुरयाताधनमृते' प्रयोग कैसे सिद्ध होगा? वस्तुतः हरदत्त के अनुसार यह प्रयोग प्रमाद्वय है। लंडिन कुछ अन्य वैचारिकता यहाँ 'शने' शब्द के योग में द्वितीया की सिद्धि करते हैं। चन्द्र-ध्याकरण में हमी मात्र की पुष्टि मिलती है। अथ 'दिशा' के अर्थ में रुद्र कोट्टे भी शब्द पारिभाषिक रूप से (Technically) दिग् शब्द कहलाता है। इमलिये केन्द्र पूर्व, उत्तर आदि रुद्र दिशावाची शब्दों के योग में ही पंचमी होगी, न कि ऐन्त्री, वाग्गी आदि व्याख्यारूप में प्रयुक्त दिशावाची शब्दों के योग में भी। पुन 'दिशा' शब्द स्थान (Space) और काल (Time) दोनों का बोध होता है। अत उदाहरण में 'पूर्व ग्रामात्' से 'ग्राम के पूर्व दिशास्थित स्थान' और 'वेजात्पूर्व फाल्गुन' से 'काद-दृष्ट्या चैत्र में पूर्व फाल्गुन' का बोध होता है। इमक विपरीत, कमी-कमी ऐसे शब्द अप्रयत्नवाची होते हैं जैसे 'पूर्व कायम्य' में, लंडिन इनके योग में पंचमी नहीं होती। यह पंचमा वा प्रागपेक्ष धरमुत 'तस्य परमाग्नेष्टितम्' मूल के ज्ञापन के आधार पर होगा है।

अञ्चूत्तरपदस्य तु दिक्शब्दत्वेऽपि 'पञ्चतसर्थे'ति पृष्ठी चाधितुं पृथग्ग्रहणम्। प्राक् प्रत्यक् वा ग्रामात्। आच्-दक्षिणा ग्रामात्। आदि—दक्षिणादि ग्रामात्। 'अपादाने पंचमी'ति सूत्रे 'कार्तिक्याः प्रभृती'ति भाष्यप्रयोगात् प्रभृतियोगे पंचमी। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेच्यो हरिः। 'अपपरिग्रहिरिति समासविधानाज्जापनाद् वहिर्योग पंचमी, ग्रामाद् वहिः।

फिर, $\sqrt{\text{अञ्चूत्तरपद}}$ शब्दों के उत्तरपद में ही उनको 'अञ्चूत्तरपद' कहते हैं। ये शब्द 'प्राक्' 'प्रत्यक्' आदि हैं जिनमें प्र + $\sqrt{\text{अञ्चू}}$, प्रति + $\sqrt{\text{अञ्चू}}$ आदि में

१. मूल- शब्द द्वितीया प।

२. पारिभाषिक १।१।२।

रपयुक्त प्रत्यय से व्युत्पत्ति करने पर स्पष्ट दीख पड़ता है कि पूर्वपद 'प्र' 'प्रति' हैं और उत्तरपद 'अञ्चु'। इस प्रकार यद्यपि 'सध्यक्' आदि शब्द भी अञ्चूत्तरपद हैं लेकिन यहाँ 'अञ्चूत्तरपद' का तात्पर्य केवल दिशावाची प्राक्, प्रत्यक् आदि शब्दों से ही है। किन्तु जय सूत्र में 'दिक्शब्द' का पृथक् करके ग्रहण है ही तो उसका अन्वय 'अञ्चूत्तरपद' के साथ करके इसकी परिधि में केवल 'दिशावाची अञ्चूत्तरपद' के समावेश को क्या आवश्यकता है? वस्तुतः 'पृथ्व्यन्तर्गतप्रत्ययेन' सूत्र से प्राप्त षष्ठी को वाधित करने के लिये ही ऐसा किया गया है। पुनः आच् और आहि प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में भी पंचमी होती है। ये प्रत्यय बहुधा दिशावाची शब्दों से ही लगते हैं और इनसे बने शब्द अव्यय होते हैं। सचमुच सूत्र में 'दिक्शब्द' का ग्रहण रहने पर भी जो इन प्रत्ययों से व्युत्पन्न दिशावाची शब्दों के योग में पंचमी का विधान किया गया है वह तन्त्रबोधिनीकार के अनुसार चिन्त्यप्रयोजन है। इसके विपरीत, वाल्मनीरमाकार के अनुसार यह 'पृथ्व्यन्तर्गत' सूत्र से प्राप्त षष्ठी के वाधनार्थ ही है। वस्तुतः इस सूत्र को भी दो अंशों में विभाजित किया जा सकता है—'अन्यारादितरत्ते' और 'दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते'। इनमें पूर्व अंश में ऐसे शब्द हैं जिनके योग में अलग-अलग पंचमी का विधान हुआ है। किन्तु दूसरे अंश में ऐसे शब्द हैं जिनमें पूर्व 'दिक्शब्द' का अन्वय वादवाले 'अञ्चूत्तरपद' तथा 'आच्' और 'आहि' में करने से सूत्र की व्याख्यागत कठिनाइयाँ बहुत-कुछ हल हो जाती हैं। और इससे 'पृथ्व्यन्तर्गत' सूत्र से प्राप्त षष्ठी को वाधित करने के लिये 'अञ्चूत्तरपद' तथा 'आच्' और 'आहि' प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के साथ अपनी ओर से 'दिशावाची' के अन्वय का कोई अवसर ही नहीं आता।

लेकिन 'वहिः' और 'प्रभृति' शब्द के योग में कौन-सी विभक्ति होती है? वस्तुतः किसी भी सूत्र या वार्तिक में इसका समाधान नहीं हुआ है और यह समस्या दीक्षित इसी सूत्र की वृत्ति के क्रम में शापन के आधार पर हल करते हैं। इसके अनुसार इन शब्दों के योग में पंचमी ही होती है। यह पंचमी

विभक्ति 'यद्भि' के योग में स्थापित होती है 'अपपरिवहिरञ्चप पञ्चम' मूल स। इसके अन्तर्गत अध्ययाभाव में 'यद्भि' शब्द का समास पञ्चम पद के साथ करन की कहा गया है और जय 'यद्भि' के योग में पचमी ही लय न पचमी विभक्तिवाचक पद के साथ इसका समास होगा ? परन्तु 'अस करमो यद्भि' प्रयोग किस मित्र होता है ? वस्तुतः, यहाँ वैभाकरण सामान्यतः 'ज्ञापकसिद्ध न सर्वत्र' परिभाषा सामने रखते हैं—चूँकि 'यद्भि' के योग में पचमी 'ज्ञापक' के आधार पर जाता है और 'ज्ञापक' से जो मित्र होता है वह सर्वत्र अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता इसलिए कुत्रचिद् अन्य विभक्ति भ हो सकती है। लेकिन मरा ममज्ञ में 'यद्भि' का सीधा सम्बन्ध 'कारय' के साथ नहीं है, अपितु 'करम' के साथ है। ऐसी स्थिति में 'यद्भि' विभक्ति करेगा 'करम' को और उसके अर्थ होगा 'यद्भिर्मांग'। इस तरह 'करम' के योग में 'कर' शब्द में पचमी भी मित्र हो जाती है। इसी प्रकार 'अपपरि पचमी' मूल के अन्तर्गत व्याख्यान के अन्तर पर भाष्यकार द्वारा 'दानिक्या मभृति' प्रयोग करने में 'मभृति' शब्द के योग में भी पचमी स्थापित होती है इतिपर टीकाकार हण कैयट के 'तत आरभ्येत्यर्थ' वचन से यह म अभिमत होता है कि न केवल 'मभृति' के योग में, प्रत्युत उसके पर्यायवाचक अन्य शब्दों के योग में भी पचमी होगी। परन्तु 'आरभ्य' शब्द के योग में मभृतिप्रियञ्जा रहने पर पचमी के साथ द्वितीया भी हो सकती है। यह शब्दों के चूँकि इसके अन्तर्गत भा + √रभ् है और इससे क्रियायोग मृत्ति होगा है। फिर, क्रियान्वय रहने पर तो कारकविभक्ति ही हो सकती है।

अपपरो वर्जने ।१।४।८८। एती वर्जने कर्मप्रवचनीयो स्तः

अप और परि उपसर्ग वर्जने के अर्थ में कर्मप्रवचनीय होंगे। 'लक्षणोपसर्ग तादृशान्—' मूल में लक्षण आदि के अर्थ में 'परि' के कर्मप्रवचनीयत्व ममान है। भाय इस मूल में उसके कर्मप्रवचनीयत्व की उक्ति है। अप अपरम ही इसके मन्वन्व अनुगत 'पञ्चमपराहपरिभि' मूल में है। यद्यपि इसके तथा अन्य उपसर्ग के योग में द्वितीया के अपवादस्वरूप पद

का विधान होता है। सूत्र में यद्यपि 'अप' का सम्बन्ध 'वर्जन' के साथ आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथापि 'परि' उपसर्ग में यह अर्थ ढूँढ़ निकालना कठिन प्रतीत होता है।

आङ्मर्यादावचने ।१।४।८६। आङ्मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात् । वचनग्रहणादभिविधावपि ।

मर्यादा उच्यतेऽनेनेति मर्यादावचनम् । 'आङ्' के मर्यादावचनत्व का विधान करने के कारण 'आङ्मर्यादाभिविध्योः', सूत्र ही 'मर्यादावचन' सूत्र कहना पड़ेगा। अतएव प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'मर्यादा' और 'अभिविधि' दोनों अर्थों में आङ् उपसर्ग कर्मप्रवचनीयसंज्ञक होगा, यद्यपि 'मर्यादावचन' शब्द से आपाततः मालूम पड़ता है मानो केवल 'मर्यादा' अर्थ में ही ऐसा होता हो। वस्तुतः 'मर्यादा' और 'अभिविधि' यहाँ पारिभाषिक शब्द के रूप में गृहीत हैं। इनमें 'मर्यादा' का अर्थ है—'तेन विना' और 'अभिविधि' का अर्थ है—'तेन सह'। दूसरे शब्दों में 'मर्यादा' में किसी प्रासंगिक विषय का 'वर्जन' होता है और 'अभिविधि' में उसका 'ग्रहण'।

पञ्चम्यपाङ्परिभिः ।२।३।१०। एतैः कर्मप्रवचनीयैर्योगैः पंचमी स्यात् । अप हरेः, परि हरेः संसारः । परिरत्र वर्जने । लक्षणादौ तु हरिं परि । आ मुक्तेः संसारः । आ सकलाद् ब्रह्म ।

इन 'अप', 'आङ्' तथा 'परि' कर्मप्रवचनीयों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरणस्वरूप 'अप हरेः संसारः' और 'परि हरेः संसारः' का अर्थ है—'हरिं वर्जयित्वा संसारः'। तात्पर्य है—'हरि की स्थिति कूटस्थ है'। अतः यहाँ 'परि' और 'अप' वर्जनार्थक हैं। इसके विपरीत, 'लक्षणैश्चम्भूताख्यान—' सूत्र के अनुसार लक्षणादि के अर्थ में 'परि' के योग में द्वितीया होगी। पर यह बात देना आवश्यक है कि वृत्ति में कर्मप्रवचनीय के रूप में 'अप' का प्रयुदाहरण इसलिये नहीं दिया गया चूँकि अन्यथा कहीं भी किसी अन्य अर्थ में यह कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं लेता। सूत्र में 'अप' तथा 'परि' के साथ 'आङ्' कर्मप्रवचनीय का भी समाहार हुआ है। अन्तर यह है कि जहाँ 'अप'

और 'परि' केवल वर्जनार्थक है वहाँ 'आट्' वर्जनार्थक तथा ग्रहणार्थक दोनों हैं। अतः 'भा मुक्तेः ससार' का अर्थ है—'मुक्ति वर्जयिष्या ससार', छेदित 'भा सक्टाद् ग्रह' का अर्थ है—'सक्त् व्यास्य ग्रह'। इस तरह इस सूत्र का हम 'अपवर्ग वर्जने' तथा 'आट्'मर्त्यादावचने' सूत्रों को विभक्तिविधायक सूत्र कह सकते हैं।

**प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः । १।४.६२। एतयोरर्थयोः प्रति-
रुक्तसंज्ञः स्यात् ।**

पुन 'प्रतिनिधि' और 'प्रतिदान' अर्थों में 'प्रति' उपसर्ग कर्मप्रवचनीय-मज्ञक होता है। वस्तुतः क्रिया के 'सदृश' को उसका प्रतिनिधि कहते हैं तथा 'प्रदत्त का प्रतिनिध्यापन' कहलाना है प्रतिदान।

**प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् । २।३।११। अत्र कर्म-
प्रवचनीयैषोऽंगे पचमी स्यात् । प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति । तिलेभ्यः
प्रतियच्छति मापान् ।**

इस सूत्र के अनुसार, निम्नमें कोई 'प्रतिनिधि' हो तथा त्रियमे दान के बदले 'प्रतिदान' किया जाय उसमें उपयुक्त सूत्र से विहित कर्मप्रवचनीय 'प्रति' के योग में पचमी होती है। इस प्रकार उदाहरणों में 'प्रति' क्रमशः 'प्रतिनिधि' तथा 'प्रतिदान' का संज्ञक है। दूसरे शब्दों में, 'प्रति' के योग में प्राप्त पंचमी का अर्थ प्रथम उदाहरण में 'सादृश्य' और द्वितीय में 'प्रतिदान' है। अतः वस्तुतः 'प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति' का अर्थ है—'प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि है' और 'तिलेभ्यः प्रतियच्छति मापान्' का अर्थ है—'तिल छेने के अण में माप देता है'। दूसरे उदाहरण में कर्मप्रवचनीय होने के कारण 'प्रति' को 'पच्छति' क्रिया से पृथक् समझना चाहिये। वस्तुतः उपसर्ग की अवस्था में इसे क्रियायोग में रखने पर भी प्रयोग में कोई अन्तर नहीं आया। तब जहाँ 'प्रतिदान' का अर्थ है वह वहाँ निम्नके बदले में कुछ दिया जाय तद्वाची दत्त में पचमी विभक्ति होगी 'इस भाग्य के योगनार्थ हम इस सूत्र का प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। पुन इस सूत्र को हम पूर्वसूत्र का पूरक मान सकते हैं। किन्तु ऐसी अवस्था में दोनों सूत्रों में 'प्रतिनिधि प्रतिदान' शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त सा लगता है पर इसमें एक विशेष प्रयोजन की भी निदि होती है। यह यह कि 'यस्मात्

शब्द के प्रयोग से इसी सूत्र से ज्ञापित होता है कि 'प्रतिनिधि' और 'प्रतिदान' शब्दों के योग में पंचमी होती है। लेकिन तब 'कृष्णस्य प्रतिनिधिः' प्रयोग कैसे होगा? वस्तुतः तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार 'ज्ञापकमिदं न सर्वत्र' परिभाषा के आधार पर ही ऐसा हो सकता है। परन्तु मेरी समझ में कृद्-योग-पष्टी^१ यहाँ सब से उपयुक्त होगी, अन्यथा शेषत्वविवक्षा तो अन्तिम अस्त्र होगी। सचमुच व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे स्थल में पंचमी की अपेक्षा पष्टी ही अधिक उपयुक्त लगती है। फिर पंचमी के सिद्धार्थ कुछ अतिरिक्त पदार्थ का अन्वय भी करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप 'कृष्णान् प्रतिनिधिः प्रद्युम्नः' का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक 'कृष्णान् भागतः प्रतिनिधिः प्रद्युम्नः' ऐसा अर्थ नहीं समझते। फिर पूर्वगन सूत्र में कहा गया है कि 'प्रतिनिधि' तथा 'प्रतिदान' अर्थ रहने पर 'प्रति' कर्मप्रवचनीय होगा और प्रस्तुत सूत्र में कहा है कि जिससे 'प्रतिनिधि' या 'प्रतिदान' हो उसमें पंचमी होगी। अतः यद्यपि यह द्योतित होता है कि 'प्रतिनिधि' या 'प्रतिदान' के अर्थ में प्रयुक्त 'प्रति' कर्मप्रवचनीय के योग में पंचमी होगी तथापि यह स्पष्टतः कथित नहीं होता। वस्तुतः इस सूत्र में प्रयुक्त 'यस्मात्' शब्द के प्रयोग से ऐसा स्पष्ट प्रतिभासित होता है। अतः यदि 'प्रतिनिधि' तथा 'प्रतिदान' शब्द के योग में पंचमी होगी तो 'प्रतिनिधि' या 'प्रतिदान' अर्थवाले 'प्रति' के योग में भी यह होगी।

अकर्त्तर्यृणो षञ्चमी । २।३।२४। कर्त्तृवर्जितं ग्रहणं हेतुभूतं
ततः पंचमी स्यात् । शताद् बद्धः । अकर्त्तरि किम् ? शतेन
बन्धितः ।

जो ऋणवाची शब्द कर्त्ता के अर्थ में नहीं हो एवं हेतुभूत हो उसमें पंचमी होती है। अर्थात् किसी वाक्य-प्रयोग में यदि कर्त्ता—प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप से कथित नहीं हो और ऋण ही बन्धनादि क्रिया का हेतु नो तो ऋणवाची शब्द में पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण स्वरूप, 'शताद् बद्धः' में 'शत' परिमित ऋण का बोध होता है जो बन्धन क्रिया का हेतुभूत है और कर्त्तृवर्जित

है। अतः ऋणवाची 'दात' शब्द में इस सूत्र से पंचमी हुई है। इसमें विधिवत्, यद्यपि 'दातेन यन्धित' भा कर्मजाच्यगत वाच्य है, लेकिन यह कर्तृयन्त्रित नहीं यदा जा सरता क्योंकि यहाँ 'यन्धित.' क्रिया के गिजत्र होने पर किसी गन्धमान 'प्रोक्त' क मूत्र में कर्ता का ध्वनि मिलती है। ऐसी स्थिति में केवल हेतुभूत 'घणवाची 'दात' शब्द में 'हेतां कृतीया' कही जा सकती है। इस प्रकार 'दानन यन्धित' का अर्थ होगा—'उत्तमणन दानेन यन्धित. अधमण.'। अधया, दात' का हा कर्तृबोध करने पर 'दात यन्धितयन्' से कर्मजाच्य में अनुक्त कर्तरि कृताया से 'दानन यन्धिता' होगा। किन्तु यद्यपि ऐसी अन्यथा में 'दात' हेतुभूत नहीं होगा, लेकिन साथ-साथ परोक्षत्व से 'कर्ता' की कल्पना करने के वट न जाहम वच जायेंगे। इस प्रकार जब हम अत्युदाहरण में ऋणवाची शब्द में अनुकृतीया समझते हैं तो उदाहरण में उसके अत्रवाद स्वल्प पंचमी होगी अन्यथा यह हेतु पंचमी अनुकृतीया के अत्राद-स्वल्प ही समझनी होगी। वस्तुतः इस सूत्र से विहित पंचमी को हम 'हेतां पंचमी नहीं' कह सकते हैं क्योंकि जिस शब्द में यह पंचमी होती है वह कर्ता हेतुभूत नहीं होता, अर्थात् उमका कर्तृयन्त्रित और ऋणवाची होना ही आवश्यक है। इस सूत्र में 'हेतां' सूत्र की अनुकृति होती है तथा कर्तृयन्त्रित ऋणवाची शब्द के हेतुभूत होने का अर्थ आता है।

विभाषा गुणेऽस्त्रियाम् । २।३।२५। गुणे हेतामस्त्रीनिगे पञ्चमी वा स्यात् । जात्याज्जात्येन वा वद्धः । गुणे क्रिम् ? धनेन कृत्वाम् । अत्रियाम् क्रिम् ? बुद्ध्या मुक्तः । 'विभाषे'ति योगविभाषाद्गुणे स्त्रियां च क्वचित् । धूमादग्निमान् । नास्ति घटोऽनुपपन्नव्येः ।

इस सूत्र में भी 'हेतां' की अनुकृति होती है। उदनुसार गुणवाची अत्रे ऋणवाची हेतुभूत शब्द में विकल्प से पंचमी विभक्ति होगी है। किन्तु जब पंचमी नहीं होगी तो 'हेतु' अर्थ बोधित होने पर 'हेतां कृतीया' उसके विकल्प में होगी। इसलिये 'जात्याद् वद्ध' के साथ-साथ 'जात्येन वद्ध' प्रयोग भी होगा। दोनों अत्राद् 'जात्य' स्त्रीनिग मित्त नर्पुमक गुणवाची शब्द है तथा

बन्धन क्रिया का 'हेतु' है। वस्तुतः इस सूत्र की परिधि में वैकल्पिक पंचमी के लिये हेतुभूत होने के साथ-साथ किसी शब्द का गुणवाची एवं स्त्रीलिंग भिन्न—नपुंसक या पुल्लिंग—होना आवश्यक है अन्यथा केवल स्त्रीलिंग-भिन्न हेतुभूत रहने पर गुणवाचकत्व के अभाव में तथा गुणवाची हेतुभूत रहने पर स्त्रीलिंग-भिन्नता के अभाव में (अर्थात् स्त्रीलिंग रहने पर) केवल तृतीया ही होगी। यह बात वृत्तिस्थ 'धनेन कुलम्' और 'बुद्ध्या मुक्तः' प्रत्युदाहरणों में क्रमशः दिखलाई गई है। लेकिन यह नियम नित्य नहीं है। व्यवहार में कभी-कभी इसके विरुद्ध अगुणवाची तथा स्त्रीलिंग शब्दों में भी 'हेतु' अर्थ रहने पर पंचमी देखी जाती है। वृत्तिकार ने इनके क्रमशः उदाहरण दिये हैं—'धूमाद्ग्नमान्' और 'नास्ति घटोऽनुपलब्धेः'। किन्तु प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा होता है तब तो सूत्र अपूर्ण और एकांगी है। फिर, कात्यायन ने भी किसी वातिक के द्वारा इस अर्भाष्ट की सिद्धि नहीं की है। इसलिये वृत्तिकार को योग-विभाग का आश्रय लेकर समस्या का समाधान करना पड़ा है।

उनके अनुसार यदि सूत्र में हम अतिरिक्त भाग से 'विभाषा' का योग-विभाग कर लेते हैं तो इष्ट की सिद्धि हो जाती है। इस तरह वस्तुतः 'विभाषा' पंचमी के साथ लागू होने के साथ-साथ (जिससे विकल्प पक्ष में तृतीया भी होती है) सूत्रस्थ 'गुणे' और 'अस्त्रियास्' के साथ भी लग जाती है जिससे गुणवाची तथा स्त्रीलिंग-भिन्न हेतुभूत शब्द में होने के साथ कतिपय स्थलों में अगुणवाची एवं स्त्रीलिंग-हेतुभूत शब्द में भी वैकल्पिक पंचमी जायज कही जा सकती है। उपर्युक्त उदाहरणों में 'धूम' अगुणवाची शब्द है जिसमें पंचमी हुई है और 'अनुपलब्धि' क्तिन्-प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्द। इनमें 'धूम' और 'अग्नि' तथा 'अनुपलब्धि—' और 'घटाभाव' के बीच हेतुकार्यभाव (cause-effect relation) है, यद्यपि यह कोई स्थिर सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 'धूम' अग्नि का लिंगभूत हेतु होने पर भी वस्तुतः उसका कार्य ही है। इस प्रकार पूर्वसूत्र में जहाँ हेतुभूत पदार्थ का ऋणवाची तथा कर्तृवर्जित होना आवश्यक है वहाँ तो यहाँ सूत्रानुसार उसका गुणवाची एवं स्त्रीलिंगभिन्न होना आवश्यक प्रतीत होता है, पर अन्ततः कुछ ऐसे स्थल

मिलते हैं जहाँ अगुणवाची एवं स्त्रीलिंग-हेतुभूत शब्दों में भी यह वैकल्पिक पंचमी होती है और इसलिये कुछ हद तक इसे सामान्यतः 'हेतुपंचमी' का क्षेत्र माना जा सकता है। पुनः पूर्वसूत्र की पंचमी नित्य है जबकि इस सूत्र में यह तृतीया के विद्वत्पस्वस्य होती है। किन्तु जब गुणवाची एवं अगुणवाची, स्त्रीलिंगमिथ्य एवं स्त्रीलिंग दोनों ही तरह के हेतुभूत पदार्थों में 'हेतुतृतीया' की त्रिमासा में 'हेतुपंचमी' होता है तो पूर्वसूत्र की परिधि से बाहर (अर्थात् कर्त्तव्यजित श्रेणवाची हेतुभूत को छोड़कर) किन्ना मा शब्द के साथ 'हेतु' अर्थ रहने पर तृतीया के साथ पंचमी मा हो सकता है, ऐसा हम क्यों नहीं कहते? वस्तुतः इस बात के स्पष्टीकरण के प्रसंग में वृत्तिस्य 'कचिच्' शब्द में वृत्तिकार का त्रिपरीत आशय ध्वनित होता है, लेकिन अर्थाचीन व्यवहार में ऐसा कोई कदाई धरता नहीं जानी।

पृथग् विनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् । २।३।३२। एमि-
योगे तृतीया स्यात्पंचमी द्वितीये च । अन्यतरस्याद्ग्रहणं
समुच्चयार्थम् । पंचमीद्वितीये अनुवर्त्तेते । पृथक् रामेण रामा-
द्रामं वा एवं विना नाना ।

'पृथक्', 'विना' और 'नाना' शब्दों के योग में पंचमी तथा द्वितीया विभक्तियों तृतीया के विद्वय में होता है। अष्टाध्यायी में 'अपादाने पंचमी' 'एष्टप्रथमपंचम्यपेन,'^१ 'एनपा द्वितीया'^२ और इसके बाद यह सूत्र—यहाँ प्रथम है। इनमें अस्वरितत्व के कारण पठों की अनुवृत्ति नहीं होती, अतः पंचमी की अनुवृत्ति मण्डकप्रवृत्ति में होती है। और द्वितीया संनिहित ही है। इस सूत्र में श्राव 'पृथक्' 'विना' और 'नाना' सभी वर्जनार्थक हैं और अपत्य हैं। लेकिन तब सपों का उपादान एक ही के अन्तर्गत क्यों न किया गया? वस्तुतः ऐसा करने से इनके अतिरिक्त भी अन्य पठ्यायशाखा शब्दों का प्रहण

१. पाणिनि २।३।२८।

२. „ : २।३।३०।

३. „ : २।३।३१।

४. 'हिच्' नाता च वर्त्तेते—इयमरकोषः ।

हो जाता । यह अभीष्ट नहीं था । लेकिन तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार 'नानाञ्' प्रत्यय से निष्पन्न 'विना' और 'नाना शब्दों का ग्रहण कम-से-कम किसी एक के अन्तर्गत हो सकता था । वस्तुतः वर्जनार्थक 'नाना' शब्द का प्रयोग दुर्लभ है । 'नाना नारीं निष्फला लोकयान्ना'—इसका एक प्रचलित प्रयोग उपलब्ध है । पुनः व्यवहार में 'पृथक्' के योग में पंचमी का अधिक, तृतीया का कम तथा द्वितीया का नहीं के बराबर प्रयोग मिलता है ।

करणे च स्तोकात्पृच्छकृत्पिपयस्यासत्त्ववचनस्य ।२।३।३३।
 एयोऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीया-पञ्चम्यौ स्तः । स्तोकेन
 स्तोकाद् वा मुक्तः । द्रव्ये तु, स्तोकेन विषेण हतः ।

अद्रव्यवाची 'स्तोक', 'अल्प', 'कृच्छ्र' और 'कृत्पिपय' शब्दों से करण के अर्थ में वैकल्पिक पंचमी होगी । अतः पंचमी के अभाव पक्ष में तृतीया होगी । उदाहरण में 'स्तोक' शब्द किसी द्रव्यविशेष के लिये नहीं आया है, अत एव उसमें विकल्प से दोनों विभक्तियाँ दिखलाई गई हैं । लेकिन प्रत्युदाहरण में यह द्रव्यभूत 'विप' को विशेषित करता है, इसीलिये उसमें केवल करणे तृतीया है । वाल्मनोरमाकार ने 'स्तोकेन मुक्तः' या 'स्तोकात् मुक्तः' की व्याख्या की है—'लघुना आयासेन मुक्तः'—और कहा है कि 'आयास' के द्रव्य नहीं होने के कारण ही वैकल्पिक पंचमी हुई है । किन्तु, मेरी समझ में वस्तुतः द्रव्य या अद्रव्य विषय के गम्यमान रहने पर ही वैकल्पिक पंचमी होगी । अथवा साधारणतया क्रिया-विशेषण (Adverb) के रूप में प्रयोग की अवस्था में भी ऐसा कहा जा सकता है । वस्तुतः अद्रव्यवाची 'आयास' शब्द का स्पष्ट प्रयोग करने पर भी वैकल्पिक पंचमी ठीक नहीं जँचती क्योंकि जिस प्रकार 'स्तोकेन आयासेन कृतः' व्यवहार में संगत लगता है उस प्रकार 'स्तोकाद् आयासात् कृतः' नहीं । वस्तुतः मेरी समझ में सूत्रस्थ 'असत्त्ववचन' में 'असत्त्व' का पर्युदास अर्थ 'द्रव्यभिन्न' नहीं लेकर 'द्रव्याभाव' लेना चाहिये क्योंकि 'द्रव्यभिन्न' अर्थ लेने पर 'भाव' का भी ग्रहण हो जायगा और उसके अन्तर्गत 'आयास' का भी ग्रहण हो सकता है । अतः सूत्र में परिगणित

विशेषण-रूप शब्दों के साथ-द्रव्यवाचा या अद्रव्यवाची क्रिया भी विशेषण-रूप का प्रयोग नहीं होना चाहिये, मले हा व गभ्यमान हों ।

पुन जैसा उपर कहा है, इन शब्दों का क्रिया द्रव्यवाची या अद्रव्यवाची को विशेषित करना कोई आवश्यक नहा है । एसी अवस्था में इनका प्रयोग क्रिया-विशेषण का तरह होगा । अत याल्मनोरमाकार की व्याख्या से पृथक् मेरे अनुसार 'स्तोमन् मुक्त' या 'स्ताकान् मुक्त' का अर्थ होगा—'स्तोकं यथा स्यात् तथा मुक्त' । इमत्रिय इम दृष्टि म दग्गन पर उक्त दो भेदों के साथ 'स्तान् मुक्त' प्रयोग भा विकल्पित हागा । फिर मूयस्थ परिगणित शब्दों के साथ 'हृत्पु' शब्द विशेषण रगता है । यह सज्ञा और विशेषण शब्दों का रूप में प्रयुक्त होता है । अत यद्यपि विशेषण-रूप में इम का व्यवहार समान हागा तथापि सज्ञा क रूप में प्रयुक्त होने पर न क्रिया विशेषण की हैसियत में उपयुक्त विवेचनानुसार कृताया एव पचमा विभक्तियों ले सकता है और न अन्य तरह से । उक्ति 'दनु' अर्थ चोतित हाने पर ये दोनों विभक्तियाँ इममें लग सकती हैं ।

दूरान्तिकार्येभ्यो द्वितीया च । २।३।३५। एभ्यो द्वितीया
स्याच्चात् पञ्चमी-तृतीये । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम् ।
ग्रामस्य दूरं दूरात् दूरेण वा । अन्तिकम् अन्तिकात् अन्तिकेन
वा । असत्त्वचनस्येत्यनुवृत्तेर्नेह—दूरः पन्थाः ।

'दूर' और 'अन्तिक' (नजदाक) अर्थवाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पचमी विभक्तियाँ होती हैं । सूत्र में तृतीया और पचमी की अनुवृत्ति 'च' कार के वक्त पर अभिप्रायत पूर्व सूत्र से होती है । फिर, यह 'दूर' तथा 'अन्तिक' के पय्यापवाची शब्दों म द्वितीयादि कथित विभक्तियों का विधान प्रातिपदिकार्थ-मात्र में हागा । इमत्रिय ये विभक्तियाँ प्रथमा के अपवाद-रूप होंगी । पुन इम सूत्र की अनुवृत्ति 'सत्त्वचनस्येत्यनुवृत्तेर्नेह' सूत्र में हाने के कारण द्वितीया, तृतीया और पचमी के साथ इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति

मी होती है । लेकिन इनके योग में 'दूरान्तिकार्थे पण्ड्यन्यतरस्याम्' सूत्र से षष्ठी के साथ वैकल्पिक पंचमी होती है । अत एव इन शब्दों में प्राप्त तथा इनके योग में प्राप्त विभक्तियों का यथाक्रम परस्पर समावेश करने पर एक ही अर्थ में निम्न प्रयोग सम्भव हो सकते हैं—ग्रामस्य दूरं, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरात् एवं ग्रामस्य दूरे तथा ग्रामाद् दूरं, ग्रामाद् दूरेण, ग्रामाद् दूरात् एवं ग्रामाद् दूरे । इसी आधार पर वस्तुतः 'दूरादावसथान्मृत्रं दूरात्पादावसेचनम्' प्रयोग ठीक है जहाँ साधारण 'आवसथस्य दूरे' के स्थान में 'आवसथाद् दूरात्' हुआ है । किन्तु सूक्ष्म निरीक्षण के बाद पता चलेगा कि 'दूर को, दूर से, दूर में—आदि अर्थों की प्रतिरूपक द्वितीयादि विभक्तियाँ भिन्न-भिन्न ग्रासंगिक अर्थों में होती है । उदाहरण-स्वरूप 'ग्रामस्य दूरं गच्छति' का तात्पर्य होगा—'ग्राम के दूर प्रदेश के अभिमुख गमन, लेकिन 'ग्रामस्य दूराद् गच्छति' प्रयोग से सूचित होगा—'ग्राम के दूर प्रदेश से अन्य प्रदेश के अभिमुख गमन' । इसी प्रकार 'ग्रामस्य दूरेण' से 'ग्राम के दूर प्रदेश से होकर' और 'ग्रामस्य दूरे' से अधिकरणत्व-विवक्षा में 'ग्राम के दूर प्रदेश में' गमनादिक्रिया सूचित होगी । पुनः जब 'ग्राम' से उस दूर प्रदेश की सम्बन्धविवक्षा होगी तो उसमें षष्ठी अन्यथा गमनादि क्रिया के द्वारा अपादानत्वविवक्षा होने पर पंचमी होगी ।

इस सूत्र में पूर्व सूत्र से 'असत्त्वचनस्य' की भी अनुवृत्ति होती है । अनुसार पूर्व अर्थ में किसी द्रव्य विशेष को विशेषित न करने पर ही ये विभक्तियाँ होंगी । अन्यथा जो विभक्ति विशेष्य में होगी वही विशेषण में भी लगी, इसलिये सूत्रस्य प्रत्युदाहरण 'दूरः पन्थाः' के सदृश 'दूरे पथि', 'दूरेण या' आदि प्रयोग भी सजे में संभव हो सकते हैं । अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट न देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार यहाँ विहित विभक्तियों । युक्त 'दूर' तथा 'अन्तिक'—या इन के पर्यायवाची शब्द वस्तुतः तत्तद् विभक्ति से तत्तद् गम्यमान पदार्थ को विशेषित करते हैं । अतः 'ग्रामस्य दूरेण' का वास्तविक अर्थ है—'ग्रामस्य दूरेण स्थानेन' ।

सम्बन्ध : पष्ठी विभक्ति

पष्ठी शेषे ।२।३।५०। कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः
स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः शेषस्तत्र पष्ठी स्यात् । राज्ञः पुरुषः ।
कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्ठ्येव । सतां गतम् ।
सर्पिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरुते । भजे
शम्भोश्चरणयोः । फलानां वृत्तः ।

उक्तान्यः शेषः । उक्त अपादानादि कारक और प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त स्वस्वामिभावादि रूप 'सम्बन्ध' ही शेष है । इसलिये इस मूत्र से स्वस्वामिभावादि रूप सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति होती है । उदाहरण-स्वरूप 'राजन्' और 'पुरुष' के बीच स्वस्वामिभाव रहने के कारण ही 'राज्ञः पुरुषः' प्रयोग में 'राजन्' शब्द में पष्ठी पाते हैं । यहाँ 'पुरुष' प्रधान है, प्रातिपदिकार्थ है, अतः शेष नहीं है । शेष है 'राजन्' जो अप्रधान है और कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त है, अतः 'राजन्' शब्द में ही पष्ठी हुई । लेकिन यदि 'पुरुष' की अप्रधानता और 'राजन्' की प्रधानता धोखित हो तो 'पुरुषस्य राजा' प्रयोग भी हो सकता है । किन्तु ऐसी स्थिति में अर्थ होगा—'पुरुषनिरूपितमेव्यस्वसम्बन्धवत् राजा' । अन्यथा पूर्वकथनानुसार 'पुरुष' की प्रधानता करने पर 'राज्ञः पुरुष' का अर्थ होगा—'राजनिरूपितमेवकामसम्बन्धवान् पुरुषः' । यहाँ यह बत देना आवश्यक है कि यह प्रधानता या अप्रधानता शब्द शब्द के दृष्टिकोण में होती है । अन्यथा 'राज्ञः पुरुष' में लौकिकदृष्टया 'राजा' की ही प्रधानता दीगयी है^१ । फिर यह भी देकर लेना है कि स्वस्वामिभावादि में 'स्व' का अर्थ सर्वथा 'घन' है किन्तु छात्रनिकरण्या 'स्वत्व' अधीनत्व को बतलाता है

१ मिलाहने : 'सहस्रकृतेज्यपाने' पर विवेचन ।

या, कह सकते हैं कि जो कुछ भी वैध रूप से किसी के अधीन होता है वह उसकी सम्पत्ति कहलायगा ।

यह देखकर कि 'राज्ञः पुरुषः' आदि में सम्बन्ध में अप्रधान में ही 'राज्ञन्' शब्द में षष्ठी होती है—कुछ वैयाकरणों ने कहा—'अप्रधानं शेषः' । यह भ्रम है । वस्तुतः केवल अप्रधान में नहीं, अपितु कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त अप्रधान में षष्ठी होती है । फिर इम मन्तव्य ले परिभाषा में दूसरी हानि उपस्थित हो जाती है । वस्तुतः सभी जगह अप्रधान में षष्ठी नहीं होती । उदाहरणस्वरूप 'शुक्लः पटः' में 'शुक्ल' शब्द विशेषण होने के कारण अप्रधान तो जरूर है, पर उसमें षष्ठी का प्रसंग नहीं । वहाँ प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा हुई है । इस प्रसंग में यह कह देना आवश्यक है कि न केवल कारकप्रातिपदिकार्थ-व्यतिरिक्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध में, वरन् कर्मादि कारक भी सम्बन्ध-विवक्षा में भी षष्ठी होती है । इसी अभीष्ट से भाष्यकार ने 'क्तस्य च वर्त्तमाने' सूत्र के व्याख्याक्रम में कहा—'कर्मत्वादीनामविवक्षा शेषः'^२ इसके अनुसार 'सतांगतम्' में 'सद्भिर्गतम्' की जगह अनुक्तकर्त्ता की शेषत्व-विवक्षा में षष्ठी हुई है । इसका अर्थ हुआ—'सत्सम्बन्धिगमनम्' । इसी प्रकार 'सर्षिषो जानीते' और फलानां तृप्तः' में करणत्व की तथा 'मातुः स्मरति', 'एधो दक्षस्योपस्कुस्ते' और 'भजे शम्भोश्चरणयोः' में कर्मत्व की सम्बन्धविवक्षा में षष्ठी हुई है ।

किन्तु जब शेष षष्ठी इसी सूत्र से सिद्ध हो जाती है तो अलग करके 'ज्ञोऽविदर्थस्य करणे'^३, 'अधोगर्थदयेशां कर्मणि'^४, 'कृजः प्रतियत्ते'^५, 'रुजार्थानां नावघघनानामज्वरेः'^६, 'आशिपि नाथः'^७, 'जासिनिप्रहणनाटक्राथपिपां हिंसा-

१. पाणिनि : २।३।६४।
२. महाभाष्यम् : २।३।२६।
३. पाणिनि : २।३।५१।
४. „ : २।३।५२।
५. „ : २।३।५३।
६. „ : २।३।५४।
७. „ : २।३।५५।

याम्', 'व्यवहृणोः समर्थयो' और 'कृत्योऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे'— यह धातुयुगी बनाने का क्या आवश्यकता थी? वस्तुतः इस धातुयुगी के अन्तर्गत प्राप्त पृष्ठी प्रतिपदविधाना पृष्ठी कहलाती है और इसका अन्वयार्थ सम्यन्ध समास-प्रकरण में स्थित वार्तिक 'प्रतिपदविधाना पृष्ठी न ममस्यते' 'इति वाच्यम्' से है। इस प्रकार शेषत्वविवक्षा में 'मातु स्मरणम्' में समास नहीं होगा। लेकिन 'यदि हारस्मरणे सरम मन' प्रयोग कैसे सिद्ध होता है? वस्तुतः 'मातृस्मरणम्', 'हरिस्मरणम्' आदि में वृद्धोग पृष्ठी समासने में कोई बाधा नहीं होगी। किन्तु 'मातु स्मृतम्' में 'न लोकाभ्यनिष्ठासल्लयैर्नृनाम्' सूत्र में कारक पृष्ठी का अनपेक्ष होने के कारण संस्था शेषपृष्ठी का ही आश्रय ले सकते हैं और इस तरह बराबर ऐसी न्ययि में समासामात्र होगा।

अत्र उपयुक्त विवेचन के आधार पर शेषपृष्ठी और शेषत्वविवक्षा पृष्ठी के बीच भ्रम दूर करना आवश्यक है क्योंकि कर्मा-कर्मा दोनों में कोई अन्तर नहीं ममसा जाता। वस्तुतः कारकप्रतिपदिकार्थव्यतिरिक्त स्वस्वामिभाव-सम्यन्ध में जो पृष्ठी साधारणतया होती है उसे शेष पृष्ठी कहेंगे और इसके विपरीत जब कर्मादिकारक की सम्यन्ध-विवक्षा करने पर पृष्ठी होती है तो उसे शेषत्वविवक्षा से हटें पृष्ठी कहेंगे। इस तरह एक पृष्ठी सम्यन्ध में होती है और दूसरी उन होती है जब कर्मादि कारक की सम्यन्ध-विवक्षा की जाती है।

पृष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।२६। हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये पृष्ठी स्यात् । अन्नस्य हेतोर्वमति ।

इस सूत्र में 'हेतौ' सूत्र का अनुवृत्ति करने पर अर्थ होता है कि जब 'हेतु' शब्द का प्रयोग हो और 'हेतु' अर्थ भी द्योतित हो तो 'हेतु' शब्द में भी हेतु शब्द के योग में भावे शब्द में भी पृष्ठी होंगे। उदाहरणस्वरूप उपयुक्त

१. पाणिनि : २।३।५६।

२. " : २।३।५७।

३. " : २।३।५४।

४. निराक्षरे : हरिः—'प्रोक्ता प्रतिपदं पृष्ठी समासस्य निवृत्तये' ।

स्थिति में 'अन्न' और 'हेतु' दोनों शब्दों में पष्ठी हुई है। इसके विपरीत केवल 'हेतु' अर्थ घोषित रहने पर विना 'हेतु' शब्द के प्रयोग के पष्ठी नहीं होगी—हेतौ तृतीया होगी, जैसे, अन्नेन वसति।

सर्वनाम्नस्तृतीया च ।२।३।२७। सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य
प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया स्यात्, पष्ठी च । केन हेतुना
वसति । कस्य हेतोः ।

लेकिन उपर्युक्त परिस्थिति में यदि 'हेतु' शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग हो तो 'हेतु' शब्द में तथा उस सर्वनाम शब्द में तृतीया और पष्ठी दोनों पष्ठी । उदाहरणस्वरूप 'केन हेतुना वसति' और 'कस्य हेतोः वसति' दोनों पष्ठी । तृतीया के साथ पष्ठी विभक्ति का समुच्चय 'च'कार से सूत्र में होता है।

निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् । किं निमित्तं
वसति । केन निमित्तेन । कस्मै निमित्तायेत्यादि । एवं—
किं कारणं, को हेतुः, किं प्रयोजनमित्यादि । प्रायग्रहणाद-
सर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये न स्तः । ज्ञानेन निमित्तेन हरिः
सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेत्यादि ।

इस परिभाषा के अनुसार उपर्युक्त सूत्र का अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) बहुत व्यापक हो जाता है। अतः 'हेतु' अर्थ घोषित रहने पर यदि 'हेतु' शब्द ही नहीं, बल्कि किसी भी इसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो तो हेतु या उसके पर्यायवाची शब्द में तथा उसके विशेषणरूप सर्वनाम में प्रायः कोई भी विभक्ति लग सकती है। यह वृत्तिस्थ उदाहरणों से स्पष्ट है। वस्तुतः परिभाषा में 'सर्वासां प्रायदर्शनम्' इसलिये कहा गया जिससे किसी सर्वनाम का प्रयोग न होने पर 'हेतु' या 'निमित्त' के किसी पर्यायवाची शब्द का केवल प्रयोग रहने पर प्रथमा और द्वितीया विभक्तियाँ न हो जायँ। अतएव सर्वनाम का प्रयोग न होने पर 'हेतु' या 'निमित्त' के पर्यायवाची शब्द में तथा उसके योग में स्थित शब्द में प्रथमा

और द्वितीया को छोड़ अन्य सभी विभक्तियों हो सकती हैं। इस प्रकार किम ताद 'किं निमित्त घसति' होगा इसी तरह 'जान निमित्त घसति' नहीं होगा।

पुन 'पृष्ठी हेतुप्रयोगे', 'सर्वनामस्तृतीया च' तथा यह परिभाषा—सर्वा उत्तरोत्तर नियम के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। या, यों कहें कि ये सभी पूरक नियम हैं। तदनुसार हेतु' शब्द का प्रयोग होने पर उसमें और उसके योग में पृष्ठी, फिर यदि उसके योग में कोई सर्वनाम हो तो तृतीया भी और यदि, हेतु ही क्या—उसके पर्यायवाची अन्य भी किसी शब्द का प्रयोग हो तो उसके योग में सर्वनाम रहने पर सभी विभक्तियों, तथा सर्वनाम नहीं रहने पर प्रथमा और द्वितीया को छोड़ अन्य सभी विभक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार यह परिभाषा पूर्वोक्त सूत्रों का न केवल पूरक है, प्रत्युत अपवाद भी है। यथा 'पृष्ठी हेतुप्रयोगे' सूत्र में क्लृप्ता गया कि 'हेतु' शब्द का प्रयोग होने पर उसमें और उसके योग में पृष्ठी होती है, पर इस परिभाषा के अनुसार यदि योग में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो तो सभी विभक्तियाँ होंगी। फिर, यह न केवल 'हेतु' शब्द के प्रयोग में होगा अपितु किसी भी इसके पर्यायवाची के प्रयोग में भी होगा। इस प्रकार 'अन्नेन हेतुना घसति' तथा 'अन्नस्य हेतोर्घसति' की तरह 'अन्नाय निमित्ताय घसति' प्रयोग भी ऐसे अन्य प्रयोगों का तरह सुक्तियुक्त होगा। पुन 'सर्वनामस्तृतीया च' सूत्र में सर्वनाम यत्गया गया कि हेतु शब्द के योग में सर्वनाम रहने पर 'हेतु' शब्द में तथा उस सर्वनाम में पृष्ठी और तृतीया दोनों होंगी। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार एक तो 'हेतु' शब्द के किसी भी पर्यायवाची का प्रयोग हो सकता है, कि उसमें और उसके योग में स्थित सर्वनाम में प्रथमा और द्वितीया को छोड़ कोई भी विभक्ति हो सकती है।

एक मात्र इस नियम के सम्बन्ध में और कथ्य है और यह यह कि जब मूल सूत्र 'पृष्ठी हेतुप्रयोगे' में 'हेतु' शब्द का निर्देश था ही तो यहाँ अन्य करके 'हेतु' को छोड़कर 'निमित्त' शब्द के ग्रहण का क्या अभिप्राय था 'हेतुप्रयोगे' के अपवाद में 'हेतुपर्यायप्रयोगे' कहना बहुत यद्विषाँ होता। वस्तुतः कोई विशेष अभीष्ट दोस्तता नहीं, स्पष्टीकरणार्थ ही ऐसा हुआ कहा जा सकता है।

पृथतसथप्रत्ययेन ।२।३।३०। एतद्द्वयोर्गे षष्ठी स्यात् ।
 'दिक्शब्दे'ति षञ्चम्या अपवादः । ग्रामस्य दक्षिणतः । पुरः,
 पुरस्तात् । उपरि, उपरिष्ठात् ।

अष्टाध्यायी के क्रम में 'दिक्शब्देभ्यः सप्तमीषञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश-
 कालेष्वस्तातिः'^१ सूत्र से लेकर 'आहि च दूरे'^२ और 'उत्तराच्च'^३ तक के
 सूत्रों में दिशावाची शब्द से दिशा, काल तथा देश (अर्थात् स्थान) के अर्थ
 में स्वार्थिक प्रत्ययों का विधान किया गया है । वहीं 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्'^४
 से अतसुच् (अतस्) प्रत्यय का भी विधान है । पुनः यद्यपि अतसर्थ
 प्रत्ययों में 'अस्तातिः' ही प्रथम है तथापि केवल उच्चारण के सौविध्यार्थं सूत्र
 में 'अतस्' का ही समावेश किया गया है । अब सूत्र का अर्थ है कि जिस अर्थ
 में 'अतस्' प्रत्यय होता है उस अर्थ में होनेवाले प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के
 योग में षष्ठी होगी, ये प्रत्यय उपर्युक्त अतसुच् (अतस्), अस्तातिः (अस्तात्),
 असिः (अस्), रिष्ठातिल् (रिष्ठात्) और, रिल् (रि) हैं । उदाहरणस्वरूप
 दिशावाची 'दक्षिण' शब्द से अतसुच् (अतस्) लगने पर (तथा नियमा-
 नुकूल प्रत्यय लगने के पूर्व अन्त्य स्वर का लोप करने पर) दक्षिण + अतस् =
 दक्षिणतः हुआ । चूँकि ये प्रत्यय सप्तम्यन्त, षञ्चम्यन्त या प्रथमान्त दिशा-
 वाची शब्द से देश (स्थान), काल या दिशा के अर्थ में लगते हैं इसलिये
 इसका अर्थ 'दिशा के अर्थ' में हुआ—दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिणस्याः दिशः वा
 दक्षिणा दिक् ।

फिर, पुरः और पुरस्तात् शब्द 'पूर्व' शब्द से क्रमशः असिः (अस्)
 और अस्तातिः (अस्तात्) प्रत्ययों से निष्पन्न हैं—पुर + अस् = पुरः (स्)
 और पुर + अस्तात् = पुरस्तात् । अतः 'दिशा' अर्थ रहने पर इनका भी अर्थ

१. पाणिनि : ५।३।२७।

२. ,, : ५।३।३७।

३. ,, : ५।३।३८।

४. ,, : ५।३।२८।

होगा—पूर्वस्यां दिशि, पूर्वस्या दिश वा पूर्वा दिक् । इसी प्रकार उपरि और उपरिष्ठात् क्रमशः उप + रिट् (रि) और उप + रिष्ठात् (रिष्ठात्) में व्युत्पन्न होते हैं और इनके योग में भी पूर्ववत् पठनी होती है । यहाँ 'उप' अव्यय ऊर्ध्वार्थक समझा जायगा । इसलिये वस्तुतः 'दिशा' अर्थ में इनका अर्थ होगा—ऊर्ध्वाया दिशि, ऊर्ध्वाया दिश वा ऊर्धा दिक् । इसी तरह 'दा' तथा 'काल' अर्थ में भा दक्षिणत, पुर (पुरस्तात्), उपरि (उपरिष्ठात्) आदि के क्रमशः अर्थ होंगे—दक्षिणे देशे दक्षिणस्य देशस्य वा दक्षिण दश और दक्षिणे काले दक्षिणस्य कालस्य वा दक्षिण काल, पूर्वस्मिन् देशे पूर्वस्य देशस्य वा पूर्वे देशे और पूर्वस्मिन् काले पूर्वस्य कालस्य वा पूर्वे काल, तथा ऊर्ध्वे देशे ऊर्ध्वस्य देशस्य वा ऊर्ध्वे देशे और ऊर्ध्वे काले ऊर्ध्वस्य कालस्य वा ऊर्ध्वे काल ।

अब इन परिगणित प्रत्ययों से वस्तुतः माया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से (From philological point of view) 'अस्त्विति' के बदले केवल 'ठात्' प्रत्यय मानना आसान होगा जो 'पुरस्तात्' और 'अपस्तात्' में दीर्घता है । इन्हीं के समानानुमान (Analogy) पर 'उपरिष्ठात्' सिद्ध माना जा सकता है । फिर, 'दक्षिणत' को अतसुच् प्रत्यय से निष्पन्न मानने के बदले पञ्चमी के अर्थ में तमित् (तत्) प्रत्यय से व्युत्पन्न मानना अच्छा होगा । ऐसी स्थिति में दक्षिणत का अर्थ होगा—दक्षिणात्, या दक्षिणाया दिशाया (दक्षिण से) ।

इस सूत्र में, पठनी का विधान वस्तुतः 'अन्यारादितरत्ते—' सूत्रस्य 'दिव शब्द' के योग में विहित पञ्चमा के अपवादस्वरूप है । अतः यदि अज्ञान करके यह सूत्र नहीं पढ़ाया जाता तो 'अतसु' आदि प्रत्ययों से निष्पन्न 'दक्षिणत' आदि शब्दों के योग में भी पञ्चमी ही होती । इस तरह अतमयं प्रत्यय से निष्पन्न 'पश्चात्' शब्द के योग में त्वात् पठनी होनी चाहिये, लेकिन वस्तुतः भाष्यकार के 'तत् पश्चात् स्वस्यते प्वस्यत च' प्रयोग के आधार पर पञ्चमी होती है ।

एनपा द्वितीया ।२।३।३१। एनवन्तेन योगे द्वितीया
स्यात्, एनपेतियोगविभागात् षष्ठ्यपि । दक्षिणेन ग्रामं,
ग्रामस्य वा । एवमुत्तरेण ।

एनप् प्रत्यय 'एनवन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः' सूत्र से 'अदूर' अर्थ में दिशावाची शब्द से लगता है और इस प्रकार निष्पन्न शब्द तृतीयाप्रतिरूपक अव्यय होता है। सूत्र में एनप्प्रत्ययान्त शब्द के योग में केवल द्वितीया विभक्ति कही गई है किन्तु व्यवहार में षष्ठी भी होने के कारण योगविभाग का आश्रय लेकर इष्ट अर्थ किया जाता है। एतदनुसार सूत्र में 'एनपा' का 'द्वितीया' से योगविभाग कर लिया जाता है। वदाहरण में प्रसंगानुसार एनवन्त 'दक्षिणेन' शब्द के योग में 'ग्राम' शब्द में द्वितीया और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ दिखालाई गई हैं। इसी प्रकार 'ग्राममुत्तरेण' या 'ग्रामस्योत्तरेण' भी होगा। लेकिन, तब 'तत्रागारं धनपतिगृहादुत्तरेणास्मदीयम्^२ प्रयोग कैसे हुआ? वस्तुतः इस चरण का आवश्यक योग 'दूरात्तद्व्यं सुरपतिधनु-
श्चास्मदीयं तोरणेन' से है। अतः पूर्व चरणका 'उत्तरेण' उत्तर चरण के 'तोरणेन' को विशेषित करता है। इस प्रकार इसके योग में 'गृह' शब्द में पंचमी युक्ति-
युक्त हो जाती है। इसके विपरीत कुछ टीकाकार 'धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम्' पाठ मानते हैं। ऐसी स्थिति में एनवन्त 'उत्तरेण' शब्द के योग में 'गृह' शब्द में द्वितीया ठीक ही है। वस्तुतः 'दूरेण' 'अन्तिकेन' की तरह तृतीयान्त 'उत्तरेण' प्रयोग भी संगत प्रतीत होता है और इस दृष्टि से भी इसके योग में पंचमी उपयुक्त होगी। पुनः इस व्याख्या के अनुसार 'उत्तरेण' आदि के योग में षष्ठी की भी युक्ति मिल जाती है। किन्तु रह जाती है इनके योग में केवल द्वितीया की बात जिसका समाधान 'एनप्' का सहारा लिये बिना नहीं हो सकता। फिर जैसा भाष्यकार ने 'पृथग् विना—' सूत्र के व्याख्याक्रम में कहा है 'एनपा द्वितीया' का पाठ 'षष्ठ्यतस्यप्रत्ययेन' के पहले ही होना

१. पाणिनि : ५।३।३५।

२. मेघदूतम् : उत्तर मेघ-१२

आदिये ।^१ ऐसी अवस्था में योगविभाग के आधार पर अनुवृत्ति करके पद्यों का विधान भी गठित होगा ।

दूरान्तिकार्थैः पृथगन्यतरस्याम् । २।३।३४। एतैर्योगे षष्ठी
स्यात् पंचमी च । दूरं निरुदं ग्रामस्य ग्रामाद् वा ।

'दूर' और 'अन्तिक' (समीप) तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प में षष्ठी और पंचमी दोनों होती है । यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अष्टाध्यायी के क्रम में 'एतदा द्वितीया' तथा 'पृथग् विना—' सूत्रों के अपेक्षया (Relatively) निकट रहने पर भी सूत्र में व्यवहार-रक्षार्थं द्वितीया या तृतीया की अनुवृत्ति नहीं की जाती । इसके विपरीत, 'अपादाने पंचमी' सूत्र से मण्डूकप्लुति से पंचमी की अनुवृत्ति होती है । फिर, 'दूरान्तिकार्थैर्यो द्वितीया च'^२ और हम सूत्र के बीच मुख्य अन्तर यह है कि पूर्वसूत्र में जहाँ 'दूर' और 'अन्तिक' तथा इनके पर्यायवाची शब्दों में ही द्वितीयादि विभक्तियों का विधान हुआ है वहाँ इस सूत्र में इनके योग में पंचमी और षष्ठी का विधान किया गया है ।

ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । २।३।५१। जानातेरज्ञानार्थस्य
करणे शेषत्वेन विहिते षष्ठी स्यात् । सर्पिपो ज्ञानम् ।

'जानना में भिन्न अर्थ घाटे $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ के कारण में शेषत्व-विवक्षा में षष्ठी होगी । उदाहरण-स्वरूप ऐसे $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ में निष्पन्न 'ज्ञान' शब्द के योग में 'सर्पिपो ज्ञानम्' में षष्ठी हुई है । यस्तुतः यहाँ $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ अवयोधने का अर्थ 'प्रयत्ने' या 'ज्ञानपूर्वक प्रयत्ने' समझना चाहिये । अतः 'सर्पिपो ज्ञानम्' का अर्थ है—करगीभूत जो सर्पिम्, तत्पर्यायार्थी प्रवृत्ति । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि सूत्र में 'अविदर्थस्य' कहना ठीक नहीं है क्योंकि $\sqrt{\text{विद्}}$ का अर्थ केवल जानना नहीं है और यदि यही अर्थ समझना या तो 'ज्ञोऽविदर्थस्य' कहने की आवश्यकता नहीं थी ! यस्तुतः ऐसी बात नहीं ! यद्यपि $\sqrt{\text{विद्}}$ के

१. महामाध्यम् : २।३।२५।

२. पालिनि : २।३।३५।

बहुत-से अर्थ हैं, फिर भी $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ के साथ आने पर उसका इस प्रसंग में 'ज्ञान' अर्थ सीमित हो जाता है। पुनः यदि 'अविदर्थ' के साथ $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ का प्रयोग नहीं रहता तो कैसे पता चलता कि अविदर्थक $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ के ही करण में पड़ी होगी। अब यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि इस सूत्र से लेकर 'व्यवहृणोः समर्थयोः'^१ सूत्र तक सात सूत्र तथा 'कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे'^२ सूत्र को मिलाकर जो अष्टसूत्री बनती है उसमें सर्वत्र शेषत्व-विवक्षा से पड़ी होती है और इसे 'प्रतिपदविधाना' पड़ी कहते हैं जिसका समास नहीं होता। लेकिन 'सर्पिपो ज्ञानम्', 'शतस्य व्यवहरणम्' आदि स्थलों में हम 'पड़ी शेषे' सूत्र से साधारण शेष पड़ी या 'कर्तृकर्मणोः कृति'^३ से कृद्योग पड़ी समझ कर समास कर सकते हैं। वस्तुतः इन स्थलों में विभिन्न कृत्रिम अर्थों में शेषत्वविवक्षा करना और फिर इन अर्थों में विहित पड़ी का समास-प्रतिषेध करना व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है। केवल 'मातुः स्मरति', 'भजे शम्भोश्चरणयोः' आदि उदाहरणों में यह शेषत्वविवक्षा पड़ी तथा समासाभाव उपयुक्त प्रतीत होता है। पुनः 'दिवस्तदर्थस्य'^४ सूत्र के अन्तर्गत 'शतस्य दीव्यति' उदाहरण भी इसी श्रेणी का है लेकिन आश्चर्य है कि वहाँ न तो शेषत्वविवक्षा की जाती है और न इस तरह समास-निषेध ही होता है। मेरी समझ में इन सूत्रों के अन्तर्गत साक्षात् क्रिया पद के योग में समासाभाव के लिये शेषत्व-विवक्षा करनी चाहिये अन्यथा ये सूत्र ही निष्प्रोजन एवं मारभूत हैं।

अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।२।३।५२। एषां कर्मणि शेषे पठ्ये
स्यात् , मातुः स्मरणम् । सर्पिपो दयनम् , ईशानं वा ।

अधिपूर्वक $\sqrt{\text{इक्}}$ तथा इसके पर्यायवाची और $\sqrt{\text{द्यू}}$ तथा $\sqrt{\text{ईश्}}$ के कर्म में शेषत्वविवक्षा में पड़ी होती है। अधिपूर्वक $\sqrt{\text{इक्}}$ का अर्थ होता है 'स्मरण करना'। अतः सूत्र में 'अधीगर्थ' के बदले 'स्मरणार्थ' ही क्यों न कहा

१. पाणिनि : १।२।५७।

२. ,, : २।३।६४।

३. ,, : २।३।६५।

४. ,, : २।३।६८।

जो अधिक सुगम और सरल होता ? वस्तुतः यह बात भी जापक है कि √इह् और इह् मतत 'अधि' उपसर्ग के साथ ही प्रयुक्त होंगे^१ पुन. शेषत्वविवक्षा करने पर कर्म में पठ्ठी होगी 'प्रेमा क्यों' कहा ? इस लिये जिससे करण में शेषत्वविवक्षा होने से भी पठ्ठी न हो जाय । उदाहरणस्वरूप 'मातृगुणस्मरणम्' में 'माता' शब्द में कर्म की शेषत्वविवक्षा में पठ्ठी हुई । इसके विपरीत यदि 'गुण' शब्द में करण की शेषत्वविवक्षा करने पर इस सूत्र से पठ्ठी होगी तो 'गुणस्मरणम्' में समास गलत होता । वस्तुतः ऐसे स्थल में 'पठ्ठी शेषे' सूत्र से ही पठ्ठी माननी होगी जिसमें समास में कोई बाधा न हो । इसी के अनुरूप सूत्र में 'मातृ. स्मरणम्' आदि में समासाभाव दिखलाया गया है । यहाँ √दप् का अर्थ 'दान' और √ईञ् का अर्थ 'यथेष्ट विनियोग करना' है । वस्तुतः √दप् के अन्य भी 'गति', 'रक्षण', 'हिंसा', 'आदान' बहुत से अर्थ हैं ।

कृञः प्रतियत्ने ।२।३।५३। कृञः कर्मणि शेषे पठ्ठी स्याद् गुणाधाने । एधो दकस्योपस्करणम् ।

√कृ के कर्म में 'शेष' में पठ्ठी होती है जब 'गुणाधान' अर्थ हो । वस्तुतः गुणाधान का अर्थ 'गुणादान' या 'परिष्करण' है । मतलब यह कि √कृ का अर्थ जब 'परिष्कृत करना' होगा तब उसके कर्म में शेष में द्वितीया के स्थान में पठ्ठी होगी । √कृ का यह अर्थ 'परि', 'उप' तथा 'सम्' उपसर्गों से युक्त होने पर होता है । अतः कहा जा सकता है कि 'परि', 'उप' तथा 'सम्' पूर्वक √कृ के कर्म में शेषत्वविवक्षा में पठ्ठी होती है । उदाहरण में 'एधोदक' में या तो नपुंसक 'एधम्' शब्द से प्रथमैक्यचन 'एधो' और उदक-वाची 'दक' शब्द से या समासावस्था में नपुंसक 'एधम्' तथा 'दक' के समाहार में या पुल्लिङ्ग 'एध' शब्द और 'उदक' से समास में सन्धि के परचान् शेषत्वविवक्षा में पठ्ठी कही जा सकती है । प्रतियत्न का प्रसिद्ध अर्थ यहाँ वैदिक शास्त्र के अनुसार निम्नकरम्पादिकाप्रविशेष को प्रज्वलित करके अग्नि पर क्रिया करने में जब लप्न करने पर उस लप्न का विशेष गुण युक्त होना है ।

१. मिलाइये : इतिहास्युपसर्गं न व्यभिचरतः ।

यह वस्तुगत परिष्करण कहा जा सकता है। इसके विपरीत 'भावगत परिष्करण के समावेश का अभिप्राय सूत्र में कहाँ तक है' यह उदाहरण से लक्षित नहीं होता।

रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः । २।३।५४। भावकर्तृकाणां
ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् । चौरस्य
रोगस्य रुजा ।

✓ज्वर् को छोड़ 'भाववचन' अन्य रुजार्थकधातुओं के कर्म में शेष में षष्ठी होगी। सूत्र में 'रुजा' शब्द √रुजो भङ्गे से निष्पन्न है। फिर, 'भाववचन' पद में 'भाव' शब्द का अर्थ यहाँ घञ् आदि भाववाची प्रत्यय से निष्पन्न शब्द लिया जायगा। वक्तोति वचनः। किन्तु चूँकि 'भाव' का 'वक्ता' होना संभव नहीं है, इसलिये 'वचन' का अभीष्ट अर्थ 'कर्त्ता' लिया जायगा। अतः सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि ज्वरवर्जित √रुज् या इसके पर्यायवाची किसी धातु का कर्त्ता किसी भाववाची प्रत्यय से व्युत्पन्न हो तो उस धातु के कर्म में शेष-त्वविवक्षा में षष्ठी होती है। उदाहरण-स्वरूप यहाँ 'रुजा' के अन्तर्गत √रुज है। जिसका कर्त्ता (करनेवाला) भाववाची घञ् प्रत्यय से निष्पन्न 'रोग' है। अतः उसके कर्मभूत 'चौर' शब्द में शेष में षष्ठी हुई है। इस प्रकार उदाहरण में यद्यपि 'रोग' और 'रुजा' दोनों ही शब्द √रुज् से निष्पन्न हैं तथापि दोनों के अर्थ में अन्तर है। वस्तुतः 'रोग' से बीमारी के कारण शरीर का क्षयादिविकार विशेष विवक्षित होता है, किन्तु 'रुजा' से व्याधिजन्य सन्तापादिपीड़ा व्यक्त होती है। अब उदाहरणस्थ 'चौरस्य रोगस्य रुजा' के पूर्ववाक्य 'चौर रोगः रुजति' से सूत्रार्थ स्पष्ट हो जाता है। पर हम यहाँ एक व्यतिक्रम पाते हैं। वह यह कि सूत्र में कहा गया है कि ज्वरवर्जित रुजार्थक धातु के कर्म में शेष में षष्ठी होती है किन्तु उदाहरण में हम √रुज् से निष्पन्न 'रुजा' शब्द के योग में 'चौर' शब्द में षष्ठी पाते हैं। फिर, सूत्रस्थ 'रुजार्थानाम्' से पता लगता है कि शायद 'रुजा' और इसके पर्यायवाची संज्ञा (Noun) शब्द ही अभीष्ट हैं। किन्तु, कर्म में ही षष्ठी होने की बात उसके योग में क्रिया को ला देती है। वस्तुतः यहाँ भी क्रिया रूप में ही धातु के योग में

यदि पथी दिग्गलाई जातो तो कुछ विशेषता होती, अन्यथा 'रजा' शब्द के योग में 'कर्तृकर्मणोः कृति' सूत्र से भी तो पथी हो ही सकती है। निरचय ही अन्तर यह होगा कि उदाहरणस्थ 'चौरस्य रजा' में समाम नहीं होगा यद्यपि 'रोगस्य रजा' में ऐसी बात नहीं हो सकती। केषल 'चौरस्य रोगस्य' में हम 'पूज्यगुणमुहितायैमदभ्ययतम्यसमानाधिकरणेन' सूत्र के अनुमा समानाधिकरणपथी का समाम निषेध कर सकते हैं।

अज्वरिसताप्योरिति वाच्यम् । रोगस्य चौरज्वरः, चौर संतापो वा । रोगकर्तृकंचौरसम्बन्धिज्वरादिकमित्यर्थः ।

इस धात्विक के अनुसार उपयुक्त भूत्र के अधिकार-क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। इसके अनुसार रजायक धातुओं में $\sqrt{\text{ज्वर्}}$ और $\sqrt{\text{संताप्}}$ के छोड़कर अन्य किसी भी धातु के कर्म में शेष में पथी होती है। वस्तु मूल सूत्र में 'अज्वरे' के द्वारा $\sqrt{\text{ज्वर्}}$ का यहिष्करण (Elimination) पहले ही हो चुका था। इस दृष्टि में धात्विक में पुनः उमका समावेश निम्नोक्त जन है। चूंकि $\sqrt{\text{ज्वर्}}$ और सम् पूर्वक $\sqrt{\text{ताप्}}$ ($=\sqrt{\text{वप्}} + \text{शिच्}$) के कर्म में उपयुक्त भूत्र से पथी नहीं होगी इसलिए साधारण शेषपथी या कृद्स्योग पथी होने से उदाहरण में 'चौरज्वरः' तथा 'चौरसन्तापः' में समाम दितलगाया गया है।

आशिपि नाधः । २।३।५५। आशीरर्थस्य नायतेः शेषे कर्मणि पथी स्यात् । सपिपो नाथनम् । आशिपीति किम् ? भाष्य-चकनायनम् । तत्सम्बन्धिनी याच्चेत्यर्थः ।

'आशिम्' अर्थ शोध होने पर यदि यह अर्थ $\sqrt{\text{भाष्}}$ दे तो उसके कर्म में शेष में पथी होती है। यहाँ 'आशिम्' का अर्थ 'आशासन' या 'आशंसा' है, न कि 'आशीर्वाद'। वस्तुतः $\sqrt{\text{भाष्}}$ के दो अर्थ होते हैं—आशा करने और याचना करना अतः जब 'आशा करना' अर्थ होगा तभी उसके कर्म में विधि भवस्या में पथी होगी अन्यथा प्रायुदाहरण में 'याचना' अर्थ में 'भाष्यचकनायनम्

में साधारण शेष-पण्ठी या कृद्योग-पण्ठी होने पर समास दिखलाया गया है। पुनः 'शब्दकौस्तुभ' में कर्मत्वविवक्षा में कृद्योग-पण्ठी होने पर 'आशिस्' अर्थ में भी $\sqrt{\text{नाथ्}}$ से निष्पन्न शब्द का समास बतलाया गया है, लेकिन ऐसी दशा में 'गतिकारकोपपदात् कृत्—' सूत्र से कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर होगा। अतः अन्ततः अन्तर यह हुआ कि समास के कारण अन्तोदात्तत्व 'आच्ञा' अर्थ में ही होगा, 'आशिस्' अर्थ में नहीं।

जासिनिप्रहणनाटक्राथपिपां हिंसायाम् । २।३।५६। हिंसार्था-
नामेपां शेषे कर्मणि पण्ठी स्यात् । चौरस्योज्जासनम् । निप्री
संहतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहणनम् । प्रणिहन-
नम् । निहनम् प्रहणनं वा । 'नट अवस्कन्दने' चुरादिः ।
चौरस्योन्नाटनम् । चौरस्य क्राथनम् । वृपलस्य पेपणम् ।
हिंसायां किम् ? धानापेपणम् ।

हिंसार्थक $\sqrt{\text{जास्}}$, निप्रपूर्वक $\sqrt{\text{हन्}}$, $\sqrt{\text{नाट्}}$ $\sqrt{\text{क्राथ्}}$ तथा $\sqrt{\text{पिप्}}$
के कर्म में शेषत्वविवक्षा में पण्ठी होगी। इन धातुओं में $\sqrt{\text{जस्}}$ तीन हैं—
'जसु ताडने' 'जसु 'हिंसायाम्' और 'जसु मोक्षणे'। इनमें केवल प्रथम दो
का ग्रहण यहाँ होगा। ये चुरादिगणीय होने के कारण सूत्र में दीर्घान्त $\sqrt{\text{जासि}}$
पठित हैं। इनके विपरीत, तीसरा दिवादिगणीय है और हिंसार्थक भी नहीं है।
इसी प्रकार $\sqrt{\text{नट्}}$ भी दो हैं— $\sqrt{\text{नट्}}$ नृत्तौ और $\sqrt{\text{नट्}}$ अवस्कन्दने इनमें
केवल अवस्कन्दनार्थक $\sqrt{\text{नट्}}$ का ग्रहण होगा। यह भी चुरादिगणीय है। पुनः
 $\sqrt{\text{क्रथ्}}$ हिंसायाम् 'घटादि' में पठित होने के कारण 'घटादयो मितः' और
'मितं ह्रस्वः'^२ से ह्रस्व होता, किन्तु तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार निपातन से
यह सूत्र में दीर्घान्त पठित है। पुनः निप्रपूर्वक $\sqrt{\text{हन्}}$ के विषय में प्रायः

१. यद्यपि कर्मत्वविवक्षायां कर्तृकर्मणोरिति यदा पठौ तदा समासो भवत्येव
तथापि तत्र कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ।

२. पाणिनि : ६।४।९२।

पाणिनि का अभिप्राय था कि यह महत्, व्यस्त तथा विपर्ययस्त—सर्वा क्रमों में इष्ट है अतएव निग्रहणनम्, प्रणिहणनम्, निहणनम् और ग्रहणनम्—सबों के घृयङ्-शृयङ् उदाहरण लिखलाये गये हैं। फिर, √पिप् का अर्थ साधारण भाषा में 'पासना' या 'चूरना' है। लेकिन हर जगह 'हिंसा' अर्थ रहना चाहिये यस्तुत 'हिंसा' किन्ती भी प्रकार का 'शारीरिक क्लेश' या 'क्षति' है। इस लिये 'झाड़-फूटकर' धान से चावल निकालना जहाँ अर्थ रहे वहाँ अन्य कथित अन्य सूत्र से पड़ी होगी और इसतरह समास में भी कोई निषेध नह होगा। यह प्रत्युदाहरण 'धानापेपणम्' से स्पष्ट है।

यूतिस्य उदाहरणों में 'उज्जासनम्' और 'उद्धादनम्' में उत्-उपसर्ग ह तत् घातु के अर्थ को पुष्ट करता है। इस सम्बन्ध में शेषत्व विवक्षा पड़ी। कुछ शास्त्रीय उदाहरण भी दिये जा सकते हैं—'निजौजसोज्जासयितुं उग हुहाम्', 'क्रमेण पेष्टु भुवनद्विपामपि' आदि। इनमें 'उज्जासयितुम्' अं 'पेष्टुम्' के योग में 'जगद्गुहाम्' तथा 'भुवनद्विपाम्' में क्रमदा इसी सूत्र पड़ी है।

व्यवहृपणोः समर्थयोः । २।३।५७। शेषे कर्माण पठं
स्यात् । घृते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्यार्थता । शतस
व्यवहरणं पणनं वा । समर्थयोः क्रिष् । शलाकाव्यवहारः
गणनेत्यर्थः । ब्राह्मणपणनम् । स्तुतिरित्यथः ।

समानार्थक 'पि', 'अव' पूर्वक √हृ तथा √पण के कर्म में शेष में पठ्य होगा ये दोनों घातु समानार्थक होते हैं 'घृत' तथा 'क्रयविक्रय-व्यवहार' अर्थ में। अतः इन्हीं अर्थों में इनके कर्म में शेषत्वविवक्षा में पड़ी होती है। उदाहरणस्वरूप 'शतस्य व्यवहरणम्' या 'शतस्य पणनम्' का अर्थ है—दात (मुद्रादि) पठ्य या प्रयविक्रय में लगाना। क्रयविक्रयव्यवहार का अर्थ मुझे 'सरोर-विश्री' की अपेक्षा 'पान्द्रावाजी' अच्छा लगता है। यह घृत से करीब कदाच तुल्यार्थक भी है। लेकिन तुल्यार्थक होने से यदि यह सुनदक्षिणत् मात्स्य पङ्क्ति

१. चित्तपालवचनम् : १।३७।

२. ,, : १।४०।

हो तो कम से कम वृत्त्यर्थ की रक्षा के लिये 'खरीदविक्री' अर्थ लेना ही अच्छा होगा। प्रत्युदाहरण में दिखलाया गया है कि जब $\sqrt{\text{व्यवह}} \text{ का अर्थ 'गणना करना' और } \sqrt{\text{पण}} \text{ का अर्थ 'प्रशंसा करना' होगा तो अन्य सूत्र से पष्ठी की प्राप्ति होने से समास हो जायगा।}$

दिवस्तदर्थस्य ।२।३।५८। द्यूतार्थस्य क्रय-विक्रयरूपव्यव-
हारार्थस्य च दिवः कर्मणि पष्ठी स्यात् । शतस्य दीव्यति ।
तदर्थस्य किम् ? ब्राह्मणं दीव्यति । स्तौतीत्यर्थः ।

$\sqrt{\text{दिव्}}$ तीन अर्थ रखता है—'द्यूत', 'क्रय विक्रय रूप व्यवहार' तथा 'स्तुति'। इनमें सूत्रानुसार 'द्यूत' और 'क्रय विक्रय रूप व्यवहार' अर्थ वाले $\sqrt{\text{दिव्}}$ के कर्म में पष्ठी होगी। उदाहरणस्वरूप 'शतस्य दीव्यति' का अर्थ है—'शत (मुद्रादि) द्यूत में देता है' या 'शत (मुद्रादि) का क्रयविक्रय व्यवहार करता है।' इसके विपरीत, प्रत्युदाहरण में स्तुत्यर्थक $\sqrt{\text{दिव्}}$ के कर्म-रूप 'ब्राह्मण' शब्द में द्वितीया हुई है। इस सूत्र में अष्टसूत्री के वाद के अन्यान्य सूत्रों की तरह 'अर्धागर्थदयेशां कर्मणि'^१ से 'कर्मणि' की अनुवृत्ति हुई

। लेकिन उनके विपरीत, यहाँ कर्म की शेषत्वविवक्षा नहीं होने के कारण शेषे की निवृत्ति हो जाती है। फिर 'कर्तृकर्मणोः कृति'^२ सूत्र के सामीप्य के हेतु कृद्योग पष्ठी की संभावना तथा वैसी स्थिति में समास की शंका होने पर उसके निवृत्त्यर्थ यहाँ तिङन्त का ही योग समझा जायगा। इसके विपरीत, वृत्ति तिङन्त के साथ समास की प्रसक्ति नहीं होती और अष्टसूत्री समास के निषेधार्थ ही सिद्ध होती है, इसलिये अष्टसूत्री के अन्तर्गत तत् तत् स्थान में धातु निर्देश होने पर भी तिङन्त का योग नहीं समझा जाकर धातु निष्पन्न प्रातिपदिक का योग समझा जायगा। इसलिये 'व्यवहपणोः समर्थयोः'^३ सूत्र में जहाँ 'शतस्य व्यवहरणम्' उदाहरण दिया गया है वहाँ इस सूत्र में 'शतस्य दीव्यति'।

१. पाणिनि : २।३।५२।

२. ,, : २।३।६५।

३. ,, : २।३।५७।

पुनः इत सूत्र में जो 'तदर्थे' कहा गया है उसका अर्थ वस्तुतः 'स्वयत्नयोः समर्थयोः' सूत्र का 'समर्थ' ही है। अतः 'तदर्थे' का अर्थ ही 'धृतार्थे एव क्रयविक्रय-स्वयत्नयोः' है। अथ विस्तृत दृष्टि से गौरः करने पर हमें देखेंगे कि अष्टसूत्री से इस सूत्र की समानता समासाभाव में है। साथ ही अन्तर यह है कि जहाँ अष्टसूत्री में समाप्त निषिद्ध है वहाँ इस सूत्र में समाप्त संभव ही नहीं है, अतः शब्दात्मिक के प्रतिच्छेद है। फिर, यहाँ 'दोष' की अनुपस्थिति नहीं होने के कारण कर्मत्व प्रकार ही समझना चाहिये। अतएव 'द्वितीया प्राप्ते' इम उत्तर सूत्र में^१ भाष्यकार तथा कैवट के अनुसार 'गामस्य तदहः सभाषा दीप्येयुः' में नित्य पक्षी की प्राप्ति होने पर द्वितीया ही होती है। इन्हीं भाषाओं पर वस्तुतः अपनी विनिष्टता तथा शैथिल्यता के कारण ही मात्रा-छाद्यव हारके भी उपर्युक्त 'स्वयत्नयोः समर्थयोः' सूत्र में इसका समावेश नहीं किया जा सका। कारणों में सबसे मुख्य है इस सूत्र में पूर्वसूत्र के विपरीत कर्म के साथ विद्वन्त का समन्वय।

विमाषोपसर्गे । २।३।५६। पूर्वयोगापवादः । शतस्य शतं वा प्र (ति) दीप्यति ।

लेकिन उपर्युक्त स्थिति में यदि $\sqrt{\text{द्वि}} 'धृ'$ या 'क्रय-विक्रय-स्वयत्नयोः' के अर्थ में होने के साथ-साथ उपसर्गोक्त रहे तो उसके कर्म में विकल्प से पक्षी होती है। अतः पक्षी के अभाव परन्तु में निश्चय ही द्वितीया होगी। उदाहरण-स्वरूप 'शतस्य प्रतिदीप्यति' और 'शतं प्रतिदीप्यति' दोनों होंगे। वृत्ति में 'प्रदीप्यति' या 'प्रतिदीप्यति' में संशय दीप्त पड़ता है। वस्तुतः दोनों संभव हो सकते हैं, किन्तु 'प्रतिदीप्यति' स्पष्टतः अधिक संगत लक्ष्यता है।

प्रेष्यन्नुवोर्हविषो देवतामम्प्रदाने । २।३।६१। देवतासम्प्रदानेऽप्ये वत्तमानयोः प्रेष्यन्नुवोः कर्मणोर्हविषोपस्य वाचका-

१. पाणिनि : २।३।६०।

२. महाभाष्यम् : २।३।६६।

च्छ्रदात् पष्ठी स्यात् । अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदसः
प्रेष्य, अनुब्रूहि वा ।

पूर्ववत् यहाँ भी समासाभाव में कर्म के साथ तिङन्त का योग तथा 'शेषे' की निवृत्ति समझनी होगी । सूत्र में 'प्रेष्य' प्रपूर्वक दिवादिगणीय √इप् के लोट् लकार मध्यम-पुरुष एकवचन का रूप है । पुनः यद्यपि √ब्रू का ऐसा रूप सूत्र में निर्दिष्ट नहीं है, तथापि 'प्रेष्य' के साहचर्य (Co-existence) से लोट् मध्यम पुरुष एकवचन रूप ही सूत्र के इष्टसिद्धयर्थ वाञ्छित है । फिर, 'हविष्' शब्द यहाँ हविर्वाचक नहीं, अपितु 'हविर्वि-शेषवाचक' है । अतः सूत्रानुसार जहाँ किसी देवता को 'हविष्' देने का अर्थ हो वहाँ 'प्रेष्य' या 'ब्रूहि' (या उपसर्गयुक्त 'अनुब्रूहि' आदि) के कर्म भूत 'हविर्वि-शेषवाचक' शब्द में पष्ठी होगी । उदाहरणस्वरूप वृत्ति में 'अग्निदेवता' को आग के 'मेदस्' और 'वपा' रूप 'हविष्' देने का अर्थ रहने के कारण ही 'प्रेष्य' या 'अनुब्रूहि' के कर्मभूत 'मेदस्' तथा 'वपा' शब्दों में पष्ठी हुई है । इस प्रकार उदाहरण में 'अग्नि' शब्द में सम्प्रदाने चतुर्थी और 'छाग' शब्द में मन्वन्धे पष्ठी है । फिर, 'मेदस्' तथा 'वपा' शब्द 'देवता-सम्प्रदान' होने के कारण पष्ठी विभक्ति में 'हविष्' के समानाधिकरण हैं । देवतायै सम्प्रदीयते इत् तत् देवतासम्प्रदानम् ।

इसके विपरीत, 'अग्नये छागस्य हविर्वपां मेदो जुहुधि' में हविर्विशेष-वाचक 'वपा' और 'मेदस्' तथा 'हविष्' शब्द में कर्मत्व रहने पर भी पष्ठी नहीं होगी—द्वितीया ही होगी क्योंकि वे 'प्रेष्य' या 'ब्रूहि' (या 'अनुब्रूहि' आदि) के कर्म नहीं हैं । पुनः 'अग्नये गोमयानि प्रेष्य' में सूत्रस्थ 'प्रेष्य' शब्द रहने पर भी कर्मभूत 'गोमय' शब्द में पष्ठी नहीं है क्योंकि 'गोमय' शब्द वृत्तः 'हविष्' नहीं है । पुनः इन सभी शक्तों के पूरा रहने पर भी कर्म में पष्ठी नहीं होगी यदि 'हविष्' देवतासम्प्रदान नहीं हो । उदाहरणस्वरूप माणवकाय पुरोडाशान् प्रेष्य' में 'पुरोडाश' हविष् तो है लेकिन उसका सम्प्रदान कोई देवता नहीं 'माणवरु' है । इसी तरह नियम है—'हविषः स्थितत्वेन विशेषणे प्रतिषेधो वक्तव्यः' । अर्थतः 'प्रस्थित' शब्द यदि उक्त

स्थिति में 'हविष्' या हविर्विशेषवाची शब्द का विशेषण होकर आवे तो का में पष्ठी का प्रतिषेध होता है। उदाहरणस्वरूप 'इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविर्मेदः प्रस्थिनं प्रेष्य' में कर्मभूत 'हविष्' तथा हविर्विशेषवाचक 'वपा' और 'मेदम्' शब्दों में पष्ठी के प्रतिषेधस्वरूप द्वितीया हुई है।

वस्तुतः कल्पसूत्रों में 'अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य'—इतना ही पाया जाता है। किन्तु चूँकि उदाहरणगत वाक्य भाष्य में मिलता है इसलिये अनुमान है कि कुछ शाखाओं में अक्षरय ही बैसा पाठ रहा होगा यहाँ वालसनोरमाकार के अनुसार 'मेदस्' शब्द का अर्थ 'वक्षत्रस्यदत्तुरुमानविशेष' है।

कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणौ ।२३।६४। कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणौ शेषे पष्ठी स्यात् । पञ्च-कृत्वोऽहो भोजनम् । द्विरहो भोजनम् । शेषे किम् ? द्विरहन्य-स्ययनम् ।

जिस अर्थ में कृत्वसूत्र प्रयय लगता है उस अर्थ में जो प्रयय लगते हैं उन्हें 'कृत्वोऽर्थ' प्रयय कहेंगे। वस्तुतः कृत्वसूत्र को छोड़ अन्य एक ही ऐमा प्रयय है और वह है मुच्। इनमें 'द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्' सूत्र के अनुसार सुच् प्रयय द्वि, त्रि, और चतुर् शब्दों से लगता है तथा इनमें आगे के सभी संख्यावाची शब्दों में कृत्वसूत्र होता है। यह प्रयय 'संख्याया क्रियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसूत्र' सूत्र के अनुसार संख्या के द्वारा क्रिया की आवृत्ति की गणना होने में संख्यावाची शब्द से लगता है। अतः सूत्र का अर्थ है कि यदि किसी भी 'कृत्वोऽर्थ' प्रयय में निष्पन्न शब्द का प्रयोग हो तो उसके योग में अधिकरणभूत कालवाची शब्द में शेषविवक्षा करने पर पष्ठी होगी। उदाहरणस्वरूप 'द्विरहो भोजनम्' और 'पञ्चकृत्वोऽहो भोजनम्' में भोजनक्रिया की क्रमशः 'द्विरावृत्ति' तथा 'पञ्चावृत्ति' हुई है। ऐसी स्थिति में अधिकरणभूत कालवाची 'अहन्' शब्द में शेष में पष्ठी हुई है। इसके विपरीत, शेषविवक्षा नहीं करने पर प्रयुक्त हरण में अधिकरणे सप्तमी दितललाई गई है। अन्तर यह है कि शेषविवक्षा

षष्ठ्यन्त का समास नहीं होगा, पर अधिकरणत्वविवक्षा में सप्तम्यन्त का मास होगा। यह सूत्र 'दिवस्तदर्थस्य' से लेकर 'प्रेष्यन्बोर्हविषो देवता-प्रदाने' तक की त्रिसूत्री के बाद समासप्रतिषेधार्थं पुनः शेषत्वविवक्षा में ग्री का विधान करता है और इसतरह पूर्व के सात सूत्रों के साथ 'अष्टसूत्री' गता है।

कर्तृकर्मणोः कृति ।२।३।६५। कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च
ष्टी स्यात् । कृष्णस्य कृतिः । जगत् कर्त्ता कृष्णः ।

कृदन्त प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के योग में कर्त्ता तथा कर्म में पष्ठी होती। वस्तुतः कर्त्ता और कर्म का मतलब कर्त्तृवाची तथा कर्मवाची शब्द है। अर्थतः कृदन्तप्रत्ययनिष्पन्न शब्द के योग में कर्त्ता तथा कर्म के अर्थ में आये शब्द में पष्ठी विभक्ति होगी। अब कर्त्ता और कर्म की स्थिति पूर्ववाक्य स्पष्ट हो जाती है। यथा 'कृष्णस्य कृतिः' का पूर्ववाक्य 'कृष्णः करोति' गा और 'जगत् कर्त्ता कृष्णः' का 'कृष्णः जगत् करोति'। दोनों ही वाक्यों स्पष्ट हो जाता है कि 'कृष्ण' शब्द 'कर्त्ता' है तथा 'जगत्' शब्द कर्म। अतः नों जगह √कृ से क्रमशः क्तिन् और-तृच् प्रत्ययों से निष्पन्न 'कृति' तथा 'कर्त्ता' शब्दों के योग में कर्त्तृभूत 'कृष्ण' तथा कर्मभूत 'जगत्' शब्दों में पष्ठी है। किन्तु, दूसरे उदाहरण में शंका उठती है कि जिस तरह 'कर्त्ता' शब्द के ग में 'जगत्' शब्द में पष्ठी हुई उस तरह 'कृष्ण' शब्द में यह क्यों नहीं। वस्तुतः 'कृष्ण' शब्द में पष्ठी संभव ही नहीं क्योंकि दोनों पदों में भाव होने के कारण कारक की दृष्टि से वह 'कर्त्ता' शब्द के संमकक्ष (co ordinate) हो जाता है। इस तरह 'कृष्ण' शब्द में यहाँ प्रथमा को इ अन्य कोई विभक्ति हो ही नहीं सकती।

गुणकर्मणि वेप्यते । नेताऽश्वस्य सुघ्नं, सुघ्नस्य वा ।
ति किम् ! तद्विने मा भूत् । कृतपूर्वा कटम् ।

कृदन्तप्रत्ययान्त शब्द के योग में प्रधान कर्म के साथ यदि गौणकर्म (Secondary Accusative) भी रहे तो गौणकर्म में विकल्प से पष्ठी भी है। तात्पर्य यह कि प्रधानकर्म में नित्य पष्ठी होगी। उदाहरणस्वरूप

पूर्वधाक्य 'अद्वं सृष्णं नयति' में 'अद्व' प्रधानकर्म है और 'सृष्ण' गौणकर्म। अतएव 'नेता अद्वस्य सृष्णस्य सृष्णं वा' में $\sqrt{\text{नी}}$ से वृष् प्रत्यय निष्पन्न 'नेता' शब्द के योग में गौणकर्म 'सृष्ण' में पठो और विकल्प में द्वितीया हुई है। 'अद्व' प्रधानकर्म है, अतः उसमें नित्यरूप से पठो दिखलाई गई है। यहाँ धार्तिक में 'गुण कर्म' का अर्थ है गौण कर्म। ये दोनों प्रकार के कर्म संभव हो सकते हैं केवल द्विकर्मक धातु के योग में। अतः अर्थ हुआ कि यदि किसी द्विकर्मक धातु से कोई कृदन्त प्रत्यय लगाकर यथावत् शब्द निष्पन्न किया जाय तो उसके योग में प्रधान कर्म में नित्य पठो होगी और गौणकर्म में वैभाषिक। इस तरह इस धार्तिक में द्विकर्मक धातु के साथ प्रधान कर्म और गौणकर्म में पठो प्रसंग का समाधान हुआ है। पुनः मूल सूत्र में कृदन्त निष्पन्न शब्द के योग में कर्त्ता में पठो अकर्मक और सकर्मक दोनों धातुओं के प्रयोग में हो सकती है, लेकिन कर्म में पठो केवल सकर्मक के प्रयोग में ही।

वस्तुतः यह नियम केवल कृदन्तप्रत्ययान्त शब्द के योग में लागू होता है, तद्धितप्रत्ययान्त के योग में नहीं। इसीलिये प्रत्युदाहरण में 'कृत्पूर्वी कश्म्' में तद्धित प्रत्यय 'इनि' से निष्पन्न 'कृत्पूर्वी' शब्द के योग में 'कृत्' शब्द में द्वितीया दिखलाई गई है। पूर्व कृत्वाऽनेनेति कृत्पूर्वी। लेकिन 'भोद्वनस्य पाचकतम' में तद्धित 'तमप्-' प्रत्ययान्त 'पाचकतम' शब्द के योग में पठो कैसे हुई? वस्तुतः मेरी समझ में कृदन्त वृष् प्रत्यय से निष्पन्न 'पाचक' शब्द की ही यहाँ प्रसंगता रहने के कारण पूर्ण निष्पन्न शब्द के योग में भी पठो ही होती है। इस तरह 'तमप्' यहाँ कोई नया अर्थ नहीं देता, बल्कि 'पाचक' के 'पाचकरय'-अर्थ पर ही और देता है। इस प्रकार शब्देन्दुनेतर में स्पष्टता दिखला दिया गया है कि 'भोद्वन पाचकतम' प्रयोग विकटूल गड़बड़ है। इसके विपरीत, मनुष्य के आघकार में 'प्रज्ञाश्रद्धार्थादिभ्यो ण' सूत्र के अन्तर्गत मूलकार (वृत्तिकार ?) ने 'प्रज्ञा श्रद्धार्थादिभ्यो ण' उदाहरण दिया है।

• अन्ततः यदि गंभीरत्वारूपक विचार किया जाय तो 'उदहम्' सूत्र के

१. पाणिनि : ५।२।१०१।

२. ,, : ५।१।११७।

निर्देश के आधार पर 'कर्तृकर्मणोः कृति' सूत्र स्वयं अनित्य सिद्ध होता है। इसीलिये तो 'धायैरामोदमुत्तमम्' प्रयोग संगत होता है। यहाँ कृदन्त-प्रत्ययनिष्पन्न तृतीयान्त 'धायैः' शब्द के योग में 'उत्तमम् आमोदम्' में पष्ठी के विकल्प में द्वितीया भी उत्पन्न होती है। किन्तु, वालमनोरमाकार ने बतलाया है कि उपर्युक्त भट्टिकाव्य का अर्थ 'उत्तममामोदं पुष्पादीनां गृहीत्वा दुःखस्य पोषकैः'—ऐसा करके तथा √धा से निष्पन्न तृतीयान्त 'धायैः' को 'पोषकैः' अर्थ करने पर 'गृहीत्वा' का अध्याहार कर विना सूत्र को अनित्य बतलाये और कृदन्तप्रत्ययान्त-शब्द के योग में पष्ठी को सर्वथा नित्य सिद्ध करते हुए ही द्वितीया की सिद्धि हो सकती है।

उभयप्राप्ती कर्मणि । २।३।६। उभयोः प्राप्तियस्मिन् कृति
त्र कर्मण्येव पष्ठी स्यात् । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन ।

पुनः एक ही कृदन्तप्रत्ययान्त शब्द के योग में जहाँ एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म उभय की प्राप्ति हो, वहाँ केवल कर्म में पष्ठी होगी। अनुक्त रहने के कारण 'कर्ता' में तृतीया होगी। उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में कृदन्त घञ् प्रत्यय से निष्पन्न 'दोह' शब्द के योग में केवल 'गो' शब्द में पष्ठी हुई है। इसके विपरीत, अनुक्तावस्था में, कर्तृभूत 'अगोप' शब्द में तृतीया हुई है। पूर्ववत् यहाँ भी पूर्ववाक्य का आश्रय लेने पर 'कर्ता' और कर्म की स्थिति आसानी से समझ में आ जाती है। 'आश्चर्यः गवां दोहोऽगोपेन' का पूर्ववाक्य होगा—'गाः दोग्धि अगोप इत्याश्चर्यम्'। वस्तुतः सूत्रस्य 'उभयप्राप्ति' शब्द बहुव्रीहि है—'उभयोः (कर्तृकर्मणोः) प्राप्तियस्मिन् (तस्मिन् कृति)। वृत्तिकार का अभिप्राय भी ऐसा ही दीखता है। अन्यथा 'उभयोः प्राप्तिः'—ऐसा पष्ठीतरपुरुष समझने पर तो 'ओदनस्य पाकः ब्राह्मणा-नां च प्रादुर्भावः' में एक वाक्य में एक कृदन्त प्रत्यय निष्पन्न शब्द के योग-रूपक प्रतिबन्ध के अभाव में केवल कर्मभूत 'ओदन' शब्द में ही पष्ठी उत्पन्न होगी, कर्तृभूत 'ब्राह्मण' शब्द में नहीं। अतः जहाँ एक वाक्य में अनेक कृदन्तप्रत्ययनिष्पन्न शब्द रहेंगे वहाँ प्रत्येक के योग में पष्ठी होगी—चाहे

जिसमें पद्य होगी वह पद कर्तृवाची हो या कर्मवाची। लेकिन ऐसा तभी होगा यदि वहाँ इस सूत्र का कोई अपवादनिपम लागू नहीं होता हो। अतः इस सूत्र के अधिकार-क्षेत्र में उन्हीं कृदन्त शब्दों के योग में पद्य होगी जो एक ही वाक्य स्थित हों तथा कर्ता और कर्म दोनों के योग में हों।

पुन यदि एक ऐसे वाक्य की कल्पना करें जिसमें कर्ता के साथ-साथ द्विकर्मक धातु का योग रहने के कारण प्रधान और गौण दोनों कर्म हों तो क्या दोनों कर्म में पद्य हो जायगी? वस्तुतः ऐसी स्थिति में 'गुणकर्मणि वेध्यते' वार्तिक लगाना चाहिये। अतः इसके अनुसार केवल गौणकर्म में पद्य होनी चाहिये। किन्तु इस अर्थ में स्थिति पूर्ण स्पष्ट नहीं है। यदि उद्भूत वार्तिक के उदाहरण—'नेता अरघस्य सुध्नस्य सुध्नं वा' में कर्तृपद का प्रयोग रहता और प्रस्तुत सूत्र के आशय से उसका तृतीयान्त प्रयोग होता तो उपयुक्त केवल गौणकर्म में पद्य की स्थिति स्वीकार की जा सकती थी। परन्तु, ऐसा नहीं रहने से हम कह सकते हैं कि जहाँ केवल प्रधान और गौण दो कर्म ही रहेंगे—कर्तृपद नहीं रहेगा—वहाँ केवल गौणकर्म में पद्य होगी तथा जहाँ कर्ता के साथ-साथ दोनों कर्म रहेंगे वहाँ 'कर्ता' में तृतीया और दोनों कर्म में पद्य होगी। इसके विपरीत यदि हम मानें कि जहाँ भी प्रधान और गौण—दो कर्म की स्थिति होगी वहाँ केवल गौणकर्म में पद्य होगी तो सर्वथा गौणकर्म में ही पद्य कही जायगी। वस्तुतः यह भेद दृष्टिकोण के भेदमात्र से हो सकता है। इस सम्बन्ध में आश्रय है कि तस्ययोधिनीकार भी कुछ प्रकाश नहीं दे पाये हैं।

स्त्रीप्रत्यययोरकाऽकारयोर्नायं नियमः । भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगत्तः ।

उपयुक्त सूत्र के अपवाद स्वरूप हम वार्तिक के अनुसार एक ही वाक्य में एक ही कृदन्तपद के योग, में 'कर्ता' और 'कर्म' दोनों शब्दों में पद्य होती है। 'सक' (बुध्) तथा 'अ' प्रत्यय लगने के बाद यदि किसी वाक्य में 'रिषवां क्तिन्' के अधिकार में विहित कोई स्त्रीप्रत्यय आता हो तो ऐसे वाक्य के योग में

उपर्युक्त सूत्र-नियम लागू नहीं होता। उदाहरणस्वरूप 'भेदिका' और 'विभित्सा' ऐसे ही शब्द हैं। भेदनं भेदिका। भेत्तुमिच्छा विभित्सा। ये क्रमशः $\sqrt{\text{भिद्}}$ से ण्वुल् से अकादेश में टाप् और 'इस्व' करने पर तथा सन्नन्त $\sqrt{\text{भिद्}}$ से 'अप्रत्ययात्' से अकार प्रत्यय, फिर टाप् करने पर निष्पन्न होते हैं। अब 'भेदिका रुद्रस्य जगतः' का पूर्ववाक्य है—'भिनत्ति रुद्रः जगत्' और 'विभित्सा रुद्रस्य जगतः' का 'विभित्सते रुद्रः जगत्'। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि 'भेदिका' और 'विभित्सा' शब्दों के योग में दोनों उदाहरणों में क्रमशः कर्मभूत 'रुद्र' तथा कर्मभूत 'जगत्' शब्दों में पष्ठी हुई है।

शेषे विभाषा । स्त्रीप्रत्यये इत्येके । विचित्रा जगतः कृतिर्हरैरिणा वा । केचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्येणाऽऽचार्यस्य वा ।

लेकिन पूर्वोक्त 'अक' (ण्वुल्) और 'अकार' प्रत्ययों से 'शेष' कृदन्त प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में 'कर्त्ता' और 'कर्म' दोनों में विभाषा से पष्ठी होगी। तात्पर्य यह है कि 'उभयप्राप्ता कर्मणि' सूत्र के अनुसार कर्म में तो सतत पष्ठी होती ही है, इस वार्तिक के अनुसार दोनों की प्राप्ति रहने पर 'कर्त्ता' में यह विकल्प से होगी। कुछ वैयाकरणों के अनुसार 'अक' और 'अकार' प्रत्ययों से भिन्न किसी भी कृदन्त, किन्तु स्त्रीप्रत्ययान्त ही शब्द के योग में यह विभाषा लागू होती है। वस्तुतः इस नियम को सीधे उपर्युक्त 'स्त्रीप्रत्यययोः—' नियम का आनुमानिक नियम (Corollary) माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में 'स्त्रीप्रत्यय' की अनुवृत्ति होती है और 'शेषत्व' से 'अकाऽकारप्रत्ययमिच्छत्व' अर्थ निकलता है। उदाहरणस्वरूप 'अकाऽकारमिन्न' क्तिन् प्रत्ययान्त 'कृति' शब्द के योग में 'विचित्रा जगतः कृतिर्हरैरिणा वा' में कर्मभूत 'जगत्' शब्द में नित्य तथा कर्मभूत 'हरि' शब्द में वैकल्पिक पष्ठी दिखलाई गई है। यहाँ उदाहरण का पूर्ववाक्य होगा—'विचित्रं जगत् करोति हरिः'।

इसके विपरीत, कुछ लोगों के मत में 'विभाषा' का अर्थ—'अकाऽकार-प्रत्ययमिच्छत्'—'स्त्रीप्रत्यय' से विशेषित नहीं है। अतः तदनुसार केवल 'अकाऽकार' से भिन्न स्त्रीप्रत्ययान्त प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द के योग में नहीं, अपितु उक्त प्रत्यय भिन्न किसी भी कृदन्त शब्द के योग में 'विभाषा' लागू होगी। यस्तुत यह मत उन वैभाषिकों का है जो इस नियम का सम्बन्ध सीधे 'स्त्री प्रत्यययोः—' धार्ष्टिक से न मानकर मूलसूत्र 'उभयप्राप्ती कर्मणि' से मानते हैं। इसके अनुसार 'शब्दानामनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा' में यद्यपि 'अनुशासन' शब्द स्त्रीप्रत्ययान्त नहीं है—केवल अकाऽकार-भिन्न प्रत्यय से निष्पन्न है—तथापि उसके योग में कर्तृभूत 'आचार्य' शब्द में धैकत्विक पद्यो दिखलाई गई है। यहाँ 'अनुशासन' शब्द का अर्थ है—'अनुशिष्यन्ते असाधुनाश्चेत्य प्रविमज्य बोध्यन्ते येनेत्यनुशासनम्'। यस्तुतः 'अकाऽकारमिच्छत्प्रत्ययनिष्पन्न स्त्रीप्रत्ययान्त' के दो अर्थ संभव हैं—'कृदन्त स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द' जिनमें कृदन्त लगने के बाद कोई स्त्री प्रत्यय लगा है और 'स्त्री प्रत्यय कृदन्त' शब्द जिनमें क्तिन् की तरह कोई स्त्रीलिङ्ग कृदन्त प्रत्यय लगा रहता है। इस प्रसंग में प्रत्येक स्थान में 'स्त्रीप्रत्यय' का अर्थ है—'रिश्यं क्तिन्' के कश्चिद्कार में विहित स्त्रीप्रत्यय और वैभाषिक पद्यो प्रमंग का तात्पर्य है 'कर्त्ता' में वैभाषिकता क्योंकि कर्म में तो किसी भी अवस्था में पद्यो होती ही है। पुनः धैकत्विक पक्ष में कर्त्ता में जहाँ पद्यो नहीं होगी वहाँ अनुष्ठावस्था में कृतीया ही होती है।

ः क्तस्य च वर्त्तमाने ।२।३।६७। वर्त्तमानार्थकस्य क्तस्य योगे पद्यो स्यात् । 'न लोके'ति निषेधस्यापवादः । राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा ।

वर्त्तमान काल के अर्थ में क्त प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के योग में पद्यो विभक्ति होती है। 'मतिबुद्धिपूर्वार्थेभ्यश्च' सूत्र से मत्वर्थक, बुद्धपर्यंक तथा पूजापर्यंक घातुभों से यह प्रत्यय उक्त अर्थ में होता है। अतः अर्थ यह हुआ कि मत्वर्थक, बुद्धपर्यंक तथा पूजापर्यंक घातुभों से वर्त्तमानार्थक क्त प्रत्यय से

निष्पन्न शब्दों के योग में पठ्ठी विभक्ति होगी । यहाँ 'मति' का अर्थ है 'इच्छा' । अतएव उपर्युक्त सूत्र में इसके साथ 'बुद्धि' शब्द का बिना किसी पुनरुक्ति के ग्रहण हुआ है । इसलिये उदाहरण में 'राज्ञां मतः' का अर्थ है—'राजा का अभिप्रत (व्यक्ति) है' । इसी प्रकार 'राज्ञां बुद्धिः' तथा 'राज्ञां पूजितः' का अर्थ भी वर्त्तमानकालिक होगा । यह सूत्र 'न लोकाव्यय—' सूत्र में कथित निष्ठा (क्त और क्तवतु) प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द के योग में विहित पठ्ठी-निषेध के अपवादस्वरूप है । वस्तुतः यह निषेध लागू होता है भूतकालिक क्त प्रत्ययान्त के साथ । इसके विपरीत, वर्त्तमानकालिक क्त प्रत्ययान्त के योग में तो इस सूत्र के अनुसार पठ्ठी होगी ही । इसीलिये 'पूजितो यः सुरासुरैः' प्रयोग में 'पूजित' शब्द भूतकालिक क्त प्रत्यय से व्युत्पन्न माना जायगा ।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि वर्त्तमान काल में क्त प्रत्यय केवल ऊपर निर्दिष्ट मत्यर्थक आदि धातुओं से होता है किन्तु इसका यह कदापि मतलब नहीं कि इन धातुओं से भूतकालिक क्त प्रत्यय नहीं होता । वस्तुतः जहाँ क्त प्रत्ययान्त शब्द के योग में पठ्ठी रहे वहाँ वर्त्तमानार्थक 'क्त' समझना चाहिये और जहाँ तृतीया रहे वहाँ भूतार्थक । इसी के अनुरूप वर्त्तमानार्थक 'क्त' प्रत्यय कर्तृवाच्य में समझा जायगा और भूतार्थक कर्मवाच्य या भाववाच्य में । पुनः वर्त्तमान कालिक क्त प्रत्ययान्त के साथ पठ्ठी करने का लाभ यह हुआ कि समासप्रकरण में 'क्तेन च पूजायाम्'^२ सूत्र के अन्तर्गत इस पठ्ठीचन्त का समास नहीं होगा, अन्यथा भूतकालिक क्त प्रत्ययान्त के साथ तृतीया समास होगा, इस प्रकार 'राजपूजितः' में तृतीयासमास ही समझना चाहिये ।

अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।६८। अधिकरणवाचिनश्च क्तस्य योगे पठ्ठी स्यात् । इदमेपामासितं शयितं गतं भुक्तं वा ।

इस सूत्र के अनुसार अधिकरणवाची क्त प्रत्यय निष्पन्न शब्द के योग में

१. पाणिनि : २।३।६९।

२. ,, : १।२।१२।

पछी विभक्ति होती है। अभिव्ययतेऽस्मिन्निति अधिकरणम् । उदाहरणस्वरूप 'भासितम्', 'शयितम्' आदि क प्रत्ययान्त अधिकरणवाची शब्द के योग में 'एषाम् भासितम्', 'एषां शयितम्' आदि में पछी हुई है। इन शब्दों में 'नपु सके मात्रे ऋ' सूत्र से नपुंसकलिंग में भाव में 'क' प्रत्यय हुआ है और इनको अधिकरणवाची इमलिये कहते हैं चूँकि ये अधिकरण का अर्थ देते हैं— 'आस्पते अस्मिन् इति भासितम्'—'जिस पर बैठा जाय', और 'शांयते अस्मिन् इति शयितम्'—'जिस पर सोया जाय'। यहाँ उपसृक्त सूत्र से 'कम्' की अनुवृत्ति होती है। तब सूत्र का अर्थ पूरा होता है। यह भी पूर्वसूत्र की तरह 'न लोकाप्यय—' सूत्र^१ के पछीनिषेध के अपवाद स्वरूप है। वस्तुतः इन दोनों सूत्रों में विशेष विशेष अवस्था में प्रत्ययनिष्पन्न शब्दों के योग में पछी प्रयोग का ही समाधान है। साथ साथ यह भी दर्शनीय है कि दोनों सूत्रों के क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष विशेष अवस्था में 'कर्त्ता' में ही निष्पन्न से पछी-विधान हुआ है। अतः इन अर्थ में जहाँ ये सूत्र 'कर्त्तृकर्मणो —' सूत्र तथा बाद के सूत्रों से भिन्नता रखते हैं वहाँ इन दोनों सूत्रों-सहित बाद के सभी सूत्र-वार्तिक मूल सूत्र 'कर्त्तृकर्मणो कृति' के ही पीपक एवं पूरक हैं।

पुन चूँकि यह अधिकरणवाची 'क' सकर्मक और अकर्मक दोनों धातुओं से हो सकता है इमलिये जब किसी सकर्मक धातु से होगा तो निष्पन्न शब्द के योग में 'कर्त्ता' तथा 'कर्म' दोनों ही में पछी होगी और जब किसी अकर्मक धातु से होगा तो केवल 'कर्त्ता' में पछी होगी। वस्तुतः ऐसी स्थिति में कर्म तो रहेगा नहीं जिसमें उभयमें भी पछी हो। अब सूत्रस्य उदाहरण में 'भुज्' में ✓मुच् और 'शयितम्' में ✓दी कर्मण सकर्मक और अकर्मक हैं। अतः 'शयितम्' के योग में केवल 'इदम् एषां शयितम्' लेकिन 'भुज्' के योग में कर्मभूत 'भोदन' शब्द में भा पछी की प्राप्ति होने पर 'इदम् एषां भुज् भोदनस्य' होगा। किन्तु यहाँ एक समस्या उपस्थित होती है कि एक वाक्य में एक ही कृदन्त शब्द के योग में 'कर्त्ता' और 'कर्म' दोनों में पछी कैम हो

१. पाणिनि . ३।३।११५।

२. .. . २।३।६९।

सकती है। वस्तुतः 'कर्त्ता' की पृष्ठी इसी सूत्र से सिद्ध है। लेकिन 'कर्म' की पृष्ठी 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' सूत्र से सिद्ध न होकर 'कर्त्तृकर्मणोः—' सूत्र से ही समझनी चाहिये। यहाँ मूल सूत्र की प्राप्ति मध्येऽपवादन्याय से होती है। फिर, समझने की एक और आवश्यक बात यह है कि इस सूत्र से विहित पृष्ठी विभक्ति वाले पद का भी समास नहीं होता है। यह निषेध वस्तुतः 'अधिकरण वाचिनश्च^२ सूत्र से होता है।

न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम् । २।३।६६। एषां प्रयोगे पृष्ठी न स्यात् । लादेशाः—कुर्वन् कुर्वाणः (वा) सृष्टिं हरिः । उ—हरिं दिदृक्षुः । अलङ्कारिण्णुर्वा । उक्—दैत्यान् धातुको हरिः ।

यह पृष्ठी का निषेधक सूत्र है। इसके अनुसार 'लादेश', 'उ', 'उक', 'अव्यय', 'निष्ठा', 'खलर्थक' तथा तृन्-प्रत्याहार के अन्तर्गत समाविष्ट प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में पृष्ठी विभक्ति नहीं होगी। इस प्रकार सूत्र का विच्छिन्न क्रम ऐसा होगा—'न ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ-तृनाम्'। सूत्र में केवल 'ल' के ग्रहण से सामान्यतया लट् आदि लकार का ग्रहण होता है। किन्तु चूँकि उनका साक्षात् प्रयोग यहाँ अनपेक्षित है इसलिये उनके 'आदेश' (अर्थात् 'स्थानिक') प्रत्ययों का ही ग्रहण समझा जायगा। ये आदेश प्रत्यय हैं—शतृ, शानच्, क्सु, कानच् आदि। इनमें शतृ और शानच् लट् के स्थान में होते हैं तथा क्सु और कानच् लिट् के स्थान में। अतः लट् स्थानिक शतृ, शानच् प्रत्यय वर्त्तमानार्थक होते हैं और लिट्-स्थानिक क्वसु, कानच् भूतार्थक। लेकिन 'कटं कारयाञ्चकार' में 'कट' शब्द में द्वितीया कैसे हुई क्योंकि लिङन्त √कृ के पूर्व जो कृदन्त 'णमुल्' का रूपान्तर 'आम्' प्रत्यय है उससे निष्पन्न शब्द के योग में तो पृष्ठी होनी चाहिये ? वस्तुतः

१. पाणिनि : २।३।६५।

२. ,, : २।३।६८।

'भाम्'। सूत्र के अनुसार 'भाम्' का लुक् भी लकार का आदेश समझा जाता है। अतः इसी सूत्र के अन्तर्गत पद्यों के प्रतिषेधस्वरूप यह द्वितीया ही स्थायी।

किन्तु, 'यधिवर्ज, पपि. सोमम्' में तो कथित सूत्र से पद्यों का प्रतिषेध नहीं हो सकता क्योंकि 'यधिः' और 'पपिः' के क्रमशः 'कि' और 'किन्' प्रत्यय न लकार हैं और न लकार के आदेश हैं। वस्तुतः आह्वगमहनजनः किङ्किनी लिट् च' सूत्र से लिट्कार्य का अतिदेश होता है, न कि लिट् संज्ञा होती है। पुनः विशेष का अतिदेश होने पर सामान्य के अतिदेश में भी कोई क्षति नहीं। वस्तुतः 'कटं कारयाञ्चकार' में 'कट' शब्द में बिना अधिक क्रम में पद्ये इंप्यिततमरय में ही क्रमैण द्वितीया समझनी चाहिये। किन्तु 'यधिवर्ज पपि सोमम्' में तो उपर्युक्त शास्त्रीय व्याख्या के विपरीत 'यधि' तथा 'पपि' शब्दों के योग में द्वितीया कोई अयुक्त नहीं लगती है। सधसुच मुने 'कि' और 'किन्' प्रत्ययों को 'आदेश' मानने में कोई क्षति नहीं दिखलाई पड़ती। पुनः वृत्ति में 'आदेश' के अन्तर्गत केवल 'शत्' और 'शानच्' के उदाहरण देने से अन्य आदेश प्रत्ययान्त शब्दों के योग में पद्यों निषेध के विषय में शंका भी उपस्थित हो जाती है। किन्तु सर्वबोधिनोकार तथा बालमनोरमाकार के अन्तर्गत से सूचित होता है कि ऐसी शंका निराधार है।

अब दूसरे प्रत्ययों को देखें। इनमें सर्व प्रथम 'उ' प्रत्यय है। यहाँ सूत्र में यद्यपि केवल 'उ' प्रत्यय का ग्रहण हुआ है, किन्तु उससे तदन्त इप्पु (च्) आदि का भी ग्रहण होगा। इसीलिये 'हरि दिग्धुः' के साथ 'हरिम् अलङ्-रिप्पुः' भी उदाहरणस्वरूप उपन्यस्त है। इसी प्रकार उङ् प्रत्ययान्त 'धातुक्' शब्द के योग में भी 'दैत्यान् धातुको हरिः' में पद्यों नहीं होकर द्वितीया हुई है।

कमेरनिषेधः । लक्ष्म्याः कामुको हरिः । अव्ययं—अगत
ऽमुष्ट्या । सुखं कर्तुम् । निष्ठा—धिष्णुना हतो दैत्याः । दैत्यान्

१. पाणिनि : २।४।८१।

२. " : ३।२।१७।

हतवान् विष्णुः । खलर्थः—ईपत्करः प्रपञ्चो हरिणा । 'त्' न्निति प्रत्याहारः 'शतृशानचा'विति 'त्' शब्दादारभ्य (आ) तृनो नकारात् । शानन्—सोर्म पवमानः । चानश्—आत्मानं मण्डयमानः । शतृ—वेदमधीयन् । तृन्—कर्त्ता लोकान् ।

किन्तु; यदि $\sqrt{\text{कम्}}$ से उक्त प्रत्यय लगा हो तो निष्पन्न शब्द के योग में पष्ठी के निषेध का भी निषेध अर्थात् पष्ठी का विधान होता है । उदाहरणस्वरूप 'कामुक' शब्द के योग में कर्मभूत 'लक्ष्मी' शब्द में पष्ठी टिखलाई गई है । पुनः सूत्र में पूर्वापर प्रसंग देखने से पता चलता है कि 'अव्यय' का अर्थ है—कृदन्त अव्यय प्रत्यय । ये हैं क्त्वा और तुमुन् क्योंकि इनसे निष्पन्न शब्द अव्यय होते हैं । इनके योग में भी कर्म में पष्ठी के अपवादस्वरूप द्वितीया होती है । किन्तु बालमनोरमाकार मानते हैं कि यहाँ 'अव्यय' का अर्थ केवल 'कृदन्त अव्यय प्रत्यय' न लेकर कोई भी अव्यय सामान्य लेना चाहिये, अन्यथा 'देवदत्तं हिरू' आदि प्रयोग सिद्ध नहीं होंगे । लेकिन तब 'अधः' 'अधस्तात्' अव्ययपदों के योग में पष्ठी कैसे हो जाती है ? वस्तुतः यह पष्ठी 'पुरः' 'पुरस्तात्' के आधार पर ही 'पष्ठचतसर्थप्रत्ययेन' सूत्र के अन्तर्गत होती कही जा सकती है । पुनः केवल 'अधोऽधः' आदि आन्नेडित के योग में ही द्वितीया नियमित कर देने से यहाँ उसका आनुमानिक निषेध हो जाता है । इस प्रकार अन्य नियमानुसार—कभी माक्षात् किसी सूत्र के अन्तर्गत, या ज्ञापन, निर्देश आदि के आधार पर अन्यान्य कई अव्यय के योग में भी पष्ठी विभक्ति होती दीखती है ।

पुनः 'क्तवत् निष्ठा' सूत्र से क्त और क्तवत् प्रत्यय निष्ठा कहलाते हैं । इनसे निष्पन्न शब्द के योग में भी पष्ठी का निषेध होता है । अतः शब्दशक्ति के अनुरूप क्त प्रत्ययान्त के योग में साधारणतया अनुक्त 'कर्त्ता' में तृतीया और उक्त 'कर्म' में प्रथमा तथा क्तवत्-प्रत्ययान्त के योग में कर्त्ता में प्रथमा और 'कर्म' में द्वितीया होती है । वस्तुतः ऐसा हमलिये होता है चूंकि 'क्त' कर्मवाच्यगत

प्रत्यय है और 'कतवत्' कर्तृवाच्यगत । इसी प्रकार 'खल्' और जिस अर्थ में यह लगता है उस अर्थ में होने वाले अन्य प्रत्यय भी कर्तृवाच्यगत होते हैं । उदाहरणस्वरूप खल्-प्रत्ययान्त 'ईषत्कर' शब्द के योग में वृत्ति में घनत्व कर्तृभूत 'हरि' शब्द में तृतीया हुई है । इसी तरह 'ईषत्पानः सोमो भवता' प्रयोग भी होगा । यहाँ 'ईषत्पान' में युष् प्रत्यय है । फिर, 'तृन्' प्रत्याहार के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में भी यही नहीं होती है । 'लट्. शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे', 'सम्बोधने च', 'ती सन्' 'पृथ्व्यजोः शानन्', 'वाष्ठीत्यवयवघनशक्तिपु।चानश्', 'इक्ष्वायो शप्रकृषिष्णि' 'द्विपोऽग्नि' 'सुजो यज्ञमयोगे', अर्हः प्रशासायाम्, 'आश्वेस्तच्छीलतद्वर्मतसाधुकारिपु' और 'तृन्'—यही सूत्र का क्रम है । इसमें 'लटः शतृशानचा—' सूत्रस्य 'शतृ' के 'तृ' से अन्तिम सूत्र 'तृन्' के नकार को छेकर यह प्रत्याहार बनता है । इसके अन्तर्गत प्रसंगप्राप्त कृदन्त प्रत्यय ये हैं—शतृ, शानच्, शानन्, चानश् और तृन् । इनमें शतृ और शानच् की व्याख्या पृथक् ही ऊपर 'सादेश' के अन्तर्गत हो गई है । अतः यहाँ केवल 'शानन्', 'चानश्', और 'तृन्' की व्याख्या होगी ।

शानन् आदि में 'लट्. शतृशानच' सूत्र की अनुवृत्ति नहीं होने के कारण

१	पाणिनि :	३।३।१२४।
२.	„	: ३।३।४७, ३।३।१२५।
३.	„	: ३।३।२०।
४.	„	: ३।३।१२८।
५.	„	: ३।३।१२९।
६.	„	: ३।३।१३०।
७.	„	: ३।३।१३१।
८.	„	: ३।३।१३२।
९.	„	: ३।३।१३३।
१०	„	: ३।३।१३४।
११.	„	: ३।३।१३५।

मी 'लादेश' के अन्तर्गत उनकी सिद्धि नहीं होने से उन्हें अलग करके इस प्रत्याहार के अन्तर्गत रखना पड़ता है। वस्तुतः बालमनोरमाकार के अनुसार प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ 'लटः शतृशानच्—' सूत्रस्थ 'शतृके' 'तृ' का ग्रहण—या यों कहें कि यहाँ शतृ, शानच् का ग्रहण ही नहीं होना चाहिये क्योंकि 'लादेश' के अन्तर्गत एक बार उनका ग्रहण हो चुका है। लेकिन ऐसी अवस्था में 'तृन्' प्रत्याहार बनाना मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः अन्यथा भी तो शतृ, शानच् के ग्रहण की पुनरावृत्ति हो जाने के कारण सूत्र में दोष आ ही जाता है। इसके अतिरिक्त इसलिये भी हम इस दोष से कभी बच नहीं सकते चूँकि 'लादेश' के विषय में 'लटः शतृशानच्—' सूत्र के अलावे भी निर्दिष्ट सूत्र क्रम में 'इङ्घ्यार्योः शत्र कृच्छ्रिणि' सूत्र के अन्तर्गत कम-से-कम शतृ की पुनरावृत्ति से वचना मुश्किल है। वस्तुतः इस अन्तिम दोष के परिहार-पक्ष में कहा जा सकता है कि यह शतृ विशेष अर्थ में निर्धारित रहने के कारण पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता। अन्ततो-गत्वा शतृ के अन्तर्गत किसी भी अन्य अर्थ का समावेश तो हो जाता है और यद्यपि शानच् और चानच् प्रत्यय शानच् के सदृश ही बतलाये जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इनका समावेश शानच् के अन्तर्गत हो सकता था—तथापि प्रयोग एवं अनुबन्ध की भिन्नता के आधार पर इनकी पृथक् स्थिति संगत एवं दोषहीन सिद्ध की जा सकती है। तब रहा तृन् प्रत्यय। यह भी प्रयोग के आधार पर ठीक तृच् के सदृश है। भिन्नता केवल अनुबन्धगत है। इसलिये साधारणतया व्यवहार में पृष्ठी प्रयोग का भी पक्ष किया जा सकता है क्योंकि जब ऐसी अवस्था में पृष्ठी रहेगी तो तृच्, अन्यथा द्वितीया रहने पर तृन् समझा जायगा।

द्विपः शतुर्वा । गुरस्य गुरं वा द्विपन् । सर्वोऽयं कारक-
पष्ठया (सह) प्रतिषेधः । शेषे पष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य
कुर्वन् । नरकस्य जिष्णुः ।

लेकिन इन प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में पृष्ठी निषेध के विषय में एक बात माकें की यह है कि शतृ प्रत्ययान्त $\sqrt{\text{द्विप्}}$ के योग में निषेध वैकल्पिक होता है। अतः उदाहरण में पृष्ठी के विकल्प-पक्ष में द्वितीया भी दिख-

लाई गई है। यहाँ $\sqrt{\text{द्विप}}$ में शब्द 'द्विपोऽमिते' से हुआ है। किन्तु यह बात बाद रत्ननी चाहिये कि यह निषेध सूत्र में सर्वत्र केवल कारक पठोविषयक है। अतः दोषरत्न विज्ञान में तो पठो कहीं भी अत्रय होगी। यस्तुत वृत्तिज्ञान ने 'पठो दोषे' सूत्रक अन्तर्गत कहा है—'कर्मादीनामपि सम्बन्धमाप्रविशयथा पठ्येव'। इसलिये इस सूत्र के अन्तर्गत जहाँ पठो के निषेध में द्वितीयदि विभक्तियों कर्मादि कारक में हो सकती है वहाँ उनके स्थान में सर्वत्र पठो सभ्य है। उदाहरण स्वरूप 'ब्राह्मणस्य कुर्वन्', 'नरकस्य जिष्णु' में प्रथम शतृप्रत्ययात् 'कुर्वन्' और इष्णुच्प्रत्ययान्त 'जिष्णु' शब्दों के योग में 'ब्राह्मण और 'नरक' शब्दों में शेषत्वविवक्षा से पठो हुई है। इस तरह 'उभयप्रातो कर्मणि' सूत्र के अन्तर्गत उपन्यस्त उदाहरण 'आश्रयों गायो दोहोऽगोपेन' में भी कर्त्तृपद 'अगोप' में दोषरत्नविज्ञान में पठो हो सकता है।

इस सूत्रक अन्तर्गत कारक पठो के प्रतिषेध के यस्तुत दो ही अवकाश हैं—'कमेरनिषेध' और 'द्विप अनुया'। इनमें भी निर्विकल्पक पूर्वनिष्पन्न अपवाद केवल प्रथम ही हैं। इसके विपरीत, दूसरा वैकल्पिक है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह है कि एक में जहाँ पठो का निषेध अस्वामाधिक लगता है वहाँ दूसरे में वैकल्पिक भी पठो का विधान। इस प्रकार आपाततः व्याकरणसम्मत 'दैत्यान् धातुक' की जगह 'दैत्याना धातुक स्वामाधिक लगता है और 'ब्राह्मणस्य कुर्वन्' की अपेक्षा 'ब्राह्मणं कुर्वन्'। पुनः इस सम्बन्ध में दूसरी विशेष बात यह है कि यहाँ जो कहा गया कि सर्वत्र केवल कारक पठो का प्रतिषेध हुआ है न कि दोष पठो का भी तो इस सूत्र के प्रसंग में कारक पठो का अर्थ है 'मुख्यत्वेन पठो', न कि 'क्रियान्तरित्वेन पठो'—क्योंकि सम्बन्ध तो कारक नहीं है।

अरेनोर्भनिष्यदाघमण्ययोः ।२।३।७०। भविष्यत्यकस्य,
भविष्यदाघमण्यार्थेनरच योगे पठो न स्यात् । सतः पालकोऽव-
तरति । व्रजं गामी । शतं दायी ।

यदि 'अक' ('ण्वुल्') प्रत्यय भविष्यत्-काल के अर्थ में और इन प्रत्यय ('इनि ?') उस भविष्यत् अर्थ में ही, या आधमर्ण्य अर्थ में लगा हो तो उनसे निष्पन्न शब्दों के योग में पठो नहीं होगा । इस प्रकार पठो के प्रतिषेधार्थ पूर्व सूत्र से इस सूत्र में 'न' की अनुवृत्ति होती है । यद्यपि सूत्र में 'अक' और 'इन्' के ठीक सम्मुख इसी क्रम में 'भविष्यत्' और 'आधमर्ण्य' की स्थिति है, तथापि यथासंख्य अर्थ (Sense of seriality) संभव नहीं क्योंकि 'इन्' प्रत्यय 'आधमर्ण्य' के अर्थ में भी होता है । अतः यदि 'अक' आधमर्ण्य अर्थ में होता तो दोनों प्रत्यय दोनों अर्थों में विहित कहे जा सकते थे । वस्तुतः भाष्यकार^१ ने भी 'अकस्य भविष्यति' एवं 'इन् अधमर्ण्ये च' इस प्रकार सूत्र का योगविभाग करके व्याख्या की है । अब प्रसंग प्राप्त 'अक' ('ण्वुल्') प्रत्यय 'भविष्यति गम्यादयः'^२ अधिकार में तुमुण्वुलो क्रियायां क्रियार्यायाम्^३ से विहित ही गृह्यते है । अतः उदाहरण में 'सतः पालकोऽवतरति' का अर्थ है— सज्जनान् पालयिष्यन् प्रादुर्भवति । इसके विपरीत, 'ण्वुल् तृचो—'^४ सूत्र से विहित 'अक' ('ण्वुल्') प्रत्यय यहाँ गृह्यते नहीं है क्योंकि वह कालसामान्य ; विहित होता है, न कि कालविशेष (अर्थात् 'भविष्यत्') में । इसलिये इस सूत्र के अन्तर्गत विहित अकनिष्पन्न शब्द के योग में 'ओदनस्य पाचकः', पुत्रपौत्राणां दर्शकः' आदि में पठो का निषेध नहीं होता है ।

पुनः 'व्रजं गामो' (गमो ?) उदाहरण है 'भविष्यत्' अर्थ में विहित 'इन्' प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के योग में पठो निषेध का । तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार 'गामो' शब्द 'आवश्यकमधमर्ण्ययोर्णिनिः' सूत्र से आवश्यक अर्थ में 'गेनि' प्रत्यय से निष्पन्न है । यह प्रत्यय यद्यपि कालसामान्य में विहित होता तथापि 'भविष्यति गम्यादयः' के अधिकार में होने से भविष्यत् काल के अर्थ में प्राप्त हो जाता है । इसके विपरीत, वालमनोरमाकार के अनुसार यह

१. महाभाष्यम् : २।३।२६।

२. पाणिनि : ३।३।३।

३. ,, : ३।३।१०।

४. ,, : ३।१।१३३।

शब्द 'गमेरिनिः' से औणादिक 'इनि' प्रत्यय से निष्पन्न है। किन्तु इसके अनुसार भी 'भविष्यत्' अर्थ में विहित करने के लिये इस सूत्र को 'भविष्यति गम्यादय' के अधिकार में लाना ही पड़ता है। इस सम्बन्ध में हरदत्त का मत है कि कुछ गम्यादिगणाय शब्द औणादिक हैं और कुछ अष्टाध्यायी के के सूत्रों से निष्पन्न हैं। अतः इस मतानुसार भी यह शब्द औणादिक 'इनि' और 'णिनि' दोनों से निष्पन्न कहा जा सकता है। लेकिन 'गत्यर्थं कर्मणि द्वितीया चतुर्थी' सूत्र से ही यदि चतुर्थी के साथ-साथ द्वितीया भी मिद्धि हो जाती है तो अलग इस सूत्र से क्या लाभ? वस्तुतः इस सूत्र का मुख्य उद्देश्य तो पृष्ठी प्रतिषेध है। फिर, इसके फलस्वरूप द्वितीया ही जाती है। पुनः इसका 'गत्यर्थं कर्मणि—' सूत्र से महान् अन्तर यह है कि इस सूत्र में जहाँ उदाहरणरूप 'प्रजं गामी' में इन् प्रत्यय से निष्पन्न √गम् का प्रयोग है वहीं उस सूत्र में मीधे किसी भी गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी कही गई है।

फिर 'गत्यर्थकर्मणि'—सूत्र के अन्तर्गत यदि 'प्रजं गामी' की सिद्धि की जाय तब तो वैकल्पिक चतुर्थी करने पर 'प्रजाय गामी' और 'प्रजाय गन्ता' भी हो जायगा। किन्तु यह हट नहीं है। माथ-साथ^१ भाष्यकार ने 'अकेनो—' सूत्र के व्याख्याक्रम में 'प्रामं गमी' (प्राम गामि) उदाहरण दिया है। इसमें यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि 'गत्यर्थकर्मणि—' सूत्र से इस सूत्र का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पुन 'दातं दायी' आधमर्ण्यं के अर्थ में इन् प्रत्ययान्त का उदाहरण है। 'अधमर्ण्यं यस्य सोऽधमर्ण्यं' तस्य भावः आधमर्ण्यम्, इस तरह आधमर्ण्यं का अर्थ है 'दायित्व'। यहाँ भी 'आवश्यकधमर्ण्ययोर्णिनि' सूत्र से ही णिनि प्रायय होता है। इस प्रकार 'आवश्यक' अर्थ में (अयस्य करोतीति 'अवश्यद्वारी वरय' उदाहरण होगा। लेकिन चूँकि 'आवश्यक' अर्थ सूत्र में निर्दिष्ट नहीं है इसलिये उस अर्थ में पृष्ठी का प्रतिषेध नहीं होता। फिर, 'भविष्यति गम्यादय.' के अधिकार में इसका अन्वय अपेक्षित नहीं होने के कारण यह वर्तमान काल के अर्थ में भी होता है।

१. पाणिनि - २।३।२।

२. महाभाष्यम् : २।३।२६।

कृत्यानां कर्त्तरि वा । २।३।७१। (कृत्यानां कर्त्तरि) वा
 षष्ठी स्यात् । मया मम वा सेव्यो हरिः । कर्त्तरीति किम् ?
 गेयो माणवकः साम्नाम् । 'भव्यगेये'ति कर्त्तरि यद् विधानाद-
 नभिहितं कर्म । अत्र योगो विभज्यते । कृत्यानाम् । उभयप्राप्ता-
 विति नेति चानुवर्त्तते । तेन—नेतव्या व्रजं गावः कृष्णेन ।
 ततः—कर्त्तरि वा । उक्तोऽर्थः ।

कृदन्त के अन्तर्गत कुछ प्रत्यय हैं जो 'कृत्य' कहलाते हैं । ये प्रत्यय हैं—
 -यत्, प्यत्, तव्य अनीयर आदि । यह द्रष्टव्य है कि इन सभी प्रत्ययों में 'य'-
 कार है जो वस्तुतः निष्पन्न शब्दों में भी रहता है । 'कृत्' में यही 'य'कार
 जोड़कर 'कृत्य' संज्ञा इन प्रत्ययों की दी गई है । इस सूत्र के अनुसार 'कृत्य'
 प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों के योग में 'कर्त्ता' में विकल्प से षष्ठी होती है ।
 उदाहरणस्वरूप √सेव् और प्यत् से निष्पन्न 'सेव्य' शब्द के योग में कर्तृपद
 'अहम्' में वैकल्पिक षष्ठी हुई है । अतः षष्ठी के अभावपक्ष में अनुक्त रहने के
 कारण 'कर्त्ता' में तृतीया हुई है । यहाँ भी कर्तृपद का निर्धारण पूर्ववाक्य से
 हो सकता है । यह पूर्ववाक्य होगा—'अहं सेवे हरिम्' । वस्तुतः ये कृत्य भी
 कर्मवाच्यगत प्रत्यय हैं । अतएव उदाहरण में कर्मभूत 'हरि' शब्द में उक्त
 होने के कारण प्रथमा ही विभक्ति हुई है । लेकिन, अपवादस्वरूप 'कृत्य' प्रत्यय
 का कहीं-कहीं कर्तृवाच्यगत विधान होता है । अतएव प्रत्युदाहरण में 'गेय'
 शब्द 'भव्यगेय—' सूत्र से कर्त्ता के अर्थ में 'यत्' प्रत्यय से निष्पन्न है और
 कर्तृभूत 'माणवक' शब्द को विशोपित करता है ।

अत्र 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' सूत्र के अनुसार कृत् प्रत्यय से निष्पन्न किसी
 शब्द के योग में एक ही वाक्य में कर्त्ता और कर्म दोनों रहने पर केवल कर्म में
 ही षष्ठी होती है । लेकिन यदि किसी कृत्य प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के योग
 में एक ही वाक्य में कर्त्ता और कर्म दोनों रहे तो न कर्त्ता में और न कर्म में ही
 षष्ठी होती है । इस आशय की व्याख्या भाष्यकार ने सूत्रस्थ 'कृत्यानां' और

‘कर्त्तरिधा’ का योग विभाग करके ‘कृत्यनाम्’ में ‘उभयप्राप्ती कर्मणि’ सूत्र से ‘उभयप्राप्ती’ तथा ‘न लोकाध्यय—’ सूत्र से ‘न’ की अनुवृत्ति करके की है। वस्तुतः परोक्षरूप से ‘कर्म’ में पृष्ठी का प्रतिषेधक तो यह सूत्र स्वयं है। फिर ‘उभयप्राप्ती कर्मणि’ सूत्र से ‘कर्म’ में संभावित तथा इस सूत्र के अन्तर्गत ‘कर्त्ता’ में विकल्प से प्राप्त पृष्ठी का भी निषेध हो जाता है। हेतु यह है कि ‘कृत्य’ कर्मवाच्यगत प्रात्यय होते हैं और इनसे निष्पन्न शब्दों के योग में कर्मवाच्य में ‘कर्म’ तो उक्त हो जाने के कारण प्रथमा विभक्ति लेता है और अनुक्त ‘कर्त्ता’ में तृतीया विभक्ति हो जाती है। किन्तु जहाँ द्विकर्मक धातु के योग में दो कर्म होते हैं वहाँ उक्त से इतर कर्म में पृष्ठी प्रथमा उपस्थित होता है जो पुनः इसी सूत्र के अन्तर्गत बाधित हो जाता है।

इस प्रकार उदाहरण में ‘नेतव्या’ ‘घञं गात्र कृष्णेन’ में ‘कृष्ण’ तथा ‘गो’ शब्दों में पृष्ठी निरवकाश रह जाती है। तब रही प्रधान कर्म ‘घञ’ की बात—भी इसमें इसी नियमानुसार पृष्ठी बाधित हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक बात अवश्य ध्यातव्य है कि गौणकर्म ‘गो’ में ‘गुणकर्मणि वेत्स्यते’ धार्त्तिक से विकल्प से प्राप्त थी। मनोरमाकार ने दूसरा उदाहरण दिया है—‘दोषध्या पयः गात्र कृष्णेन’। वस्तुतः इन उदाहरणों में कर्त्ता तथा प्रधान और गौण कर्मों की स्थिति पूर्ववाच्य से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह पूर्व उदाहरण का पूर्ववाच्य होगा—‘नयति घञ गा कृष्णः’, और इस उदाहरण का—‘दोषधि पयः गा कृष्णः’। इनमें कर्मशः $\sqrt{\text{नी}}$ और $\sqrt{\text{दुह}}$ द्विकर्मक धातु, ‘घञ’ और ‘पयस’ प्रधान कर्म तथा दोनों जगह ‘गो’ गौण कर्म हैं।

तुन्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् । २।३।७२।
तुन्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे पृष्ठी । तुन्यः समः सदृशो
वा कृष्णस्य कृष्णेन वा । अतुलोपमाभ्यां किम् ? तुला उपमा
वा कृष्णस्य नास्ति ।

इस सूत्र के अनुसार ‘तुला’ और ‘उपमा’ शब्दों की छोड़ ‘तुल्य’ या इसके पर्यायवाची शब्दों के योग में तृतीया और पृष्ठी विभक्तियाँ होती हैं। उदाहरणस्वरूप ‘कृष्णस्य तुल्यः’ भी हो सकता है और ‘कृष्णेन

तुल्यः' भी । इसी प्रकार 'कृष्णस्य सदृशः' और 'कृष्णेन-सदृशः' आदि भी हो सकते हैं । किन्तु 'तुला' और 'उपमा' शब्दों के योग में केवल पृष्ठी होगी । यहाँ 'तुला' शब्द का अर्थ है 'तुलना' । परन्तु, 'इव' आदि शब्दों के योग में यह सूत्र लागू नहीं होगा, अन्यथा 'गौरित्र गवयः' में 'इव' शब्द के योग में तृतीया या पृष्ठी हो जाती । वस्तुतः इस विषय में कुछ वैयाकरणों का मन्तव्य है कि चूँकि 'अतुलोपमाभ्याम्' में पर्युदास प्रतिषेध है इसलिये 'अव्ययभिन्न तुल्यार्थक' शब्दों को ही इस सूत्र के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलना चाहिये । तब 'तुलां यदारोहति दन्तवाससा' स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना^१ आदि प्रयोग कैसे सिद्ध होते हैं ? वस्तुतः दोनों स्थलों में 'सहयुक्तेऽप्रधाने'^३ सूत्र के अन्तर्गत 'सह' या इसके पर्यायवाची गम्यमान भी शब्द के योग में अप्रधान अर्थ में 'दन्तवासस' या 'शंभु' शब्द में तृतीया उपपन्न होगी । अतः 'तुलां यदारोहति दन्तवाससा' का अर्थ है—'दन्तवाससा सह (इत्) तुलाम् आरोहति' और 'स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना' का अर्थ है—'भूतिसितेन शंभुना सह स्फुटोपमम्' (स्फुटा उपमा यस्य स, तम्) । वस्तुतः गौर से देखने पर दूसरा प्रयोग भी सीधे सूत्र की परिधि में आ जाता है क्योंकि 'स्फुटोपम' का अर्थ तो 'सदृश' ही है । अतः यहाँ 'सह' या इसके पर्याय अन्य किसी अव्यय की भी योजना करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी अवस्था में 'भूतिसितेन शंभुना स्फुटोपमम्' का अर्थ होगा—'भूतिसितेन शंभुना सदृशम्' ।

अब सूत्र में कहा गया है कि केवल 'तुला' और 'उपमा' को छोड़ तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया और पृष्ठी हो । लेकिन वस्तुतः इनके पर्यायवाची अन्य के योग में भी केवल पृष्ठी होती है । अतः जिस प्रकार 'कृष्णस्य तुला नास्ति' होगा उसी प्रकार 'कृष्णस्य साहश्यं नास्ति' भी होगा । इसलिये जहाँ 'कृष्णेन तुला नास्ति' प्रयोग रहे वहाँ उपर्युक्त युक्ति के अधार पर गम्यमान 'सह' का अन्वय करने पर ही तृतीया का समाधान निकाला जा सकता है । पुनः सूत्र में जो कहा गया कि तुल्यार्थक शब्दों के योग में

१. कुमारसंभव : ५।३४।

२. शिशुपालवध : १।४।

३. पाणिनि : २।३।१९।

मृतोया और पृष्ठी तथा तुला आदि के योग में केवल पृष्ठी होगी—तो भूमिप्रेत अर्थ यह है कि विशेषण शब्दों के साथ मृतोया और पृष्ठी दोनों विभक्तिवाँ होंगी पर संज्ञा शब्दों के योग में केवल पृष्ठी और यह पृष्ठी वस्तुतः 'कृत्कर्म-योः कृति' सून से ही होती है ।

चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशलसुखार्थहितैः । ।२।१
।७३। एतदर्थयोगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे पृष्ठी आशिषि ।
आयुष्यं चिरंजीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात् । एवं मद्र मद्रं-
कुशलं निरामयं सुखं शम् अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा
भूयात् । आशिषि किम् ? देवदत्तस्यायुष्यमस्ति । व्याख्यानात्
सर्वत्रार्थग्रहणम् । मद्रमद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः ।
इति पृष्ठी ।

'आशिष्' अर्थ में आयुष्य, मद्र, मद्र, कुशल तथा सुख और इनके पर्यायवाची एवं हित शब्द के योग में चतुर्थी और पृष्ठी विभक्तिवाँ होते हैं । उदाहरणस्वरूप 'आयुष्यं कृष्णस्य भूयात्' भी होगा और 'आयुष्यं कृष्णाय भूयात्' भी । इसी तरह 'चिरं जीवितं कृष्णाय भूयात्' भी 'चिरंजीवितं कृष्णस्य भूयात्' आदि प्रयोग भी सिद्ध होते हैं । वस्तुतः उदाहरण में सर्वत्र 'भूयात्' शब्द से ही 'आशिष्' अर्थ सूचित होता है जो प्रथमपुरुष एकवचन में आशीर्षि में √भू का रूप है । वृत्ति में सूत्रस्य 'अर्थ' शब्द का पूर्व के अन्य शब्दों के साथ पृथक् ग्रहण हुआ है । इस तरह यह प्रयोजनवाची भिन्न शब्द के रूप में गृहीत होता है न कि पूर्वगत शब्दों का पर्याय बतलाता है । वस्तुतः मुझे इस व्याख्या में कुछ आपत्ति दीखती है । वस्तुतः आपत्ति यह है कि 'आशिष्' अर्थ में प्रयोजनवाची अर्थ शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं जेंचता । हाँ, कथञ्चित् यह प्रयोग समत कहा जा सकता है यदि इसके साथ उपयुक्त किसी अन्य शब्द का प्रयोग करें—जैसे, कृष्णस्य कृष्णाय वा अर्थः 'सिद्ध.' भूयात् । दूसरी ओर सूत्रस्य 'अर्थ' शब्द के पूर्वगत शब्दों के पर्यायवाची के योग में 'आशिष्' अर्थ में चतुर्थी या

षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न केवल स्वाभाविक लगता है, अपितु, आवश्यक भी प्रतीत होता है। केवल वृत्तिकार की दृष्टि से एक तुच्छ आपत्ति रह जाती है और वह यह कि ऐसा करने से अन्तिम शब्द 'हित' का पर्यायत्वेन ग्रहण नहीं हो पाता है। किन्तु वृत्तिकार का ऐसा अभीष्ट है। इसलिये वे सर्वत्र 'अर्थ' का ग्रहण समझते हैं।

वस्तुतः सूत्र में 'आशिप्' अर्थ बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में चतुर्थी नहीं—केवल षष्ठी होगी। उदाहरणस्वरूप 'देवदत्तस्य आयुष्यं भवति' में, 'आयुष्य' शब्द का योग रहने पर भी निर्दिष्ट अर्थ के अभाव में 'देवदत्त' शब्द में केवल षष्ठी हुई है। पुनः सूत्रस्थ 'भद्र' और 'मद्र' शब्द एकार्थक हैं, अतः वृत्तिकार के अनुसार दोनों में से किसी एक का ग्रहण सूत्र में पर्याप्त होता। किन्तु यदि हम ऐसा समझें कि 'भद्र' शब्द के पर्यायवाची के योग में भी नियम की प्रवृत्ति के लिये उसके साथ 'मद्र' शब्द का प्रयोग सूत्रकार का संकेत है—तो ऐसी बात नहीं। वस्तुतः सूत्रस्थ 'अर्थ' शब्द को यदि हम पर्याय अर्थ में समझते हैं तो यह कल्पना निष्प्रयोजन हो जाती है। पुनः अन्यथा भी सूत्रस्थ सभी शब्दों के पर्याय का ग्रहण होता ही है। पुनः सम्प्रदान के प्रसंग में 'हितयोगे च' वार्तिक के अन्तर्गत कहा गया है कि 'हित' शब्द के योग में चतुर्थी होती है। फिर इस सूत्र में अलग करके षष्ठी के साथ चतुर्थी का वैकल्पिक विधान क्यों किया गया? वस्तुतः वार्तिक में 'आशिप्' भिन्न अर्थ में चतुर्थी का विधान हुआ है और यहाँ 'आशिप्' अर्थ में। अतः कोई क्षन्ति नहीं है। सूत्र में 'च' कार षष्ठी के समुच्चयार्थ है जिससे उक्त शब्दों के योग में चतुर्थी के साथ वैकल्पिक षष्ठी विभक्ति भी हो पाती है।

अधिकरणकारक : सप्तमी विभक्ति

आधारोऽधिकरणम् । १।४।४५। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रिया-
या आधारः कारकमधिकरणसंज्ञं स्यात् । -

आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधियतेऽस्मिन् इत्याधार—
जिसमें (या जिस पर) कुछ रकना जाय। पुनः अधिप्रियतेऽस्मिन् इत्यधि-
करणम्। इस प्रकार अधिकरण का अर्थ भी प्रायः वही है। अतः निश्चय ही
आधार और अधिकरण के बीच समीकरणता (Equation) स्थापित हो
जा सकती है। लेकिन कुछ स्थलों को छोड़कर ही ऐसा कहा जा सकता है
जहाँ आधार की कर्मसंज्ञा हो जाती है। वस्तुतः कारक-क्रियान्वयी होता है।
अतः आशंका उपस्थित होती है कि किसका आधार अधिकरण होता है।
वस्तुतः क्रिया का आधार ही अधिकरणसंज्ञक होता है। पुनः आकांक्षा जगती
है कि कौसी क्रिया का आधार अधिकरण होता है? यहाँ हम कह सकते हैं कि
कर्तृकर्मसंज्ञा क्रिया का आधार ही उक्त संज्ञक होता है। इसका हेतु यह है
कि अधिकरणसंज्ञा केवल क्रिया और आधार के बीच संभव नहीं होती है।
इसीलिये वृत्तिकार ने सूत्र की ब्याख्या इस प्रकार की है कि 'कर्ता' और 'कर्म'
के द्वारा ही तन्निष्ठ क्रिया का आधार अधिकरण होता है। इस तरह 'मूठे
घटः' प्रयोग में भी 'अस्ति' क्रिया का अप्याहार समझना चाहिये।

किन्तु, कारक की दृष्टि में मेरी समझ में अधिकरण और अन्योन्य क्रिया
कारक के बीच अन्तर है। इस प्रकार दूसरे कारक में जहाँ क्रिया का सम्बन्ध
सर्वथा साक्षान् रहता है। यहाँ अधिकरण में ऐसा नहीं दीरता। अतएव
सर्वसोधिनीकार के अनुसार यदि 'मूठे घट' प्रयोग के अन्तर्गत 'अस्ति'
क्रिया का अप्याहार समझकर 'मूठे' शब्द में अधिकरणत्व में कारकावधि
जा सकता है तो 'राज. पुस्तक' में भी 'अस्ति' क्रिया का अप्याहार करके
'राजन्' शब्द में सम्बन्ध में कारकावधि कहा जा सकता है। वस्तुतः विश्लेषण
करने पर अधिकरण के अन्तर्गत दो स्थितियाँ दोगयी हैं। इनमें एक में तः

क्रिया का सम्बन्ध साक्षात् रहता है, जैसे 'मार्गे गच्छति' में, किन्तु दूसरी में वह साक्षात् नहीं रहता है जैसे 'भूतले घटः' में। अतः इस दृष्टि से अधिकरण को हम अर्धकारक (Semi-case) कह सकते हैं।

सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६। अधिकरणे सप्तमी स्यात् ।
चकाराद्दूरान्तिकार्थेभ्यः । औपश्लेषिको वैपयिकोऽभिव्यापकश्चे-
त्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थान्यां पचति । मोक्षे इच्छाऽ-
स्ति । सर्वस्मिन्नात्माऽस्ति । वनस्य दूरे अन्तिके वा । 'दूरान्ति-
कार्थेभ्यः—' इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः
फलिताः ।

यह सूत्र अधिकरण में, और सूत्रस्य 'च'कार के द्वारा 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' से 'दूरान्तिकार्थेभ्यः' की अनुवृत्ति करके दूरार्थक और अन्तिकार्थक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का निर्देश करता है। अथ चूँकि सप्तमी अधिकरण में होती है और अधिकरण होता है आधार ही, इसीलिये 'आधार' का विश्लेषण आवश्यक है। यह तीन प्रकार का होता है—औपश्लेषिक, वैपयिक तथा अभिव्यापक। अतः तीनों आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और उनमें अधिकरणत्वविवक्षा में सप्तमी विभक्ति होती है। वस्तुतः 'उपश्लेष' कहलाता है संयोगादि सम्बन्ध, इसलिये तद्ययोज्य आधार ही औपश्लेषिक कहलाता है। यह कर्तृद्वारक हो सकता है और कर्मद्वारक भी। इनमें प्रथम का उदाहरण है—'कटे आस्ते'। यहाँ 'देवदत्त' या अन्य कोई ऐसे 'कर्ता' का अध्याहार है जिसका साक्षात् उपश्लेष 'कट' के साथ व्यक्त होता है। पुनः द्वितीय को उदाहरण है—'स्थान्यां पचति'। यहाँ 'श्रोदन' या ऐसे अन्य कोई कर्मभूत पदार्थ का 'उपश्लेष' स्थाली के साथ है न कि किसी 'कर्ता' का। निश्चय ही इन स्थलों में 'उपश्लेष' संयोगात्मक है चूँकि क्रमगः 'देवदत्त' या अन्य कोई ऐसे 'कर्ता' का 'कट' के साथ और 'स्थाली' के साथ 'श्रोदन' या अन्य कोई ऐसे कर्म का केवल सांयोगिक (Accidental) सम्बन्ध है। लेकिन इसके विपरीत, 'रूप रूपत्वमस्ति', 'शरीरे चेष्टा अस्ति' आदि

वाक्य में 'रूप' से 'रूपत्व' को और 'शरीर' से 'शरीरत्व' को अलग नहीं किया जा सकता ।

पुनः वैयक्तिक आधार विषयता सम्यन्धकृत होता है । उदाहरणस्वरूप 'माझे इच्छा अस्ति' का मतलब है—'मोक्षविषये इच्छा अस्ति' । इसी वैयक्तिक आधार में प्राप्त सप्तमी को कभी-कभी 'विषयधिकारणे सप्तमी' कहा जाता है । लेकिन समवायामक (Insaparable) सम्यन्धप्रयुक्त आधार को तरह एक और प्रकार का आधार होता है जिसे 'अभिध्यायक' कहते हैं जैसे 'सर्वमिन्द्र आत्मा अस्ति' 'तिष्ठेयु तैलम्' आदि में । मेरी समझ में समवायामक औपदेशिक और अभिध्यायक आधारों में कोई भेद नहीं है । अतः जिन प्रकार 'रूप' में 'रूपत्व' सम्पूर्णत्वेन विद्यमान है उसी प्रकार 'तिल' में 'तैल' । पुनः चेष्टा यद्यपि भावावतः शरीर के एक अंगमात्र में स्पष्ट दीख सकती है तथापि यह मान्य होगा कि वह 'चेष्टा' सम्पूर्णत्वेन 'शरीर' की भी कहलायगी । तब अन्तर मात्र इतना है कि समवायामक औपदेशिक का धर्म है अविभोज्यत्व जबकि अभिध्यायक का धर्म है व्यापकत्व । लेकिन जिन प्रकार 'तिल' में 'तैल' व्याप्त कहा गया है उसी प्रकार 'शरीर' में भी 'शारीरिक चेष्टा' अभिध्यायक मानी जा सकती है । इसी तरह जैसे कहा गया कि 'रूप' से 'रूपत्व' को विभाजित नहीं किया जा सकता वैसे ही जब 'तिल' से तैल पृथक् निचोड़ लिया जायगा तो यन्तु 'तिल' की पूर्वावस्था नहीं रहेगी ।

पुनः 'दूरान्तिकाप्येभ्यो द्वितीया च' सूत्र के अन्तर्गत दूर और अन्तिक तथा इनके पर्यायवाची शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्तियों के साथ इस सूत्र की परिधि में सप्तमी विभक्ति भी होगी । इस प्रकार 'ग्रामस्य दूरम्', 'ग्रामस्य दूरंण' 'ग्रामस्य दूरान्' और 'ग्रामस्य दूरे'—ये सभी प्रयोग होंगे । यस्तुतः प्रायिक अवस्था में प्रातिशदिकाप्येभ्यो में प्रथमा के अववादेशरूप ही ये विभक्तियाँ होती हैं । किन्तु, कुछ वैयाकरण उपर्युक्त तीन प्रकार के भाषा के अलावे 'सामोपिक' नामक चौथा भी आधार मानते हैं अथवा उनके अनुसार 'नघाम् आस्ते', 'कटे आस्ते', 'गंगाया घोषः' आदि प्रयोग की सिद्धि नहीं हो सकती है । यस्तुतः यदि 'उपदेशेय' शब्द को व्याख्या करें—उपपत्तये

श्लेषः (सम्बन्धः)— तो 'औपश्लेषिक' आधार से ही 'सामीपिक' का काम चल जाता है । इस सम्बन्ध में 'औपश्लेषिक' के 'सामीपिक' अर्थनिर्धारण में हम भाष्यकार तथा कैथट की सहायता ले सकते हैं । वस्तुतः भाष्यकार ने 'इको षणचि सूत्र पर 'अचि इकः.....' का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—'अचि उपश्लिष्टस्य इकः.....' और इस पर कैथट ने भाष्य किया है—'अच् समीपो-च्चारितस्य इकः.....' । इसी प्रकार 'मासे अतिक्रान्ते दीयते' के अन्तर्गत 'मासे' में तथा 'तदस्मिन्नाधिकमिति दशान्ताद्दः' के अन्तर्गत—'एकादश माया अधिका अस्मिन् कार्पापणशते' उदाहरणस्थ 'कार्पापणशते' में अभिव्यापक तथा वैषयिक अधिकरण संभव न होने के कारण भाष्यकार के द्वारा औपश्लेषिक या सामीपिक अधिकरण बतलाना विल्कुल संगत लगता है ।

लेकिन ऐसी व्याख्या के अनुसार तो 'कटे आस्ते' आदि प्रयोग में औपश्लेषिक अधिकरण उपपन्न नहीं होता है क्योंकि जो 'कट' पर वैठता है वह 'कट' के समीप तो नहीं वैठता ! यदि 'कट' के सम्पूर्ण भाग पर वैठता तो अभिव्यापक अधिकरण कहा जा सकता था—लेकिन ऐसी बात भी नहीं है । किन्तु 'कट' के एक भाग की टैठने क्रिया द्वारा व्याप्ति होने के कारण यहाँ गौण अभिव्यापक अधिकरण माना जा सकता है । तथापि औपश्लेषिक अधिकरण का अस्तित्व पृथक् सिद्ध रखने के लिये 'उपश्लेष' शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये—उप समीपे श्लेषः स्पर्शः । लेकिन जहाँ तक सामीपिक अधिकरण का प्रश्न है इसे हम मोटे तौर पर औपश्लेषिक के साथ ही समझेंगे । हाँ, कुछ ऐसे प्रयोग हो सकते हैं जहाँ ये दोनों आपस में विरोधी दीख पड़ें । ऐसी स्थिति में स्पष्टतः हम इनकी पृथक्-पृथक् संज्ञा देंगे । पुनः^१ 'स्वरितेनाधिकारः' और^२ 'साधकतमं करणम्' सूत्रों के व्याख्याक्रम में तीनों प्रकार के अधिकरणों की समीक्षा करते हुए भाष्यकार अपना मत प्रकट करते हैं कि इनमें अभिव्यापक ही मुख्य है क्योंकि उसमें सर्वावयवकृत व्याप्ति होती है अतः वैषयिक और औपश्लेषिक गौण हैं । वस्तुतः मुख्य और गौण मानने की आवश्यकता इसलिये पड़ी चूँकि

१. पाणिनि : १।३।११।

२. ,, : १।४।४२।

यदि सर्वावयववृत्त व्याप्तिरूप आधार ही' अधिकरण ही तब तो केवल 'तिलेषु
सैलम्' 'दधि सपिं. आदि में अधिकरणत्व ही और 'गङ्गायां घोष.' 'दूरे गङ्गा-
वृक्षम्' आदि में नहीं। वस्तुतः यदि 'गङ्गायां घोषः' आदि में उपर्युक्त विवेचन
के आधार पर सामाजिक अधिकरण नहीं भी माना जाय तो लक्षणा के द्वारा
अधिकरणत्व निरूपित हो सकता है।

कस्येन्विपयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् । अधीतो व्याकरणे ।
अधीतमनेनेति विग्रहे 'इष्टादिभ्यश्चेति' कर्त्तरीनिः ।

इन्विपयक क प्रत्ययान्त शब्द के कर्म में सप्तमी का उपसंख्यान किया
जाय। अर्थात्. यदि नपुमक में भाव अर्थ में हुए क प्रत्यय से निष्पन्न शब्द
में इन् प्रत्यय लगा हो तो सम्पूर्ण व्युत्पन्न शब्द के कर्म में द्वितीया
के बदले सप्तमी प्रिमक्ति होती है। उदाहरणस्वरूप अधिपूर्वक $\sqrt{इह्}$ से क
प्रत्यय करने पर 'अधीतम्' शब्द निष्पन्न होता है और उसमें यदि 'अधीतम्
अनेन' इस अर्थ में 'इष्टादिभ्यश्चेति' सूत्र से इन् प्रत्यय किया जाय तो
व्युत्पन्न 'अधीतो' शब्द के कर्मभूत 'व्याकरणे' शब्द में सप्तमी हो जायगी—
अधीतो व्याकरणे। वस्तुतः धार्तिककार ने इस विशेष स्थिति का सश्रीकरण
इसलिये कर दिया जिससे यहां भी 'कृत्पूर्वी कटम्' की तरह तद्धितप्रत्ययान्त
शब्द के कर्म में द्वितीया ही न हो जाय। लेकिन 'मासमधीतो व्याकरणे' में
'अधीतो' शब्द के योग में 'मास' शब्द में भी सप्तमी नहीं हो जायगी, प्रत्युत
अकर्मक धातु के योग के निमित्त यहाँ कालवाची शब्द में उसके यहिरा होने
के कारण 'अकर्मकानुनिर्वाणे—' धार्तिक से ही द्वितीया हो जायगी।

— साधसाधुप्रयोगे च । साधुः कृष्णो मातरि । असाधुर्मा-
तुले ।

साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी होगी। वस्तुतः यह
सप्तमी शेषपद्यों के अपवादस्वरूप होता है। यहाँ कोई आशङ्क नहीं कि
'अचां' के अर्थ में ही 'साधु' शब्द का ग्रहण हो क्योंकि 'साधुमृत्यो रक्ति'

आदि स्थलों में भी इसके योग में सप्तमी होती है जहाँ तत्त्वमात्र का कथन तात्पर्य रहता है। पुनः यदि 'अर्चा' अर्थ में ही ऐसा प्रयोग समझा जाय तो 'साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्रभ्यप्रतेः' सूत्र में इस शब्द का ग्रहण निष्प्रयोजन हो जायगा।

निमित्तात् कर्मयोगे । निमित्तमिह फलम् । योगः संयोग-
समवायात्मकः । 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् ।
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः' ॥ हेतुतृतीयाऽत्र
प्राप्ता (तन्निवारणार्थमिदम्) । सीमाऽएडकोशः । पुष्कलको
गन्धमृगः । योगविशेषे किम् ? वेतनेन धान्यं लुनाति ।

यहाँ 'योग' शब्द का अर्थ प्रयोग नहीं, अपितु सम्बन्ध है। पुनः 'निमित्त' शब्द का अर्थ हेतु नहीं, अपितु फल है। अतः नियमार्थ यह हुआ कि यदि कर्मवाची पद के प्रवृत्तिनिमित्त के साथ फलवाची के प्रवृत्ति निमित्त का सम्बन्ध रहे तो फलवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी। वस्तुतः सम्बन्ध या तो संयोगात्मक हो सकता है या समवायात्मक। इनमें संयोगात्मक सम्बन्ध में त्रियोज्यवस्तुएँ आपस में सम्बन्धित रहती हैं किन्तु समवायात्मक यदि सम्बन्धित विषयों को अलग कर दिया जाता है तो कुछ हानि स्पष्टतः दीसती है। लेकिन यहाँ यह कह देना ठीक है कि यद्यपि वृत्ति में 'योग' का अर्थ समवाय और संयोग दोनों दिया गया है तथापि उदाहरण केवल समवाय सम्बन्ध के हैं। अब उदाहरणस्थ कारिका में द्वीपिन्, कुञ्जर, चमरी तथा पुष्कलक कर्म हैं और चर्मन्, दन्त, केश तथा सीमन् क्रमशः उनके निमित्तवाची। अतः स्पष्टतः द्वीपिन् आर चर्मन्, कुञ्जर और दन्त, चमरी और केश तथा पुष्कलक और सीमन् के बीच अंगानिभाव में समवायात्मक सम्बन्ध है।

पुष्कलक और सीमन् के बीच हरदत्त के अनुसार संयोग सम्बन्ध ही है। लेकिन यह भी तब उत्पन्न होता है जब हम 'पुष्कलक' का अर्थ रखते हैं

शंकु । ऐसी अवस्था में 'सीमिन् पुष्कलको हतः' का अर्थ होगा—'सीम-
ज्ञानार्थं शंकुः निखातः' वस्तुतः उदाहरणों में प्रायः प्रत्येक दशा में कर्म ही
स्थिति कर्तृवाच्यगत रहने से द्वितीयान्त पद से स्पष्ट हो जाती है—केवल
अमी-अमी उद्धृत 'सीमिन् पुष्कलको हतः' में नहीं क्योंकि यहाँ कर्ममूल
'पुष्कलक' शब्द कर्मवाच्यगत होने से उक्त होने के कारण प्रथमान्त हो गया
है । वस्तुतः हेतुतृतीया या तादर्प्यचतुर्थी के अपवादस्वरूप यहाँ सप्तमी
होती है । अतएव प्रत्युदाहरण में 'वेतनेन धान्यं लुनाति' में वेतन तथा धान्य
के बीच संयोग या समवाय सम्बन्ध के अभाव में 'वेतन' शब्द में केवल
तृतीया होती है । इसका अर्थ वस्तुतः हो सकता है—'वेतनेन हेतुना धान्यं
लुनाति' या 'वेतनार्थं धान्यं लुनाति' । पुनः इस दृष्टि से भी कि कर्मा-कर्मा
फल मा हेतु हो जाता है—हम 'वेतन' शब्द में हेतुतृतीया मान सकते हैं ।
इसके विपरीत 'धर्मणि द्वापिनं हन्ति' में यद्यपि 'धर्मन्' आपाततः 'हनन क्रिया'
का हेतु दोष पड़ता है किन्तु वस्तुतः वह उसका फल है । अतः यहाँ यदि
'निमित्त' का 'फल' अर्थ नहीं होकर 'हेतु' ही अर्थ होता तो 'जाह्येन यद्'
प्रयोग में 'जाह्य' शब्द में तृतीया के विकल्प में सप्तमी ही जाती । किन्तु,
फल जो कर्मा-कर्मा हेतु हो जाता है वह इष्ट साधनता-ज्ञान के प्रवर्तक होने
के कारण ही जैसे 'अध्ययनेन वसति' में । फिर जन्यजनकत्वादि सम्बन्ध के
निवारणार्थं भी यहाँ 'योग' शब्द का अर्थ 'संयोग' या 'समवाय' सम्बन्ध
अभिहित हुआ है । अतः यदि वृत्तिकार ने 'योग' शब्द का यह अर्थ नहीं
क्रिया होता तो सम्बन्धमात्र इसका अर्थ होने पर नियम की परिधि बहुत
बहुत विस्तृत हो जाती ।

यस्य च भावेन भावलक्षणम् । २।३।३७। यस्य क्रियया
क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात् । गोषु दुह्यमानासु गतः ।

यहाँ 'भावे' का अर्थ है 'क्रिया' । अतः सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि क्रिया
क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित होती हो तो जिसकी क्रिया हो उसमें और
स्वयं तम क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में
'गो' की दोहन क्रिया से गमन क्रिया लक्षित होती है, अतः 'गो' शब्द में

तथा उसकी दोहन क्रिया में सप्तमी विभक्ति हुई है। वस्तुतः यहाँ यह क्रियाः लट्स्थानिक शानच् प्रत्यय से निष्पन्न वर्तमानकालिक है। लेकिन भूतकालिक क्रिया रहने पर भी ऐसा ही होगा। उदाहरणस्वरूप 'गोषु दुग्धासु गतः' भी हो सकता है। किन्तु यह ध्यान रखने की बात है कि हर अवस्था में यह क्रिया किसी कृदन्त प्रत्यय से निष्पन्न और विशेषणात्मक होगी क्योंकि उपर्युक्त स्थिति में जिस क्रियायाची शब्द में सप्तमी होती है वह सहायक क्रिया रूपक होता है और जो अन्य क्रिया उससे सूचित होती है वह प्रधान क्रिया रहती है। पुनः कृदन्त निष्पन्न विशेषणात्मक यह क्रिया या तो कर्त्ता के आश्रय में हो सकती है या कर्म के आश्रय में। इस तरह वृत्तिस्थ उदाहरण में यह कर्माश्रया है क्योंकि वहाँ दृश्यमान 'गो' शब्द कर्मभूत है। कर्त्ताश्रया क्रिया के उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं— 'ब्राह्मणेष्वाधीयानेषु गतः'। यहाँ अधीयान 'ब्राह्मण' शब्द कर्तृभूत है। प्रत्येक अवस्था में शेषपटी के अपवादस्वरूप लक्षकत्वसम्बन्ध में सप्तमी हुई है। किन्तु यह लक्षकत्व एक ओर क्रिया का होता है और दूसरी ओर क्रियाद्वारेण आश्रयभूत ब्राह्मणादि का। पुनः निर्जातकाल क्रिया की अनिर्जातकाल क्रिया की कालपरिच्छेदिका होने के कारण लक्षक होती है। इस तरह 'उदिते आदित्ये जुहोति' में उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हम सामीपिक अधिकरण में सप्तमी कह सकते हैं। लेकिन 'उपरागे स्नायात्' में 'उपराग' शब्द में उससे उपरागाश्रय काल लक्षित होने से केवल अधिकरण में सप्तमी मानी जायगी।

वस्तुतः सरलता के लिए इस सूत्र से हुई सप्तमी विद्यासागर प्रभृति ने 'भावे सप्तमी' कहकर पुकारा है।

अर्हाणां कर्तृत्वेऽनर्हाणामकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च । सत्सु-
तरत्सु असन्त आसते । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु-
तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति । असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति ।

जिस क्रिया में जो उचित या दक्ष होते हैं वे ही उसके 'अर्ह' (Descri-
ving) होते हैं। अतः कर्तृत्व विवक्षित होने पर अर्हवाची शब्द में

सप्तमी होती है। उदाहरणस्वरूप 'समु तरसु असन्त आसते' में तरण क्रिया के 'अहं' और कर्त्ता होने के कारण 'सत्' शब्द में और उसके कृदन्तनिष्पन्न विशेषणामक 'तरत्' क्रियापद में सप्तमी हुई है। इसी तरह 'अमरमु तिष्ठामु सन्तस्तरन्ति' में तरण क्रिया के अनर्हवाचो—'अमत्' शब्द में और उसके विपरीत कृदन्त निष्पन्न विशेषणामक 'तिष्ठत्' शब्द में सप्तमी हुई है। यहाँ 'अमत्' शब्द तरण क्रिया का कर्त्तृभूत भी नहीं है। किन्तु दोनों का विपरीत अवस्थाओं में भी अर्हवाचो 'सत्' शब्द की अकर्त्तृ-विशेषण में तथा अनर्हवाचो 'अमत्' शब्द की कर्त्तृत्व विशेषण में क्रमशः 'सत्' शब्द में तथा 'तरण की विपरीत क्रिया 'अवस्थान' के कृदन्त निष्पन्न विशेषणामक 'तिष्ठत्' शब्द में तथा 'अमत्' शब्द में और तरण क्रिया के कृदन्त निष्पन्न विशेषणामक 'तरत्' शब्द में उदाहरणों में सप्तमी दिखालाई गई है। वस्तुतः हम यार्तिक में कर्त्तृत्व का अर्थ है तरण क्रिया का कर्त्तृत्व, न कि वाक्य का कर्त्तृत्व जैसा साधारणतया अर्थ होता है। पुनः 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' सूत्र से ही भावत्व को पूर्ति हो जाने से यह यार्तिक निष्प्रयोजन दोगुना है। किन्तु कैयट प्रभृति वैयाकरणियों के मत में लक्षणक्षणभाव की अविवक्षा में एक क्रिया से क्रियान्तर द्योतित होने पर सप्तमी के विधानार्थ यह आवश्यक है।

पष्ठो चाऽनादरे ।२।३।३८। अनादराधिक्ये भावज्ञवणे
पष्ठोसप्तम्यौ स्तः । रुदति पुत्रे रुदतो वा पुत्रस्य प्रायाजात् ।
रुदन्तं पुत्रमनादृत्य संन्यस्तवानित्यर्थः ।

'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' सूत्र इस सूत्र का पूरक सूत्र है। विपकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उसमें और उसकी जो क्रिया हो उसमें सप्तमी के अतिरिक्त पष्ठो विभक्ति भी होगी यदि अनादर का भाव भी सूचित हो। उदाहरण में पुत्र की क्रिया है 'रुदन्' जिसके कृतो क्रिया सूचित होगी है 'प्रयजन', इमोऽदिपे 'पुत्र शब्द में और उसकी क्रिया कर्त्तृ प्रथमान्त 'रुदत्' में विकल्प से पष्ठो और सप्तमी दोनों ही विभक्तियाँ हुई हैं। यदि अनादर का

भाव सूचित नहीं हो तो केवल 'वदति पुत्रे प्राजाजीत्' होगा । 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' और इस सूत्र में अन्तर यह है कि वहाँ जहाँ केवल क्रियान्तर लक्षणभाव की आवश्यकता है तहाँ यहाँ अतिरिक्त रूप से अनादर भाव भी आवश्यक है । इसीलिये ऐसी स्थिति में जहाँ सप्तमी रहेगी तहाँ अनादर भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । यह विवक्षा पर निर्भर है । और ऐसी हालत में आवश्यकतानुसार दोनों में से कोई सूत्र लागू हो सकता है । लेकिन जहाँ पद्यी रहेगी वहाँ केवल इसी सूत्र से उसको सिद्ध हो सकती है । दोनों अवस्था में लक्षकत्व ही पद्यी या सप्तमी का अर्थ होगा जब इस सूत्र से अनादर भाव में पद्यी या सप्तमी का विधान होगा । वातु का अर्थ होगा अनादर भाव से विशिष्ट 'प्रव्रजन' । पद्यी या सप्तमी विभक्ति तात्पर्य-ग्राहिका होगी और अनादर भाव लक्षक क्रिया के आश्रय पुत्रादि विषयक होगा ।

स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च । २ । ३ । ३६ ।

एतैः सप्तभिर्योगे पद्यीसप्तम्यौ स्तः । पद्ययामेव प्राप्तायां पाक्षिक-
सप्तम्यर्थं वचनम् । गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा
प्रसूतः । गा एवानुभवितुं जात इत्यर्थः ।

'च'कार से इस सूत्र में पद्यी और सप्तमी दोनों ही की अनुवृत्ति होती है । स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू तथा प्रसूत—इन सात शब्दों के योग में ये विभक्तियाँ होती हैं शेष पद्यी सिद्ध होने पर भी सप्तमी के समुच्चयार्थं पृथक् करके यह सूत्र विहित हुआ । स्वामी, ईश्वर तथा अधिपति परस्पर पर्याय शब्द हैं, फिर भी सूत्र में इनका पृथक् निर्देश क्यों हुआ ?— इसलिये कि इन तीन के योग में ही ये दोनों विभक्तियाँ होंगी, अन्य पर्यायवाची के योग में नहीं । लेकिन ऐसी स्थिति में दूसरे-दूसरे सूत्रस्य शब्दों के बारे में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है कि इनके पर्यायवाची शब्दों के योग में भी उक्त विभक्तियाँ होंगी या केवल सूत्र में निर्दिष्ट शब्दों के योग में ही । दूसरे-दूसरे शब्दों के पर्यायवाची के योग में यदि ये विभक्तियाँ अभीष्ट नहीं हों, और प्रारंभ के तीन परस्पर पर्यायवाची शब्द यदि अन्यारादितरत्तैः—'

अन्य और इतर पर्यायवाची शब्दों की तरह केवल यह ज्ञापित करने के लिये ही निर्दिष्ट कर दिये गये हों कि इनके सभी पर्यायवाची शब्दों के योग में ये विभक्तियाँ होंगी—तो भी नहीं—क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रह्म सूत्र की स्थिति की ही तरह यहाँ भी केवल दो पर्यायवाची का मूलग्रन्थ करने से ही ऐसा सकेत यथेष्ट सम्भव था ।

उदाहरण में 'गवाँ स्वामी' या 'गोपु स्वामी' का अर्थ है—'गौओं का मालिक' 'गवाँ प्रसूत' या 'गोपु प्रसूत' का अर्थ है—'गौओं के बीच ही' (अर्थात् गवाँ के बीच) जन्मा हुआ। यहाँ 'गो' शब्द का ग्रहण 'महिष' आदि के निवृत्तार्थ है। 'गवाँ दायद.' या 'गोपु दायद.' का अर्थ है—'पिता आदि के द्वारा कर्तित कृत गौओं का वैद्य अधिकारी'। लेकिन 'यस्मादधिकं—' सूत्र के अन्तर्गत भाष्यकार^२ ने 'दायाद' शब्द को 'स्वामी' का ही पर्याय ठहराया है। इस तरह सूत्र में पर्यायवाची शब्द चार ही जाते हैं। लेकिन हमको पर्याय मानना अच्छा नहीं है क्योंकि यद्यपि इसका अर्थ कुछ मिलता है किन्तु, कुछ अन्तर भी है। वृत्ति में सभी शब्दों का प्रयोग 'गो' शब्द के साथ ही किया गया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसी एक शब्द के साथ एक विभक्तियों में सूत्रस्थ सभी शब्दों का प्रयोग सूत्रकार का अभीष्ट था।

आयुक्तकुशालाभ्याञ्चासेवायाम् । २।३।४०। आभ्यां योगे पृष्टीसम्भयो स्तस्वात्पर्येऽर्थे । आयुक्तो व्यापारितः । आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा । आसेवायां किम् ? आयुक्तो गौः शकटे । ईपद्युक्त इत्यर्थः ।

'आसेवा' अर्थात् 'तात्परता' अर्थ रहने पर आयुक्त तथा कुशल शब्दों के योग में पृष्टी और सत्समी विभक्तियाँ होंगी। 'आयुक्त' का अर्थ है व्यापारित— अर्थात् 'रगा हुआ'। 'आयुक्त. हरिपूजने' या 'आयुक्तः हरिपूजनस्य' दोनों हो सकता है। इसी प्रकार 'कुशल. हरिपूजने' या 'कुशलः हरिपूजनस्य' दोनों संभव हैं। आसेवा या 'प्रदापरता' अर्थ नहीं रहने पर अधिकरण में केवल

१. पाणिनि : २।३।१।

२. महामायम् : २।३।२४।

सप्तमी होगी। जैसे प्रत्युदाहरण में 'आयुक्त' का अर्थ केवल है 'लगा हुआ', इसलिये 'शकट' शब्द में केवल सप्तमी हुई। 'कुशल' शब्द के साथ भी श्रद्धा विषयक अर्थ नहीं होने से ऐसा ही होगा। यहाँ विषयाधिकरण में केवल सप्तमी तथा सम्बन्ध मात्र विवक्षा में केवल षष्ठी प्राप्त होने पर दोनों ही विभक्तियों का विधान हुआ। ऐसा तात्पर्य भी नहीं है कि उक्त शब्दों के पर्यायवाची के योग में भी ये विभक्तियाँ हों क्योंकि 'तत्परे प्रसितासक्ता विधायोद्युक्त उत्सुकः' में अमरकोष के अनुसार उक्त शब्द एक तरह से प्रसित और उत्सुक के भी पर्याय हैं लेकिन इनके योग में 'प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च' सूत्र से तृतीया सप्तमी का अलग विधान हुआ है। यहाँ भी 'च'कार से षष्ठी सप्तमी की अनुवृत्ति होती है।

यतश्च निर्धारणम् । २।३।४१। जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समु-
दायादेकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यौ
स्तः । नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । गवां गोषु वा कृष्णा
बहुक्षीरो । गच्छतां गच्छतत्सु वा धावन् शीघ्रः । छात्राणां
छात्रेषु वा मैत्रः पटुः ।

जहाँ से निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। अर्थात् जिस प्रवृत्ति निमित्त से निर्धारण होता है तद्वाची शब्द में ये दोनों विभक्तियाँ होंगी। साधारण भाषा में निर्धारण का अर्थ किसी विषय को मन में बैठाना है लेकिन यहाँ व्याकरण की भाषा में इसका अर्थ है—जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समूह से उसके एक भाग को अलग करना। संज्ञा का अर्थ यहाँ द्रव्य विशेष या व्यक्ति विशेष है। उदाहरणस्वरूप 'मनुष्य' एक 'समुदाय' रूप है और उसमें से जाति के आधार पर 'ब्राह्मण' को पृथक् कर लिया गया तो मनुष्यवाची 'नृ' शब्द में षष्ठी हुई, सप्तमी भी वैकल्पिक रूप से दिखलाई गई है। यहाँ 'जाति' निर्धारण का मापदण्ड है।

१. अमर कोष : ३।१।९।

२. पाणिनि : २।३।४४।

इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में क्रमशः 'गो' समुदाय से 'कृष्ण रंग की गो', सामान्य 'गमन' क्रिया से 'घावन' रूप विशेष क्रिया तथा 'छात्र' समुदाय से व्यक्ति विशेष 'मैत्र' निर्धारित किये गये हैं और इन जगहों में क्रमशः गुण, क्रिया तथा सज्ञा ही आधार हैं।

वस्तुतः प्रथम उदाहरण को छोड़ बाकी तीनों की स्थिति पुथक् है - 'गो' समुदाय से 'कृष्णत्व-बहुश्रीरत्व' विशिष्ट गौ पृथक् की जाती है, इसी प्रकार 'गमन' क्रिया विशिष्ट समुदाय से 'घावन' क्रिया विशिष्ट तथा 'श्रीरत्व' विशिष्ट, 'छात्र' समुदाय से 'पटुत्व' विशिष्ट तथा 'मैत्र सज्ञा विशिष्ट'। वस्तुतः तो 'गुण' से 'श्राद्धण्य' का, 'गोत्र' से 'कृष्ण्य' का, 'गमनविशिष्ट' से 'घावनविशिष्ट' का तथा 'छात्र्य' से 'मैत्र्य' का निर्धारण हुआ है और आधार है क्रमशः 'श्रेष्ठ्य', 'बहुश्रीरत्व', 'श्रीरत्व' तथा 'पटुत्व', इस प्रकार यदि मान लें कि गुण ही के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्धारण किया जा सकता है तो कोई अति नहीं। इस सूत्र में भी ऊपर से 'च'कार से पृथी सप्तमी की अनुवृत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा जो पृथी होती है उसका भी सामान्य 'न निर्धारण' सूत्र से नहीं होता है। जहाँ सामान्य हुआ रहेगा वहाँ सप्तम्यन्त का सामान्य समझना चाहिये क्योंकि इस सूत्र से निर्धारण में तो दीनों ही विभक्तियाँ होती हैं।

पञ्चमी विभक्ते । २।३।४२। विभागे विभक्तम् । निर्धार्य-
माणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात् । माथुराः पाटलिपुत्र-
केभ्य आढ्यतराः ।

विपर्ययक $\sqrt{\text{नञ्}}$ से नपुंसक लिंग में भाव में 'क'प्रत्यय होने से 'विभक्तम्' हुआ। विभक्ता अर्थ होगा 'विभाग' अर्थात् 'भिन्नता'। सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि निर्धारण रहने पर निम्नसे निर्धारण किया जाता है उसमें और जो निर्धारित होता है उसमें विरुद्ध भिन्नता अर्थात् पार्थक्य रहे तो जहाँ से निर्धारण हो उसमें न पृथी होगी, न सप्तमी, बल्कि पञ्चमी होगी। वस्तुतः ऐसा

इसलिये होता है चूँकि जहाँ 'यतश्च निर्धारणम्' सूत्र लागू होता है वहाँ सामान्य रूप से अभेद होता है और विशेष रूप से भेद होता है। जैसे सामान्य 'मनुष्यत्व' ब्राह्मण में भी पाया जाता है लेकिन 'ब्राह्मणत्व' विशेष रूप से वहाँ भेद हो जाता है। दूसरी तरफ जहाँ यह सूत्र लगता है वहाँ सर्वथा भेद ही होता है, उदाहरणस्वरूप मथुरा निवासी—'माथुर' और पाटलीपुत्रनिवासी—'पाटलीपुत्रक' में सर्वथा भेद ही है। लेकिन दोनों में मनुष्यत्व तो सामान्य ही है? वस्तुतः विभाग या भिन्नता का यह तात्पर्य नहीं है। केवल निर्धारण में जहाँ एक बृहत्बृत्त (Broad circle) से उसी के मौलिक गुणों वाला, किन्तु एक विशेष प्रकार से उससे भिन्न पदार्थ अलग किया जाता है वहाँ इस सूत्र की परिधि में कोई ऐसा वृत्त नहीं होता। जिस प्रकार 'मनुष्य' से 'ब्राह्मण' पृथक् किया जाता है उस प्रकार 'माथुर' से 'पाटलिपुत्रक' पृथक् नहीं किया जाता। ब्राह्मण 'मनुष्य' का एक भाग है जो पृथक् किया जाता है लेकिन इस प्रकार 'पाटलिपुत्रक' 'माथुर' का कोई भाग नहीं है। साथ-साथ 'मनुष्य' से 'ब्राह्मण' का निर्धारण अधिक मानसिक ही है लेकिन 'माथुर' और 'पाटलिपुत्रक' का निर्धारण वास्तविक (Real), स्थितिगत (Terrestrial) और भौतिक (Physical) भी है।

वस्तुतः पृथक्करण ही विश्लेष है, और इस सूत्र के अन्तर्गत सर्वथा भिन्न और पृथक् विषयों में ही किसी आधार पर पृथक्करण होता है। इसलिये इस बुद्धिकल्पित विश्लेष ही समझना चाहिये। यही कारण है कि माप्यकार ने 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' सूत्र के अन्तर्गत ही इसकी सिद्धि का इसका प्रत्याख्यान कर दिया है। यहाँ पुनः प्रारंभ में ही यह प्रश्न आता है कि पंचमी किससे होगी? 'माथुर' शब्द से ही क्यों नहीं होगी जो पाटलिपुत्र के शब्द से होगी? वस्तुतः पूर्वसूत्र से इसमें अनुवृत्ति होती है और तत्र सूत्र की स्थिति होती है—'यतश्च निर्धारणं (ततः) पंचमी (स्यात्) विभक्ते (सति)। अतः स्पष्ट होता है कि जहाँ से निर्धारण होगा तद्वाची शब्द से ही पंचमी

१. पाणिनि : २।३।४१।

२. „ : १।४।२४।

होगी 'विभाग' रहने पर । कुछ अन्य वैयाकरणों के अनुसार चूंकि यह सूत्र 'अनभिहिताधिकार' में पड़ता है इसीलिये 'माधुर' शब्द में पचमी भ्रमी नहीं है । फिर इस सूत्र में एक अन्तर यह है कि यहाँ निर्धारण जैसा भी हो—उत्कृष्टता के आधार पर या हीनता के आधार पर—वह सदा तारतम्य में (In comparative or superlative degree) होगा । लेकिन केवल निर्धारण रहने से ऐसी बात नहीं होती । यहाँ तारतम्य भावश्यक (Compulsory) नहीं होगा । 'गवा गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा' भी कहा जा सकता है और 'गवा गोषु वा कृष्णा क्षीरतमा' भी कहा जा सकता है । पुन 'क्षीर युक्तम्' सामान्यतः 'गो' में भी है और 'कृष्णा गो' में भी । उसी प्रकार 'भाद्रस्य' माधुर में भी है और पाठ्यपुत्रक में भी । लेकिन त्रिव्य प्रकार 'बहुक्षीरस्य' केवल 'कृष्ण गो' में उसी प्रकार 'भाद्रस्य' केवल 'माधुर' में ही पाया जाता है । इस माने में दोनों सूत्रों की स्थिति में साम्य है । 'छात्राणां छात्रेषु वा मैत्र पदु' में यद्यपि ऐसा दोसता है कि 'पदुस्य' केवल 'मैत्र' में ही है, लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । यहाँ भी तात्पर्य यही है कि यद्यपि दूमरे-दूमरे छात्र में भी 'पदुस्य' है लेकिन यह उस उत्कृष्ट मात्रा में नहीं है जैसा 'मैत्र' नामक 'छात्र' में है । यद्यपि यह सूत्र पचमी के प्रसंग में अपादान के अन्तर्गत रहना चाहिये या तथापि निर्धारण के प्रसंग में यहाँ पद्यी सप्तमी के अपवादस्वरूप रक्षणा गया ।

साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः । २।३।४३। आभ्यां
योगे सप्तमी स्यादर्चायां, न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि कृष्णः
साधुनिपुणो वा । अर्चायां क्रिम् ? निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह
तत्पर्यने तात्पर्यम् ।

'साधु' और 'निपुण' शब्दों के योग में 'अर्चा' या पूजा (अथवा 'सन्मान') अर्थ रहने पर सप्तमी होगी, लेकिन 'प्रति' के प्रयोग में ऐसा नहीं होगा । उदाहरण में 'साधु' या 'निपुण' शब्द के योग में 'मातृ' शब्द में सप्तमी दिखलाई गई है ।

प्रत्युदाहरण में 'अर्चा' अर्थ के अभाव में सप्तमी का अभाव दिखाया गया है। यहाँ वास्त्विक स्थिति का कथन ही तात्पर्य है। अतः 'निपुणो राज्ञः भृत्यः' में 'तत्त्वकथन' अर्थ रहने पर 'राजन्' शब्द में पष्ठी और 'निपुणो राज्ञि भृत्यः' में अर्चार्थ में सप्तमी होगी। वस्तुतः 'राजन्' का 'भृत्य' के साथ सम्बन्ध-भाव कथित होने पर पष्ठी होती है और जब 'निपुण' शब्द का साक्षात् सम्बन्ध रहेगा 'राजन्' शब्द के साथ और करीब-करीब विषयाधिकरण का भाव रहेगा तो उसमें सप्तमी होती है। अर्थात् 'राजा का भृत्य निपुण है' ऐसा अर्थ रहने पर पष्ठी, और 'भृत्य राजा के काम में निपुण है' ऐसा तात्पर्य रहने पर सप्तमी होती है। वस्तुतः 'निपुण' शब्द अर्चार्थक हो ही क्या सकता है? उसी प्रकार 'साधु' शब्द अर्चार्थक ही होगा—उसमें 'तत्त्वकथन' का क्या तात्पर्य हो सकता है? सूत्रस्थ 'साधु' शब्द के साथ सप्तमी का विधान पहले ही 'साध्वसाधुप्रयोग च' वार्तिक से हो चुका है। यदि ऐसी स्थिति में 'प्रति' आदि के योग में सप्तमी-विधान रहता तो यहाँ सूत्र में इस शब्द का समावेश उचित होता? 'प्रति' आदि के योग में 'अर्चा' अर्थ रहने पर सप्तमी नहीं होगी—एतदर्थ संकेतार्थ सूत्र में 'साधु' शब्द का समावेश दूरनेय (Far-fetched) प्रतीत होता है।

अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् । साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति पर्यन्तु वा ।

कात्यायन ने इस वार्तिक के द्वारा उपर्युक्त सूत्र की कमी को बताया। सूत्र में जो कहा गया—'प्रति' के प्रयोग को छोड़कर ऐसी बात नहीं। 'प्रति' आदि सभी उपसर्ग—अव्ययों को छोड़कर—ऐसा कहना चाहिये था। इसलिये इनके योग में 'साधु' और 'निपुण' शब्द का प्रयोग रहने पर कर्मप्रवचनीय में द्वितीया ही होगी। वार्तिक में 'प्रति' आदि सभी उपसर्गों के अभाव का ग्रहण होता है। लेकिन तत्त्वबोधिनीकार और वाल्मनोरमाकार के अनुसार यहाँ 'लक्षणैत्थम्भूताख्यान—' सूत्र से केवल 'प्रति', 'परि' तथा 'अन्तु' की अनुवृत्ति करके केवल उनके ग्रहण का ही अभाव दिखाया जायगा। इससे तो तात्पर्य है कि अन्य उपसर्ग अव्यय का योग रहने पर सप्तमी हो जायगी।

प्रसितोत्सुकाम्यां तृतीया च ।२।३।४४। आभ्यां योर्
तृतीयास्याच्चात् सप्तमी । प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरी वा ।

'प्रसित' और 'उत्सुक' शब्द के योग में तृतीया होगी और सप्तमी भी । दोनों शब्दों का अर्थ प्रायः एक ही है । सप्तमी का बोध सूत्रस्थ चकार के समुच्चय से होता है । 'प्रसित' का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है— 'प्रकर्षेण सित (शुक्ल.)' । 'उत्सुक' शब्द के साहचर्य से यह अर्थ यहाँ नहीं होगा । यहाँ केवल विषयाधिकरण सप्तमी की प्राप्ति रहने पर सप्तमी और तृतीया दोनों का विधान किया गया । वस्तुतः तृतीया का प्रयोग यहाँ विविग्र-सा लगता है ।

नक्षत्रे च लुपि ।२।३।४५। नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप्संज्ञया
लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र वर्तमानात्तृतीयासप्तम्यां
स्तोऽधिकरणे । मूलेनागहयेद् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत् । मूले
श्रवणे इति वा । लुपि किम् ? पुष्ये शनिः ।

यदि नक्षत्रवाची शब्द में कोई प्रत्यय लगाकर लुप्त हो गया हो और
उस प्रत्यय का अर्थ अलुण्ण हो तो उसमें सप्तमी के साथ-साथ तृतीया विभक्ति
भी होगी, यदि वह शब्द अधिकरण संज्ञा में हो । सूत्रस्थ चकार से सप्तमी का
समुच्चय प्रसंगानुसृत तथा उपर्युक्त सूत्र 'प्रसितोत्सुकाम्यां—' से तृतीया
की अनुवृत्ति होती है ।^१ 'सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र से मण्डूकप्लुति से
'अधिकरणे' की भी अनुवृत्ति होती है । उदाहरण में 'मूल' और 'श्रवण' शब्द
नक्षत्रवाची हैं और 'नक्षत्रेण युक्त काल'^२ सूत्र से अण् प्रत्यय हुआ तथा
'लुप विशेष'^३ से उमका लोप हो गया । ऐसी स्थिति में लुप् संज्ञा के कारण
अण् प्रत्यय का वृद्धिकार्य नहीं हुआ, लेकिन जिन अर्थ में वह यहाँ होता है—

१. पाणिनि : २।३।४४।

२. " : २।३।३६।

३. " : ४।२।३।

४. " : ४।२।४।

अर्थात् 'नक्षत्र से युक्त काल' के अर्थ में वह अर्थ रह जाता है। अतः 'मूलेना-
वाहयेद्देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्' का अर्थ है कि 'मूल नक्षत्र से युक्त काल में
देवी का आवाहन करना चाहिये और श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में विसर्जन
करना चाहिये। 'मूलेन' और 'श्रवणेन' के बदले 'मूले' और 'श्रवणे' भी हो
सकता है। अधिकरण विवक्षित रहने पर तथा नक्षत्रवाची शब्द रहने पर भी
यदि उसमें कोई ऐसा प्रत्यय नहीं लगा हो जिसकी लुप् संज्ञा हो गई हो अर्थात्
जिसका कार्य नहीं हुआ हो--मात्र उसका अर्थ सुरक्षित हो--तो अधि-
करण में केवल सप्तमी ही होगी, तृतीया नहीं होगी। इसी लिये 'पुष्ये शनिः'
का अर्थ केवल है—'पुष्यनक्षत्र में शनि,' न कि 'पुष्यनक्षत्र से युक्त काल
में शनि'। फिर नक्षत्रवाची रहने पर तथा लुप्संज्ञा भी होने पर अधिकरण
विवक्षित नहीं होने पर यह सूत्र नहीं लगेगा जैसे 'मूलं प्रतीक्षते' में कभी भी
'मूल' शब्द में तृतीया या सप्तमी नहीं हो सकती। या 'अधिकरण विवक्षा
और लुप् संज्ञा होने पर नक्षत्रवाची शब्द ही नहीं रहने पर भी यही गति होगी
जैसे 'पञ्चालेषु तिष्ठति' में 'जनपदे लुप्' सूत्र से लुप् संज्ञा हुई है, अधिकरण की
विवक्षा भी है, लेकिन 'पञ्चाल नक्षत्रवाची शब्द ही नहीं है। सूत्र लागू होने
के लिये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिये।

यह सूत्र कुछ कृत्रिम-सा लगता है क्योंकि 'नक्षत्र से युक्त काल' अर्थ नहीं
किया जाय तो भी काम चल सकता है। उक्त उदाहरण का अर्थ सीधे-सीधे
हो सकता है—'मूल नक्षत्र में आवाहन और श्रवण में विसर्जन करना
चाहिये'। केवल इसी अर्थ के लिये लुप् संज्ञा का आश्रय लिया जाता है
जो निरर्थक-सा है। मैं समझता हूँ कोई और जगह भी नक्षत्रवाची शब्द का
अणुप्रत्ययान्त प्रयोग नहीं होता है वृद्धि कार्य सहित। ऐसी स्थिति में हो
सकता है तृतीया विधान को संगत बनाने के लिये भी यह बखेड़ा खड़ा किया
गया हो। लेकिन सप्तमी की तरह तृतीया में भी स्वाभाविक रूप से ही प्रसंग-
स्य प्रयोग हो सकता है। ऐसी हालत में उक्त उदाहरण का अर्थ होगा 'मूल-
नक्षत्र से देवी का आवाहन करना चाहिये और श्रवण नक्षत्र से विसर्जन'।

सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये ।२।३।७। शक्तिद्वयमध्ये
 यौ कालाघ्नानौ ताम्यामेते स्तः । अथ भुक्त्वाऽहं द्वयहे द्वयहाद्
 वा भोक्ता । कर्तृशक्त्योर्मध्येऽयं कालः । इहस्थोऽयं व्रोगे
 कोशाद् वा लक्ष्यं विधेत् । कर्तृकर्मशक्त्योर्मध्येऽयं देशः ।
 अधिक्रशब्देन योगे सप्तमीपञ्चाम्याविधेते 'तदस्मिन्नधिक'-
 मिति 'यस्मादधि'कमिति च सूत्रनिर्देशात् । लोके लाकाद्
 चाऽधिको हरिः ।

इस सूत्र में 'कालाघ्नोरपन्तसंयोगे', द्वितीया' से 'कालाघ्नो.' की
 अनुवृत्ति होती है और पंचमी विभक्ति में उसका विपरिणाम करके 'कालाघ्न-
 म्याम्' की प्राप्ति होती है । तब अर्थ यह होता है कि 'कारकमध्ये काश-
 म्यां सप्तमी पञ्चम्यौ स्त', अर्थात् 'दो कारकशक्ति के बीच यदि कालाघ्नो वा
 मार्गवाची शब्द रहे, तो उसमें सप्तमी या पंचमी विभक्ति होती है । उदाहरण-
 स्वरूप 'अथ भुक्त्वाऽहं द्वयहे द्वयहाद् वा भोक्ता' में कालाघ्नो 'द्वयह' शब्द दो
 कर्त्ताओं के बीच स्थित है, अतः इसमें विकल्प से सप्तमी और पंचमी दोनों ही
 दिललाई गई हैं । यहाँ एक कर्त्ता तो 'अहम्' शब्द से स्पष्ट है और दूसरा
 'भोक्ता' शब्द से । लेकिन 'भोक्ता' भी तो 'अयम्' की ही विशेषित करता है
 और इस तरह कर्त्ता तो एक ही हुआ ? ऐसा बात नहीं । यहाँ कारक का
 अर्थ शक्त्याश्रय द्रव्य नहीं, अपितु शक्ति ही है । और यह शक्ति कालमेद से
 मिष्ट होता है । 'एक तो आज $\sqrt{\text{भुज्}}$ के साधनस्वरूप है और दूसरी 'दो दिन
 के बाद' । इसीलिये वृत्ति में कहा गया कि 'द्वयह' शब्द दो कर्त्तृशक्ति के बीच
 में कालाघ्नो है । यहाँ केवल समीपार्थ में अधिकरण की प्राप्ति होने पर
 पञ्चमी होती, अतिरिक्त रूप से तृतीया का विधान हुआ । इस दिशा में अर्थ
 होगा—'अथ भुक्त्वाऽहं द्वयहेऽतीते सप्तमीये तृतीयेऽह्नि भोक्ता' 'भोक्ता' शब्द
 लुप्तकारान्त है ।

पुनः दूसरे उदाहरण में 'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद् वा लक्ष्यं विध्येत्' में कर्तृशक्ति और कर्मशक्ति के मध्य में 'क्रोश' शब्द अध्वचाची है। 'अयम्' शब्द से कर्तृशक्ति स्पष्ट है और 'लक्ष्यम्' से कर्मशक्ति। यहाँ संशय का कोई अवकाशस्थान (Scope) नहीं है क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों ही शक्तियाँ स्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया के द्वारा भी दोनों शक्तियाँ पृथक् पृथक् निरूपित हैं। 'अयम्' में कर्तृशक्ति 'इहस्थ'-गत अवस्थान क्रिया से निरूपित है और 'लक्ष्यम्' में कर्मशक्ति 'विध्येत्' की 'वेधन'—क्रिया से विशेषित है। यहाँ भी पंचमी या सप्तमी विभक्ति का अर्थ सामीपिक अधिकरणत्व है। इस तरह इस उदाहरणवाक्य का अर्थ है—इहस्थोऽयं क्रोशोत्तर समीपदेशे लक्ष्यं विध्येत्। इस सूत्र में भी पूर्ववत् सप्तमी का प्रयोग ठीक जँचता है लेकिन पंचमी का प्रयोग रुढ़ प्रयोग के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है।

सप्तमी-पंचमी के प्रयोग की शृंखला में वृत्तिकार 'अधिक' शब्द के योग में भी इन विभक्तियों का प्रयोग बतलाते हैं यद्यपि यह न सूत्र में उक्त है और न किसी वार्तिक में। लेकिन दो सूत्र हैं—'तदस्मिन्नधिकम्—और यस्मादधिकम्—' जिनसे ज्ञापित होता है कि इसके योग में क्रमशः सप्तमी और पंचमी विभक्तियाँ होती हैं। 'हरिः लोके अधिकः' भी हो सकता है और 'हरिः लोकाद् अधिकः' भी। दोनों ही हालत में अर्थ होगा—हरि लोक या संसार की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सप्तमी और पंचमी का अर्थ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जब 'अधिक' के योग में सप्तमी होगी तो 'निर्धारण' अर्थ होगा—अर्थात् लोक रूपी समुदाय से अधिकत्व (Superiority) के कारणे 'हरि' का पृथक्करण ऐसी स्थिति में अभिविधि (Inclusion) समझी जायगी, क्योंकि 'हरि' 'लोक' के अन्तर्गत ही समझा जाता है। फिर जब 'अधिक' के योग में पंचमी होगी तो केवल निर्धारण नहीं 'अपितु' विभाग युक्त निर्धारण अर्थ होगा—अर्थात् 'हरि' का 'लोक' से 'अधिक' होना समझा जायगा। यहाँ 'लोक' से 'हरि' के लिये मर्यादा (Exclusion) समझी जायगी।

१. पाणिनि : ५।२।४५।

२. ,, : २।३।९।

अर्थात् 'हरि' जो 'लोक' से पृथक् ही है वह 'लोक' को अग्रे 'अधि' (Superior) बतलाया जाता है ।

अधिरीश्वरे ११४।६७। स्वस्वामिमात्रसम्बन्धेऽधिः कर्म-
प्रवचनीयसंज्ञः स्यात् ।

'ईश्वर' शब्द से यहाँ ईश्वरत्व विवक्षित है । ईश्वरत्व का प्रथम है 'स्वस्वामिमात्रसम्बन्ध' के अर्थ में । इस अर्थ में 'अधि' उपसर्ग कर्मप्रवचनीय होगा । जैसा हमने अपादान के प्रकरण में 'अपवरी वर्जने' सूत्र के अन्तर्गत स्पष्ट किया है, सामान्यत्वेन कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होने पर भा अपराश्वेन अन्य विभक्तियों व्यवहारानुकूल होती हैं । उक्त सूत्र में तो पंचमी का प्रयोग है लेकिन यहाँ सप्तमी होती है जो अग्रिम सूत्र से स्पष्ट होगा ।

यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी २।३।६। अत्र
कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात् । उप परादे हरेर्गुणाः ।
परार्थादधिका इत्यर्थः । ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण
सप्तमी । अधि भुवि रामः । अधि रामे भूः । 'सप्तमी शौण्ड-
रिति समासपक्षे तु—रामाधीना । 'अपढक्षे'त्यादिना खः ।

इस सूत्र के दो अंश हैं—पहले, 'यस्मादधिकम्' और दूसरा, 'यस्य चेश्वर-
वचनम्' । 'तत्र सप्तमी' का दोनों के साथ समन्वय है । इनमें प्रथम अंश 'उप'
कर्मप्रवचनीय के साथ लगता है और द्वितीय अंश 'अधि' कर्मप्रवचनीय के
साथ । प्रथम अंश की मायंकता और सिद्धि के लिये इस सूत्र में 'उप' की
अनुवृत्ति 'उपोऽधिके च' सूत्र से होती है जिसके अनुसार 'अधिक' के अर्थ में
इसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । द्वितीय अंश के लिये तो प्रयोगानुसृत
उपर्युक्त सूत्र में 'अधि' की आवृत्ति होती है । अत्र जिससे (कुछ) अधिक,
हो उसमें 'उप' कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है । उदाहरणस्वरूप
'उपपरादे हरेर्गुणाः' में 'हरि के गुण' 'परादे' से अधिक बतलाये गये हैं,
अतः 'परादे' शब्द में 'उप' के योग में सप्तमी हुई है । परादे कहते हैं 'याम'

संख्या (Infinite number) को जिससे अधिक कोई संख्या संभव नहीं होती है। उदाहरण का अर्थ है—‘हरि के गुण। किसी भी संभव संख्या में नहीं गिने जा सकते। द्वितीय अंश के दो अर्थ लगाये जाते हैं—एक जब सूत्रस्थ ‘यस्य’ से स्वस्वामिभावगत ‘स्व’ निर्दिष्ट होता है और ‘यस्य ईश्वरवचनम्’ (उच्यते) का अर्थ होगा—‘यस्य स्वस्य सम्बन्धी ईश्वर उच्यते’—तब ऐसी दशा में ‘स्व’वाचक शब्द में सप्तमी होगी जैसे ‘अधि भुवि रामः’ में ‘भूः’ शब्द में सप्तमी इसीलिये हुई है चूँकि वह ‘स्व’ है और ‘राम’ है ‘स्वामी’; दूसरा, जब सूत्रस्थ ‘ईश्वर’ शब्द भावप्रधान माना जायगा और उक्त द्वितीय अंश का अर्थ होगा—‘यन्निष्टमोश्वरत्वमुच्यते’—तब ऐसी अवस्था में ‘स्वामिवाचक शब्द में सप्तमी होगी जैसे ‘अधि रामे भूः’ में ‘स्वामि’वाचक ‘रामशब्द में सप्तमी हुई है। अतः अलग-अलग इन दोनों अर्थों में ‘स्व’ और ‘स्वामी’ में वारी-वारी से (Alternately) सप्तमी होगी।

वालमनोरमाकार के अनुसार ‘अधि रामे भूः’ में ‘अधि’ शब्द का पर्यायवाची समझा जायगा और ‘अधिभुवि रामः’ में ‘अधि’ ‘स्वामि’-वाची समझा जायगा। ऐसा इसीलिये चूँकि पहले वाक्य में ‘अधि’ शब्द ‘भूः’ शब्द को विशेषित सा करता है और दूसरे वाक्य में वह ‘रामः’ को विशेषित करता मालूम होता है लेकिन ‘सप्तमी शौण्डैः’ सूत्र से समास होने के पक्ष में सप्तम्यन्त ‘राम’ शब्द के साथ ‘अधि’ का समास होने पर ‘रामाधि’ शब्द से ‘अधि’ के शौण्डादिगणीय होने के कारण ‘स्व’ प्रत्यय लगाने पर ‘भूः’ को विशेषित करने पर ‘रामाधीना’ होगा। इस प्रकार ‘रामाधीना भूः’ वाक्य ‘अधि रामे भूः’ का अर्थ देगा। विभक्ति के अर्थ में अन्वयाभाव समास में तो ‘अधिरामम्’ होगा। इस तरह ‘अधिरामं भूः’ भी उपयुक्त दो वाक्यवाले अर्थ ही देगा। यह ‘अधि रामे भूः’ के बराबर होगा। ‘अधि भुवि रामः’ के बराबर समास करने पर तो ‘अधिभुवि रामः’ होगा, किन्तु यह सामासिक प्रयोग अच्छा नहीं लगता। ऐसा समझना चाहिये कि ‘अधि

मुवि राम' प्रयोग 'अधि रामे मू' के समकक्ष केवल 'यस्मादधिकं—' सूत्र में 'यस्य चेश्वरत्वचन' के स्वस्वामिभावगत विविध व्याख्या के अनुसार केवल असामानिक रूप में ही होगा।

विभाषा कृषि । १।४।६८। अधिः करोती प्राक्संज्ञो वा स्या-
दीश्वरेऽर्थे । यदत्र मामधिकरिष्यति । विनियोक्ष्यत इत्यर्थः ।
इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यते । अगतित्वात् 'तिडि चोदात्त-
वती'ति निघातो न ॥ [इति विभक्त्यर्थाः ।

'कर्मप्रवचनीया' के अधिकार क्षेत्र में इस सूत्र में 'अधिरीश्वर' की अट्टवृत्ति होती है। अतः अर्थ यह होता है कि √कृ का प्रयोग पर रहने पर 'अधि' विकल्प से कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञक होगा, यदि प्रयोग से 'ईश्वरत्व' का बोध हो। 'यदत्र [मामधिकरिष्यति] उदाहरण में 'अधिकरण' अर्थात् 'विनियोग' क्रिया में 'विनियोक्ता' में 'ईश्वरत्व बोध होने से 'माम्' द्वितीयात् हुभा हैकल्पिक पक्ष में कर्मप्रवचनीयत्व में। किन्तु यहाँ द्वितीया तो सामान्य कर्मत्व में ही 'कर्मणि द्वितीया से' सिद्ध हो सकती है, तब कर्मप्रवचनीयत्व का फल क्या हुआ। वस्तुतः 'करिष्यति' तिटन्त उदात्त है, अतः उस से पूर्व 'अधि' में गतिसञ्ज्ञा होने के कारण अनुदात्तत्व प्राप्त था, कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होने पर ऐसा नहीं होगा।

॥ इति कारकदर्शनं समाप्तम् ॥

— ०:—

१. पाणिनि : १।४।८३।

२. " : १।४।९७।

३. " : २।३।२।

पारिभाषिकशब्दानुक्रमणी

अधिकार १, ४५, ११७, ११८, १२६,
१३६, १४८

अभिधान ३, ४, ५, २६, ४६, ४८, ६२

अत्यन्तसंयोग ३९

अकथित कर्म ६, ७, ९, १०

अनुक्त कर्म २, ४७, ४८

अकर्मक १०, ११, १२, १३, १४, १८,

१९, ४२, ४३, ६३, ७१, ९०, ९१,

९२, १३४, १४०

अनुवृत्ति २०, २९, ३०, ३१, ३६, ४८,

५०, ७३, ८६, ९८, १०८, ११०,

११३, १४०, १४७, १५०, १६३, १६५

अपकर्ष ४९, ८६

अन्यतरस्याम् २०, २१, ५४, ११०

अनर्थक ३५

अन्ववसर्ग ३७, ३८

अपवर्ग ४९

अधमर्ण ६६, ६७

अभूततद्भाव ७४, ७५

अभूतप्रादुर्भावं ७४, ७५

अपाय ८८

असोढ ९१

असूया ६८, ६९

अन्तर्धि ९४

अञ्चूत्तरपद् १०१, १०२, १०३, ११०,

११२, ११६, ११७, ११८

अभिधिति १०५

अनुपलब्धि १०८, १०९

असत्त्ववचन १११, ११२, ११३

अव्ययभू १५, २५, २६, १४३

अभिव्यापक १५५, १५६, १५७

अध्याहार ७८, १५४

आधारकर्म २०, २२

आग्नेदित २४, १४३

आकृतिगण ४८

आधमर्ण्य १४७, १४८

आसेवा १६४

इत्थम्भूताख्यान ३१, ३२

ईप्सिततम १, २, ५, ६

उपयोग ९५

उपपदविभक्ति ८१, ८२, ८९

उपपद् ७६, ७७, ७८, ७९, ८१

उत्तमर्ण ६६, ६७

उत्पात ७५

उपसंख्यान ४८, १४७, १५८

उपसर्ग १०, २५, २६, २७, २८, ३३,

३४, ९६, १०५, १०६

औपरलेपिक १५५, १५६, १५७

कर्मप्रवचनीय २५, २६, २७, २८, २९,

३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,

३८, ३९, १०४, १०५, १०६, १०७,

१७४, १७६

कारकविभक्ति ८१, ८२, ९९, १००, १०४,

११६, १४६

क्रियार्थाक्रिया ७६, ७८, ७९

क्रियान्वयित्व ५५, ५६, ८२, १५४

कृत्य १४९, १५०

कुद्योगपट्टी १०७, १२६, १२७, १२९

गर्हा ३०

गौणकर्म १०, १४, १३३, १३४, १३६,
१५०गौणमुत्पन्न्याय ४५, ८९
नादृश्य ७४द्विकर्मक १०, १२, १४, १५, १९, ८७,
१३४, १३६, १५०

द्वि- (द्विक्रि.) २४, ३३

द्वेयतासम्प्रदान १३०, १३१

द्विदान्द १०१, १०२, १०३, १०९

निपात २६

निचयना १५

निपातन १२७

निष्ठा १४२, १४३

नाम भू १०, ८०

निगमनाम ७६

निमित्त १०९

पदार्थ ३७

परिग्रहण २०, ७३, ७४

परिगणन ६

प्रचयसान १९

प्रयोज्यकर्त्ता १४, १६, १८, १९, ४७

प्रत्ययविशेष ६७

प्रवृत्ति ९६, ९७

प्रभय ९७

प्रतिदान १०६, १०७

प्रतिनिधि १०६, १०७

प्रतियत्त १२४

प्रतिपदद्विधाना पटी ११६, १२३

प्रतिपदिक भू १३, १२९

प्रतिपदिकार्थ भू १३, भू १४, भू १५, भू १६,
४३, ४५, ६२

प्रीयमाण ६४, ६५

पूरण २३

भयहेतु ९०, ९१

भाष १६०

मुद्रकर्म १४, १३४, १३६, १५०

मर्यादा १०५

मण्डूकपुत्रि २०, २१, ११०, १२२, १३०

योगविभाग १०८, १०९, १२१, १२२,
१४९, १५०

वारण ९२, ९३

विभाषा १९, २१, २२, ८३, ८६, १०९

विमलप १८, १९, ४९, ५४, ८५

विप्रस ७१, ७२

विप्रदा १८, १९, २१, ४१, ४२, ४३, ४७,
५३, ५७, ७८, १६३

विप्ररण ८३

वीप्सा ३१, ३३, ३४, ५८

वैषयिक १५२, १५६, १५७

ममानाधिकरण ३०, १३१

सकर्मक १४, १८, ६२, ६३, ७१, ९१,
१३४, १४०

सम्भावन ३७, ३८

मभावना ३७

समुच्चय ३७, ३९, ११०, १५३

साधकतम ४३, ४६, ४७, ४९, ५३, ७४,
८९

स्वानन्व ४१, ४२, ४३, ४४

स्वानी ७२, ७६, ७७, ७८, ७९

दान्दकर्मक १३, १४, १६

शेष ११४, ११५

शेषविशेष ६१, ६८, ९१

हेतु ९, २८, ५४, ५५, ५६, ५७, ९७,
१०८, १०९

ज्ञापन (ज्ञापक) १०४, १२४, १४३

जीप्यमान ६५, ६६

पारिभाषिकन्यायानुक्रमणी

अनर्थान्तरवाचिनौ ३५
इडिकौ अध्युपसर्गं १२४
उपसर्गण धात्वर्थो ३५
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः ० २९, ८१
क्रियाजनकं कारकम् भू ९, भू ११
क्रियान्वयि कारकम् भू ९, भू ११
क्रियानिर्वर्तकं कारकम् भू ९, भू १०
धातुनोक्तेक्रिये नित्यं ० ४२
धात्वर्थवहिर्भूतं १८

न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या भू १३
प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः भू १४
प्रोक्ता प्रतिपदं षष्ठी ११६
यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं ८४
यत्र व्येति ० भू १५
रुद्धियोंगमपहरति १५
वित्रज्ञावशात् कारकाणि ४१, ९३
हानिवद्वाधिक्यमप्यंगं ५२
ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र १०४, १०७

कारिकानुक्रमणी

उभसर्वतसोः कार्यां ० २३
कर्ता कर्म च करणञ्च ० भू ११
कालभावाध्वगन्तव्याः ० १२
कालभावाध्वदेशानाम् ० ११
क्रियाया द्योतको नाय ० २७

गमनाहारबोधार्थं १३
दुह्याचूपचूदण्डं ६
पततो भ्रुव एवाश्वो ० २९
सदृशं त्रिपुल्लिङ्गेषु ० भू १५
शत्रूनगमयत् स्वर्गं ० १३

सूत्रवार्तिकानुक्रमणी

अनभिहिते २, ४५, ४८, ६१
अकथितञ्च ६, ११, १२, ८६
अधिशीङ्स्थासां कर्म २, २०, २१
अभिनिविशश्च २०, २१
अन्तरान्तरेणयुक्ते २५
अनुर्लक्षणे २७, २९, ३२
अभिरभागे ३४
अधिपरी अनर्थकौ ३५
अतिररिक्रमणे च ३६
अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गं ३७
अपवर्गे तृतीया ४९
अनुप्रतिगृणश्च ७३
अर्श आद्यच् ५२

अपादाने पञ्चमी ८८, १०२, १०४, ११०,
१२२
अन्तर्द्वौ येनादर्शनं ९४
अन्यारादितरत्तं १०१, १२०, १६३
अपपरी वर्जने १०४, १०६, १७४
अपपरिचहिरञ्चवः ० १०२, १०४
अकर्त्तव्युणे ० १०७
अपढच् ० १७४
अधीगर्थद्वयेशां कर्मणि ११५, १२३, १२९
अधिकरणवाचिनश्च १३९
अकनोर्भविष्यदा ० १४६, १४८
अधिरीश्वरे १७४, १७६
अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे ७५

अकर्मकधानुभियोगे देश ० १०, ४३, १५८
 अभिवादिदृशोरा मनेपदे ० १९
 अभुक्त्यर्थस्य न २२
 अभिन परितः ममया ० २४
 अग्निष्टव्यवहारे दाग प्रयोगे ० ५९
 अग्निरिसताप्योरिति ० १२६
 अहोणा कर्त्तव्येऽनहोणा ० १६१
 अहं प्रशंसायाम् १४४
 अत्र यादिभिरिति ० १६८
 आत्रयकाधनन्त्ययो ० १४७, १४८
 आहि च दूरे ११९
 आख्यातोपयोगे च ९५
 आख्यादादात्रने च १०५, १०६
 आख्यादाभिचिष्यो १०५
 आशिवि नाथ. ११५, १०६
 आशरोधिकरणम् ००, २९, १५४
 आदेस्तर्हील ० १४४
 आयुक्तुदादाग्या ० १६४
 आहगमहनजन ० १४२
 आदिस्वाद्योर्न १५
 इड्घायो ० १४४, १४५
 इथम्भूतलक्षणे ५३, ५६
 इको यजचि १५७
 इष्टादिभ्यश्च १५८
 उपान्वध्याङ्त्वम् ० २०, २२
 उपोऽधिकं च ३०, १०४
 उपर्यध्यधम्. सामीप्ये २४
 उपयग्राहो कर्मणि ९४, १३५, १३७,
 १४१, १४६, १४९, १५०
 उपयग्राहुर्या ० ३४, ३८
 उपपानेन ज्ञापिते च ७५
 उपसर्गात् मुनेति ० ३३, ३६, ३८, ३९
 उपसर्गादाङ्घ्रयोश्च ३७
 उत्तराच्च ११९

एतया द्वितीया ११०, १२१
 एतदन्यतरस्यामदूरे १२१
 कर्मणि द्वितीया २, १७६
 कर्मप्रवचनीया ० २६, १०६
 कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म १, ५, १०, ६८,
 ७०, ८२, ९२
 क्तत्तत्करणयोस्तृतीया ४३, ४५, ५६
 कर्मणा यमभिप्रैति ० ६०, ६०
 कर्मप्रवचनीययुक्ते ० २७, ३१
 करगाधिकरणयोश्च ५६
 करणे च स्तोत्राक्षपकृच्छ्र ० १११
 कर्त्तृकर्मणो कृति मू १२, १०७, १२३,
 १२६, १२९, १३३, १३५, १४०, १४१,
 १५७
 कृत्. प्रतियत्ने ११५, १२४
 कृत्वोऽर्थप्रयोगे ० ११५, १२३, १३०
 कर्मणि ज्ञानच् ७५
 कर्मरतिपेध १४२, १४६
 कालाध्वनोरत्यन्तमयोगे १०, २३, ६९, ७५
 कालात् सप्तमी च ० १००, १०१
 कुगतिप्रादय ३७
 कृत्वाणां कर्त्तरिदा १४९
 क्लृपि संपद्यमाने च ७४
 क्लेन च प्रजायाम् १३९
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्य ० १५८
 क्लृप्त्ये च वर्त्तमाने ११५, १३२
 क्लृप्त्येनृ निष्ठा १४३
 क्रियया यमभिप्रैति ६२, ६३, ६८, ७१
 क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि ० ६२, ७६, ७
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्यार्थानां ० ६०
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्योः कर्म ७१
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्यार्थानां ० १३, १९, ४४
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्यार्थानां ० ८४
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्यार्थानां ० ८८
 क्लृप्त्येनृत्तिपयस्यार्थानां ० ९२

गमेरितिः १४७
 गुणकर्मणि वेप्यते १३३, १३६, १५०
 वटादयो मितः १२७
 चतुर्थी चाशिष्यायुष्य० ८१, ८३, १५२
 चतुर्थी तदर्थ्या० ७५
 चतुर्थी सम्प्रदाने ६१
 जनिकर्तुः प्रकृतिः ७५, ९६
 जल्पतिप्रमृतीनाम्० १६, १७
 जनपदे लुप् १७१
 जासिनिग्रहण० ११५, १२७
 हुगुप्सान्निरामप्रमादार्थानाम्० ९०
 तदर्हम् १३४
 तथायुक्तञ्चानीप्सितम् ५
 तद्युक्तादध्यना० १००, १०१
 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् ७६
 तस्मै प्रभवति० ८१, ८२
 तृतीयार्थे २९
 कृच् १४४
 तस्य परमाग्नेडितम् १०२
 तदस्मिन्नधिकमिति १५७, १७२, १७३
 तत्रयोजको हेतुश्च ५४
 तच्छ्रीत्यवयोवचन० १४४
 तदर्थ्यं चतुर्थीवाच्या ६३, ७४
 तुमर्थाच्च भाववचनात् ७९
 तुमुन्णुलौ क्रियायां० ७६, १४७
 तुल्यार्थैरनुलोपमाभ्यां० १५०
 इच्छिणोत्तराभ्यामतसुच् ११९
 दाणश्च साचेत्० ५९
 दिक्शब्देभ्यः० ११९
 दिवः कर्म च ४९
 दिवस्तदर्थस्य १२३, १२९, १३३
 द्वांश्च १७, १९
 द्विपः शतुर्वा १४५, १४६
 द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् १३२

द्वितीया ब्राह्मणे १३०
 द्विपोऽमित्रे १४४, १४५
 दूरान्तिकार्थेभ्यो० ११२, ११२, १५५, १५६
 दूरान्तिकार्थेः ११३, १२२
 धारेरुत्तमर्णः ६६
 ध्रुवमपायेऽपादानम् २२, १६७
 नमः स्वस्ति स्वाहा० ८१
 न लोकाव्यय० ८६, ११६, १३९, १४०,
 १४१, १५०
 नपुंसके भावे क्तः १४०
 नक्षत्रे च लुपि १७०
 नक्षत्रेण युक्तः कालः १७०
 न निर्धारणे १६६
 नियन्तृकर्तृकस्य० १५
 नित्यवीप्सयोः ३३
 निमित्तपर्य्यायप्रयोगे० ११७
 निमित्तात् कर्मयोगे १५९
 नीबह्योर्न १५
 नौकाकाशशुक्र० ८३
 परिक्रयणे सम्प्रदान० २०, २१, ४९, ७३,
 पराजेरसोऽड ९१
 पञ्चम्यपादपरिभिः १०४, १०५
 पञ्चमी विभक्ते १३६
 पात्राध्मा० ५९
 प्रत्याहभ्यां ध्रुवः० ७२
 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः १०६
 प्रतिनिधिप्रतिदाने० १०६
 प्रतिपद्विधाना पृष्ठी० ११६
 प्रसितोत्सुकाभ्यां० १६५, १७०
 प्रज्ञाश्रद्धार्चादिभ्यो णः १३४
 प्रकृत्यादिभ्य उपसंस्थानम् ४८
 प्राचीश्वरान्निपाताः २६
 प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण० भू१३, भू
 १५, ३

प्रकाशनस्येयावयोश्च ६५
 प्रेष्यत्रोर्हृदियो १३७, १३८
 पृथग्विनानानाभि ० ११०, १२१, १२२
 पूरणगुणसुक्तार्थ ० १२६
 पूडपत्रे ज्ञानम् १८४
 मन्त्ररहस्यार्थस्य न १६
 भस्वरोय ० १४९
 भविष्यति नाम्यादय १४७, १४८
 भाष्यप्रता १ ७९
 भे प्रायाना नयन्तु १९ ००
 भुव प्रभव ७
 मन्त्ररहस्यार्थनाद ० ८३
 मतिरुति वृष्टताभ्यश्च १२२
 मिता हन्व १०७
 यम्य च भा १० १६०, १६२, १६३
 यनश्च विधारणम् १६५, १६७
 यन्मादधिऋ यम्य ० ३१, १६८, १७२,
 १७३, १७४, १७६
 या गन्धकार्त्तिसोण १००, १०१
 येनाप्रविकार ५१
 रार्थोदये यस्य विप्रक्ष ७१
 रतायाया भाष्यवचनाना १११, १२५
 रव्यधाना प्रायमाण ६४
 रत्नसंयन्तुना ज्ञान ० २१, २९, ३१,
 १०४, १०५, १६९
 रत्न ज्ञानानया १३८, १३९
 रत्नसंयन्तुना विप्रक्षणे च ९८
 रुद्रविष्णवे १३०
 रुद्रव्ययने मन्त्रार्थयो १११, १२३, १२८,
 १३०, १३०
 वारजायोनाम ज्यित ९०
 विभाषा गण्डविष्णवाम १०४
 विभाषासमो १२०
 विभाषा कृत्रि १०६

बुद्धो यना ० ५१
 मन्त्रार्थने च १२४
 मह्युक्तेऽप्रधाने २९, ५०, ११४, १५१
 सप्तम्यधिप्रकरणे च ११२, ११५, १५०
 सर्वनाप्रस्तुतीया च ११७, ११८
 सप्तमीपद्यम्यो ० १७२
 स प्यां ग्रामणी ८१, ८२
 सप्तमी शीर्षे १०४, १०५
 साधनम करणम् ४३, १५७
 सातुनिपुणाभ्याम् ० १५९, १६२
 साजग्माथु प्रयोगे च १५८, १६७
 सतन्त्र कर्ता ४१, ४५
 सतीपूजायाम् ३७
 सतोऽन्यतरस्या कर्मणि ७४
 सृष्टीरपिप्त ६०
 स्रस्तिनाधिकार. १५७
 सत्याया क्रियाभ्यासृति ० १३७
 स्रार्माश्वराधिपति ० १६३
 स्रिप्रयययो ० १३६, १३७, १३८
 स्रिया जिन १२६, १३८
 सुप्रो यज्ञमयोगे १४७
 सु पूजायाम् ३६
 सादायतेर्न ६८
 सोमे विभाषा १३७
 स्वाध्यायस्थानायो ० ६५
 षष्ठी शये भू १२०, ११२, १२३, १४०
 षष्ठी ति प्रयोगे ११६, ११७
 षष्ठी चानादरे १६२
 षष्ठ्यतम्यप्रत्ययेन १०२, १०३, १११
 ११९, १४३
 ह्रस्वीरन्यतरस्याम् १८
 होने ३०
 हो २८, ५३, ५६, ५७, १०८, १११
 हितयोगे च ७५, १०३
 जोऽविद्यार्थस्य करणे ११५, १२२

प्रयोगानुक्रमणी

अन्तरेण हरिं न सुखम् २५
 अन्तरा त्वां मां हरिः २५
 अधि भुवि रामः १७४, १७५
 अधि रामे भूः " "
 अद्य भुक्त्वाऽयं ब्रह्मे भोक्ता १७२
 " " द्वयहाद् " "
 अग्नये स्वाहा ८१
 अधीती व्याकरणे १५२
 अन्यः कृष्णात् १०१
 अग्नयं ह्यागस्य हविषो १३०
 अविनीतं विनयं याचते ७
 अभिनिविशतं सन्मार्गम् २०
 अनु हरिं सुराः ३०
 अति देवान् कृष्णः ३६
 अग्नेर्माणवकं वारयति ९३
 अप हरिः संसारः १०५
 अक्षैः दीव्यति ४९
 अक्षान् " "
 अनुवसति वैकुण्ठं हरिः २२
 अधिवसति " " "
 अभिवादयते देवं भक्तम् १९
 " " अक्तेन "
 अध्यधि लोकम् २३
 अहाऽनुवाकोऽधीतः ४९, ५०
 अधोऽधो लोकम् २३
 अक्षणा काणः ५१, ५३
 अभितः कृष्णम् २४
 अध्ययनेन वसति ५७, १६०
 असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति १६१, १६२
 " तरत्सु " तिष्ठन्ति "
 अलं श्रमेण ५७

अध्ययनात् पराजयते ९१ ९२
 अन्नस्य हेतोर्वसति ११६
 असाधुः कृष्णः मानुले १५८
 अपि स्तुयाद् विष्णुम् ३७
 " स्तुहि ३७
 " स्तुयाद् वृषलम् ३७
 " सिद्ध अपि स्तुहि ३७
 अभ्यवहारयति सैन्धवान् १९
 अभ्यवहारयति सैन्धवैः १९
 आसयत् सलिले पृथ्वीम् १३, १४
 आशयच्चामृतं देवान् १३
 आदयत्यन्नं वटुना १५
 आराद् वनात् १०१
 आशुक्तः संसारः १०५, १०६
 आयुक्तः हरिपूजने १६४
 " हरिपूजनस्य "
 आसकलाद्ब्रह्म १०५, १०६
 आत्मानं मण्डयमानः १४३
 आधर्यो गवां दोहोऽग्नौपेन १३५, १४६
 आसनात् प्रेक्षते ९८
 आवसति वैकुण्ठं हरिः २२
 इहस्थोऽयं क्रोशे लक्ष्यं विध्येत् १७२
 " क्रोशाद् " "
 इतरः कृष्णात् १०१
 इदमेपामासितम् १३९
 " शयितम् १३९, १४०
 ईपन्पानः सोमो भवता १४४
 ईपत्वरः प्रपञ्चो हरिणा १४३
 उपवसति वैकुण्ठं हरिः २२
 उपपराद्धं हरेर्गुणः १७४
 उस्तुकः हरिणा १७०

उभयतः कृष्ण गोपाः २३, २४
 उपरान्ते स्नायान् १६१
 उद्घृतादीना स्याली ८९
 उपाध्यायादधीते ९५
 उत्पथेन पथे गच्छति ८४
 उपहरिं सुरा ३०
 श्चने कृष्णात् १०१
 एषो दस्स्योपस्सुस्ते भू १२, ११४, ११५,
 १२४
 धोदन मुञ्जानो विपं मुक्ते ५
 कटे आस्ते १५५, १५६
 कस्मात्प नद्या ९९
 कर्ता लोकान् १४३
 कटं कारयात्स्वकार १४१, १४२
 कृष्णाय राष्यति ७२
 " ईशने " "
 कृष्णस्य कृति १३३
 कारयति श्यय कटम् १८
 " श्येन " "
 कार्त्तिक्या आप्रहायणी नामे १००
 " प्रमृति १०२, १०२
 किं निमित्तम् ११७
 " प्रयोजनम् " "
 कुतोऽप्यागच्छति ३५
 " पर्यागच्छति " "
 कुहन् स्वपिति १०, ११, १२
 कुर्वन् सृष्टिं हरिः १४१
 कुशांग. " " "
 कूरमभिकृष्यति ७१
 " अभिदुसति " "
 केन हेतुना ११७

केन निमित्तेन ११७
 केशेषु चमरीं हन्ति १५९
 कुशल हरिपूजने १६४
 " हरिपूजनस्य " "
 कुशल कृष्णाय भूयात् १५२
 क्रोशेनानुवाकोऽधीत. ४९, ५०
 क्रोश कुटिला नदी ३९
 " गिरि ३९
 " अधीते " "
 " आस्ते १०, ११
 कृषे गर्गकुलम् १५८
 क्वात्रययन्नं वदुना १५
 गच्छतां धामन् शीघ्रः १६५
 गच्छन्सु " " "
 गत्रा कृष्णाः बहुचीरा " "
 " स्वामी १६३, १६४
 " प्रसूत " " "
 " डयाद् १६४
 गगायां घोषः ४३, ४५
 गां टोषिष पयः ६
 ग्रामं गच्छ मृणं स्पृशति ५
 " ममया २४
 " अजां नयति ७, ६१, ८६
 " " हरति ७
 ग्रामस अजां वहति ७
 " " कर्षति " "
 " गच्छति २४
 ग्रामाय गच्छति " "
 ग्रामाद् यद्भिः १०२
 ग्रामादायानि ८८, ८९
 ग्रामस्य दूरम् ११२, ११३, १५६
 " दूरेण " " "
 " दूरान् " " "

ग्रामस्य अन्तिकम् ११२

„ अन्तिकेन „

„ अन्तिकात् „

„ दूरे ११३, १५५, १५६

„ अन्तिके १५५

„ दक्षिणतः ११९

„ पुरः „

„ पुरस्तात् „

„ उपरि „

„ उपरिष्ठात् „

गैयो माणवकः सान्नाम् १४९

गोत्रेण गार्ग्यः ४८

गोषु कृष्णा बहुक्षीरा १६५

„ दुग्धासु गतः १६१

„ दुह्यमानासु गतः १६०

„ प्रसूतः १६३, १६४

„ स्वामी „ „

„ द्रायाद् १६४

गोपी स्मरात् कृष्णायश्वाघते ६५

„ „ „ हुते „

„ „ „ तिष्ठते „

„ „ „ शपते „

गर्गान् शतं दण्डयति ७

ग्रापयति देवदत्तेन १७

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति १५९, १६०

चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः १०१, १०२

चोराद् विभेति ८९, ९०

„ त्रायते ९०

चौरान् दिदृक्षते ९४

चौरस्य रोगस्य रुजा १२५

„ उज्जासनम् १२७

„ निप्रहणनम् „

चौरस्य क्राथनम् १२७

छात्राणां मैत्रः पटुः १६५

छात्रेषु „ „ „

जगत् मृद्धा १४२

जटाभिस्तापसः ५३, ५६

जपमनु भावर्षत् २७

जल्पयति धर्मं पुत्रं देवदत्तः १६

जगतः कर्ता कृष्णः १३३

जाड्येन वद्धः १०८, १६०

जाड्याद् „ „

तण्डुलानोदनं पचति ७

तिलेभ्यः प्रतिचच्छति मापान् १०६

तिलेषु तैलम् १५६, १५८

तुल्यः कृष्णस्य १५०

„ कृष्णेन „

दण्डेन घटः ५४, ५५

दर्शयति हरिं भक्तान् १७

दर्शयते देवं „ १९

„ „ भक्तैः „

दक्षिणा ग्रामात् १०२

„ हि „ „

दक्षिणेन ग्रामम् १२१

„ ग्रामस्य „

दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् १५९

दक्षि सर्पिः १५८

दास्या संयच्छते कामुकः ५९

दान्तीयो विप्रः ६१, ६२

द्विरहो भोजनम् १३२

द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति ४७

दुःखेन याति ४८

दूरं ग्रामात् ११३, १२२

दूरेण „ „

दूरात् „ „

दूरे „ „

देव देवमभिमिश्रति ३४
 देवदत्त वान सुगाति ०
 देवैर्म्यो हरिः ८१, ८०
 देव्यान् घातुरो हरि १०१, १४०
 ,, हतवान् विष्णु १४०
 दोग्धव्या पय गात्रो कृष्णेन १५०
 दोगो द्रीहि भू १३
 धावतोऽथात् पानि ००
 धिक् कृष्णामक्षम् २३, २४
 धृमादग्निमान् १०८, १०९
 नदीमन्त्रप्रणिता सेना २९
 नमस्कृत्वा नृमिहाय ७६, ८०
 न न्या शुने मन्त्रे ८३
 ,, ध्यान ,, ,
 ,, नृणां ,, ,,
 ,, नृण ,, ,,
 ,, नाय ,, ,,
 ,, अष्ट ,, ,,
 नटस्य गात्रा शृणोति ९५
 नरकस्य विष्णु १८५, १४६
 नमस्करोति देवान् ८१
 नदीमार्गो
 नृणां ब्राह्मण श्रेष्ठ १६७
 नृपु ,, ,, ,,
 नद्यामान्ते १५६
 नाययति भर भृषेन १५
 नास्ति घयोऽनुपलम्बे १०८, १०९
 नाना नारी निष्कृता लोकायात्रा १११
 नास्तिस्त्वयति काष्ठानाम्
 निपुणं कृत्वा मानसि १६८
 निकटं ग्रामस्य १००
 ,, ग्रामात् ,,
 निकरा सङ्ग्राम २४

नेताऽध्वस्य सुप्तस्य १३३
 ,, ,, सुप्तम् ,,
 नेतव्या वज गात्रो कृष्णेन १४९, १००
 पद्महृत्प्रोऽतो भोजनम् १३२
 पथे गते ६२
 पशुना स्रग्धजते ६३
 परित कृष्णम् २४
 पन्थान गच्छति ८४, ८६
 प्रकृष्या चार ४८
 प्रजाभ्य स्तस्मि ८१
 प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति १०६
 पर्यतान् पतितोऽथान् पानि ८९
 परि हरे मस्तार १००
 प्रमित हरिणा १००
 ,, हरी ,,
 पापेऽभिनिवेश २०
 पापाज्जुगुप्सते ९०
 ,, प्रिसति ,,
 प्रात्यादात् प्रेक्षते ९८
 प्राक् ग्रामान् १०८
 प्रायन् ,, ,,
 प्रायेण याजित् ४८
 पितरं मजानीते ५४
 पित्रा ,, ,,
 पित्रुभ्य स्वघा ८१
 पुत्रेणागत पित्रा ५१
 पुत्रेभ्य स्पृहयति ६०
 पुत्राणि ,, ६३, ६८
 पुत्रेण दृष्टो हरिः ७४, ७६
 ,, गौरवर्ग ५६
 ,, ब्रह्मवर्चसम् ,,
 पूर्वो ग्रामान् १०१, १००
 फलेभ्यो यानि ७६, ७७, ७८, ८०

फलानां वृत्तः ११४, ११५
 वलिं याचते वसुधाम् ७
 ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ९६, ९७
 ब्राह्मणाय हितम् ७५
 ब्राह्मणेष्वधीयानेषु गतः १६१
 वलिं भिक्षते वसुधाम् ९
 ब्राह्मणस्य कुर्वन् १४५, १४६
 त्रिभिस्सा रुद्रस्य जगतः १३६, १३७
 बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् २४
 भक्षयति वलीवदान् शस्यम् १६
 ,, अन्नं वदुना १६
 भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः ६६
 भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते ७४, ७५
 ,, संपद्यते ७४
 भजे शम्भोश्चरणयोः ११४, ११५, १२३
 भवात् प्रभृति सेव्यो हरिः १०२
 ,, आरभ्य ,, ,, ,,
 भाषयति धर्मं पुत्रं देवदत्तः १६
 भाष्यार्थैः संयच्छति कामुकः ५९
 भक्तो हरिमभि ३४
 भक्तः विष्णुं प्रति ३१
 ,, ,, परि ,,
 ,, ,, अनु ,,
 भिन्नः कृष्णात् १०१
 भूतले वटः १५४
 भेदिका रुद्रस्य जगतः १३६, १३७
 मम सेव्यो हरिः १४९
 मया ,, ,, ,,
 मनसा हरिं व्रजति २४
 माधुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः १६६
 माणवकं पन्थानं पृच्छति ७
 ,, धर्मं व्रते ७
 मासमास्ते १०, ११

मासमासयति देवदत्तम् १७
 मातुर्निलीयते कृष्णः ९४
 ,, स्मरति भू १२, ११४, १
 १२३
 मातुः स्मरणम् १२३
 मासं गुडधानाः ३९, ४०
 ,, कल्याणी ,, ,,
 ,, अधीते ,, ,,
 मुरस्य द्विपन् १४५
 मुरं ,, ,,
 मुक्तये हरिं भजति ७४
 मूलेनावाहयेद्देवीम् १७०
 मूले ,, ,, ,,
 यवेभ्यः गां वारयति ९२
 यदत्र सामधिकरिष्यति १७६
 यागाय याति ७९, ८०
 यूपाय दारु ७४
 रामेण पृथक् ११०
 रामात् ,, ,,
 रामं ,, ,,
 ,, विना ,,
 रामात् ,, ,,
 रामेण ,, ,,
 ,, वाणेन हतो वाली २९, ४५
 राज्ञां मतः १३८, १३९
 ,, बुद्धः ,, ,,
 ,, पूजितः ,, ,,
 राज्ञः पुरुषः ११४, ११५
 रजकस्य वस्त्रं ददाति ६०
 रुदति पुत्रे प्रात्राजीत् १६२, १६३
 रुदतः पुत्रस्य ,, ,,
 रूपे रूपत्वमस्ति १५५
 रोगस्य चौरज्वरः १२६

रोगस्य चौरमन्ताप १२६
 लक्ष्म्या कामुनी हरिः १४२
 लक्ष्म्या सेवित ३
 लक्ष्मी हरिं प्रति ३१
 " " परि " "
 " " अनु " "
 लोकाद् अधिमो हरिः १०२
 लोकं " " "
 धने उपरसति २२
 धनाद् ग्रामो योजनम् १००
 " " योजने " "
 धम गमी १४६
 " भवणद्विगाम् ७
 धपद्भिन्द्राय ८१
 घृष्टमप्रचिनोति फलानि ७
 " प्रति विद्योतते विद्युत् ३१
 " परि " " "
 " अनु " " "
 घृष्टस्य पेयणम् १२७
 घाहयति चलीवदान् यवान् १५
 " मारं सृष्टेन १५
 " रथं वाहान् सूत " "
 घाताय कपिला विद्युत् ७५
 विपमेणैति ४८
 विप्राय गां ददाति ६१
 " " प्रतिशृणोति ७२
 " " आशृणोति " "
 विचित्रा जगतः कृतिः हरेः १३७
 " " " हरिणा " "
 विकारयति सन्धनान् १५
 " सन्धयं " "
 वेदमध्यापयद्विधिम् १३, १४, १६
 वेदमधीयन् १४३

वेदायं स्वानवेद्यत् १३
 सतः पालकोऽप्रतरति १४६
 सर्वतः कृष्णम् २३, २४
 सतां गतम् भू १२, ११४, ११५
 समेनैति ४८
 सर्पिपोऽपि स्यात् ३७
 सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति १५५, १५६
 तस्सु तिष्ठन्सु असन्तस्तरन्ति १६२
 " तरस्सु " आसते १६१, १६२
 सर्पिपो ज्ञानम् १२२
 " दयनम् १२३
 " ईशानम् " "
 " नाथनम् १२६
 स्वस्ति गोम्यो भूयान् ८१, ८३
 स्वयमुवे नमस्कृत्य ७६, ७८
 साधुः कृष्णो मातरि १५८
 " " मातर प्रति १६९
 " " " परि " "
 " " " अनु " "
 स्याख्यां पचति भू १३, १५१
 स्मारयति देवदत्तेन १७
 सीम्नि पुष्कलकोहतः १५९, १६०
 सु सिक्तम् ३६
 " स्तुतम् " "
 सुखं कर्तुम् १४२
 सुधां चौरनिधिं मन्नाति ७
 सोमं पवमानः १४३
 स्तोत्रेण मुक्तः १११
 स्तोत्रान् " "
 शतं दायी १४६, १४७
 " जयति देवदत्तम् ७
 " प्रतिदीप्यति १३०
 शतस्य " "

शतस्य दीव्यति १२९
 शताद् बद्धः १०७
 शतेन बन्धितः १०७, १०८
 ,, परिक्रीतः ७३
 शताय ,, ,,
 शतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः
 ५७, ५८
 शत्यः अश्वः
 शत्रून् गमयत् स्वर्गम् १३
 शतस्य व्यवहरणम् १२८, १२९
 ,, पणनम् ,, ,,
 शब्दाययति देवदत्तेन १७
 शत्रून् पराजयते ९१
 श्चशुराज्जिहेति ९८
 शरीरे चेष्टा अस्ति १५५
 शब्दानामनुशासनमाचार्येण १३७
 ,, ,, आचार्यस्य ,,
 धियाद्दुरापः कथमीप्सितो भवेत्

हरिः सेव्यते ३
 हरिं दिदृक्षुः १४१, १४२
 ,, अलङ्कारिण्युः १४१, १४२
 ,, अभिवर्त्तते ३४
 हरये नमः ८१, ८२
 ,, क्रुध्यति ६८, ६९
 ,, द्रुह्यति ,, ,,
 ,, ईर्ष्यति ,, ,,
 ,, असूयति ,, ,,
 ,, रोचते भक्तिः २४
 हा कृष्णाभक्तम् ,,
 हारयति भृत्यं कटम् १२
 ,, भृत्येन ,, ,,
 हिमवतो गङ्गा प्रभवति ९७
 होत्रेऽनुगुणाति ७३
 ,, प्रति ,, ,,
 ज्ञानाय निमित्ताय ११७
 ज्ञानेन निमित्तेन

विशिष्टप्रयोगानुक्रमणी

अद्वादहात् सभगमि १६
 आमानमात्मना वेदिम ४४
 " " हन्ति ॥
 अर्घ्येष्वभिनिषिष्टानाम् २१
 शोदनस्य पाचनतम १३४
 " पाचन माह्वणानाञ्च १३५
 करस्य करभो वहि १०४
 प्रसमैचित् कृष्यति ७०, ७१
 क्रमादमुं नारद इत्यधीधि स ५
 क्रमेण पेषु भुवनद्विषामपि १२८
 कस्य विभ्यति देवाश्च ० ९१
 कुमार्य इव कान्तस्य ० ६८
 अग्निहोपाध्याय शिष्याय ० ६१
 गोमायाद् वृश्चिना जायन्ते ९७
 गोलोमात्रिलोमस्य ० ९७
 गामस्य तदह ममाया ० १३०
 तन. पश्चात् संस्यते ० १२०
 तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तेरणा ० १२१
 तुलां यदारोहति दन्तगामसा १५१
 द्वयोश्चैवान्तरा कश्चिन् ० २१

दूरादावमयाञ्मूर्च्छं ० ११३
 धारैरामोदमुत्तमम् ० १३५
 निविदाते यदि शूयशिक्षा पदे ० २१
 निजौजसोज्जामयितुं जगद्गुहाम् ० १२
 पयोनयति देवदत्तस्य ६१
 प्रभुर्भुषु' भुवनत्रयस्य च ८१, ८३
 प्राज्ञो व्याकरणम् १३४
 पूजितो यः सुरासुरैः १३९
 फलति पुरुपाराधनमृते १०८
 यध्रिर्वन्नं पपि' सोमम् ० १४२
 मृणालसूत्रामलमन्तरेण ० २५
 मुनित्रयं नमस्तृण्य ८२
 यदि हरिश्मरणे सरस मनः ११६
 योऽस्मान् द्वेष्टियचवयं द्विष्म. ७०
 त्रिपृष्टोऽपि संरद्धर्ष ० ३
 स चाल आमीद् वपुषा ० ५२
 समा समां विजायते १२
 स्फुटोपमं भृतिमितेन दामुना १५१
 हरिदिनमुपोषितः २२



शुद्धि-पत्र


	पृष्ठसंख्या	पंक्तिसंख्या	शुद्धि
अशुद्ध			
की	भू १२	८	कि
वृत्ति	"	१०	वृत्त
अतिशायनि	२	६	अतिशायन
जसे	४	२	जैसे
इत्यवोधिसः	५	१०	इत्यवोधि सः
अपानादि-	६	१७	अपादानादि-
कर्म	७	१५	कर्म
√अभि = धा	९	१२	√अभि + धा
आपादान	"	१६	अपादान
धञ्	११	११	धञ्
क्रिया	"	२३	क्रिया
अकर्मक	१२	४	अकर्मक
जो	"	८	तो
वास्तिक	१६	२७	वास्तिक
का	१८	१९	को
दं	१९	२२	दं
होगीं	२०	९	होगें
एस्वर्थ-	२१	१०	एस्वर्थ-
वैकुण्ठे	२२	१५	वैकुण्ठं
वने	"	२६	वने
शब्द	२३	२०	शब्द
संख्या-	"	२४	संख्या
वसेरत्र	"	२६	वसेरत्र
इष्ट	२४	४	इष्ट
उपरि बुद्धीनाम्	"	१९, २०	उपरिबुद्धीनाम्
अमितः	२५	१	अमितः
सभा	२६	१०	सभी
पूर्वविवेचित	"	१८	पूर्वविवेचित

शुद्ध	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	शुद्ध
न्व	२७	४	न
लक्षणेर्धं-	२८	२७	लक्षणेर्धं-
Fallay	३०	२	Fallacy
Two	"	"	Too
हीती	३१	४	होती
कर्मप्रवर्चनीय	"	६,७	कर्मप्रवर्चनीय
पति	"	१८	प्रति
द्वयभूत	३२	१४	द्वयभूतः
कारणार्थक	"	२१	कारणार्थक
भक्ति	"	२५	भक्त
हरिमभि	३४	१०	हरिमभि
स्तुयाद्	३९	३	स्तुयाद्
अ-यन्तं-सयोगे	३९	१९	अ-यन्तमंयोगे
Continuons	"	२३	Continuous
कारकाणि	४०	७	कारकाणि
धात्वर्थ	"	२५	धात्वर्थ
कारण	४३	५	करण
कर्त्ता प्रथमा	"	८	कर्त्तरि प्रथमा
समावेश	"	१३	समावेश
विशेषजन्य	"	२३	विशेषजन्य
तद्गुणादि	४४	९	तद्गुणादि
कोइ	"	११	कोई
मन्थित	"	२१	मन्थित
कर्त्तृपद्	४६	१३	कर्त्तृपद्
अवस्था	"	१८	अवस्था
लेकिना	"	१७	लेकिन
वाणवितिष्ट	५०	१	वाणववितिष्ट
दृम	५२	१०	दृसना
वा	"	१४	है
स्वन्व	६०	१९	स्वन्व
इ	"	२०	इ
भक्तिः	"	२३	भक्तिः

अशुद्ध	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	शुद्ध
यजेत	६३	२२	यजते
कहीं-कहीं	६४	७	यहाँ
समानसंज्ञा	६५	२	सम्प्रदानसंज्ञा
रहती है	"	४	नहीं रहती है
दिवि'	"	"	दिवि' में
असूयंति	६८	२५	असूयति
की	७०	११	कि
ब्रधुहेप्या-	"	१५	क्रुध दुहेप्या
Spelics	७१	२	Species
ज्ञानाय	७५	१३	ज्ञानं
स्वरित	८३	८	स्वस्ति
मन्ये	"	१३	मन्वे
चतुर्था	"	१५	चतुर्था
प्रभाद्यति	९०	२	प्रमाद्यति
लक्षण	९१	१३	लक्षणा
वल्मीकि-	"	२३	वाल्मीकि-
वारण	९३	२०	वारण
यत्ककर्त्तृस्य-	९४	६	यत्कर्त्तृकस्य
अदशन	"	१०	अदर्शन
उपत्ति	९६	७	उत्पत्ति
कस्मात्त्वं	१००	६	कस्मात्त्वं
परमाग्नेडित	१०१	१६	परमान्नेडित
भाप	१०६	२०	भाप
पुयो	१११	८	पुभ्यो
निमित्तोय-	११७	१२	निमित्ताय-
वृत्तया	११८	१९	वृत्तिया
पष्टयतसथ-	११९	१	पष्टयतसथ
सतोप्यो-	१२६	७	संतोप्यो-
स्वष्टतः	१३१	२३	स्वष्टतः
वा	१३३	२३	वा
वृच्	१३४	१८	वृचुल्
उत्पन्न	१३५	४	उत्पन्न

अशुद्ध	पृष्ठ संख्या	पङ्क्ति संख्या	शुद्ध
पष्ठी	१३६	२४	पष्ठी
अभिप्रेत	१३९	४	अभिप्रेत
लक्ष्या	१४२	२४	लक्ष्या
सृष्ट्वा	"	२५	सृष्ट्वा
लिप्	१४५	३	लिप्
'शतृके'	"	"	'शतृ' के
गर्वा	१४६	१०	गर्वा
घातुक्	"	१०	घातुक्
कुर्वन्	"	१८	कुर्वन्
इन्	१४७	१	इन्
Seriality	"	६	Seriality
आधमर्ण्ये	"	९	आधमर्ण्ये
चतुर्था	१४८	७	चतुर्था
मज्ज	"	११	मज्ज
प्रजाय	"	१४	प्रजाय
गामि	"	१६	गामि
अधम-	"	१९	अधम-
त्रिशोपित	१४९	२०	त्रिशोपित
कृयानाम्	१५०	१	कृयानाम्
-प्राप्ती	"	२	-प्राप्ती
पयस्	"	२०	पयस्
कृष्णाय	१५२	१५	कृष्णाय
आशिप्	१५२	१७	आशिप्
मत्र	१५३	१३	मत्र
सन्ति	"	२०	सन्ति
समुच्चयार्थ	"	२१	समुच्चयार्थ
कत्तु-	१५४	१	कत्तु-
अधिकरण-	"	१३	अधिकरण-
को	१५५	२१	का
रूप	"	२६	रूपे
मासे	१५६	४	मोसे
वैपयिक	"	५	वैपयिक

अशुद्ध	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	शुद्ध
विषयधिकारणे	”	६	विषयाधिकरणे
-धातुनियोगे	१५८	२०	-धातुभियोगे
सम्बन्ध	१५९	१५	सम्बन्ध
निमित्तवाची	”	२१	निमित्तवाची
कर्त्ताश्रया	१६१	११	कर्त्ताश्रया
विशेष	१६२	९	विशेष-
अनुवृत्ति	१६३	१६	अनुवृत्ति
समुच्चयार्थ	”	१९	समुच्चयार्थ
उद्धृत	१६४	३	उद्धृत
हरह	”	४	तरह
वैद्य	”	१०	वैद्य
गच्छतसु	१६५	१४	गच्छतसु
-स्वरूप	”	२१	-स्वरूप
घावन	१६६	२,७,९	धावन
क्षीरतरा	१६८	८	क्षीरितरा
नहीं	”	१६	नहीं
अर्चा	”	२४	अर्चा
-प्रयोग	१६९	१२	-प्रयोगे
लगाकर	१७०	१४	लगाकर
लुप्त विशेष	”	२१	लुप्तविशेषे
अद्य	१७२	२	अद्य
-पञ्चम्या-	”	५	-पञ्चम्या-
अयम्	”	१६	अहम्
कारणे	१७३	२०	कारण
लिये	१७४	२१	लिये
अधिभुवि	१७५	२५	अधिभु



DUE DATE SLIP

Govt. Autonomous College, Library

ETA (Raj)

पादटिप्पण, Library books only for two

पृष्ठ संख्या	अक्षुब्ध	
२९ पा० टि० २	पृ० सं० ४७	पृ० सं० २७
४७ पा० टि० ३	पृ० सं० ३५	पृ० सं० १७
७२ पा० टि० १	पृ० सं० ३४	पृ० सं० १७
८० पा० टि० १	पृ० सं० ६	पृ० सं० १० (भूमि)
८२ पा० टि० १	पृ० सं० ७८	पृ० सं० ५८

~*~*~*~*~